म माला, खंड 12, अंक 47

शुक्रवार, 8 मई, 1992
18 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)



PARLIAMEN... LIBRARY
No. ...64...
Date ...12.4.94...

(खंड 12 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 12, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 47, शुक्रवार, 8 मई, 1992/18 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1–27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 922 से 926	1–23
अल्प सूचना प्रश्न संख्या : 1	24–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27–192
तारांकित प्रश्न संख्या : 927 से 935, 935क और 936 से 944	27–40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9499 से 9710	40–192
कुछ बैंकों द्वारा लोक निधि के दुरुपयोग के बारे में	200–210
सभा पटल पर रखे गए पत्र	236–248
राज्य सभा से सन्देश	249
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	249
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	249
कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	
शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक	250–256
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
कुमारी ममता बनर्जी	250
श्री जार्ज फर्नान्डीज	250–256
नियम 377 के अधीन मामले	257–265
(एक) केरल में इडुक्की में सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री पाला के० एम० मैथ्यू	257
(दो) जगदलपुर-निजामाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-16 को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानकू राम सोढ़ी	257

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए फ्लैटों का निर्माण करने हेतु धन प्रदान किए जाने की आवश्यकता कुमारी फिडा तोपनो	257–258
(चार) केरल में कोवलाम से कोचुवेली तक अन्तर्देशीय जलमार्ग का विकास किए जाने की आवश्यकता श्री ए० चार्ल्स	258
(पांच) महाराष्ट्र में ठाणे जिले में मुरबाद तहसील से होकर जाने वाली "दरियाघाट" रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता श्री राम कापसे	258–259
(छः) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता डा० परशुराम गंगवार	259
(सात) उत्तर बिहार और दक्षिण भारत के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता श्री नवल किशोर राय	259
(आठ) बक्सर हवाई अड्डे की सीमा का सीमांकन करने और उसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता श्री तेज नारायण सिंह	259–260
विधेयक पुरःस्थापित	
(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक (धारा 10 में संशोधन) श्री अन्ना जोशी	260
(दो) चिकित्सक तथा अभियन्ता (विदेश प्रवास का विनियमन) विधेयक श्री काशीराम राणा	260–261
(तीन) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (आर्थिक रूप से पिछड़े माता-पिताओं के बच्चों के लिए) विधेयक श्री काशीराम राणा	261
(चार) कालेज शिक्षा विधेयक डा० पी० वल्लल पेरूमान	261
(पांच) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का (सरकारी सेवाओं में) आरक्षण विधेयक डा० पी० वल्लल पेरूमान	262

विषय पृष्ठ

(छः) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 115 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 262

(सात) सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक
श्री हन्नान मोल्लाह 262–263

(आठ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक (धारा 6क में संशोधन)
श्री काशीराम राणा 263

(नौ) विशिष्ट जनों के लिए सरकारी आवास विधेयक
श्री काशीराम राणा 263

(दस) असंगठित श्रमिक कल्याण विधेयक
श्री द्वारका नाथ दास 264

(ग्यारह) पूर्व चाय बागान श्रमिक कल्याण विधेयक
श्री द्वारका नाथ दास 264

(बारह) कृषि श्रमिक (पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान वेतन) विधेयक
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल 264

गुवाहाटी उच्च न्यायालय (इम्फाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक—वापस लिया गया . . . . .
श्री याइमा सिंह युमनाम 265

संविधान (संशोधन) विधेयक 265–291
(आठवीं अनुसूची में संशोधन) 298–305
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी 265

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनोरंजन भक्त 266–268
प्रो० प्रेम धूमल 268–270
श्री इन्द्र जीत 270–280
श्री याइमा सिंह युमनाम 280–284
श्री भोगेन्द्र झा 284–287
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 287–291
श्री हरि किशोर सिंह 298–299
श्री गोपी नाथ गजपति 299–300
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती 301–303
श्री एम० एम० जैकब 303–305

विषय	पृष्ठ
बीजिंग में श्री सिन्हा राव द्वारा अनुसिद्धा में स्वर्ण पदक जीतने के बारे में	292–293
आधे घंटे की चर्चा	293–298
आकाशवाणी केन्द्र, कोल्हापुर	
श्री उदयसिंह राव गायकवाड़	293–296
श्री अजित कुमार पांजा	296–298

लोक सभा

शुक्रवार, 8 मई, 1992/18 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चावल का निर्यात

[अनुवाद]

*922. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान चावल के निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) चालू वर्ष के लिए चावल-निर्यात के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) चावल के निर्यात के लिए वर्तमान नीति पर्याप्त समझी जाती है । चालू वर्ष के दौरान चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई और उपाय किए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, टारगेट फिक्स करते हुए क्या आधार लिए जाते हैं ? क्या सरप्लस प्रोडक्शन को आधार लिया जाता है या किसी और आधार पर फिक्स करते हैं ? बी, क्या सरकार ऐसी नीति निर्धारित करने के बारे में सोच रही है जिससे किसान को सीधा एक्सपोर्ट का बैनेफिट मिले ? जैसे और इण्डस्टरीज को मिलता है, एक्सपोर्ट बैनेफिट मिलता है । क्या उसी आधार पर किसान अपने लिए राईस प्लांटिंग मशीनरी या ट्रैक्टर या कोई और टूल्ज ले सकता है ? प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं है, इससे किसान ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट का सीधा फायदा नहीं पहुंचता ।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, अगर एक किसान या किसान सहकारी समिति या किसानों का कोई संगठन निर्यात करता है तो उन्हें अवश्य ही निर्यातक का लाभ मिलेगा। पहले, निर्यातक को ऐकिजम स्क्रिप लाभ मिलते। आज वे एल०ई०आर०एम०एस० नीति के लाभ मिलेंगे। जहां तक निर्यात की मात्रा का संबंध है, वाणिज्य मंत्रालय कृषि और खाद्य मंत्रालय की सलाह अनुसार चलता है।

जैसाकि मैंने पहले भी सरकार की स्थिति बताई है, बुनियादी वस्तुओं, अनाजों में हम केवल अतिरिक्त मात्रा का ही निर्यात करेंगे। हमारा प्रथम कर्तव्य देश के लोगों के प्रति है। यदि अतिरिक्त मात्रा है तो उसे निर्यात हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने की सोच रही है ? जिससे किसान को सीधा फायदा पहुंच सके ? जो टारगेट्स एक्सपोर्ट के हैं वे पहले अनाउंस करे ताकि किसान उसी हिसाब से अपनी पैदावार लगाए। क्योंकि किसी साल किसान के पास ज्यादा फसल आ जाती है उसको डिस्ट्रैस सेल करनी पड़ती है, पैदावार कम होती है तो मिडिल मैन खरीद लेता है, दोनों तरफ से किसान को मार पड़ती है। क्या ऐसा कोई प्रावधान करने जा रहे हैं ताकि किसान, जो प्रोड्यूसर है उसको आपकी नीति का सही लाभ पहुंच सके ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह कार्य परिषद करे, यही कार्य कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए०पी०ई०डी०ए०) कर रहा है।

लक्ष्य के संबंध में मैं चाहता हूं कि हम काफी पहले लक्ष्य तय कर सकते थे, इस प्रश्न के विषय चावल के विषय में ऐसा किया जा सकता था। बासमती चावल जोकि हमारे पास जरूरत से अधिक है पूर्णतः निर्यात के योग्य है। गैर-बासमती चावल के लिए लक्ष्य तय करना संभव नहीं है। इस बारे में लक्ष्य को अन्तिम रूप देना संभव नहीं हुआ है क्योंकि उत्पादन और उपभोग के संबंध में बहुत कम अन्तर है। हम जल्दी में कोई निर्णय नहीं ले सकते। हमें अतिरिक्त मात्रा तय करनी है और केवल तभी इस मात्रा को निर्यात के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। एक बार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त अनाज हो जाए तो हम संभवतः पहले से लक्ष्य तय कर सकते हैं। यह इस वर्ष संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चावल के निर्यात के लक्ष्य को निर्धारित करने में अभी तक देरी के क्या कारण हैं ? चावल निर्यात की वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है और, विगत तीन वर्षों में किस आधार पर चावल का निर्यात किया गया है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, मैंने कहा है कि बासमति चावल की मात्रा या मूल्य निर्यात हेतु बताने में कोई कठिनाई नहीं है। हमें आशा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए मूल्य का बासमती चावल निर्यात किया जाएगा। लेकिन गैर-बासमती चावल की मात्रा या मूल्य का लक्ष्य बताना संभव नहीं है क्योंकि हमें कुल उत्पादन, कुल वसूली और घरेलू खपत के लिए कुल आवश्यकता का पता लगाना होगा। क्योंकि हमारे पास इसकी बहुत कम मात्रा अतिरिक्त होती है इसलिए हम जल्दी में निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू बाजार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध हो।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री के उत्तर से सरकार की वर्तमान नीति की पुष्टि होती है। अर्थात् जब अतिरिक्त मात्रा होगी तब ही सरकार उसका निर्यात करना चाहती है। अन्य देशों को निर्यात की इस नीति के कारण हम स्थाई बाजार नहीं पा सके, हम कुछ वर्ष तो निर्यात करते हैं और फिर अगले ही वर्ष निर्यात नहीं कर पाते। इसलिए हमारे से इन उत्पादनों का आयात करने वाले देशों से हम काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, इस तथ्य के तहत मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मौजूदा नीति पर पुनर्विचार करेगी और चावल या गेहूं या कपास अथवा किसी अन्य कृषि उत्पाद की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा निर्यात करने के विचार को अपनाएगी, ताकि हम निश्चित रूप से निर्यात कर सकें और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। क्या यह सच नहीं है कि उत्पादन के मौजूदा लक्ष्य मुश्किल से घरेलू जरूरत पूरा करने में सक्षम हैं और इसमें हमारी निर्यात जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया ? इसलिए क्या वाणिज्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय से सम्पर्क करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लक्ष्य में वृद्धि हो और हमारी विदेशी मुद्रा के दायित्व पूरा करने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कृषि उत्पादों विशेषकर चावल और अन्य खाद्य उत्पादों की मात्रा के उत्पादन हेतु किसानों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाएं ?

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं माननीय सदस्य के रवैये से पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में, मैंने अनेक अवसरों पर कहा है कि भारत अनियमित गति से निर्यात बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें एक स्थाई निर्यात नीति अपनानी चाहिए, ताकि हमारे बाजार स्थिर रहें और हम हर वर्ष निर्यात कर सकें। लेकिन यह सिद्धान्त अनाजों के मामले में उचित है। गैर-बासमती चावल के लिए कोई कठिनाई नहीं है। इस बारे में नीति बहुत स्पष्ट है हमने पांच वर्षों के लिए नीति की घोषणा कर दी है। गैर-बासमती चावल निर्यात योग्य है और इस स्थिर नीति के फलस्वरूप आप देखेंगे कि गैर-बासमती चावल का निर्यात वर्ष 1989-90 में 26,705 टन का हुआ था ; 1990-91 में यह 3,13,720 टन का हुआ था; और 1991-92 में यह 5,25,000 टन का हुआ था।

लेकिन इस वर्ष कम उत्पादन और वसूली के कारण तथा घरेलू खपत की जरूरतों के कारण हम देखते हैं कि अन्तर बहुत कम है, हम स्थानीय जरूरत को पूर्ति सुनिश्चित किए बगैर लक्ष्य तय नहीं कर सकते।

आपने कहा है कि बासमती चावल पांच वर्ष के लिए खुले रूप से निर्यात योग्य है और कोई कठिनाई नहीं है। कोई भी बासमती चावल निर्यात कर सकता है। लेकिन जब एक उत्पाद का

अन्तर बहुत कम है तब मैं लक्ष्य नहीं बता सकता। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और अतिरिक्त मात्रा नहीं है हम इन लक्ष्यों को नहीं बता सकते। लेकिन हमारी नीति कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना है और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे किसान इस तथ्य को ध्यान में रखकर उत्पादन करें कि हमें निर्यात कर सकें। लेकिन, मानसून पर निर्भर हैं। यदि मानसून विफल रहता है या अनियमित रहता है और हमारा उत्पादन कम हो जाता है तो हम पहले से वचन नहीं दे सकते। तब, हमारे घरेलू बाजार में भी कमी आ जाएगी और हम ऐसा नहीं कर सकते।

श्री गुरचरण सिंह वाडाहूर : पंजाब के किसान राज्य में गड़बड़ी के बावजूद सर्वाधिक खाद्यान्न विशेषकर चावल और गेहूं का उत्पादन करते हैं। गुणवत्ता में सबसे अच्छा चावल अर्थात् बासमती का उत्पादन पंजाब में होता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि निर्यात हेतु चावल का उत्पादन कर रहे किसानों को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं?

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, "किसानों को प्रोत्साहन" कृषि और खाद्य मंत्रालय को प्रेषित होना चाहिए। मैं किसानों को दिए गए प्रोत्साहन पर नहीं बोल सकता।

जहां तक निर्यात का संबंध है, कृषि और खाद्य मंत्रालयों द्वारा बताई गई अतिरिक्त मात्रा निर्यात के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, किसान चावल निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि देश में अतिरिक्त चावल की कमी या सीमित मात्रा के कारण गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति संभव नहीं है।

इस वर्ष चावल निर्यात न करने से जिन किसानों को नुकसान होगा उनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है?

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, मैं नहीं समझता कि किसान चावल का निर्यात न करके घाटा उठाता है। जब तक घरेलू मांग है और घरेलू बाजार में बढ़िया चावल है मैं नहीं समझता कि किसान को घाटा हो। मैं नहीं समझता कि किसान को निर्यात करने पर जो मिलता उससे तुलना करना ठीक है क्योंकि चावल और गेहूं बुनियादी खाद्य पदार्थ हैं। वे पहले घरेलू बाजार में उपलब्ध रहें। केवल अतिरिक्त मात्रा को ही निर्यात किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जिस घाटे का उल्लेख कर रहे हैं वह नाममात्र है।

डा० जी० जी० स्वामी : प्रारम्भ में, मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय के उत्तर में कुछ खामी है। उन्होंने पहले भाग में कहा है कि इस लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। भाग (ग) में वह कहते हैं कि चावल के निर्यात के लिए वर्तमान नीति पर्याप्त समझी जाती है और अधिक विचार की जरूरत नहीं है। फिर भी, जब किसी भी अन्य उद्योग में जो भी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और जिसे लोग निर्यात करते हैं उद्योग से संबंधित एक विशेष मद के आयात से निर्यात करने वाले लोग लाभान्वित होते हैं। अर्जित विदेशी मुद्रा में उनका एक निश्चित प्रतिशत है।

इसी प्रकार, क्या अर्जित विदेशी मुद्रा या इसका एक भाग प्रत्यक्ष रूप से किसानों को कोई मद जैसे कृषि उपकरण या रसायन या खाद या ऐसी कोई वस्तु आयात करने के लिए दे दिया जाए?

श्री पी० चिदम्बरम् : आंशिक परिवर्तनीयता के बाद कोई भी मद या वस्तु जो आयात की नकारात्मक सूची में नहीं है, खुले रूप से आयात की जा सकती है। कोई पाबन्दियां नहीं हैं। बैंक में जाना होता है और रुपए देकर विदेशी मुद्रा लीजिए और कुछ भी आयात कीजिए बशर्ते वह आयात की नकारात्मक सूची में न हो।

एल०ई०आर०एम०एस० के लाभ स्वाभाविक रूप से निर्यातक को ही मिलेंगे। अब किसान सीधे ही निर्यात कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा है, किसानों की सहकारी समितियां निर्यात कर सकती हैं। राज्य निर्यात एजेंसियां स्थापित कर सकते हैं और निर्यात हेतु खाद्यान्न या अन्य कृषि उत्पाद की वसूली कर सकते हैं। लेकिन एल०ई०आर०एम०एस० के लाभ स्वाभाविक रूप से वास्तविक निर्यातक को मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर सहकारी समिति निर्यात करती है तो लाभ सहकारी समिति को मिलेगा। यह किसानों में बंटेगा। एक बड़ा किसान सीधे ही निर्यात कर सकता है। लाभ निर्यातक को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 923 को दिनांक 5-5-1992 की सूची से स्थानांतरित किया गया है।

श्री राम नाईक : इसके बावजूद, एक व्यक्ति के नाम से दो प्रश्न कैसे हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय के लिए है। इसीलिए हमने इसे लिया है।

श्री राम नाईक : यह अन्त में आ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बैलट हुआ था। यह आया है। यह तय था लेकिन फिर इसे वाणिज्य मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। अब श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा।

औषधियों का आयात

*923. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अन्तर्गत ऋण-लाइसेंसधारी विभिन्न फर्मों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आयात की गई बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार आयातित औषधियों पर आयात के बाद नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) आयात के फर्मवार/लाइसेंसवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1992—97 की निर्यात और आयात नीति के अनुसार,

आयात की निषेधात्मक सूची में शामिल दवाओं को छोड़कर अन्य सभी दवाओं के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है। निषेधात्मक सूची में शामिल दवाओं के आयात की अनुमति विशेष लाइसेंसों तथा निर्धारित शर्तों के अधीन दी जाती है।

(ख) से (घ) विशेष लाइसेंसों के अन्तर्गत आयातित सामग्री का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, उसके अन्तर्गत जारी आदेशों तथा निर्यात और आयात नीति में पर्याप्त प्रावधान हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, यह प्रश्न मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा था क्योंकि मैं नीति नहीं बल्कि आंकड़े जानना चाहता था। जोकि भारत के औषधि नियंत्रक के पोर्ट कार्यालयों द्वारा रखे जाते हैं, क्योंकि उनमें काफी विसंगतियां होती हैं। एक दवाई, जोकि एक कम्पनी द्वारा 12,000 रु० प्रति किलोग्राम की दर से आयात की जाती है, वही दवाई किसी अन्य कम्पनी द्वारा 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आयात की जाती है। औषधि मूल्य समीक्षा समिति जिसके के भारत के औषधि नियंत्रक भी सदस्य होते हैं, उसकी उप-समिति द्वारा मूल्य नियंत्रण निर्धारित किए जाते हैं। मूल कीमत 9,000 रुपए रखी जाती है। इसलिए जब दवाईयां वास्तविक उपभोक्ताओं अर्थात् मरीजों के पास पहुंचती हैं तो उनकी लागत बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रकार यह कम्पनियां हेराफेरी द्वारा काफी लाभ अर्जित करती हैं जिसका परिणाम कि गरीब मरीजों को भुगतना पड़ता है। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या औषधि नियंत्रक अपने पोर्ट कार्यालयों के माध्यम से इसका हिसाब रखते हैं या नहीं ?

श्री पी० चिदम्बरम् : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न की भूमिका इस प्रकार बांधी है जैसे कि वे इसका उत्तर स्वास्थ्य मंत्रालय में औषधि नियंत्रक से प्राप्त करना चाहते हैं। औषधि नियंत्रक की ओर से मैं उन प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : तब इस प्रश्न को स्थानांतरित क्यों किया गया ? मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था। मैंने नीति के संबंध में कोई जानकारी नहीं मांगी। मैं केवल आंकड़े जानना चाहता था क्योंकि मेरे पास तीन औषधियों के नाम हैं।

थियोरायडेजिन का आयात एक फर्म द्वारा ऋण लाइसेंस के आधार पर 12,000 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया गया तथा उसी औषधि का निर्यात एक अन्य फर्म द्वारा 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया गया। दूसरे, 'ट्राईपोलिन' का निर्यात एक कम्पनी द्वारा 40,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया गया तथा इसी औषधि का निर्यात एक अन्य कम्पनी द्वारा 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया गया। तीसरे 'कार्बमजेपाईन' एक फर्म द्वारा 4,500 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आयात किया गया तथा एक अन्य कम्पनी द्वारा 2,500 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने जा रही है जिसके द्वारा कि ऐसे नकली ऋण लाईसेंसधारी आयातकों पर नियंत्रण किया जा सके ताकि उपभोक्ताओं को जीवन रक्षक दवाइयां प्राप्त करने के लिए अधिक मूल्य न देना पड़े। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है।

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में बताया है कि आयात की निषेधात्मक सूची में दी गई दवाइयों के अतिरिक्त अन्य सभी दवाइयां नई आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत

बेरोक-टोक आयात की जा सकती हैं। मेरे विचार में इन दवाइयों के लाईसेंस के बगैर बेरोक-टोक आयात मध्यावधि और दीर्घावधि में आयातकों द्वारा की जाने वाली सभी अव्यवहारिकताओं तथा मूल्य निर्धारिण की प्रवृत्ति को समाप्त कर देगी क्योंकि आखिरकार अगर कोई व्यक्ति एक औषधि को 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर आयात कर सकता है तो किसी अन्य कम्पनी अथवा व्यक्ति द्वारा उसी औषधि को पांच गुणा अधिक मूल्य पर आयात करना किसी के लिए भी लाभकारी नहीं हो सकता। अगर माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि कम मूल्य का बीजक दिया गया, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर वे कोई विशिष्ट मामला मेरी जानकारी में लायेंगे जहां कि उनको कम बीजक देने का शक हो तो हम उन मामलों की निश्चित रूप से जांच करवायेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिए वही अधिकतम आयात मूल्य निर्धारित करते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय 'फार्मोस्यूटीकल' कम्पनियां जिनसे कि यह आशा की जाती है कि अपने पेटैन्टों के अनुसार उत्पादन करेंगे, वे अपने संयंत्रों की उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग न करके अपने पेटैन्ट उत्पादों का आयात विदेशों से करते हैं तथा यहां पर उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर बेचते हैं। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहूंगी कि कितनी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां अपने पेटैन्ट सम्बन्धी समझौतों का उल्लंघन कर रही हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की जा रही है।

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, कृपया प्रश्न के संदर्भ में बोलिए। यह प्रश्न ऋण लाईसेंस-धारियों द्वारा औषधियों के आयात तथा आयातित औषधियों पर आयात के बाद नियंत्रण से संबंधित है। इसका पेटैन्टों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा यहां आ कर उत्पादन-क्षमता बनाने से कोई संबंध नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अनेक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां यहां कार्य कर रही हैं। यह प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में आता है।

श्री पी० चिदम्बरम् : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मुझे इन्कार नहीं। मुझे विश्वास है कि उन्हें प्रश्न पूछने की कला आती है। मेरे पास ऋण लाइसेंसों तथा आयात के पश्चात् नियंत्रण के संबंध में जानकारी है। ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के संबंध में मैं अचानक ऐसे जानकारी कैसे प्रदान कर सकता हूं जिन्होंने यहां उत्पादन क्षमता बना रखी है परन्तु जो इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं इत्यादि ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इसकी जानकारी मंत्रालय में उपलब्ध है। क्या मैं यह कह सकती हूं कि श्री हुड्डा के प्रश्न में भी यही बात पूछी गई है ?

श्री पी० चिदम्बरम् : मुझे विश्वास है कि यह जानकारी मंत्रालय में उपलब्ध है। अगर वे अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा भी आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : जी हां, महोदय । मैं अन्यथा भी उन्हें सूचना उपलब्ध करवा सकता हूं ।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : स्पीकर सर, जो माननीय हुड्डा जी ने कहा, वह स्पिरिट समझिए ...

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल हो गया है ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं इसमें जाता हूं कि जितनी मल्टी नेशनल कंपनीज जो यहां हैं, इन्होंने कितने देशों से कितनी बल्क ड्रग मंगवाई । हमारा जो फारेन ऐक्सचेंज खराब होता है, तो ऐसी कितनी कंपनीज यहां इंडिया में हैं जिन्होंने बल्क ड्रग इंपोर्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन दी है, और आपने क्लियर नहीं किया है बल्क ड्रग इंपोर्ट के बारे में कि हम यहां बनाते हैं । आप क्लियर नहीं करते हैं । ऐसी कितनी कंपनीज हैं और दो सालों में कितनी मल्टी नेशनल्स ने कहां से, कितने देशों से बल्क ड्रग्ज इम्पोर्ट की ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : मुझे विश्वास है कि उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा जिन्हें आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन दिया हुआ है । क्योंकि मूल प्रश्न में यह जानकारी नहीं मांगी गई है, इसलिए इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है । मैं निश्चित रूप से यह जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूंगा ।

गरीबों को कानूनी सहायता

[हिन्दी]

*924. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों को कानूनी सहायता देने की प्रक्रिया में व्यापक सुधार करने हेतु सरकार ने एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) सरकार ने, भगवती समिति द्वारा, जो मई, 1976 में गठित की गई थी, की गई सिफारिशों के अनुसार सितम्बर, 1980 में "विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति" की स्थापना की थी ।

(ख) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक विधिक सहायता स्कीम तैयार करने और कार्यान्वित करने, विधिक सहायता और सलाह के लिए स्कीमों को मानिटर करने और ऐसे अन्य उपाय करने या सिफारिश करने की अपेक्षा की जाती है जो विधिक सहायता स्कीम के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं। जैसी कि भगवती समिति ने सिफारिश की है, अधिकांश राज्यों में जिला और तालुका स्तर पर विधिक सहायता समितियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक सहायता और सलाह बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं। ऐसे लोग, जिनकी आय 6,000 रु० और 12,000 रु० से अधिक नहीं है, क्रमशः उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं। तथापि, आय की अधिकतम सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, यायावरी जाति, महिलाओं और बच्चों को लागू नहीं होती है।

विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रम, जैसे कि परा-विधिकों का प्रशिक्षण, शहरी और ग्रामीण हकदारी तथा विधिक समर्थन केन्द्रों की स्थापना, विधिक सहायता शिविरों, लोक अदालतों का आयोजन, विधिक सहायता क्लिनिकों, विधिक साक्षरता शिविरों की स्थापना और विधिक साक्षरता संवर्धन ऐसे प्रमुख कार्यक्रम हैं जो समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने और उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से जानना चाहता हूं कि 1980 में जस्टिस भगवती के अंडर कमेटी फॉर इंप्लीमेंटिंग लीगल ऐड बनी थी जिसका मकसद था कि गरीबों को आसानी से इंसाफ मिल सके, लेकिन उनकी कठिनाइयां हैं कि जो हियरिंग का टाइम है, एक-एक केस के अंदर पांच साल, दस साल और कभी कभी पंद्रह साल लग जाते हैं, बल्कि एक पीढ़ी गुजर जाती है। तो क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा है कि कम से कम वक्त में इन गरीबों को इंसाफ मिल सके और कम से कम हियरिंग में इंसाफ मिल सके, मेरा कहने का मकसद यह है कि पांच महीने, छह महीने या साल भर में हियरिंग का फैसला हो और उस से गरीबों को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उनको आने-जाने में भी काफी परेशानी होती है...।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया है। क्लियर क्वश्चन है।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : भगवती समिति 1976 में गठित की गई थी तथा 1977 में इसने अपनी सिफारिशें दीं। उन सिफारिशों के अनुसार 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में "विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति" की स्थापना की गई थी। सभी राज्यों में इस समिति की तालुका स्तर पर शाखाएं हैं। निर्णय लेने में अवधि को कम करने में यह संस्था एक अच्छी भूमिका निभा रही है। इसकी कार्यप्रणाली में विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं है। एक बार वे जब कोई विधायी मामला हाथ में ले लेते हैं तो सभी निर्णय एक ही दिन में ले लिए जाते हैं। अगर निर्णय एक दिन में नहीं हो पाता है तो मामला न्यायालय में भेज

दिया जाता है। अधिकतर कानूनी सहायता संबंधी बैठकें एक या दो दिन होती हैं। उसका निर्णय तभी ले लिया जाता है तथा इससे पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है कि "सिलास" में जो मिनिमम इनकम ग्रुप इन्होंने रखा है, स्टेट तक के केस के लिए 6,000 रु० और जो सुप्रीम कोर्ट में केसेज होते हैं उसके लिए 9,000 रु० है जिससे कि शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज तथा बिमैन और चिल्ड्रन को अलग रखा गया है। क्या सरकार इसको बढ़ाने की तरफ कुछ कदम उठा रही है और दूसरी चीज यह कि क्या इसके अंदर जो समाज में पिछड़ी जाति के लोग हैं या अकलियत के लोग हैं, उनको शामिल किए जाने के प्रावधान के बारे में सरकार सोच रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, सरकार इसकी सीमा 6,000 रुपये से बढ़ा कर 9,000 रु० और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 करने जा रही है। राज्य सभा ने यह विधेयक पारित कर दिया है तथा यह यहां पर लम्बित पड़ा है। यह विधेयक इसी सत्र में आया है तथा इस पर निर्णय ले लिया जायेगा। हम इसकी सीमा कुछ और बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। परन्तु इसके कुछ और पहलू भी हैं। जो भी लोग अन्य समुदायों में गरीब हैं, वे भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। अगर उनकी आय 6,000 रुपए से 9,000 रुपए के बीच है, तो वे इसकी परिधि में आते हैं। हम यह सीमा बढ़ाने जा रहे हैं। अन्य समुदायों के अधिकतर गरीब लोग भी इसकी परिधि में आ जायेंगे।

अगर कोई कठिनाई होगी तो हम उसे बाद में देख सकते हैं।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में व्यापक सुधार लाने के बारे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति का गठन हो चुका है और इसका एक कार्य कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों का सुझाव देना भी है।

इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति ने इस प्रक्रिया में व्यापक सुधार लाने के लिए कोई सिफारिशें की हैं, अगर की हैं तो उनका विवरण क्या है ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, पिछले दिनों हैदराबाद में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। उन्होंने इसके कार्यकरण पर संतोष प्रकट किया था। उन्होंने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। परन्तु मैं कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश अहमदी से चर्चा करूंगा तथा अगर वे कोई और सिफारिशें करेंगे, तो मैं उन्हें विधेयक में जोड़ दूंगा तथा स्थिति में सुधार लाने की चेष्टा करूंगा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, उसकी आंख पर पट्टी लगी होती है और जिसके पास पैसा होता है, पैरवी होती है, वही मुकदमा जीत पाता

है। जैसा वकील रहेगा, उसी तरह से जज को जजमेंट देना पड़ता है क्योंकि वह भी कानून कायदे से बंधा होता है। नतीजा यह है कि इस देश के गरीब को कभी न्याय नहीं मिल पाता। जब गरीब को न्याय नहीं मिलता, न्याय का दरवाजा उसके लिये बंद हो जाता है तो वह कोई दूसरा दरवाजा खोजने लगता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जिस नई कमेटी की बात कही, लेकिन उसका प्रोसीजर इतना टेढ़ा है कि जब हमने स्वयं कोशिश की कि कुछ गरीब लोगों को न्याय दिलायें, लीगल ऐड के माध्यम से, लेकिन आज तक हम उसमें सफल नहीं हो सके हैं क्योंकि आपका जो प्रोसीजर है, पहले उसे एप्लाई करना पड़ता है, फिर लीगल ऐड कमेटी में वह केस जाता है, उसके बाद लीगल ऐड कमेटी किसी लॉयर को अप्वाइंट करती है। वह लॉयर इतना, घटिया तो हम नहीं कह सकते, सब-स्टैन्डर्ड होता है कि बड़े-बड़े लॉयर्स से कम्पीट ही नहीं कर पाता है। नतीजा होता है कि कभी गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। इसलिय मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नई कमेटी ने क्या रिकमैन्डेशन दी हैं, उसे छोड़िये और कम से कम इतना कर दीजिये कि जो पैसा आप गरीब को वकील के माध्यम से देते हैं, यदि वह पैसा आप सीधे ही गरीब को दे दिया करें तो वह अपने लिये बढ़िया से बढ़िया वकील रख लिया करेगा और अपने केस की पैरवी बढ़िया ढंग से कराया करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सीधे गरीब को पैसा देगी। क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अभी तक लीगल ऐड के माध्यम से कितने गरीबों को न्याय मिल चुका है और कितने लोग अपने मुकदमे जीत पाये हैं।

[अनुवाद]

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, कानूनी सहायता के अन्तर्गत सीधे भुगतान करना विचाराधीन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होता है। उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा जिला सत्र पर जिला न्यायालय का न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होता है। गरीबों के हितों की रक्षा के लिए अच्छे वकीलों का ये चुनाव करते हैं। अगर कुछ करने की आवश्यकता होती है तो इन समितियों के माध्यम से ही किया जाता है। हमारे विचारानुसार ये समितियां बहुत अच्छी तरह कार्य कर रही हैं तथा उनका कार्यकरण बहुत अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने जानना चाहा था कि क्या सरकार सीधे गरीब लोगों को पैसा देगी, मेरा सीधा सा प्रश्न था, बजाए इस प्रोसीजर के माध्यम से, जो गरीब हैं, अफैक्टिड हैं, उन्हें क्या सरकार सीधे पैसा देने का काम करेगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : अभी नहीं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार स्वयं सबसे बड़ी तथा अधिक झगड़ालू मुकद्मेबाज बन गई है। बहुत से मामलों में हम अक्सर देखते हैं कि अधिकारी .... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, इनके सवाल का जो एक महत्वपूर्ण भाग था, उसका तो मंत्री जी ने उत्तर दिया नहीं कि कितने गरीबों को अब तक लीगल ऐड मिली।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे वह इन्फ्रेंक्शन है, जिसके लिये सैपरेट स्वप्रन चाहिये ।

श्री कालका दास : यहां बड़ा स्पेसिफिक सवाल आया है, मैं जानना चाहता हूं कि लीगल ऐड से किसी को लाभ मिला है या नहीं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे पूछने की बजाए, मुझसे पूछ रहे हैं ।

श्री कालका दास : आप मंत्री जी को कहिये कि कितने लोगों को लाभ मिला है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बताईये ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या मैं बता रहा हूं । लाभान्वित होने वाले लोगों की कुल संख्या 14,90,000 के लगभग है ।

श्री पवन कुमार बंसल : सरकार आज सबसे बड़ी तथा सबसे अधिक झगड़ालू मुकद्दमेबाज बन गई है । अक्सर, ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं जिसमें कि अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं तथा गरीब अदालतों तक जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं तथा तुच्छ और अनावश्यक मुकद्दमेबाजी में फंसा दिए जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करेंगे जिससे कि मुकद्दमेबाजी घट कर लगभग आधी रह जायेगी तथा सरकार के लिए सहायता उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर सरकार यह सुनिश्चित करे कि उसके अधिकारी अनावश्यक रूप से मुकद्दमेबाजी न बढ़ायें ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : ऐसे नहीं होता है । इससे जुड़ी हुई समस्याओं और मुकद्दमबाजी कम करने के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं । इस पहलू पर भी सरकार विचार कर रही है ।

करों की वसूली

[हिन्दी]

+

*925. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष अत्यधिक राशि के विभिन्न केन्द्रीय करों की वसूली नहीं हो पाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के अन्त तक प्रत्येक केन्द्रीय कर की कितनी राशि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों की ओर अलग-अलग बकाया थी;

(घ) क्या सरकार ने कर वसूली की वर्तमान प्रणाली में कुछ सुधार किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता मिली है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) बकाया कर मांगों की वसूली न हो पाने के मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) कर-मांगें अपीलों में विवादग्रस्त हैं;

(ii) न्यायालयों, न्यायाधिकरणों तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगन प्रदान किए जाते हैं ।

(ग) 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के वर्षों के अन्त में बकाया पड़े मुख्य-मुख्य केन्द्रीय करों की कर-मांगों की राशि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रु० में)

	आयकर (निगम कर सहित)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा-शुल्क
1989-90	6638	973	73
1990-91	6695	1226	67
1991-92*	6589	1283	69

*वर्ष 1991-92 के लिए आंकड़े दिनांक 1-2-1992 की स्थिति के अनुसार हैं क्योंकि दिनांक 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को अभी संकलित नहीं किया गया है ।

निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की तरफ बकाया पड़ी हुई कर-मांगों के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) से (च) कर वसूली प्रणाली में सुधार करना निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है । इस प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां-कहीं सुधार करने आवश्यक समझे जाते

हैं, किए जाते हैं। इस समय डा० राजा जे० चैल्लैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति कर प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। समिति द्वारा अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को आंशिक रूप में कार्यान्वित किया गया है। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है। इस समय उपलब्धियों का मूल्यांकन करना समय-पूर्व होगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सर, जो उत्तर दिया है सरकार ने उसमें यह बताया है कि टैक्स डिमाण्ड्स अपील में पैंडिंग हैं और स्टे के कारण बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के सेंट्रल टैक्सेस जिनमें इन्कम टैक्स हो, कारपोरेशन टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो या एक्साइज ड्यूटी हो, इसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा के कितने केसेस हमारे न्यायाधिकरण में, कोर्ट में या डिपार्टमेंटल अथारिटीज के पास पैंडिंग हैं और कितने वर्ष से पैंडिंग हैं ?

आपने अपने उत्तर में जो फिगर्स दिए हैं उनमें अपील के कारण कितना पैसा टैक्स का अभी भी फंसा हुआ है वह नहीं बताया गया है और जो रुपया फंसा हुआ है और केसेस पैंडिंग हैं, इनको ध्यान में रखते हुए यह भी मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन मामलों के जल्दी निष्पादन के लिए अधिक से अधिक ट्रेब्यूनल बनाने पर विचार करेगी और जनरल कोर्ट की बजाय स्पेशल कोर्ट गठित करने का सरकार विचार रखती है ताकि ये फैसले जल्दी से जल्दी हो सकें और सरकार का पैसा जल्दी से जल्दी वसूल हो सके ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे जो विभिन्न आयकर के बकाया हैं, उसके सही मायने में आकलन के लिए यह जानना आवश्यक है कि 16,695 करोड़ रुपए की जो राशि दिखाई है उसमें जो 1-4-91 को बकाया थी उसमें से 2,247 करोड़ रुपए 21 जनवरी, 1992 तक आ गए और फरवरी, मार्च में लगभग एक हजार करोड़ रुपए और आए हैं। यानी पुराने रुपयों में से करीब 50 प्रतिशत रुपए प्राप्त हो चुके हैं। 1991-92 में 8,370 करोड़ रुपए की मांग की गई थी उसमें से 6,236 करोड़ रुपए आ गए। यानी 75 प्रतिशत रुपए चालू साल में आ गए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा ज्यादा बकाया नहीं है। जहां तक कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी का सवाल है, उसमें 1989-90 में हमने करीब 95.5 प्रतिशत एरियर्स सेंट्रल एक्साइज से हमें प्राप्त हो गए थे।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जो केसेस पैंडिंग है, ट्रिब्यूनल में, डिपार्टमेंटल अथोरिटीज के पास जो पैंडिंग हैं, उनमें कितना पैसा फंसा है, हम तो यह जानना चाहते हैं, जो मंत्री जी बता रहे है, वह तो उन्होंने अपने उत्तर में ही दिया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए जो बुनियादी बात है, वह जानना जरूरी है और मैं अभी तक वही बुनियादी बात बता रहा था। अब जो आप जानना चाहते हैं, वह इस प्रकार है—डिप्टी कमिश्नर अपील के पास 1 लाख 37 हजार 70 केस थे, दिनांक 1-4-92 को, कमिश्नर अपील के पास 1 लाख 58 हजार 782, इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास 2 लाख 98 हजार, हाई कोर्ट में 34 हजार, सुप्रीमकोर्ट में 3,485 केसेस थे जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेज के पैंडिंग थे। लैम डैन वन इयर के जो केसेज हैं, वे जो मेरे पास ईयरवाइज ब्रेक अप है, उसके अनुसार 5,595 करोड़ में से 3,341 करोड़ बकाया हैं। यह एक साल पुराना है। तीन साल के पुराने जो केसेज हैं वे 1291 हैं

जो 19 प्रतिशत है, पांच साल के पुराने जो केसेज हैं वे 558 हैं और 8 प्रतिशत हैं और दस साल से ऊपर के जो केसेज हैं वे 192 हैं जो 2 प्रतिशत आता है। जैसा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा, सभी केसेज को निपटाने के लिए जल्द से जल्द विभागीय प्रयास के अतिरिक्त हम कोशिश कर रहे हैं विशेषकर जो विभागीय अपील हैं, कि वे जल्द से जल्द निपटाए जाएं। जो कमिश्नर अपील के पास हैं, ट्राईबुनल के पास हैं, उसमें बेंच आफ केसेज और एडीशनल बैंच का जो आपने कहा, उसके लिए हम कानून मंत्रालय से बात करके अधिक से अधिक बैंच खुलवाने की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट में स्पैशल बेंचेस के लिए कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश से हमने अनुरोध किया है और लॉ मिनिस्ट्री से भी अनुरोध किया है, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। स्पेशल कोर्ट के लिए जैसा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, नेशनल कोर्ट ऑफ डायरैक्ट टैक्सेज की स्थापना के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

श्री नीतीश कुमार : कस्टम शुल्क से सरकार को 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली होती है। जहां इनकम टैक्स और डायरैक्ट टैक्स का कलैक्शन है, जिसमें कार्पोरेशन टैक्स शामिल है, उसका कास्ट आफ कलैक्शन 6–7 प्रतिशत होता है लेकिन कस्टम ड्यूटी के कलैक्शन की जो कास्ट होती है वह लगभग 0.5 प्रतिशत होती है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है कि कस्टम ड्यूटी के कलैक्शन में कोई विदेशी एजेंसी, शायद एस०जी०एस० इंटरनेशनल कम्पनी है, को एंगेज करना चाहते हैं यदि एंगेज करने जा रहे हैं तो उसका कस्टम ड्यूटी के कास्ट आफ कलैक्शन पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन इस वक्त नहीं है।

श्री सुकदेव पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि नौकरी पेशा लोगों से सबसे अधिक आयकर वसूल किया जाता है ? आयकर विभाग द्वारा पिछले साल नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और निजी कम्पनियों द्वारा कितना-कितना आयकर वसूल किया गया है ? इनमें से प्रत्येक ग्रुप से आयकर वसूली का व्यय कितना है और इस वसूली के व्यय को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : ये सारे विभाग के जो काम हो रहे हैं उसमें अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए, जितने सैलरी के सर्कल में हैं, अलग-अलग विवरण नहीं है लेकिन कुल खर्च जो हमारे कलैक्शन का है, जो हम वसूल करते हैं उसका मात्र 2 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत : अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार काले धन को नियंत्रित करना चाहती है तब उसे दो मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। एक कर अपवंचन का मुद्दा है और दूसरा वह कार्यकलाप जिन से काला धन उत्पन्न होता है। हम यह देखते हैं कि नियंत्रण के इन तरीकों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। राजा चालिहा समिति की रिपोर्ट और कर प्रशासन ने भी केवल कर अपवंचन की ही बात कही है। इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए तस्करी संगठित अपराध का आधार है। राज्य के कानून और व्यवस्था तंत्र तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

क्या सरकार इन सभी पक्षों पर विचार कर एक सही नीति अपनाएगी और सीमा शुल्क अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों को लागू करेगी ताकि जो अपराधी काला धन अर्जित करने के कार्य में संलग्न है तथा जो कर अपवंचन करते हैं उन्हें एक ही अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, विभागीय अधिकारियों से प्राप्त धन के अतिरिक्त हमें तस्करी और अन्य मामलों में कार्यवाही करने पर धन मिला और कुछ क्षेत्रों में हमने राज्य सरकारों की सहायता भी ली ताकि तस्करी के मामलों को कम किया जा सके। वहां एक एकीकृत नीति है और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता भी मिली है। इस संबंध में अधिकांश राज्य सरकारों ने भी पूरा सहयोग दिया।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मूल प्रश्न के उत्तर "घ" के बारे में पूछना चाहती हूं। हमारे यहां कर वसूल करने की प्रणाली इतनी कॉम्प्लीकेटिड है कि इसकी वजह से सरकार को जितनी कर वसूली मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है। जैसे विदेशों में खास कर अमरीका में मीनिमम कर प्रणाली है, उसकी वजह से वहां कर चोरी भी कम होती है और कर वसूली भी ज्यादा होती है तो क्या सरकार कोई ऐसी साईंटिफिक टैक्स कोलेक्शन सिस्टम की कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस संदर्भ में डाक्टर राजा चलैय्या कमेटी नियुक्त की थी जिस का प्रथम भाग आ गया है। दूसरे भाग की जो अंतिम रिपोर्ट है, उसमें कर प्रशासन संबंधी विस्तृत सुझाव आने वाले हैं। उस पर सरकार विचार करके उचित व्यवस्था इस संबंध में करेगी। वित्त मंत्री जी ने 1992-93 का जो बजट पेश किया उसमें आज तक जितने माननीय सदस्यों के सुझाव आये थे और चैम्बर आफ कामर्स से जो सुझाव आये थे व विशेषज्ञों के जो सुझाव आये थे, उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए करों की सीमा 50 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत पहले ही कर दी है। इससे हमें आशा है कि कर कम करने से कर की वसूली में चालू वर्ष में सुविधा होगी। जो अभी कठिन कानून है, उनके बारे में चलैय्या कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जायेगी। वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम डायरेक्ट टैक्स कोर्ट बना रहे हैं और इनकम टैक्स, वैल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स तीनों को मिला कर सरल कानून बनाने वाले हैं। वह यथा समय संसद के सामने रखी जायेगी।

रक्षा कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि

[अनुवाद]

*926. **श्री अम्मा जोशी :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रक्षा कार्यों के लिए अधिगृहीत की गई कुल भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास, जिन व्यक्तियों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें अन्यत्र भूमि देने अथवा नौकरी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसी अवधि के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों को भूमि अथवा नौकरियां दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) :(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल अधिगृहीत क्षेत्र का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण दर्शाते हुए एक विवरणिका सभा-पटल पर रख दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 या स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में अधिग्रहीत भूमि के स्थान पर अन्यत्र भूमि दिए जाने या जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें रोजगार दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिगृहीत भूमि का वर्ष-वार राज्य-वार ब्यौरा

वर्ष	राज्य	अधिगृहीत क्षेत्र एकड़ में
1989-90	1. पश्चिम बंगाल	3.845
	2. उड़ीसा	92.630
	3. आसाम	15.796
	4. अरुणाचल प्रदेश	2003.843
	5. हिमाचल प्रदेश	4.505
	6. मध्य प्रदेश	6.941
	7. बिहार	194.870
	8. पंजाब	1219.412
	9. राजस्थान	6140.427
	10. जम्मू व कश्मीर	212.275
	11. उत्तर प्रदेश	0.730
	12. महाराष्ट्र	83.060
	13. गुजरात	32.782
	14. तमिलनाडु	86.830
	15. कर्नाटक	5783.730
	16. केरल	5.780

वर्ष	राज्य	अधिगृहीत क्षेत्र एकड़ में
1990-91	1. उड़ीसा	22.000
	2. अरुणाचल प्रदेश	16.410
	3. आसाम	2.071
	4. पश्चिम बंगाल	1.350
	5. हरियाणा	369.270
	6. बिहार	1.465
	7. पंजाब	27.740
	8. मध्य प्रदेश	3627.079
	9. जम्मू व कश्मीर	723.975
	10. उत्तर प्रदेश	1199.790
	11. राजस्थान	3661.385
	12. महाराष्ट्र	1605.420
	13. गुजरात	932.814
	14. तमिलनाडु	153.821
	15. कर्नाटक	203.540
	16. आंध्र प्रदेश	95.125
	17. केरल	0.020
1991-92	1. पश्चिम बंगाल	5.700
	2. उड़ीसा	2.580
	3. आसाम	0.641
	4. अरुणाचल प्रदेश	156.470
	5. सिक्किम	0.710
	6. मेघालय	0.250
	7. पंजाब	694.000
	8. राजस्थान	3450.071
	9. मध्य प्रदेश	139.100
	10. उत्तर प्रदेश	4.925
	11. हिमाचल प्रदेश	4.790
	12. जम्मू व कश्मीर	509.976
	13. महाराष्ट्र	1418.408
	14. गुजरात	941.654
	15. तमिलनाडु	150.511
	16. गोवा	14.959
	17. कर्नाटक	266.615
	18. आंध्र प्रदेश	94.925

श्री अन्ना जोशी : महोदय, ब्रिटिश राज्य के समय से रक्षा मंत्रालय ने हजारों एकड़ भूमि अधिगृहीत की हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने 1989 तक रक्षा उद्देश्यों के लिए जो भूमि अधिगृहीत की थी क्या उसका पूरा उपयोग किया है ?

आपने पिछले तीन वर्षों से लगभग 34,000 एकड़ भूमि अधिगृहीत की हुई है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि उन्होंने विवाचन द्वारा यह भूमि अधिगृहीत की है अथवा रक्षा प्रतिष्ठानों के विस्तार के लिए आपकी कोई योजना है जिसके लिए आपने यह भूमि अधिगृहीत की है।

क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि 34,000 एकड़ भूमि में से कितनी भूमि का उपयोग किया गया है और कितनी भूमि बेकार पड़ी है ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, रक्षा मंत्रालय के पास 22,16,000 एकड़ भूमि है। यह समय-समय पर अधिगृहीत की गई थी ।

जहां तक नये अधिग्रहण के मामलों का संबंध है, हमारे पास 1,69,000 एकड़ संबंधी 363 मामले हैं। रक्षा मंत्रालय तब तक कोई भूमि अधिगृहीत नहीं करता है जब तक उसका कोई उद्देश्य न हो। आम तौर पर यह विभिन्न कार्यों, परियोजनाओं, नई छावनियों तथा सैन्य स्टेशनों के लिए होती है ।

हम न केवल भूमि अधिग्रहण के मामले पर भी निगरानी रखते हैं बल्कि बाद में इसके उपयोग को भी देखते हैं ।

मैं माननीय सदस्य के प्रश्न की भावना को समझता हूं । हम हमेशा उस अतिरिक्त भूमि की भी समीक्षा करते रहते हैं जिसकी सेना को तत्काल आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में एक नीति और कार्यक्रम है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उस अतिरिक्त भूमि को दे दिया जाए ।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या मैं उन्हें दोबारा से बोलूं ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर खोकर आप ऐसा कर सकते हैं ।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, 1989 तक उन्होंने 32 लाख एकड़ भूमि अधिगृहीत की। मैंने यह पूछा है कि क्या हम यह मान लें कि पूरी 32 लाख एकड़ भूमि का उपयोग किया गया है अथवा जिसका अभी उपयोग नहीं किया गया है उसे किसानों को वापिस दे दिया गया है .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि उनके रेंज भी होते हैं जिसके लिए काफी भूमि की आवश्यकता होती है। इनकी छावनियां भी हैं। जब तक आप स्पष्ट रूप से नहीं पूछेंगे तब तक उत्तर देना संभव नहीं है ।

श्री अन्ना जोशी : ठीक है, महोदय ।

एक माननीय सदस्य : आपको यह सम्मान मिला है कि अध्यक्ष महोदय ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है ।

श्री अम्मा जोशी : धन्यवाद ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय पहले रक्षा मंत्री भी थे ।

श्री अम्मा जोशी : महोदय, यह विदित तथ्य है कि जब भी किसान की भूमि ली जाती है तब वह बेरोजगार हो जाता है । अतः परियोजना, चाहे रक्षा संबंधी हो अथवा सिंचाई संबंधी, पूरी करने से पहले किसान के परिवार के कम-से-कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए अथवा उनका पुनर्वास किया जाए । मंत्री महोदय ने उत्तर के दूसरे भाग में कहा है, "यह हम पर कानून द्वारा बाध्य नहीं है ।" ठीक है । लेकिन आमतौर पर वे इसके लिए बाध्य हैं । सरकार यह पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि वह इस पर कार्यवाही कर रही है । अतः इसी का अनुपालन करते हुए पिछले तीन सालों में 34,000 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है उसके लिए कितने परिवारों को रोजगार दिया गया है अथवा दिया जाएगा ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सशस्त्र बलों के संचालन कार्यों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम अथवा स्थायी सपत्ति अधिगृहण और अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत की जाती है । इन तीनों अधिनियमों में भूमि अधिग्रहण से बेरोजगार हुए व्यक्तियों को रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है । जब विधायिका ने यह कानून बनाए थे तब उन्होंने भूमि से बेदखल हुए व्यक्तियों को भूमि देने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा । विधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । लेकिन कुछ मामलों में राज्य सरकारों के अनुरोध पर हमने पुनर्वास के लिए अनुदान दिया है ताकि राज्य सरकारें भूमि से बेदखल लोगों का पुनर्वास कर सकें । मेरे पास हाल के वर्षों में दिए गए पुनर्वास अनुदानों का ब्यौरा है । न तो यह बात व्यवहार्य है और न ही हम यह चाहते हैं कि हम नीति अथवा विधान से हटकर ऐसा निर्णय लें कि भूमि से बेदखल किए लोगों को वैकल्पिक भूमि प्राप्त करने अथवा रक्षा उपक्रमों में रोजगार देने का अधिकार प्रदान करें ।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, (क) रक्षा कार्यों के लिए पिछले तीन वर्षों में किन परियोजनाओं के लिए गुजरात में भूमि अधिगृहीत की गई है ? क्या वे परियोजनायें पूरी हो गई हैं और अभी तक अधिगृहीत भूमि के खाली पड़े होने के क्या कारण हैं ? (ख) क्या सभी मामलों में अधिगृहीत की हुई भूमि के मुआवजे दे दिए गए हैं, विशेषकर गुजरात में और क्या अदालतों में मुआवजे के बारे में कोई मामला विचाराधीन है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, गुजरात में वर्ष 1989-90 में 32.7 एकड़ तथा 1990-91 में 932.8 एकड़, 1991-92 में 941.6 एकड़ भूमि अधिगृहीत की थी । मैं माननीय सदस्य को न्यायालय में लंबित पड़े मामलों के आंकड़े दे सकता हूं । लेकिन मेरे पास केवल मोटे आंकड़े ही हैं । मेरे पास प्रत्येक राज्य के बारे में आंकड़े नहीं हैं । मंत्रालय द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की जाती है कि अधिगृहीत भूमि का उपयोग किया जाए और उसे अनावश्यक बेकार न रखा जाए । हमारे मंत्रालय में भूमि अधिग्रहण के कार्य की भी निगरानी की जाती है ।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान प्रश्न के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण तथा 1991-92 के लिए क्रम संख्या 6 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें 0.250 एकड़ लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि मेघालय में यह स्थान कहां पर है तथा इसका क्या नाम है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह भूमि का छोटा सा टुकड़ा है जो रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिगृहीत किया गया था। इस बारे में मुझे अलग से सूचना की आवश्यकता होगी। 363 मामले लंबित पड़े हैं और पिछले सालों में हजारों मामले थे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप इसे लिखित रूप में दे सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, बैरकपुर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। वहां काफी भूमि बेकार पड़ी है और यह भीड़-भरे इलाके में है। हम इस प्रदूषण के दिनों में इस क्षेत्र को प्रदूषण रहित रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस भूमि पर कुछ भी न बनाया जाए और इसे खाली ही रहने दिया जाए तथा इसे नगरपालिका को सौंप दिया जाए। इस संबंध में हमें अभ्यावेदन भी मिले हैं। क्या माननीय मंत्री इससे सहमत हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : अतिरिक्त भूमि का मुद्दा विचाराधीन है। यह खाली भूमि का एक बड़ा भाग है। ऐसी भूमि का पता लगाया जा रहा है। रक्षा बलों ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कुछ स्थान जानबूझकर खाली रखे हुए हैं। जब सशस्त्र बलों द्वारा किसी भूमि को अतिरिक्त भूमि कहा जाता है तब सबसे पहले राज्य सरकारों को बाजार मूल्य पर उसे खरीदने का मौका दिया जाता है, उसके बाद नगरपालिकाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अवसर दिया जाता है। इसके बाद ही इसकी नीलामी की जाती है। जिसमें गैर-सरकारी लोग भाग ले सकते हैं। माननीय सदस्य का सुझाव काफी अच्छा है। किसी भी भूमि का उपयोग करने के लिए हम राज्य सरकारों से बात करेंगे और खाली भूमि को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। क्यों कि यह हमारे शहरी जीवन के लिए आवश्यक है।

श्री लोकनाथ चौधरी : बाजार मूल्य पर क्यों ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष जी, डिफेंस परपस के लिए जो लैंड सरकार एक्वायर करती है वह दो एक्ट के अधीन किया जाता है जैसे मंत्री जी ने माना है। लैंड एक्वीजिशन के अधीन और रेक्वीजीशन एण्ड एक्वीजिशन आफ प्रोपरटीज एक्ट दोनों के अधीन जो मुआवजा दिया जाता है उसकी दरों में अन्तर होता है जिसके कारण जिस व्यक्ति की जमीन ली जाती है उसको नुकसान होता है। क्या सरकार को ऐसे कुछ प्रदेश सरकारों की ओर से सुझाव मिले भी हैं कि आप दोनों एक्ट की बजाए एक एक्ट के अधीन लैंड एक्वायर करने का प्रावधान करेंगे। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में आपने पिछले वर्षों से जमीन एक्वायर कर रखी है, जिला ऊना, हमीरपुर तथा कुल्लू में, वहां पर आप सैनिक छावनियां बनाने का काम कब तक शुरू करेंगे ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सशस्त्र बलों के लिए भूमि जिन दो कानूनों के अंतर्गत अधिगृहीत की जाती है वह समय-समय पर बनाए गए हैं। हमारे सामान्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम हैं। लेकिन अधिग्रहण अधिनियम का पालन किया जा रहा है और अधिनियम का उद्देश्य रक्षा बलों के संचालन कार्यों के लिए भूमि का शीघ्र अधिग्रहण करना है। जब संचालन कार्यों के लिए तत्काल भूमि की आवश्यकता होती है तब इसे अधिगृहीत किया जाता है। मुआवजे की राशि भिन्न-भिन्न होती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अस्थायी और स्थायी है। अर्जन अस्थायी है और अधिग्रहण स्थायी है।

श्री एस०कृष्ण कुमार : स्थायी संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अनुसार किराये के आधार पर भूस्वामी को वार्षिक मुआवजा तब तक दिया जाता है जब तक भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि का मूल्य सम्प्राप्तकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है, भूमि अधिग्रहण का मूल्य चुकाया जाता है और भूमि सरकार की संपत्ति बन जाती है। यह दो अधिनियम हैं और दोनों ही आवश्यक हैं, केवल एक ही कानून काफी नहीं है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, आप और पूरी सभा इस बात की प्रशंसा करेगी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासोर में चांदीपुर रक्षा प्रतिष्ठान ने काफी योगदान दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके लिए आपको बधाई देना चाहेंगे।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए उड़ीसा में 1989-90 में 92.630 एकड़, 1990-91 में 22 एकड़ और 1991-92 में 2.58 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि लोगों से भूमि अधिगृहीत करते समय यह कहा गया था कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा लेकिन 1989 या उससे पहले से आज तक किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया गया है। लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सभा को यह आश्वासन दें कि जिन व्यक्तियों की रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें रोजगार दिया जाएगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में रोजगार अथवा वैकल्पिक भूमि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि रोजगार दिया जाएगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह संभव नहीं है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं इस संबंध में सरकार के पत्र दिखा सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री एस० कृष्ण कुमार : राज्य सरकार ने वायदा किया था और आप राज्य सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, हम भी इसके लिए कह देंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि डिफेंस परपज के लिए राजस्थान से सबसे ज्यादा जमीन ली गयी है, जितने भी प्रान्त हैं उनकी अपेक्षा सबसे ज्यादा जमीन राजस्थान से ली गयी है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान के लोगों की, जो पिछड़ा इलाका है, जहां पर पीने के पानी की भी समस्या है, किसानों की, जिनकी जमीन आपने एक्वायर की है उनको जरूरत के मुताबिक मुआवजा मिलेगा ? मुआवजे के साथ-साथ क्या वहां पर पानी की सुविधा उस इलाके के लिए करने का कोई बन्दोबस्त करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पुनर्वास के बारे में उत्तर दे दिया गया है ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैंने रक्षा भूमि अधिग्रहण के मामलों के बारे में पहले ही उत्तर दे दिया है कि उचित मामलों में हम राज्य सरकारों को पुनर्वास के लिए अनुदान देते हैं और संबद्ध राज्य सरकार सदस्य द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री के०पी० सिंह देव । मैं सदस्यों की रुचि जानता हूं और मैं उनकी रुचि के अनुसार ही उनके नाम पुकार रहा हूं । **(व्यवधान)**

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा मंत्रालय एक व्यापारिक संस्थान अथवा सट्टा करने वाला निकाय बन गया है क्योंकि यहां पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन सालों के दौरान 31,000 एकड भूमि अधिगृहीत की गई और आज दिल्ली छावनी की आनंद पर्वत की भूमि तथा पुणे और कानपुर में राजपूताना राइफल रेजीमेंटल सेंटर की भूमि बेचने का प्रस्ताव है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में रक्षा मंत्रालय की क्या नीति है और पिछले तीन सालों में यह 31,000 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने के लिए कितना धन व्यय किया गया ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, अतिरिक्त रक्षा भूमि का निपटान करने की नीति है। एक समिति इसकी जांच कर रही है। उन्होंने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है। लेकिन वह गैर-सरकारी व्यक्तियों को नहीं बेची जा रही है। सबसे पहले इसके लिए राज्य सरकारों से पूछा जाएगा, फिर नगरपालिकाओं से पूछा जाएगा और इसे बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा । आप यह पूछ सकते हैं कि आप भूमि क्यों अधिगृहीत कर रहे हैं जबकि आपके पास अतिरिक्त भूमि है। अधिग्रहण स्थिति के अनुसार होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि कहां पर परियोजनाएं चालू की जा रही हैं और यह सह-लक्ष्य नहीं है । अधिग्रहण चुनिंदा क्षेत्रों में ही किया जा रहा है और अतिरिक्त भूमि का निपटान भी विभिन्न क्षेत्रों में होगा । यह पूर्ण नीति पहले से ही चली आ रही है । हम अभी मुख्य क्षेत्रों में भूमि नहीं बेच रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आज श्री केशरी लाल द्वारा दिया गया अल्प सूचना प्रश्न भी है । मैं श्री केशरी लाल से अनुरोध करता हूं कि वह अपना प्रश्न प्रस्तुत करें ?

अल्प सूचना प्रश्न

अ०सू०प्र०सं० 1

पब्लिक स्कूलों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों को किराये पर लेना

1. **श्री केशरी लाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने राजधानी में स्कूलों के बच्चों को लाने ले जाने के लिए निगम की बसों का प्रयोग करने वाले स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों को स्कूलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली बसों के किराये को दुगना करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने ऐसे स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इस निर्णय से भी अवगत कराया था कि स्कूल के अधिकारी छात्रों से लिए जाने वाले वर्तमान किराए में कोई वृद्धि नहीं करेंगे;

(ग) क्या अब स्कूलों के अधिकारियों ने छात्रों के अभिभावकों से अधिक किराया देने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में कई मामले आए हैं। सरकार ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया है उन्हें निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं :—

(i) सभी स्कूल अलग से एक बस शुल्क वसूली खाता खोलेंगे, जिसमें परिवहन के प्रयोजन से छात्रों से एकत्र की गई सारी शुल्क राशि डाली जाएगी ।

(ii) प्रत्येक स्कूल नई दरों पर दिल्ली परिवहन निगम को दी जाने वाली कुल राशि का अनुमान लगाएंगे और वे इस आधार पर बस शुल्क के रूप में छात्रों से वसूल की जाने वाली मासिक/पाक्षिक राशि के स्लेब नियत करेंगे ।

(iii) दिल्ली परिवहन निगम की बसों का प्रयोग करने वाले स्कूल उपयोग की गई दूरी का 9 रु० प्रति कि०मी ०की दर से दिल्ली परिवहन निगम को भुगतान करेंगे। ये स्कूल छात्रों से प्रशासनिक प्रभार के रूप में 50 पैसे प्रति कि०मी० की दर से वसूल करने के भी हकदार होंगे ।

(iv). किसी वर्ष विशेष के बस शुल्क संचयन खाते में किसी अधिशेष राशि को स्कूल अगले पूरे वर्ष के लिए अनुमानित संचयन में समायोजित करेंगे और छात्रों से वसूल किया जाने वाला शुल्क तद्नुसार समायोजित किया जाएगा ।

(v) सभी स्कूल बस शुल्क के रूप में एकत्र की गई कुल राशि और दिल्ली परिवहन निगम/अन्य परिवहन आपरेटरों को भुगतान की गई राशि तथा खाते में उपलब्ध शेष राशि का वार्षिक खाता दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक को भेजेंगे ।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली परिवहन निगम ने राजधानी में स्कूलों के बच्चों को लाने ले जाने के लिए किराया बढ़ाया था, वह बहुत अधिक है सरकार ने स्वीकार किया है और सरकार के ध्यान में ऐसे कई मामले आए हैं कि प्रधानाचार्यों ने अभिभावकों से अधिक किराया लेने को कहा है। जब मंत्री जी की जानकारी में यह सारे तथ्य आए हैं कि प्रबन्ध तंत्र अधिक पैसा ले रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की है ।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : ऐसे कुछ उदाहरण हमारे ध्यान में आये कि दो स्कूलों के मामले में यह बताया गया था कि वे बस फीस के रूप में जो राशि वसूल कर रहे हैं, वह दिल्ली परिवहन निगम को दी जा रही धनराशि से अधिक है । हमने यह मामला शिक्षा निदेशक को भेज दिया था और शिक्षा निदेशक ने जो उचित समझा वह कार्यवाही की। दिल्ली परिवहन निगम घाटे में चल रही थी। हमने यह सोचा कि जो बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए दिल्ली परिवहन निगम क्यों भार उठाये। अत: हमने यह कहा कि दिल्ली परिवहन निगम की जो लागत आती है, उसे स्कूलों द्वारा अदा किया जाना चाहिए । हमने यही किया ।

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में कहा कि निदेशक महोदय जब उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, करेंगे। मैं, यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो निर्देश दिया है, उनका पालन करा रहे हैं और आप उस पर क्या कार्यवाही करेंगे। छात्रों के अभिभावकों को अधिक किराए का भुगतान करना पड़ रहा है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए या सरकार प्रभावी कदम उठाएगी। ऐसे कितने स्कूल हैं जहां बच्चों से अधिक धन वसूल किया गया है। उन प्रधानाचार्यों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ।

श्री जगदीश टाईटलर : हमारी खबर में सिर्फ दो स्कूल थे एक लेडी विंड्स स्कूल और दूसरा रामजस पब्लिक स्कूल, जिसके कारण हमने सब प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर आफ एजुकेशन की मीटिंग बुलाई। हमने कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई भी स्कूल बच्चों से ज्यादा फीस ले और डी०टी०सी० को कम पैसा दे। उसके बाद हमने अपने आफिस की मीटिंग की। यह निर्देश तब देना पड़ा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पैसा भी बच्चों से या पेरेंट्स से मुनाफे के तौर पर नहीं लेगा । जो भी खर्चा आता है वह डी०टी०सी० को देना पड़ेगा । उसके कारण हमारी डी०टी०सी० को पता चला कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, हमने सोचा कि प्राईवेट पब्लिक स्कूल वालों को यह कंसेशन नहीं देंगे । अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूल्स में भेज सकते हैं तो यदि मैं उनकी निगाह से देखूं तो यह एक ही बात है ।

उन्होंने यह सोचा कि पब्लिक स्कूल वालों को डी०टी०सी० अपनी जेब से पैसा देगी तो हमने यह निर्णय लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो खर्चा डी०टी०सी० पर आता है वही स्कूल्स को देना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमने पैसा बढ़ाया है ।

श्री केशरी लाल : कितने स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों से अधिक पैसा लिया है और मंत्री जी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं खुराना जी को बुला रहा हूं, आप बैठ जायें ।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, डी०टी०सी० पहले साढ़े चार रुपए प्रति किलोमीटर की दर से वसूल करती थी। अब साढ़े नौ रुपये कर दिये गये हैं। इन बढ़ी हुई दरों का बोझ पेरेंट्स पर पड़ा है। दिल्ली के आम नागरिक होने के कारण इन पेरेंट्स पर 100 फीसदी बढ़ी हुई दर का बोझ पड़ा है और उस पर अतिरिक्त बोझ और आप डाल रहे हैं। इन पेरेंट्स को राहत पहुंचाने के लिए मैं दो विकल्प आपको बता रहा हूं, क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे, पहला तो यह है कि दिल्ली के सभी छात्रों को साढ़े बारह रुपये का मासिक पास डी०टी०सी० देती है, परन्तु इन नन्हे-नन्हे छात्रों को इस सुविधा से वंचित किया हुआ है, क्या इनको भी साढ़े बारह रुपये का पास उपलब्ध कराने पर डी०टी०सी० विचार करेगी ? या वे प्राइवेट बसें जो अंडर डी०टी०सी० आपरेशन चल रही हैं वे साढ़े चार रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चलाने को तैयार हैं, क्या यह कार्य उनको सौंपने को आप तैयार होंगे ? जिससे पेरेंट्स और बच्चों पर बोझ न पड़े। इसलिए अगर डी०टी०सी० नहीं चलाना चाहती तो क्या आप अंडर डी०टी०सी० आपरेशन जो प्राइवेट बस चल रही हैं उनको यह काम दे दें, वे साढ़े बारह रुपए प्रति किलोमीटर पर तैयार हैं, आप केवल मानेटरिंग करें ?

श्री जगदीश टाईटलर : बच्चों के लिए जो आपने सुझाव दिया है वह अच्छा है । इस सुझाव की तरफ अच्छी तरह ध्यान दिया जायेगा । दूसरी बात यह है कि डी०टी०सी० बस लोगों के लिए है जो आमतौर पर अपने काम पर जाते हैं। हम डी०टी०सी० बसेज को स्कूल्स के लिए चलाने को तैयार नहीं है । जो हमारी सर्विस चाहते हैं उनको वह पैसा देना पड़ेगा, यह बड़ी स्पष्ट बात है। मैं आपको भी स्पष्ट कर दूं। अब मैंने दिल्ली को सुविधा देने के लिए दिल्ली प्रशासन को तीन हजार बसें चलाने के लिए परमिट देने का निर्देश दिया था, मुझे मालूम है किस तरीके से टेढ़ा-पेढ़ा करके कहा कि केन्द्र सरकार क्या कर रही है। अब वह बात परसों सामने आ जायेगी। जब तीन हजार बसों का परमिट दिल्ली प्रशासन देगा, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के अन्दर इससे बसों की और सुविधा हो जायेगी और उसके कारण मैं सोचता हूं कि दिल्ली वालों को काफी सुविधा मिलेगी ।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी० एस० चौहान : मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस सुविधा का लाभ पब्लिक स्कूल या संपन्न घरों के बच्चे उठाते हैं । इन स्कूलों में 50,000 बच्चे पढ़ने जाते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि यह सभी संपन्न घरों के ही बच्चे हों। मध्यवर्गीय वेतन-भोगी लोगों के भी बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और यह जो दर है जिसे 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 9 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है इससे अभिभावकों को बहुत कठिनाई हो रही है। पहले ही फीस बहुत अधिक है। पब्लिक स्कूलों में औसत फीस 400 रुपये प्रति माह है और उसके ऊपर यह एक और भार लाद दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : कालेज के छात्र अपने पासों के लिए केवल 12 रुपये दे रहे हैं। यदि आप किराया बढ़ाना ही चाहते हैं, तो क्या आप उनके निवेदन पर विचार करेंगे और इसे धीरे-धीरे बढ़ायेंगे अर्थात् 4.50 रुपये प्रति किलोमीटर से 6 रुपये या 6.50 रुपये या 7 रुपये प्रति किलोमीटर ही वसूल किया जाए, बजाए इसके कि 9 रुपए प्रति किलोमीटर तक बढ़ाकर भारी वृद्धि कर दी जाए।

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने श्री मदन लाल खुराना के सवाल का जवाब दे दिया है कि जो बस पास हैं, उस पर विचार करेंगे मगर डी०टी०सी० किसी पब्लिक स्कूल को सस्ते किराये पर बसें नहीं देगी। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्टाक एक्सचेंज

[हिन्दी]

*927. **कुमारी उमा भारती :**
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर मध्यप्रदेश में अनेक स्टाक एक्सचेंज केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसे स्टाक एक्सचेंजों को चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय

सरकार की अनुमति के बिना इसमें सहायता देने, प्रतिभूतियों में कोई संविदा निष्पादन अथवा प्रवेश के प्रयोजन के लिए किसी स्टाक एक्सचेंज का आयोजन करने, इसके आयोजन में सहायता देने अथवा किसी स्टाक एक्सचेंज, (मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज को छोड़कर) का सदस्य नहीं होगा। उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने 8 सितम्बर, 1962 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें 8 सितम्बर, 1962 को वह तारीख निश्चित की गयी है जिस तारीख को धारा 19 उन राज्यों में और उन क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी जहां उक्त धारा पहले से प्रवृत्त नहीं है।

2. अधिनियम की उक्त व्यवस्थाओं को देखते हुए, मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों को छोड़ कर अन्य स्टाक एक्सचेंजों को इस अधिनियम के अन्तर्गत मनाही है। बिना सरकार की स्वीकृति के, जैसाकि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, यदि किसी स्टाक एक्सचेंज की स्थापना और कार्य करने का मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो सम्बद्ध मामले में उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम योजना तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के माध्यम से परिवार नियोजन

[अनुवाद]

*928. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम योजना तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण बांटने में छोटे परिवार का सिद्धान्त अपनाने वाले आवेदकों को प्राथमिकता देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को निदेश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

निर्यात ऋण वृद्धि

*929. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात हेतु दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि नहीं हुई है या उसमें गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने निर्यात ऋण बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठायेगी; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये गय हैं कि निर्यात किये जाने वाला सामान अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप हो ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1991 के अन्तिम शुक्रवार को बकाया निर्यात के ऋण 10,554.93 करोड़ रुपये था जबकि मार्च, 1991 के अन्तिम शुक्रवार को यह ऋण 9,479.98 करोड़ रुपये था। इससे मार्च-दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान 11.3 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। मार्च, 1990 के अन्तिम शुक्रवार को बकाया निर्यात ऋण केवल मात्र 8,645.50 करोड़ रु० था ।

(ग) सरकार ने लदान पश्चात निर्यात ऋण को डालर में नामित करने तथा लदान पूर्व ऋण कम ब्याज दर पर विदेशी मुद्रा में देने जैसी नई योजनाएं आरम्भ करके निर्यात ऋण उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा तथा सभी निर्यात मदों के लिए चालू खाता सुविधा दिए जाने से भी बैंकों द्वारा पर्याप्त निर्यात ऋण दिए जाने की व्यवस्था हो गई है ।

(घ) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्यात उत्पादों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता को मान लिया है। निर्यात निरीक्षण परिषद गुणवत्ता निरीक्षण अधिकरण है। सभी अधिसूचित वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा क्वालिटी मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैं। नई निर्यात-आयात नीति का लक्ष्य क्वालिटी संबंधी जागरूकता अभियान को प्रोत्साहित करना, उसी प्रकार के कार्यक्रम चलाने में राज्य सरकारों की सहायता करना, परीक्षण सदनों तथा प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा उनके उन्नयन में सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाया जा सके और उन विनिर्माताओं को अभिज्ञात करना तथा उन्हें पुरस्कृत करना जिन्होंने आई० एस० ओ० 9000 (सिरीज), बी आई एस 14000 (सिरीज) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष क्वालिटी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो।

अखबारी कागज के लिए भुगतान

[हिन्दी]

*930. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन से पूर्व कितनी मात्रा में कितने मूल्य के अखबारी कागज की खरीद की गई;

(ख) क्या इसका भुगतान रुपये के अवमूल्यन के उपरान्त किया गया था जिसके फलस्वरूप सरकार को रुपयों में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा;

(ग) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) अखबारी कागज के आयातों के लिए एस०टी०सी० द्वारा अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण लिए गए थे। इन ऋणों का भुगतान निश्चित तारीखों को कर दिया गया था। ये निश्चित तारीख अवमूल्यन के बाद की अवधि में आती थी और इसके परिणामस्वरूप 60.63 करोड़ रु० मूल्य का अतिरिक्त रुपया व्यय करना पड़ा। दिनांक 1-7-91 की स्थिति के अनुसार 1.55 लाख एम०टी० अखबारी कागज के संबंध में 91.68 मिलियन अमरीकी डालर (एफ ओ बी मूल्य) मूल्य की विदेशी मुद्रा के ऋण बकाया था। अखबारी कागज उद्योग के सदस्यों के साथ हुई चर्चा के बाद यह उद्योग अतिरिक्त रुपया लागत में से 29.20 करोड़ रु० वहन करने के लिए सहमत हुआ।

मृत रक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

[अनुवाद]

*931. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान मृत रक्षा कर्मचारियों के कितने आश्रितों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) इस श्रेणी के अन्तर्गत कितने मामले इस समय बकाया पड़े हैं तथा वर्ष 1992-93 के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल जाने की सम्भावना है; और

(ग) मृत रक्षा कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की तकलीफों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान दिवंगत रक्षा कार्मिकों के क्रमशः 1914 और 1837 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई।

(ख) वर्ष 1992-93 के आरम्भ में इस प्रकार के 2819 मामले बकाया थे। यह बताना संभव नहीं है कि चालू वर्ष में कितने व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

(ग) दिवंगत रक्षा कार्मिकों के परिवारों की तकलीफों को कम करने के लिए किए जाने वाले अन्य कल्याणकारी उपायों में परिवार पेंशन, मृत्यु उपदान, सामूहिक बीमा, बकाया छुट्टी का नकदीकरण और अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत चिकित्सा उपचार आदि शामिल है।

सड़कों/पुलों का निर्माण

*932. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** :
श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में बनाई जाने वाली अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए बने केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अधीन सड़कों/पुलों के निर्माण संबंधी योजनाओं/परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क), जी नहीं, क्योंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

[हिन्दी]

*933. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को सूत प्राप्त न होने के कारण वस्त्र का उत्पादन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की सूत संबंधी मांग का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन मिलों को सूत की आपूर्ति नियमित रूप से करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एन०टी०सी० (एम०पी०) की सभी यूनिटें मिश्रित मिलें हैं जो अपने-अपने कमाई विभागों द्वारा उत्पादित यार्न से कपड़ा बुनती हैं। इसलिए सूती यार्न की अनुपलब्धता का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इलैक्ट्रानिक सामान का निर्यात

[अनुवाद]

*934. **कुमारी उमा भारती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने मूल्य के इलैक्ट्रानिक सामान का निर्यात किया गया;

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आमदनी होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर सापटवयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान निर्यातित इलेक्ट्रानिक सामान का मूल्य 995 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1991-92 में 34.4 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कांउन्सिल के अनुसार वर्ष 1991-92 में कुल निर्यात 1337 करोड़ रुपये के रहे हैं ।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का कार्यकरण

*935. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के प्रबंध के बारे में सरकार को गत दो वर्षों के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो निगम के प्रबन्ध में सुधार करने के लिए क्या कायवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० के प्रबन्धन के गत दो वर्षों के दौरान कार्य करने के ढंग के संबंध में कोई आम शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

रुई का आयात

*935-क. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रुई की मांग और उत्पादन में बहुत अधिक अंतर पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रुई की वास्तविक मांग और उत्पादन कितना-कितना रहा;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रुई का आयात किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वास्तव में कितने मूल्य की कितनी रुई का आयात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के रूई मौसम के दौरान रूई का कोई आयात नहीं किया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के अन्तर्गत आने वाले देशों के साथ व्यापार

*936. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के अन्तर्गत आने वाले देशों के साथ इस समय कितना व्यापार किया जा रहा है;

(ख) गत वर्ष दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के प्रत्येक देश को कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा इन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1991-92 के पहले दस महीनों (अप्रैल 91–जनवरी 92) के दौरान दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के अन्तर्गत आने वाले देशों के साथ 4201.30 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया है ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के अन्तर्गत आने वाले देशों को किए गए निर्यात का मूल्य निम्नानुसार रहा है :

(मूल्य करोड़ रु० में)

देश	निर्यात
ब्रुनी	1.22
इंडोनेशिया	195.44
मलेशिया	267.75
फिलीपीन्स	49.13
सिंगापुर	679.07
थाइलैंड	442.76

(ग) विभिन्न नीतिगत उपायों के जरिए हमारे उद्योग की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने के अलावा इनमें द्विपक्षीय व्यापार की निश्चित अवधि पर पुनरीक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आवागमन, बाजार सर्वेक्षण तथा इसी तरह के अन्य उपाय शामिल हैं ।

चाय बागान के मामले में उत्तक संवर्धन विधि

*937. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए चाय बागान में ऊतक संवर्धन विधि (टिशू कल्चर) अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992-93 के दौरान ऊतक संवर्धन विधि के लिए किन-किन परियोजनाओं को चुना गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) टी रिसर्च एसोसिएशन, जोरहाट, असम जैसे भारत के प्रमुख चाय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक पहले से ही ऊतक संवर्धन अनुसंधान में लगे हुए हैं। तथापि, यह अनुसंधान अभी प्रयोगशाला तक ही सीमित है। चूंकि चाय विकास की कार्यनीति में उत्पादन तथा उत्पादकता में त्वरित वृद्धि की परिकल्पना की गई है, इसलिए 2000 ई० तक प्रतिवर्ष 1000 मि० कि०ग्रा० चाय के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में ऊतक संवर्धन अनुसंधान सहित चाय के संबंध में अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है।

टी रिसर्च एसोसिएशन, उपासी और टाटा द्वारा चलाई जा रही चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 1992-93 के दौरान 40 लाख रु० के परिव्यय से टिशू कल्चर संबंधी एक उन्नत योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

"डिश एन्टिना" और अन्य उपकरणों का आयात

*938. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय, बम्बई ने उपग्रह से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को पकड़ने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले डिश एन्टिना तथा अन्य उपकरणों के आयात संबंधी एक बड़े घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में डिश एन्टिना और अन्य उपकरणों के ऐसे अनियमित आयात को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) माननीय सदस्य का आशय सम्भवतः 19-2-1992 को राजस्व आसूचना निदेशालय के मुम्बई जोनल यूनिट द्वारा लगभग 2.40 लाख रुपए के मूल्य के रिमोट कंट्रोल सहित कम्प्यूटर सियेसाइज्ड सैटेलाइट रिसीवरों के 6 नगों के अभिग्रहण से है। इस माल को 3 पार्सलों में आयात किया गया था जो हांगकांग से मुम्बई पहुंचे थे और प्रत्येक पार्सल में एक "रिसीवर" होने की घोषणा की गई थी तथा इन्हें मुम्बई में किसी पते पर डिलीवर किया जाना था। जांच-पड़ताल करने पर यह पता झूठा पाया गया। एक कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया है और यह मामला न्याय-निर्णयन के लिए विचाराधीन पड़ा है।

सीमा शुल्क अधिकारी इलेक्ट्रानिक माल सहित सभी प्रकार की तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क रहते हैं। इस तरह की तस्करी की रोकथाम के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जाता है और राजस्व आसूचना निदेशालय, जो कि तस्करी के बारे में आसूचना एकत्र, समाकलन और प्रसारित करने वाला शीर्षस्थ निकाय है, सीमा शुल्क अधिकारियों को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करता है।

कपड़े का उत्पादन

*939. श्री ए० चार्ल्स : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ ;

(ख) कपड़ा मिलों, विद्युत चालित करघों और हथकरघों में पृथक-पृथक रूप से प्रति वर्ष कितने प्रतिशत कपड़ा तैयार किया गया;

(ग) इन क्षेत्रों में क्षेत्रवार अनुमानत: कितने मजदूर काम करते हैं;

(घ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक क्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ङ) इन क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के लिए सरकार द्वारा क्या न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) यार्न तथा कपड़े की मात्रा और मिल क्षेत्र, विद्युतकरघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा निम्नोक्त प्रकार है :—

क्षेत्र	1989-90		1990-91		1991-92	
	मात्रा	प्रतिशत हिस्सा	मात्रा	प्रतिशत हिस्सा	मात्रा	प्रतिशत हिस्सा
	कपड़े का उत्पादन (मि० वर्ग मीटर में)					
मिल	2781	14.86	2720	13.36	2488	12.42
हथकरघा	4537	24.23	4888	24.02	4805	23.98
विद्युतकरघा	11404	60.91	12746	62.62	12743	63.60
कुल	18722	100.00	20354	100.00	20036	100.00

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इन क्षेत्रों में कामगारों के संबंध में अनुमानित रोजगार की स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :—

क्षेत्र	रोजगार (लाख में)	
मिल	11.07	
हथकरघा	96.57	(अनन्तिम)
विद्युतकरघा	62.92	
	170.56	

(घ) विगत तीन वर्षों में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत मिल क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता निम्नोक्त अनुसार है :—

वर्ष	संवितरित सहायता की राशि (करोड़ रु०)
1989-90	173.72
1990-91	185.53
1991-92 . . . . . (फरवरी, 92 तक)	106.09

विद्युतकरघा क्षेत्र के संदर्भ में वित्तीय सहायता देने के लिए कोई विशेष निधि का गठन नहीं किया गया है ।

हथकरघा क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता निम्नोक्त अनुसार है —

वर्ष	संवितरित सहायता की राशि (लाख रु० में)
1989-90	22032.12
1990-91	21640.38
1991-92 (अनंतिम)	20836.47

(ङ) कामगारों के लिये न्यूनतम मजदूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है और इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विदेशी मुद्रा का गैर-कानूनी कारोबार

*940. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा के गैर-कानूनी कारोबार को समाप्त करने संबंधी कई उपायों का अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार का उन्मूलन करने के उपायों पर लगातार विचार किया जाता है । सरकार ने पहले ही अनेक उपाय किए हैं जिनसे अवैध लेनदेनों का बढ़ावा रुकता है और विदेशी मुद्रा के लेन-

देनों से संबंधित मौजूदा नियमों का कारगर प्रवर्तन सुनिश्चित होता है। व्यापार और विदेशी मुद्रा के अन्त:प्रवाह/बाह्य प्रवाहों पर लगे अनावश्यक नियंत्रणों के उदारीकरण से अवैध कारोबार की सीमा कम हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दवाइयों का निर्यात

*941. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों में आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध जैसी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों की बहुत अधिक मांग है;

(ख) क्या सरकार ने इन देशों को इन पद्धतियों की दवाइयों का निर्यात बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) हालांकि अनेक आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाइयों की नीदरलैंड, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और इटली, आदि जैसे यूरोपीय देशों में काफी मांग है, परन्तु इन दवाइयों का निर्यात बहुत अधिक मात्रा में नहीं किया जाता है क्योंकि बाहरी देशों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से औषधियों के पंजीकरण के लिए निर्धारित लम्बी और बोझिल प्रक्रिया से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाइयों के विनिर्माता एलोपैथिक दवाइयों की तरह अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रोग-विषयक आंकड़े नहीं रखते हैं। बहुत से देशों ने इस ग्रुप की दवाइयों में धात्विक आक्साइड की उपस्थिति के कारण इनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिए हैं।

बाहरी देशों में आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल), बम्बई ने विख्यात आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से 'चुनींदा औषधीय पौधे' पर एक मोनोग्राफ तैयार किया है, ताकि विदेश में प्रचार किया जा सके तथा विभिन्न विदेशी भाषाओं में आयुर्वेदिक दवाइयों पर मुद्रित साहित्य तैयार किया जा सके। परिषद इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में संवर्धन संबंधी दल भेजने और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने जैसे अन्य सभी सामान्य निर्यात संवर्धन उपाय भी कर रही है।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आयात और निर्यात

*942. **श्री मोहन रावले** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड के क्षेत्राधिकार से बड़ी संख्या में आयात और निर्यात की मदें हटा ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा किये जाने से खनिज और धातु व्यापार निगम को भारी घाटा होने की संभावना है और यदि हां तो इसे कितना घाटा होने का अनुमान है; और

(घ) सरकार का विचार घाटे को किस प्रकार पूरा करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) एम०एम०टी०सी० के माध्यम से रेडी उद्भव के लौह अयस्क, कोयला तथा बाक्साइट नामक निर्यात मदों तथा फ्लुओरस्पाट, प्लैटेनियम तथा पैलाडियम, अलौह धातुओं (कापर जिंक लैड तथा निकल), लोहा तथा इस्पात, एस्बेस्टास, सल्फर, रॉक फास्फेट, अमोनिया तथा फास्फोरिक एसिड नामक आयात मदों का अब सरणीकरण नहीं किया जाता है ।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान उपर्युक्त मदों का सरणीयन समाप्त किए जाने की वजह से एम०एम०टी०सी० के कारोबार में वास्तविक घाटा 2,183 करोड़ रु० होने का अनुमान है । हालांकि इन मदों का सरणीयन समाप्त हो गया है फिर भी एम०एम०टी०सी० इन मदों का कारोबार कर सकता है । इसके अतिरिक्त एम०एम०टी०सी० ने गैर-सरणीकृत मदों का व्यापार बढ़ाकर कारोबार में हुए घाटे को पूरा करने की योजनाएं तैयार की हैं ।

वस्त्रों की जहाज में लदान-पूर्व अनिवार्य जांच

*943. **श्री रवि राय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सिले हुए वस्त्रों की जहाज में लदान-पूर्व अनिवार्य जांच की अनिवार्यता में ढील देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) वस्त्र समिति के अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण के संबंध में स्वीकृत उदारता के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं:--

(1) सभी स्टार व्यापार सदनों, व्यापार सदनों तथा निर्यात सदनों को वस्त्र समिति के अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः मुक्त रखा गया है ।

(2) लदान-पूर्व निरीक्षण अब अनिवार्य नहीं हैं बशर्ते कि निर्यातक के पास विदेशी क्रेता से इस आशय का एक सुस्पष्ट पत्र हो जिसमें यह बताया गया हो कि विदेशी क्रेता किसी भी सरकारी एजेंसी से लदान-पूर्व निरीक्षण नहीं करवाना चाहता है ।

(3) ऐसे निर्यातक को, जिसने कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 1.5 करोड़ रु० प्रति वर्ष की दर से निर्यात का औसत स्तर प्राप्त कर लिया है, वस्त्र समिति के निरीक्षण के बिना अब निर्यात करने की अनुमति है बशर्ते कि वस्त्र समिति को विदेशी क्रेता से उसके

खिलाफ क्वालिटी संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हो तथा निर्यातक अपने अहाते में अथवा सामान्य परीक्षण सुविधाओं का लाभ उठाते हुए निर्यात से पूर्व अपने उत्पादों का परीक्षण करने में समर्थ हो ।

(4) ऐसे एककों के संबंध में जहां कि निजी सत्यापन की स्वीकृति प्रदान की गई है वस्त्र समिति की भूमिका अध्ययन स्तर तक ही सीमित रहेगी ।

2. शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों तथा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में स्थित एककों द्वारा निर्मित वस्त्र मदों को पहले से ही वस्त्र समिति के अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया है ।

रबड़ बोर्ड की उपलब्धियां

*944. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रबड़ बोर्ड द्वारा केरल में कौन-कौन से कार्य शुरू किये गए और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान केरल में रबड़ बागानों के विकास के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केरल में रबड़ के अन्तर्गत मौजूदा विकसित क्षेत्रों से उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यों में ये शामिल हैं :—

(i) रबड़ टैपरों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के जरिए व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी देकर रबड़ टैपिंग प्रणाली को कुशल और कारगर बनाना ।

(ii) रबड़ के वृक्षों के टैपिंग पैनलों पर वर्षा गार्ड लगाकर वर्षा के महीनों के दौरान टैपिंग करना ।

(iii) रबड़ के उपजकर्त्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित करना कि गर्मियों में वृक्षों को सुप्त रखने की सामान्य परिपाटी के बदले वे गर्मियों के महीनों में रबड़ के वृक्षों की टैपिंग करें ।

(iv) रोग के नियंत्रण के लिए विशेष रूप से उस भयानक रोग के लिए जिसमें असामान्य रूप से पत्ते झड़ जाते हैं, फफूंदीनाशी रोग निवारक छिड़काव को लोकप्रिय बनाना ।

(v) मिट्टी तथा रबड़ के पौधों के पत्तों का परीक्षण करके अलग-अलग उर्वरक का प्रयोग करना ताकि पोषण संतुलन सुनिश्चित हो सके और उपज बढ़ाई जा सके ।

(vi) उपज बढ़ाने के लिए रबड़ के पेड़ों के टैपिंग पैनलों पर रासायनिक उपज उत्प्रेरकों का चुनिन्दा रूप से उपयोग करना ।

(vii) रबड़ उत्पादकों को सोसाइटियों के जरिए निचले स्तर तक प्रौद्योगिकी का नियमित अन्तरण ।

(viii) रबड़ बागान का विस्तार तथा अलाभकर रबड़ जोनों का पुनर्रोपण।

केरल में रबड़ बागान विकास योजनाओं के तहत वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान नए रोपण तथा पुनर्रोपण की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	पुनर्रोपण (हेक्टेयर)	नया रोपण (हेक्टेयर)
1989-90	4500	8400
1990-91	5400	6000
1991-92	4900	5400

इन वर्षों के दौरान इस योजना में दिए गए लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हुई।

केरल में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 1989-90 के दौरान 2,75,397 मीट्रिक टन से बढ़कर 1991-92 के दौरान 3,41,500 मीट्रिक टन हो गया।

(ख) केरल में रबड़ पौधरोपण चर्मोत्कर्ष पर है। अतः पुराने और अलाभकर यूनिटों को पुनः स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि 1992-93 के दौरान 6000 हेक्टेयर में पुनर्रोपण किया जाएगा तथा 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में नया रोपण कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने की योजनाएं भी जारी रखी जाएंगी। रबड़ लैटेक्स की चादरें तैयार करने के लिए प्रोसेसिंग की आधुनिक विधियों को लोकप्रिय बना कर प्राकृतिक रबड़ की क्वालिटी में सुधार लाने की प्रक्रिया भी केरल में चल रही है।

एक्सप्रेस वे नेटवर्क

9499. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक के एक अध्ययन में यह बताया गया है कि सन् 2015 तक भारत को करीब 10,020 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे नेटवर्क की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य योजना बनायी गई है; और

(ग) इसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी तक उक्त अध्ययन के आधार पर कोई कार्य-योजना तैयार नहीं की गई है क्योंकि यह 8वीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने और संसाधनों की कुल उपलब्धता पर निर्भर होगी।

भारतीय आर्थिक सेवा के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों का वेतनमान

9500. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा के संयुक्त निदेशक स्तर के कुछ अधिकारियों को हाल ही में 5900-6700 रुपए का वेतनमान दिया गया था;

(ख) क्या यह वेतनमान पदोन्नति अथवा पदों का दर्जा बढ़ाकर दिया गया था और क्या पदों का दर्जा बढ़ाये जाने के मामले में वरिष्ठता इत्यादि जैसे मानदंड अपनाये गये थे;

(ग) क्या इन पदों का दर्जा बढ़ाया जाना सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया है जैसाकि उच्च ग्रेडों की पदोन्नति के मामले में किया जाता है, और यदि हां, तो कब अधिसूचित किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड I के 17 अधिकारी 5900-6700 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किए गए ।

(ग) और (घ) अधिसूचना जारी की जा रही है ।

अंतर्देशीय नौसंचालन में संलग्न कार्मिकों हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

9501. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या जल भूतल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय नौसंचालन में संलग्न कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र तथा इस प्रयोजन हेतु दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्तर्देशीय नौसंचालन में संलग्न प्रबंधकीय तथा वरिष्ठ पर्यवेक्षी कार्मिकों को विकसित स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए क्या कोई केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अन्तर्देशीय जहाजों के कर्मीदल (क्रू) को प्रशिक्षण देने के लिए इस समय 3 केन्द्र हैं । ये केन्द्र वेटिम (गोवा), चान्दबाली (उड़ीसा) और गुवाहटी (असम) में स्थित हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक कम्पनियों पर बकाया कर

9502. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे दस शीर्ष औद्योगिक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर अलग-अलग केन्द्रीय कर बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने नई औद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत केवल उन कम्पनियों को निवेश के अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, जिन पर कोई कर बकाया नहीं है ।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश्वर ठाकुर) : (क) जिन शीर्ष 10 औद्योगिक कम्पनियों की तरफ अधिकतम कर मांग बकाया पड़ी थी उनके नाम इस प्रकार हैं :–

दिनांक 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार बकाया पड़ी की अधिकतम आयकर/धनकर/मांग .

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
2. जी०टी०सी० इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड
3. पोवरलेक्स जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
4. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
5. भारतीय स्टेट बैंक
6. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
7. डनलप इंडिया लिमिटेड
8. कान्टीनेन्टल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
9. नेशनल आर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
10. आदित्य फाइनेन्स एण्ड इन्व० (आई) लिमिटेड

दिनांक 31-1-1992 की स्थिति के अनुसार बकाया पड़ी अधिकतम उत्पाद शुल्क मांग :

1. तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग
2. आई०टी०सी० लिमिटेड
3. आयल इंडिया
4. आई०पी०सी०एल०
5. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
6. बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी

7. बी०ई०एम०एल० लिमिटेड
8. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड
9. बम्बई टायर इन्टरनेशनल लिमिटेड
10. यूटिलिटी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड

जिन शीर्ष 10 औद्योगिक कम्पनियों की तरफ सीमा-शुल्क की अधिकतम मांग बकाया पड़ी हुई थी, उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) नई औद्योगिक नीति के अधीन विशिष्ट उद्योगों की एक लघु सूची को छोड़कर निवेश के स्तर पर ध्यान दिए बिना सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है। लाइसेंस देने के मामले में ऐसे औद्योगिक उपक्रमों, जिनकी तरफ कर बकाया है, के प्रति उन उपक्रमों की तुलना में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है, जिनकी तरफ कर-बकाया नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कर-मांगें बकाया रह सकती हैं क्योंकि ये मांगें औद्योगिक कम्पनियों द्वारा अपीलों आदि में विवादग्रस्त हों अथवा उनकी वसूली पर रोक लगा दी गई हो अथवा उनकी अदायगी किस्तों में किए जाने की अनुमति दी गई हो।

अफीम का उत्पादन

[हिन्दी]

9503. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में अफीम के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अफीम के उत्पादन में गिरावट आने के कारण इससे अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा में भी गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1989, 1990 और 1991 के लिए वर्षवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अफीम के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	90° संसक्ति वाली अफीम का उत्पादन मीट्रिक टन में
1988-89	491
1989-90	437
1990-91	370

(ग) विदेशी मुद्रा आय में कोई कमी नहीं हुई है क्योंकि भारत कई वर्षों से जमा स्टाक से अफीम का निर्यात कर रहा है ।

(घ) वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अफीम के निर्यात के कारण प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा आय (भारतीय रुपये में परिवर्तित) के आंकड़े क्रमश: 17.76 करोड़ रुपए, 41.3 करोड़ रुपये और 63.56 करोड़ रुपए हैं ।

आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्यात

9504. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 92 के दैनिक समाचार पत्र "इकानामिक टाइम्स" में "आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, ड्रग्स एक्सपोर्ट टू यूरोप गो अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या दवाइयों की भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली विश्व के दूसरे देशों में लोकप्रिय हो रही है;

(घ) यदि हां, तो देश में दवाइयों की इस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक दूसरे देश को कितने मूल्य की आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ग) वर्ष 1988-89 से 1991-92 अप्रैल-मार्च की अवधि के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाइयों आदि के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है (स्रोत : ई०पी०सी०)

	(रुपए करोड़ में)
1989-90	2.92
1990-91	7.29
1991-92	6.13 अनन्तिम

आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाइयों का निर्यात यूरोपीय देशों जैसे नीदरलैण्ड, नार्वे, स्विटजरलैण्ड, यू०के०, जर्मनी, बैल्जियम आदि को किया जाता है । इन दवाओं की यू०एस०ए०, यू०एस०एस०आर०, मलयेशिया, श्री लंका, नाइजीरिया और अन्य देशों को अच्छी निर्यात-संभावना है ।

इन दवाइयों का निर्यात अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इसका एक विशिष्ट कारण यह है कि विदेशों में स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा औषधियों के पंजीकरण की लम्बी और जटिल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त इन दवाओं के निर्माताओं के पास अपने उत्पादन के समर्थन के लिए उस तरह के क्लिनिकल आंकड़े नहीं रहते हैं जैसेकि एलोपैथिक दवाओं के लिए उपलब्ध हैं। बहुत से देशों में इस प्रकार की औषधियों में मेटल आक्साइड होने के कारण इनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

कुछ निश्चित औषधियों के निर्यात पर 3-7-91 से पहले दी जाने वाली 5 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता को अब समाप्त कर दिया गया है। जुलाई, 1991 में सी०सी०एस० की समाप्ति और आयात प्रतिपूर्ति योजना के विस्तार के बाद इन उत्पादों को 30 प्रतिशत की दर से एक्सिम स्क्रिप के लिए पात्र बनाया गया था। इस समय इन औषधियों के निर्यात पर रुपए की आंशिक परिवर्तनशीलता का लाभ मिलता है जिसकी घोषणा हाल ही में सरकार द्वारा नए वित्तीय एवं व्यापार संबंधी सुधारों के तहत की गई है। विदेशों में आयुर्वेदिक औषधियों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मूल रसायन भेषज एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद बम्बई ने एक प्रसिद्ध अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से "चुनिंदा औषधीय पौधों का एक मोनोग्राफ" तैयार किया है जिसे विदेशों में प्रचार के लिए मुद्रित किया जा रहा है। परिषद इस क्षेत्र का निर्यात बढ़ाने के लिए सभी सामान्य उपाय कर रही है जैसे विदेशों में संवर्धनात्मक दल भेजना क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि।

आयुद्ध कारखाने से हथियारों व गोला-बारूद की चोरी

9505. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शस्त्रागारों/आयुद्ध कारखानों से हथियारों व गोला-बारूद की चोरी होने की अनेक घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान गोलाबारूद डिपो, भरतपुर से शस्त्र/गोलाबारूद की चोरी का केवल एक मामला रिपोर्ट किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। संबंधित अफसर को उस समय पकड़ा गया जब वह अप्राधिकृत रूप से कुछ गर्वे अपने पास रखे हुए था। इस संबंध में स्टाफ जांच अदालत का गठन किया गया है।

(ङ) सभी डिपुओं में डिपो की स्थायी सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा आदेशों के रूप में विस्तृत अनुदेश उपलब्ध हैं। इनमें सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं, जिनमें चोरी आदि की रोक के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं, के संबंध में अनुदेश मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इन आदेशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

उच्च न्यायालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ना

[अनुवाद]

9506. **श्री धर्मलिंगम :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी उच्च न्यायालयों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) से (ग) 1991 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में योजना आयोग के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र का प्रस्ताव सभी उच्च न्यायालयों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने का है। यह कम्प्यूटर प्रणाली केस आंकड़े, निर्णय, आदि, के बारे में जानकारी का प्रचार करने में सहायक होगा। यह भी प्रस्ताव है कि प्रथम प्रक्रम में सभी उच्च न्यायालयों में अपेक्षित हार्डवेयर और उपयोज्य साफ्ट-वेयर उपलब्ध हों और तत्पश्चात् वे उपग्रह पर आधारित कम्प्यूटर संचार नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में आपस में जुड़े हों।

आम और आम के उत्पादों का निर्यात

9507. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम और आम के उत्पादों का निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए आम तथा आम के उत्पादों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार रहे :—

मात्रा : एम०टी०
मूल्य : लाख रुपए

मद	1988-89		1989-90		1990-91	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आम	16389	2211	12008	1675	20990	3121
आम-उत्पाद	26026	3022	21423	2393	22282	3139

हीरे, स्वर्णाभूषणों और मूल्यवान पत्थरों का निर्यात

9508. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान हीरे, सोने के आभूषणों, बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों व मोतियों का निर्यात लगभग स्थिर रहा है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस व्यापार को समस्याओं जैसे स्ट्रिप्स, तारों, आवश्यक औजारों और उपकरणों जैसे ज्वाट बनाने वाली मशीनें, कच्चे माल की कमी, ब्याज की अधिक दर, और इन चीजों की विदेशों में अत्याधिक मांग के बावजूद प्रशिक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं की समस्याओं को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 में रत्न एवं आभूषण का मदों के निर्यात में गिरावट आई है। परन्तु वर्ष 1991-92 में निर्यात में वृद्धि हुई है। निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	रत्न एवं आभूषण का निर्यात	लक्ष्य
1989-90	5749.37	5500
1990-91 .	5360.24	5950
1991-92	7193.50	6500

(स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद)।

उपर्युक्त निर्यात निष्पादन प्रमुख बाजारों में मन्दी के कारण हीरों का मांग में गिरावट का परिणाम है। सरकार इन निर्यातों को बढ़ाने के लिए सहायता देती रही है। निर्यातकों को अन्य बातों के साथ-साथ पेशगी, प्रतिपूर्ती और अग्रिम लाइसेन्सिंग के जरिए निर्यात आयात नीति के अध्याय 8 में निर्धारित विभिन्न योजनाओं के तहत कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। इस क्षेत्र के लिए अन्य मशीनरी और उपस्कर का आयात सामान्य खुले लाइसेन्स (ो) के तहत मुक्त रूप से किया जा सकता है। शिल्पियों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों जैसे : भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, रत्न शिल्प प्रशिक्षण विद्यालय, जयपुर तथा दिल्ली और बम्बई में आभूषण उत्पाद विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सिविल निर्माण कार्य संबंधी विदेशी ठेके

9509. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1987 को भारतीय कम्पनियों के पास विदेशों में कुल कितनी कीमत के सिविल निर्माण कार्य संबंधी ठेके थे;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा कुल कितनी कीमत के अतिरिक्त ठेके प्राप्त किए गए;

(ग) इसी अवधि के दौरान कुल कितनी कीमत के निर्माण कार्यों को पूरा किया गया;

(घ) 1 अप्रैल, 1992 को कितनी कीमत के अपूर्ण ठेके हाथ में थे;

(ङ) क्या इस अवधि के दौरान किसी ठेके को बाद में करार द्वारा अथवा अन्यथा रद्द कर दिया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) एग्जिम बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 1-4-1987 को विदेशों में 5,132 करोड़ रुपए मूल्य सिविल निर्माण संविदाएं हाथ में थीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान प्राप्त की गई अतिरिक्त संविदाओं का कुल मूल्य 889 करोड़ रुपए था और इसी अवधि के दौरान निष्पादित/अल्प निष्पादित संविदाओं का कुल मूल्य 4606 करोड़ रुपए था।

(घ) दिनांक 1-4-1992 को 1,401 करोड़ रु० मूल्य की संविदाएं हाथ में थीं। इसमें 575 करोड़ रु० की इराकी संविदाएं शामिल हैं जिन्हें खाड़ी संकट की वजह से छोड़ देना पड़ा और इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबन्ध हटने के बाद पार्टियों के साथ वार्ता पूरी होने के पश्चात् इन पर कार्य शुरू होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रुपए का मूल्य

[हिन्दी]

9510. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 में रुपये के मूल्य की तुलना में इसकी क्रय क्षमता में कितने प्रतिशत कमी हुई है ;

(ख) वर्ष 1960 और 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये की क्रय क्षमता में भारी कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम में मापित रुपये का आन्तरिक मूल्य 1960 की

कीमतों पर मार्च, 1992 में 8.9 पैसे निकलता है और 1960 के स्तर की तुलना में इसमें 91.1 प्रतिशत गिरावट दिखाई देती है। 1960 के अन्त में और मार्च, 1992 के अन्त में विश्व की अग्रणी करेंसियों की तुलना में भारतीय रुपए का बाह्य मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है। रुपए के आन्तरिक मूल्य में गिरावट से उपभोक्ता मूल्यों के स्तर में निरपेक्ष वृद्धि प्रतिबिम्बित होती है। एक ऐसा प्रवाही विनिमय दर की व्यवस्था में जहां रुपए का विनिमय मूल्य करेंसियों के समूह से जुड़ा हुआ हो, अन्य करेंसियों की तुलना में रुपए के विनिमय मूल्य में बार-बार समायोजन करना एक सामान्य बात है।

विदेशी मुद्राओं का रुपया प्रति यूनिट

करेंसी	31-3-92 के अन्त में		
	दिसम्बर, 1960 के अन्त में	बाजार दर*	अधिकारिक दर
अमेरिकी डालर . . .	4.76	31.22	25.89
पौंड स्टर्लिंग . . .	13.33	53.69	44.95
ड्यूश मार्क . . .	1.14	18.85	15.73
जापानी . . .	0.01	0.23	0.19

*जैसाकि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

आभूषण उद्योग को घाटा

9511. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात नीति के कारण आभूषण उद्योग को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) क्या इस उद्योग का सभी कारोबार डालर में करने के लिए कोई शर्त रखी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस शर्त को हटाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) 1 मई, 1992 को जारी चालू निर्यात-आयात नीति की प्रक्रियाओं की पुस्तिका के अध्याय 8 में स्पष्ट किया गया है कि आयात और निर्यात के बीजक अमरीकी डालर या किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में होंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

9512. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान तेजी से बदलती हुई फैशन की दुनिया के अनुरूप सही काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई और चालू वर्ष में कितनी राशि खर्च करने का विचार है ;

(घ) क्या निर्यातकों ने इस उद्योग को सरकार द्वारा चलाने के बजाय स्वयं चलाने की इच्छा जाहिर की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०एफ०टी०) फैशन उद्योग से संबंधित निम्नलिखित व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलाती है :—

(1) फैशन डिजाइन में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम ।

(2) परिधान-व्यापार एवं विपणन में दो वर्षीय पाठ्यक्रम ।

(3) सिलेसिलाये वस्त्रों की निर्माण-प्रौद्योगिकी में दो वर्षीय पाठ्यक्रम ।

(4) सहायक/अनुषंगी डिजाइन में दो वर्षीय पाठ्यक्रम ।

(5) उत्पादन-प्रौद्योगिकी में एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम ।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के पाठ्यक्रम और विक्षालन को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के बराबर लाने के लिए लगातार आधुनिक बनाया जाता है । फैशन उद्योग को दिल्ली, मुंबई, त्रिपुरा, मद्रास और बंगलौर में शैक्षिक पाठ्यक्रम जारी रख कर सेवा-कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

(ग) रा०फै०प्रौ० संस्थान के अनुसार, मशीनरी, उपस्करों की खरीद, संसाधन केन्द्र के अधिग्रहण, पुस्तकालय और शैक्षणिक/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर कुल-व्यय निम्नानुसार किया गया है :—

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
1989-90	141.50
1990-91	69.89
1991-92	74.54 (लगभग)
1992-93	87.00 (अनुमानित)

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कपास का निर्यात

9513. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विदेशों में कपास की गांठों का निर्यात करने के लिये महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात के उद्देश्य हेतु राज्य को कपास का कितना कोटा दिया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा कपास खरीद योजना के अंतर्गत, कपास की खरीद के लिए कम मूल्य दिये जाने के संबंध में कपास उत्पादकों द्वारा किए गए आंदोलन की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सहकारी रूई उत्पादकता विपणन संघ लि० ने संघ के लिए 2 लाख गांठों के निर्यात कोटे के लिये अनुरोध किया है।

(ग) चालू रूई मौसम के दौरान संघ को कोई निर्यात कोटा नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्त्ता विपणन संघ लि० ने राज्य में एकाधिकार रूई खरीद योजना के अन्तर्गत अधिक वसूली मूल्य के संबंध में किसी भी आन्दोलन के बारे में सूचना नहीं दी है।

कैपरोलेक्टम का आयात

9514. **प्रो० के० वी० थोमस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कैपरोलेक्टम की मांग तथा उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार का सीमित मात्रा में केपरोलेक्टम का आयात करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कैपरोलेक्टम का निर्माण करने वाले एककों को कोई संकट का सामना न करना पड़े सरकार द्वारा इस हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में कैप्रोलेक्टम का उत्पादन 91,000 मी० टन की मांग की तुलना में 62,000 मी० टन होने की आशा है।

(ख) से (घ) वर्ष 1992—97 के लिए निर्यात और आयात नीति की शर्तों के अनुसार कैप्रोलेक्टम का उत्पाद मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है जिसमें मंद की मांग तथा देशीय उत्पादन के बीच अंतर को ध्यान में रखा जाएगा ।

आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय बन्द करना

9515. **श्री राम नाईक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक (सी सी आई एंड ई) का कार्यालय बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कदम का उक्त कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं

फिर भी नई व्यापार नीति के आलोक में मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

केले तथा आम का निर्यात

[हिन्दी]

9516. **श्री डाऊ दयाल जोशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत ने बड़े पैमाने पर केले तथा आम का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन फलों के निर्यात को हतोत्साहित करने तथा देश में आम आदमी को सस्ते दामों पर इन फलों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से तथा किसानों को लाभकारी कीमतें दिलाने के लिए सरकार फलों के निर्यातों को

बढ़ावा देती है । तथापि, आम और केले के उत्पादन का जो निर्यात किया जाता है उसकी प्रतिशतता बहुत ही नगण्य है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	उत्पादन के प्रतिशत निर्यात	
	आम	केले
1988-89	0.15%	0.023%
1989-90	0.12%	0.006%
1990-91	0.22%	0.005%

इसके अलावा इन निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा खाद्य तेल आदि जैसी आम खपत की मदों के आयातों में उपयोग किया जाता है ।

नेशनल टेक्सटाइल्ज कारपोरेशन में भ्रष्टाचार के मामले

9517. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन में भ्रष्टाचार के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : सतर्कता की दृष्टि से राष्ट्रीय वस्त्र निगम में व्यवस्था मौजूद है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की देखभाल की जाती है। भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या के साथ-साथ उसमें लिप्त पाये गये व्यक्तियों को दिये गये दण्ड को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के मामले और दिये गये दण्ड को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या	दिया गया दण्ड	
		भारी दण्ड	हल्का दण्ड
1988-89	31	10	8
1989-90	27	10	5
1990-91	26	6	20

जहाजों को किराये पर लेने की प्रक्रिया में सुधार करना

9518. **श्री नारायण भाई जमला भाई राठवा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज खरीदने की प्रक्रिया को लाइसेंस मुक्त बनाने, इन जहाजों को लाभ कमाने वाले मार्गों पर चलाने तथा विदेशी और भारतीय जहाजों को किराये पर लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के संबंध में सरकार ने कोई कदम उठाये हैं;

(ख) प्रक्रिया में कब तक सुधार कर दिया जाएगा; और

(ग) उक्त प्रक्रिया में सुधार करके कुल कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) नौवहन कम्पनियों को 10–30,000 डी डब्ल्यू टी के बल्क कैरियर्स खरीदने के लिए स्वत: अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है, यदि सरकार द्वारा निर्धारित आयु संबंधी मानदण्ड के अनुसार जहाज मालिक कम्पनियों द्वारा जहाजों को खरीदने का प्रस्ताव हो। यह प्रक्रिया एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी और उसके बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है।

(ii) यह निर्णय लिया गया है कि यदि कम्पनी के पास जहाज खरीदने का वैध अनुमोदन हो तो वह अनुमोदन का उपयोग चार्टर-सह-पट्टे पर जहाज खरीदने के लिए कर सकती है। तथापि, नौवहन कम्पनी को भुगतान की शर्तों की स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा की दृष्टि से भी स्वीकृति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करना होगा।

(iii) यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में मौजूदा टनेज को बदलने के प्रस्तावों को जहाज खरीद लाइसेंसिंग समिति के समक्ष नहीं रखा जाएगा, यदि बदलने का प्रस्ताव बदले जाने वाले टनेज से 25 प्रतिशत अधिक की सीमा के अन्दर है।

(iv) सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए प्रौद्योगिक उपाय के रूप में यह निर्णय लिया है कि भारतीय जहाजों को विदेशी कम्पनियों को टाइम चार्टरिंग पर देने के लिए महानिदेशक, नौवहन की पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए। वोएज चार्टर के मामले में भी महानिदेशक, नौवहन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

(ख) प्रक्रिया को सरल बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) नौवहन प्रचालन में आय और मुनाफा कई बातों पर निर्भर करता है और आय तथा मुनाफों पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रभाव को अलग करना संभव नहीं है।

सोने की तस्करी में विदेशी नागरिकों का हाथ

[अनुवाद]

9519. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1992 के दौरान इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी में कुछ विदेशी नागरिकों का हाथ पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितना सोना जब्त किया गया; और

(घ) इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर, : (क) से (घ) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा अप्रैल, 1992 के दौरान इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में सोने की तस्करी के मामले में 13 विदेशी राष्ट्रिकों को शामिल पाया गया है। सोने की जब्ती के अलावा उनमें से 9 व्यक्तियों पर विभागीय न्यायानिर्णयन कार्यवाहियों में अर्थदण्ड लगाया गया है। उनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया है और उन पर अभियोजन चलाने के लिए उन्हें अदालत में पेश किया गया है।

इसी अवधि के दौरान इस हवाई अड्डे पर लगभग 29.4 कि० ग्रा० सोना भी पकड़ा गया है।

छावनी बोर्डों में मैला ढोने की प्रणाली को समाप्त करना

9520. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद और कानपुर के छावनी बोर्डों सहित अनेक छावनी बोर्ड अपने नागरिक क्षेत्रों में विद्यमान मैला ढोने की प्रणाली को समाप्त करने के संबंध में सरकार के दिशानिर्देश को किसी न किसी बहाने से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं ।

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

सैनिक गैस्ट हाउस

[हिन्दी]

9521. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सैनिक गेस्ट हाउसों की स्थापना के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं;

(ख) देश में स्थापित सैनिक गेस्ट हाउस राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का कोटद्वार सहित, देश में और सैनिक गैस्ट हाउस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र अपनी निधियों से अथवा 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करके करते हैं। ये विश्राम गृह सामान्यत: जिला मुख्यालयों अथवा अन्य सुविधाजनक स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां भूतपूर्व सैनिक काफी संख्या में रहते हैं।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) से (ङ) सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकारें प्रस्तुत करती हैं। पंजाब में रूपनगर में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने से संबंधित केवल एक प्रस्ताव हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है जिसके लिए केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से का व्यय वहन करने के संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है। कोटद्वार में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

सैनिक विश्राम गृहों की सूची

1. आंध्र प्रदेश	गंटुर, काकीनाडा, विशाखापत्तनम, अनन्तापुर और हैदराबाद
2. असम	कामरूप, (गुवाहटी), कछार, (सिलचर), कारबी, अंगलोंग (दिपहू) और गोयलपुरा
3. बिहार	भोजपुर, छपरा, रांची, गया, दुमका, दानापुर, भागलपुर और मुंगेर
4. गुजरात	राजकोट
5. हरियाणा	अम्बाला, जींद, रेवाड़ी, पंचकुला, भिवानी, करनाल, झज्जर, सोनीपत, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कोसली, गुड़गांव, रोहतक, सिरसा, बहादुरगढ़, हिसार, नारनौल, महेन्द्रगढ़, लोहारू और
6. हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, शिमला (2), सोलन, हमीरपुर (2), रेकोंग पिओ, पालमपुर, ऊना (2), नूरपुर, कीलोंग (निर्माणाधीन), घुमरविन, देहरा, नाहन, भण्डी, चम्बा, चोबारी, कुल्लू, कांगड़ा, धर्मशाला, ज्वाला-मुखी और परवानू

7. जम्मू और कश्मीर	जम्मू, कथूहा, राजौरी, उधमपुर, डोडा, श्रीनगर, लेह, सम्बा, ऋषि, किश्तवार, पुंछ (निर्माणाधीन), बारामुला (निर्माणाधीन) और कूपवाड़ा (निर्माणाधीन)
8. कर्नाटक	बेलगांव, धारवाड़, भाडीकेरी, अतानी (जिला बेलगांव) और बंगलौर (निर्माणाधीन)
9. केरल	कालीकट, त्रिवेंद्रम, त्रिचुर और एलप्पी.
10. मध्य प्रदेश	बिलासपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरेना, रायपुर, भोपाल, सागर, भिण्ड और छिंदवाड़ा
11. महाराष्ट्र	अहमदनगर, रत्नागिरी, श्रीगोण्डा, चिपलोर, अकोला, डिपली, अमरावती, खेड़, बुलडाना, कुडाल, धूसिया, मलवान, मदाद, सावंतवाड़ी, मंगूरा, देवगढ़, पलाडपुर, सतारा, कोलापुर, संगोला, नासिक, कापारगांव, मालेगांव, सांगली, पुणे, कोलापुर और गेलेगांव।
12. मणिपुर	इम्फाल
13. मिजोरम	आईजोल
14. उड़ीसा	कटक और बेहरामपुर
15. पंजाब	अमृतसर, लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, भटिंडा, पटियाला, रोपड़, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, चण्डीगढ़ और फरीदकोट
16. राजस्थान	अजमेर, जयपुर, अल्वर, जोधपुर, भरतपुर, शेरगढ़, भीम, कोटा, बीकानेर, नागौर, बून्दी, पाली, बीवाड़, सीकर, चुरू, उदयपुर, झुनझुनु और पोखरन
17. सिक्किम	गंगटोक, नामची, गेजींग, जोरथोंग
18. तमिलनाडु	कोयम्बटूर, धर्मपुरी, मुदरै, नीलगिरी, नार्थआरकोट, साउथ आरकोट, रमनाथपुरम, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, तंजाबुर, सेलम, तिरुनालेवलि, कामाराजार और मद्रास
19. उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, अल्मोड़ा, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बुलदंशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, कानपुर, लेंसडाउन, पौड़ी (गढ़वाल); मैनपुरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, पिथौरागढ़, रायबरेली,

	शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, बहराईच, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चामोली, देहरादून, फतेहपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन (उरई), जौनपुर, झांसी, खेड़ी, लखनऊ, मथुरा, मिरजापुर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, सीतापुर, टिहरी, ऊना, उत्तरकाशी, नैनीताल, और कुमराघाट
20. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता, दार्जिलिंग, कलींगपोंग, बरबवान और मिदनापुर
21. अण्डमान और निकोबार प्रशासन	पोर्ट ब्लेयर और कैम्बल बे
22. चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	सैक्टर–21 डी चण्डीगढ़

बरेली सैनिक हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाएं

9522. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बरेली के सैनिक हवाई अड्डे के निकट कई विमान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वायु सैनिकों द्वारा प्रति सप्ताह सैकड़ों पक्षियों को मारा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बरेली हवाई अड्डे के निकट कोई बड़ी विमान दुर्घटना नहीं हुई। तथापि, इस अवधि में जो दुर्घटनाएं हुई उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	वर्ष	संख्या
(क)	1989-90	11
(ख)	1990-91	05
(ग)	1991-92	05

(ख) एक केनबरा वायुयान को अपने पेट के बल उतरना पड़ा क्योंकि उसका हाइड्रालिक सिस्टम खराब होने के कारण उसके पहिए खुल नहीं पाए। अन्य सभी दुर्घटनाएं पक्षियों के टकराने से हुई।

(ग) उड़ान भरते समय सबसे ज्यादा खतरा पक्षियों से टकराने का होता है। पक्षी वायुयान से न टकराएं इसके लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके अलावा वायुयान की सुरक्षित उड़ान के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत वायुसैनिक पक्षियों को गोलियों से मारते हैं।

(घ) पक्षियों के टकराने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) हवाई अड्डे के इलाके के भीतर पक्षियों के रहने और उनके घोंसलों की जगहों को हटा दिया गया है।

(2) हवाई अड्डों में सफाई आदि की व्यवस्था बेहतर कर दी गई है।

(3) विमान चालकों को पक्षियों की गतिविधियों से सावधान करने के लिए नियमित प्रेक्षक चौकियां बनाई गई हैं।

(4) हवाई अड्डे से बाहर के इलाकों में भी पक्षियों का खतरा कम करने के लिए सिविल प्रशासन के साथ भी बराबर सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

एच०पी० एस० मूंगफली का निर्यात

[अनुवाद]

9523. **श्री वी० वेंकटराजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन दक्षिणी राज्यों में एच०पी०एस० मूंगफली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है और इसमें कितनी जन शक्ति लगती है; और

(ख) एच०पी०एस० मूंगफली के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कौनसी योजनाएं बनायी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) देश में 1989-90 में उत्पादित मूंगफली का 50 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। इस उत्पादन में लगे श्रमिकों के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) एस०पी०एस० मूंगफली के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, 1992-93 के बजट प्रस्तावों में उल्लेखित सारी सुविधाएं तथा दिनांक 1-4-1992 को घोषित नई निर्यात नीति में उल्लेखित नीति विषयक दिशा-निर्देश एच०पी०एस० मूंगफली के निर्यात पर भी लागू होंगे।

भारतीय आर्थिक सेवा ग्रेड-एक के अधिकारियों की पदोन्नति

9524. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय आर्थिक सेवा ग्रेड-एक के अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड में पदोन्नत किया है;

(ख) यदि हां, तो गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड के पदनामों में परिवर्तन न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न मंत्रालयों में एक ही पदनाम परन्तु भिन्न वेतनमान जैसी असंगतियों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी हां।

(ख) अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर स्वस्थान पर वेतनमान दिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि भारतीय आर्थिक सेवा के पद विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारियों की संख्या के आधार पर होते हैं इसलिए पदनामों में एकरूपता नहीं है। सरकार इन विभिन्नताओं पर गौर कर रही है।

कपड़े की खपत तथा उत्पादन

[हिन्दी]

9525. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में कपड़े की प्रति व्यक्ति वार्षिक मांग/खपत/उत्पादन कितना कितना था;

(ख) क्या कपड़े का उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुरूप हो रहा है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 (जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान अनुमानित प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 16.35, 14.87 और 15.07 मीटर है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कपड़े का अनुमानित प्रति व्यक्ति उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	कपड़े का प्रति व्यक्ति उत्पादन (मीटर)
1989-90	20.23
1990-91	21.49
1991-92	20.65

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के उदारीकरण और आधुनिकीकरण की सरकार की नीति के फलस्वरूप कपड़े के उत्पादन में और तेजी आने की संभावना है। आठवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1996-97 तक कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य 29600 मि० वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वर्ण का आयात

[अनुवाद]

9526. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वर्ण आयात का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा सोने को अपने साथ लाने की आवश्यकता को समाप्त करके सोने का भारतीय स्टेट बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से आयात करने के संबंध में अनिवासी भारतीय से सुझाव प्राप्त हुए हैं और ये अभी विचाराधीन हैं।

करेंसी नोटों की कमी

[हिन्दी]

9527. **श्री साईमन मराण्डी** :
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य बैंकों में करेंसी नोटों की भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) नासिक और देवास स्थित वर्तमान दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों की उत्पादन क्षमता भारतीय रिजर्व बैंक की नए नोटों की हमेशा बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसके परिणामस्वरूप नए करेंसी नोटों की कमी होती

है । करेंसी/बैंक नोटों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) नासिक और देवास स्थित वर्तमान दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों में दो पारियों में काम किया जा रहा है ।

(2) दो नए नोट प्रिंटिंग प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक सालबोनी (पश्चिम बंगाल) और दूसरी मैसूर (कर्नाटक) में स्थापित की जा रही है ।

(3) एक रुपया, दो रुपए और पांच रुपए मूल्य वर्ग के नोटों का चरणबद्ध तरीके से सिक्काकरण करने के लिए निर्णय लिया गया है ताकि उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई में प्रयुक्त होने वाली क्षमता का इस कार्य में उपयोग किया जा सके ।

नोटरी की नियुक्ति

[अनुवाद]

9528. **श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में नोटरियों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है; और

(ख) सरकार ने देश में अब तक राज्यवार कितने नोटरियों की नियुक्ति की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): (क) नोटरी के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए अर्हताएं, नोटरी अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट हैं ।

(ख) तारीख 30-4-92 तक, केन्द्रीय सरकार ने पूरे देश के लिए 323 नोटरी नियुक्त किए हैं और नोटरियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	नोटरियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	बिहार	4
3.	दिल्ली	34
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	18
6.	हरियाणा	18
7.	कर्नाटक	28
8.	केरल	4
9.	मध्य प्रदेश	4

(1)	(2)	(3)
10.	महाराष्ट्रा	55
11.	पंजाब	24
12.	राजस्थान	49
13.	तमिलनाडु	8
14.	उत्तर प्रदेश	26
15.	पश्चिमी बंगाल	47
	योग	323

निवेशकों की रक्षा करने संबंधी उपाय

9529. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्युरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया का विचार पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु कोई कदम उठाने का है, जैसाकि समाचार 18 अप्रैल, 1992 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना उसकी जिम्मेवारी है। "सेबी" निवेशकों की शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करके उनका निपटान कर रहा है। साथ ही, जहां कहीं आवश्यक हो, "सेबी" चूक के गम्भीर मामलों को पूंजी निर्गम नियंत्रक कार्यालय और कम्पनी कार्य विभाग को भी भेजता है ताकि चूककर्त्ता कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जा सके।

निर्यातोन्मुख धागा कताई मिलों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन

[हिन्दी]

9530. **श्री राजवीर सिंह**: क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान निर्यातोन्मुख धागा कताई मिलों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या सरकार देश में और अधिक निर्यातोन्मुख धागा कताई मिलें स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन मिलों की स्थापना हेतू प्रस्तावित स्थान कौन-कौन से हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत): (क) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यानें एककों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान योजना के अन्तर्गत यानें के निर्यात 38 करोड़ रु० मूल्य के हुए ।

(ख) और (ग) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक उद्यमियों की पसन्द के स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जो कि सरकार की स्थान संबंधी नीति के अध्यधीन होते हैं ।

विद्यार्थियों के लिए डी०टी०सी० में रियायती आल रूट पास

[अनुवाद]

9531. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **जल- भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०टी०सी० ने स्कूल जाने वाले उन विद्यार्थियों को जो अपने स्कूल से 6 किलो मीटर क्षेत्र के अन्दर रह रहे हैं, आल रूट पास देना बन्द किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कालेज जाने वाले विद्यार्थियों पर ऐसी शर्तें लागू होती है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो कालेज जाने वाले विद्यार्थियों को आल रूट पास देने में भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी स्कूली छात्रों को आल रूट पास प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश के बुनकरों को सूती धागों की सप्लाई

9532. **श्री बसावैत बंडारु** :

डा० आर० मल्लू :

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार साउथ इंडिया मिल्स एसोसियेशन के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश के बुनकरों को प्रति माह सूती धागे की 4000 गांठें सप्लाई करने का है :

(ख) यदि हां, तो क्या सूती धागे की उक्त मात्रा आन्ध्र प्रदेश के बुनकरों को इस समय उपलब्ध है ;

(ग) क्या सूती धागों, रंगों और रसायनों की कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई है जिससे बुनकरों के लिए सरकारी सहायता के बिना खुले बाजार से ये वस्तुएं खरीदना अत्यधिक असंभव हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की बिगड़ती स्थिति तथा भुखमरी से बचाने हेतु सहायता देने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश के बुनकरों को सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री० अशोक गहलोत): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह सत्य है कि सूती धागे, रंजक और रसायन के मूल्यों में, विशेष रूप से गत वर्ष, वृद्धि हुई है लेकिन इन मदों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव बना ही रहता है । यहां तक कि प्रत्येक मिल के सूत तथा रंजक और रसायन के मूल्यों में भिन्नता होती है । इनके मूल्यों में कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है और यह बाजार की मांग और आपूर्ति पर ज्यादा निर्भर रहते हैं । इनके द्वारा तैयार किये गये उत्पादों की बिक्री भी विभिन्न मौसम में अलग-अलग होती है और कपड़े की मांग आदि पर निर्भर रहती है । इन मदों की कमी और उपलब्ध न होने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) हथकरघा बुनकरों की मृत्यु की रिपोर्ट पाते ही केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को राहत देने के लिए कई कदम उठाये हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(1) जनता कपड़े के उत्पादन के लिए 5 मिलियत वर्ग मीटर का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है तथा वर्ष 1991-92 के लिए 127.50 लाख रुपए की राशि अग्रिम सब्सिडी के लिए जारी की गई ।

(2) वर्तमान 2 करोड़ रुपये मूल्य के कपड़े की उपलब्धता के अतिरिक्त जिसके लिए केन्द्र ने आन्ध्र प्रदेश को 8 लाख रुपए की राशि जारी की थी, अतिरिक्त गैर-जनता कपड़े की उपलब्धता के लिए 8 प्रतिशत की दर से विपणन विकास सहायता दी जाती है ।

(3) आन्ध्र प्रदेश में 12000 बुनकरों को बीमा सुविधा देने के लिए समूह बीमा योजना आरम्भ की गई, जिसके लिए आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र ने 7.20 लाख रुपए की राशि का अंश जारी किया ।

(4) प्रकासम और गुंटूर जिलों में 12 प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा 10.17 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी ।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश को गत 3 वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रुपए लाख में)

1989-90	रुपये 2041.48
1990-91	रुपये 2477.23
1991-92	रुपये 2631.77 (अनुमानित)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी संचयन डिपो

9533. **श्री उद्धव वर्मन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कॉफी एकत्र करने वाले डिपो कितने हैं;

(ख) क्या ये डिपो इस क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में उत्पादित कॉफी को एक स्थान पर जमा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) कॉफी उत्पादकों को किसी भी तरह से सताया न जाये यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) कॉफी बोर्ड का केवल एक कॉफी संचयन डिपो है जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हाफलॉग में कार्य कर रहा है।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कॉफी का कुल उत्पादन अनुमानत: 175 से 200 मीट्रिक टन वार्षिक है। कॉफी बोर्ड के हाफलॉग में संचयन डिपो के अतिरिक्त गुवाहाटी में असम प्लांटेशन क्राप डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन भी कार्य कर रहा है, जिसका क्योरिंग कारखाना भी कार्य कर रहा है; और जिसकी क्योरिंग क्षमता 1110 मीट्रिक टन है। कॉफी के संचयन/प्रोसेसिंग के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक डिपो तथा एक क्योरिंग कारखाना पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) कॉफी बूम करने सम्बन्धी कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से बोर्ड ने उन छोटे उपज-कर्त्ताओं को परिवहन प्रभार लौटाने की एक नई योजना शुरू की है, जो क्योरिंग कारखानों को सीधे कच्ची बूम करते हैं।

(घ) उत्तरपूर्वी क्षेत्र के उपजकर्त्ताओं के सताए जाने की कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

डिजाइन और प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्रीय केन्द्र

9534. **श्रीमती कुलजीत कौर (दीपा)** :
श्री अम्मा जोशी :
प्रो० रीता वर्मा :

क्या प्रस्तर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिजाइन और तकनीकी विकास के लिए क्षेत्रीय केन्द्र कहां कहां पर स्थापित हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र में कुल कितने डिजाइनों का निपटारा किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्योग द्वारा प्रति वर्ष कितने प्रतिशत डिजाइन स्वीकृत किये जाते हैं ;

(घ) क्या कभी इन केन्द्रों की तकनीकी शाखाओं का मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) जानकारी निम्नलेख तालिका में दी गई है :—

स्थान/वर्ष	बंगलौर	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली
1. विकसित किए गए डिजाइन की कुल संख्या 1990-91	173	69	110	95
1991-92	225	95	150	115
2. व्यापार द्वारा स्वीकृत डिजाइन की प्रतिशतता	75%	55%	60%	45%

(घ) और (ङ) जी हां। क्षेत्रीय डिजाइन केन्द्रों के तकनीकी प्रकोष्ठ के कार्य चालन का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। उन क्षेत्रों के संबंध में जहां नए औजार बनाने की आवश्यकता है, तकनीकी प्रकोष्ठ को निर्देश देते हुए प्रत्येक वर्ष कार्यवाही योजना बनाई जाती है। इसके अलावा कारीगरों को रियायती दरों पर विकसित औजारों की सप्लाई के लिए एक योजना पहले ही चल रही है। क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक सेमिनार में विकसित नए औजारों का लाभ भारी मात्रा में कारीगरों को देने और कारीगरों के साथ उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए पारस्परिक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सिल्चर असम में संपत्तियों का बीमा नहीं करना

9535. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्चर, असम में बीमा कंपनियों ने व्यापारियों, व्यवसायियों और अन्य व्यक्तियों की संपत्तियों का बीमा करना बंद कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं

9536. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 10 अप्रैल, 1992 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6853 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी उद्यमियों के नाम क्या हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने का कार्य आवंटित किया गया है;

(ख) इन उद्यमियों के चयन का तरीका क्या है; और

(ग) उन्हें किस प्रकार का कार्य सौंपा गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) निजी क्षेत्र के तहत इन सुविधाओं के विकास के लिए जिन उद्यमियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) उद्यमियों का चयन स्थल की उपयुक्तता, प्रस्ताव के औचित्य, पार्टी की वित्तीय सक्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए एक अन्तर मंत्रालीय दल द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) इस स्कीम के तहत, उद्यमियों द्वारा मूल सुविधाएं जैसे स्नेक बार/रेस्टोरेंट, पेय जल शौचालय, पैट्रोल रिटेल आउटलेट, कियोस्क, विश्राम कक्ष, गाड़ियां खड़ी करने का क्षेत्र, भूदृश्य और पहुंच मार्गों की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है ।

विवरण

उन निजी उद्यमियों की सूची जिनको जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा आशय पत्र जारी किए गए हैं ।

(1) श्री ए० एच० खान
(2) श्री अनिल दत्त कौशिक
(3) श्री विमलेश चन्द्र त्रिपाठी
(4) श्री पी० के० जैन
(5) श्री विनोद कुमार एण्ड अनिल कुमार
(6) श्री राजिन्दर सिंह ज्ञानी
(7) श्री आर० रविन्द्रन
(8) श्री सुरेन्द्र पौल
(9) श्री पी० सी० शर्मा
(10) श्री के० डी० गुप्ता
(11) मैसर्स केवाडिया इंटरप्राईज
(12) श्री नवीन जैन

(13) श्री रतन सिंह
(14) मैसर्स मोटल रायगढ़
(15) श्री जनार्दन सिंह गहलौत
(16) श्री प्रीतम सिंह
(17) श्री शबीर अहमद नाइक
(18) श्री भीमा प्रवाशी
(19) श्री ईश्वर चन्द बंसल
(20) श्री रघुबीर सिंह राजिन्द्र
(21) श्री सुग्रीव सिंह एण्ड विजय कुमार
(22) श्री दीपंकर मन्ना
(23) श्री एम० के० मित्तल
(24) श्री बलविन्दर सिंह
(25) श्री बी० के० सिंह
(26) श्री अरूण कुमार विस्वास
(27) श्री अब्दुल रहीम
(28) श्रीमती रेनू गुप्ता एण्ड अशोक अग्रवाल
(29) श्री एन० अशोक कुमार
(30) श्री शिव शंकर मल एण्ड सतीश चन्द वर्मा
(31) मैसर्स जी० एम० इंटरप्राइजेज

70 वर्ष के बाद की आयु में बीमा करना

9537. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विचार अपने पालिसीधारकों का 70 वर्ष के बाद की आयु में बीमा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम आजीवन योजनाओं को पहले से ही संचालित कर रहा है। यदि आजीवन योजना के संबंध में पालिसी को जारी रखा जाता है तो बीमा कवच जीवनभर के लिए उपलब्ध रहता है। 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए किसी पृथक योजना का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

9538. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य की राजधानी में केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ?

(ख) क्या कुछ कार्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये कार्यालय रेलवे/डाक और तार/रक्षा विभाग के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को भी देखेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी नहीं। नई दिल्ली में 1990 में पहले से ही खोले गए केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की राजधानी में केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) जी, नहीं।

टकसालों में सिक्के बनाने वाली मशीनें

[हिन्दी]

9539. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा टकसालों में सिक्के बनाने वाली मशीनें काफी समय से बेकार पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। परन्तु, कुछ खराबियों के कारण नोएडा टकसाल में तीन मशीनें बेकार पड़ी हैं। इन खराबियों को ठीक करने के लिए विनिर्माताओं से सम्पर्क किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नाबार्ड द्वारा जल संसाधनों के लिए ऋण

[अनुवाद]

9540. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों को जल संसाधनों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ऋण दिये जाने की नई नीति के स्थान पर 1988 से पूर्व की पुरानी नीति को अपनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जल संसाधन के विकास के लिए राज्य सरकार को ऋण उपलब्ध नहीं कराता है। अलबत्ता, यह व्यक्तियों/सहकारी समितियों/राज्य निगमों द्वारा लघु सिंचाई के वित्त पोषण के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि 1988 से इस संबंध में बैंकों को पुनर्वित्त संबंधी नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया गया है।

विशेष परियोजना कृषि (एस०पी०ए०) के संबंध में शिकायतें

9541. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नाबार्ड और विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रम में भाग लेने वाली अन्य वाणिज्यिक बैंक को कुछ शिकायतें मिली हैं कि विशेष कृषि परियोजना को अन्य योजनाओं द्वारा सम्मिलित किए गए परियोजना क्षेत्र के लिए दिए गए गलत प्रमाण पत्र के आधार पर मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं;

(ग) क्या नाबार्ड और इन वाणिज्यिक बैंकों ने विशेष कृषि परियोजना कार्य से अपनी वित्तीय सांझेदारी वापस लेने के नोटिस दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो आन्ध्र प्रदेश में विशेष कृषि परियोजना (एस०पी०ए०) योजना के कार्यान्वयन में गलत प्रमाणन और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के बारे में थी।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर०ई०सी०) कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता को बन्द नहीं किया गया है। फिर भी, चूंकि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों को प्रदान की जाने वाली आधारभूत सहायता किस्म का है, इस लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता को धीरे-धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया है।

खाद्य वस्तुओं का निर्यात

9542. **श्री संदीपान भगवान घोरात** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्य वस्तुओं जैसे मुर्गे का गोश्त, गोश्त और गोश्त उत्पादों, प्रशीतित समुद्री खाद्य पदार्थों, मेंढक की टांगों और मसालों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं का आयात करने वाले देशों द्वारा इनमें से कुछ वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार को इसके कारण कितना नुकसान हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) मसालों, समुद्री उत्पादों, तथा मांस एवं मांस-उत्पादों (पोल्ट्री सहित) का विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रु० में)

क्रमांक	वस्तु	1989-90	1990-91	1991-92
1.	मसाले	276.98	233.94	362.04
2.	समुद्री उत्पाद	687.18	960.01	1365.68
3.	मांस और मांस उत्पाद	113.70	139.84	195.00

(टिप्पणी : वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के आंकड़े वाणिज्यक जानकारी और संकलन महानिदेशालय के संकलन पर आधारित हैं । वर्ष 1991-92 के आंकड़े स्पाईसेज बोर्ड, एम्पोडा और एपीडा से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित हैं ।)

(ङ) से (घ) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान प्राप्त की गई शिकायतों तथा निपटाए गए दावों का मूल्य निम्नलिखित सारणी से पता चलता है ।

(करोड़ रु० में)

	दावों की संख्या	निपटाए गए दावों का मूल्य
क. 1989-90		
(क) काली मिर्च	10	0.27
(ख) समुद्री उत्पाद	4	0.12
(ग) मांस और मास उत्पाद	1	0.03
ख. 1990-91		
(क) काली मिर्च	1	0.10
(ख) समुद्री उत्पाद	1	0.007
(ग) हल्दी	1	0.004
ग. 1991-92		
(क) सोंठ	1	0.004
(ख) हल्दी की गांठ	1	0.004
(ग) मिर्च	1	0.002
(घ) समुद्री उत्पाद	5	0.17
(ङ) शीशम बीज	1	0.06

अनु० जाति/अनु० जनजाति के व्यक्तियों के लिए विश्व बैंक सहायता प्रदत्त कल्याणकारी योजनाएं

9543. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनु० जाति/अनु० जनजाति के व्यक्तियों के उत्थान के लिए विश्व बैंक सहायता प्रदत्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सहायता से किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अपनी उत्थान परियोजनाओं के लिए संभावित विश्व बैंक सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं की है ।

(ग) विश्व बैंक की संभावित सहायता के लिए "आंध्र प्रदेश निर्धनता उन्मूलन परियोजना" नामक परियोजना की रूपरेखा वित्त मंत्रालय में केवल आन्ध्र प्रदेश से ही प्राप्त हुई है जिसका मूल उद्देश्य आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाना है ।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सिंचाई, वानिकी, रेशमकीट पालन, मछली पालन, शिक्षा, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में निवेश करना शामिल है ।

(ङ) इसके बाद की परियोजना संबंधी कार्यवाही, जिसमें परियोजना की उपयुक्तता, आकार और विस्तार, समय सूची तथा विश्व बैंक सहायता की मात्रा, तकनीकी व्यवहार्यता की दृष्टि से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा संसाधन की दृष्टि से योजना आयोग की आदेशात्मक स्वीकृति, परियोजना की विस्तृत तैयारी, जिसमें विश्व बैंक की क्रियाविधि की तैयारी भी शामिल है, तथा दाता देश की प्राथमिकता और दाता एजेंसी के पास वचनबद्धता-योग्य निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

पटसन उद्योग का सहकारी आधार पर संचालन

9544. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को पटसन उद्योग का सहकारी आधार पर संचालन करने के लिये उड़ीसा से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

मारीशस निर्यात और निवेश प्राधिकरण का कार्यालय खोलना

9545. **डा० राजगोपालन श्रीधरण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारीशस निर्यात और निवेश प्राधिकरण ने हाल ही में भारत में अपना कार्यालय खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्राधिकरण के खुलने से दोनों देशों के बीच कितना व्यापार हुआ है अथवा इसमें सुधार आने की संभावना है; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए किन-किन वस्तुओं का चयन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां ।

(ख) मारीशस निर्यात और निवेश प्राधिकरण ने हाल ही में जनरल एश्योरेंस बिल्डिंग, दूसरा तल, 232 डा० डी०एन० रोड, बम्बई–1 में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला है ।

(ग) उपर्युक्त प्राधिकरण से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने में सहायता मिलने की आशा है । यद्यपि इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि कितना सुधार हो सकेगा ।

तथापि, संकेतक के रूप में यह उल्लेखनीय है कि मारीशस को भारत से हुए निर्यातों में वृद्धि होती रही है । इसमें 1989-90 की अपेक्षा 1990-91 में 115.77 प्रतिशत की तथा अप्रैल, 91-जनवरी, 92 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 46.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(घ) व्यापार के क्षेत्र में हल्की इंजीनियरी वस्तुएं, रसायन तथा भेषज, रत्न और आभूषण आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं ।

अप्पूघर का अधिग्रहण

[हिन्दी]

9546. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित अप्पूघर का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है;

(ग) यदि हां, तो इसका प्रबन्ध कब तक सरकार के हाथ में लेने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार को इसके प्रबन्ध की वर्तमान प्रणाली से क्या लाभ मिलता है; और

(ङ) इस स्थान के किराये से प्राप्त होने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक उपक्रम भारत व्यापार संवर्धन संगठन अप्पूघर के लिए लाइसेंस दिए गए क्षेत्र में रख-रखाव और मरम्मत, विद्युत और जल प्रभार, स्थानीय करों आदि पर होने वाले खर्च में बचत करने के अलावा लाइसेंस शुल्क, प्रवेश शुल्क आदि में हिस्सेदारी के रूप में राजस्व अर्जित कर रहा है ।

(ङ) इस स्थान को किराए पर देने से 1991-92 के दौरान भारत व्यापार संवर्धन संगठन को हुई आय निम्नलिखित है :—

1. 24.38 लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क ।
2. प्रवेश शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा 25.95 लाख रुपये ।
3. अप्पूघर में स्थापित दुकानों का किराया 3.60 लाख रुपया ।
4. 1-1-1992 से तीन महीने के लिए अप्पूघर में होर्डिंग प्रदर्शनों से हुई आय 0.05 लाख रुपये ।

डी० टी० सी० डिपुओं को आफिस/शापिंग काम्प्लेक्स में बदलना

[अनुवाद]

9547. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम अपने कतिपय डिपुओं को आफिस/शापिंग सेंटर्स में बदलने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने डिपुओं को आफिस काम्प्लेक्स में बदला जायेगा; और

(घ) इससे कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम का दिल्ली में 44 बस डिपुओं में से 40 बस डिपुओं को वाणिज्यिक परिसरों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है ।

(घ) अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम को 500 करोड़ रुपये से अधिक राशि की अतिरिक्त आय होगी ।

परिवार अदालतें

9548. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि परिवार अदालतें ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन अदालतों के कार्यकरण की समीक्षा करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इनके बेहतर कार्यकरण हेतु परिवार अदालत अधिनियम, 1984 में संशोधन करने का भी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ङ) कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की अधिकारिता एक बार जब केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विस्तारित कर दी जाती है तब उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने का उत्तरदायित्व उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का होता है । विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों से कुटुंब न्यायालयों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन और निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया गया है और यह भी कहा गया है कि इस पद्धति में सुधार करने के लिए केंद्रीय सरकार को सुझाव, यदि कोई हों, दें । हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके अनुसार यह कहा जाए कि कुटुंब न्यायालय उचित रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं ।

(च) और (छ) कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 को संशोधित करने के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में स्थानीय लोगों की भर्ती

9549. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की विभिन्न इकाईयों में कार्य कर रहे स्थानीय लोगों की संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या प्रतिनिधित्व का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन इकाईयों में भर्ती हेतु स्थानीय लोगों को वरीयता देने के लिए निरंतर मांग की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में इन एककों में स्थानीय लोगों की अधिक भर्ती करने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) स्थानीय लोगों का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए इस बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं है ।

(घ) विभिन्न यूनिटों में स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए अक्सर प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(ङ) से (छ) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में कार्मिकों की भर्ती इन कंपनियों में उत्पादन सामान के लिए प्राप्त आदेशों, जलशक्ति योजना और विभिन्न यूनिटों की कार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी आदि हैं इसलिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर वहां भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड इस वर्ष कुछ भर्ती के लिए योजना बना रहा है। सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार समूह "क" और "ख" में अधिकारियों की भर्ती राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर की जाएगी और समूह "ग" और "घ" में कार्मिकों की भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यलयों के माध्यम से की जाएगी।

विवरण

यूनिट का स्थान	कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थानीय कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड			
बंगलूर कम्पलैक्स	16959	12827	75,63
लखनऊ	3721	3096	83.20
कानपुर	3032	2280	75.19
कोरबा	1188	973	81.90
नासिक	7643	6148	80.43
कोरापुट	4073	3134	76.94
हैदराबाद	3720	3243	87.17
कुल	40336	31701	87.60
भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड			
बंगलूर कम्पलैक्स	12100	9134	75.49
गाजियाबाद	2979	2150	72.17
कोटद्वार	739	632	85.52
पंचकुला	671	504	75.11
पुणे	257	209	81.00
तलोजा	499	401	80.36
हैदराबाद	372	326	87.65
मच्छली पत्तनम	786	765	98.7
मद्रास	276	244	88.40
बंगलूर कम्पलैक्स	224	209	93.30
कुल	18503	14574	78.76

सूती धागे के मूल्य में वृद्धि

9550. **डा० (श्रीमती) के०एस०सौन्द्रम** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई के लगातार निर्यात और रुपये के अवमूल्यन के कारण सूती धागों का मूल्य बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय रूई के निर्यात के कारण किन विभिन्न क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की नागपुर स्थित माडल मिल्स

9551. **श्री रामचन्द्र धंगारे** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही नागपुर की माडल मिल्स की चालों की बहुत जर्जर हालत है तथा वे कभी भी ढह सकती हैं जिससे कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की जान तथा संपत्ति को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बारे में कर्मचारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इनके कर्मचारियों को उपयुक्त आवास देने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय कर रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) माडल मिल्स, नागपुर से बाहर लगभग 5.6 एकड़ का एक भूखण्ड है जिस पर जीर्ण-क्षीण चाल हैं। प्रत्येक मौसम में ऐसी चालों के कुछ भाग गिर जाने की घटनाएं होती रहती हैं। मिल के प्रबंधक प्रत्येक वर्ष सभी चालों के लिए ऐसे नोटिस लगाते हैं जिनमें कि उनके निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि ये चालें खतरनाक हैं तथा उन्हें इन्हें खाली कर देना चाहिए। नागपुर नगर निगम ने भी इन चालों की जीर्ण-क्षीण दशा को ध्यान में रखते हुए इन चालों को खाली करने के नोटिस दिए हैं। इन चालों की मरम्मत नहीं की जा सकती तथा इनका मरम्मत करना भी उपयोगी नहीं हो सकता। और न ही मिलें उनके निवासियों के लिये कोई वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कर सकती है।

ऐसी चालों के 70 प्रतिशत निवासी मिल के कर्मचारी नहीं हैं। एन टी सी की सामान्यता तथा इस मिल की विशेष रूप से वित्तीय स्थिति मौजूदा परिस्थिति में निगम द्वारा वैकल्पिक आवास प्रदान करने की किसी भी संभावना की अनुमति नहीं प्रदान करती ।

तम्बाकू का निर्यात

[हिन्दी]

9552. **डा० महावीपक सिंह शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान किन-किन देशों को तम्बाकू निर्यात किया गया;

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान इसका निर्यात बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान जिन प्रमुख देशों को तम्बाकू का निर्यात किया गया वे हैं : यूनाईटेड किंगडम, बेल्जियम, सोवियत संघ, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पौलेंड, नेपाल, नीदरलैंड तथा लीबीया ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान 385.74 करोड़ रुपये मूल्य के तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात किया गया ।

(ग) से (ङ) वर्ष 1992-93 के लिए तम्बाकू निर्यात का अनन्तिम लक्ष्य 450 करोड़ रुपये का है ।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

9553. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग का रामगढ़ से बोकारो, ओरमाझी से कोडरमा और बागोदर से चम्पारण सेक्शन यातायात के योग्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त भाग की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) बिहार के हजारीबाग जिला में रायगढ़ से बोकारो (राष्ट्रीय राजमार्ग-23), ओरमाझी से कोडरमा (राष्ट्रीय राजमार्ग 33 और 31) बागोदर से चम्पारण तक राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों को उपलब्ध राशि के अनुसार सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है । 1989-90 से 1991-92 के दौरान इन खंडों पर बाढ़ से हुई क्षति/विशेष मरम्मत के लिए 70.455 लाख रु० की लागत के कार्यों और 1018.985 लाख रु० की लागत के सुधार कार्यों को मंजूरी दी गई थी । यह सामान्य अनुरक्षण के लिए आबंटनों के अतिरिक्त है, जिसके लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित खंडों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बिहार लोक निर्माण विभाग को 2053.44 लाख रु० की राशि सुलभ कराई गई थी ।

सरकारी अधिकारियों को परिवहन सुविधा

[अनुवाद]

9554. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर के अधिकारियों को घर से कार्यालय तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनसे छोटे पदों पर कार्यरत अधिकारियों को भी यह सुविधा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस सुविधा का विस्तार कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोनबुखे) : (क) और (ख) संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को आवास से कार्यालय तथा वापस आवास की यात्रा के लिए निम्नलिखित निर्धारित दरों पर भुगतान करने पर स्टाफ कारों के प्रयोग की अनुमति है :—

(i) संयुक्त सचिव	75 रु० प्रति माह
(ii) अपर सचिव तथा उससे ऊपर	100 रु० प्रति माह

उपर्युक्त प्रभारों की वसूली उन सभी अधिकारियों के वेतन में से प्रति माह कर ली जाती है जो इस सुविधा का लाभ लेते है ।

(ग) संयुक्त सचिव, भारत सरकार के स्तर से नीचे के स्तर के कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य तथा उस स्तर पर उनकी जिम्मेवारियों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ऊपर (क) और (ख) के उत्तर में दिए गए अनुसार स्टाफ कार के प्रयोग की अनुमति दी गई है ।

दिल्ली के उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

9555. **श्री रोशन लाल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के कतिपय उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को

1 जनवरी, 1986 से दिए गए अग्रिम वेतन वृद्धि को उनके मंत्रालय के निदेश के अनुसरण में वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) दिल्ली के कुछ उच्चतर न्यायिक अधिकारियों को 1 जनवरी, 1986 से अग्रिम वेतन-वृद्धि की मंजूरी में हुई गलती को ठीक करने संबंधी मामले को दिल्ली प्रशासन और दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के पास विचार के लिए भेजा गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारतीय वायु सेना में भारी परिवहन विमानों को शामिल किये जाने के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

9556. **श्री जीवन शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1990 के अन्त के लिए 10 मई, 1990 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट संख्या 11 में भारतीय वायु सेना में भारी परिवहन विमान शामिल किये जाने के बारे म कुछ टिप्पणियां की हैं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) इस संबंध में भारी परिवहन विमान शामिल करने की योजना के साथ-साथ सुदृढ़ रख-रखाव व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां । लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सम्बद्ध रिपोर्ट 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष की है ।

(ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित है :—

(1) संविदा को अन्तिम रूप देने मे विलम्ब

(2) उपयोग की निम्न दर

(3) इंजनों/घूर्णियों का समय से पूर्व वापस ले लिया जाना

(4) लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर देश में मरम्मत सुविधाओं का स्थापित न किया जाना; और

(5) आपूर्तिकर्ता द्वारा नियुक्त किए गए विशेषज्ञों के दल में प्रयोगशाला में सभी उपकरणों की बे सर्विस के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों का शामिल न किया जाना ।

(ग) से (ङ) रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की जांच कर ली गई है और "की गई कार्रवाई टिप्पणी" जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किए गए सुधार के उपायों का उल्लेख किया गया है, सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से अनुमोदित करवा कर लोक लेखा समितिालय (लोक लेखा समिति शाखा) को भेज दिया गया है । इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है क्योंकि इस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

एन० सी० सी० यूनिट

9557. श्री के० प्रधानी :
श्रीमती विद्य कुमारी भंडारी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यरत नेशनल केडेट कार्प्स के विभिन्न विंगों के यूनिटों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार नेशनल केडेट कार्प्स की यूनिटें स्थापित करना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्-संबंधी ब्यौरा राज्य-वार क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) संसाधनों की कमी के कारण नई यूनिटें खड़ी करने के मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

विवरण

राष्ट्रीय कैडेट कोर के विभिन्न विंगों के यूनिटों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य	सेना	नौ सेना	वायुसेना	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आंध्र प्रदेश	43	7	7	57
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	1
3.	असम	22	2	2	26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	बिहार	40	1	2	43
5.	गोवा	2	1	—	3
6.	गुजरात	29	3	3	35
7.	हरियाणा	14	1	2	17
8.	हिमाचल प्रदेश	10	1	1	12
9.	जम्मू तथा कश्मीर	8	1	—	9
10.	कर्नाटक	38	5	6	49
11.	केरल	32	5	1	38
12.	मध्य प्रदेश	45	3	3	51
13.	महाराष्ट्र	51	5	3	59
14.	मणिपुर	2	—	1	3
15.	मेघालय	4	—	—	4
16.	मिजोरम	1	—	—	1
17.	नागालैण्ड	3	—	1	4
18.	उड़ीसा	19	3	1	23
19.	पंजाब	23	2	4	29
20.	राजस्थान	29	2	4	35
21.	सिक्किम	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	41	5	5	51
23.	त्रिपुरा	5	—	—	5
24.	उत्तर प्रदेश	114	4	4	122
25.	पश्चिम बंगाल	44	2	4	50
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1	1	—	2
27.	चण्डीगढ़	2	1	1	4
28.	दादर तथा नगर हवेली	—	—	—	—
29.	दमन तथा दीव	—	—	—	—
30.	दिल्ली	14	2	2	18
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	3	1	1	5
	कुल	640	58	58	756

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 में रख-रखाव हेतु दी गई धनराशि

[हिन्दी]

9558. **श्री ललित उरांव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के रख-रखाव और सुधार के लिए सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितनी धनराशि दी है; और

(ख) उस धनराशि में से पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि बिना खर्च किये वापस कर दी गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिना खर्च किए कोई धनराशि वापस नहीं की गई है ।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के बारे में श्री ललित उरांव द्वारा 8 मई, 1992 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 9558 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 के लिए उपलब्ध कराई गई राशि

वर्ष	सुधार (लाख रुपए)		अनुरक्षण (लाख रुपए)	
	बिहार	उड़ीसा	बिहार	उड़ीसा
1989-90	40.775	245.00	83.734	78.67
1990-91	113.740	141.00	71.075	95.34
1991-92	116.635	228.00	66.332	78.72

भारतीय जीवन बीमा निगम

[अनुवाद]

9559. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्से :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने कर्नाटक के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रभाव-क्षेत्र से छूट की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एस०टी०ए० परमिट

9560. **श्री राम नारायण बैरवा :**
श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा: :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्राइवेट बसों को एस०टी०ए० परमिट देने हेतु आवेदन पत्रों की छंटनी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार, जैसे सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां और भूतपूर्व सैनिक इत्यादि, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) इन श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटा क्या है;

(घ) क्या परमिटों की संख्या में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली मे एस०टी०ए० परमिट मोटर यान अधिनियम, 1988 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाते हैं । दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आवेदनों की संवीक्षा पूरी हो चुकी है ।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

सामान्य . . .	6959
अनुसूचित जाति . .	2311
अनुसूचित जनजाति . .	41
भूतपूर्व सैनिक . .	932
को-आपरेटिव सोसाइटी .	104
कुल .	10347

(ग) दिल्ली प्रशासन न अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत का आरक्षण कोटा निर्धारित किया है । भूतपूर्व सैनिकों और को-आपरेटिव सोसाईटियों से परमिटों के लिए आवेदन पत्रों को समान वरीयता दी जाएगी ।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय परमिटों की संख्या बढ़ाने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज

9561. **श्री बी० धनंजय कुमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलावधि के दौरान बागवानी तथा पौधारोपण फसलें जैसे प्राथमिकता क्षेत्र को वित्त पोषित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान आस्थगित कर दिया गया है और आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो रबड़ की खेती के लिए फसलावधि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि आम तौर पर उक्त बैंक द्वारा वित्तपोषित ऐसी योजनाओं के संबंध में दिए गये ऋणों पर ब्याज को आस्थगित करने की अनुमति दी जाती है जिनमें फसलावधि काफी अधिक है और वर्तमान नीति के अनुसार, बैंकों द्वारा हिताधिकारियों के स्तर पर, आस्थगित ब्याज पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाना होता है । अलबत्ता, फसलावधि के दौरान, ब्याज की वापसी अदायगी के मुद्दे पर निर्णय लेते समय, प्रत्येक मामले में, नकदी के प्रवाह के आधार पर उसके गुण-दोषों को ध्यान में रखा जाता है और जिन मामलों में फसलावधि के दौरान पर्याप्त आय होने की संभावना होती है, उनमें बैंकों को ब्याज लेने की इजाजत दी जाती है ।

(ख) पोलीबैग पौधे के साथ विकसित की गई रबड़ की खेती के लिए 6 वर्ष तक और ठूंठ (स्टम्प) के साथ विकसित की गई खेती के लिए 7 वर्ष तक की फसलावधि की अनुमति दी गई है ।

प्रक्षेपास्त्र का निर्माण

9562. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** :
श्री साइमन मरांडी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रक्षेपास्त्र के प्रस्तावित निर्माण का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) कार्यक्रमानुसार कुछ प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक प्रक्षेपास्त्र के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित 4 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विकास कर रहा है :

पृथ्वी–150 कि०मी० की दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र ।

त्रिशूल–9 कि०मी० की दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र ।

आकाश–मध्यम दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र ।

नाग–तीसरी पीढ़ी का टैंक मार प्रक्षेपास्त्र ।

त्रिशूल और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र विकास के उन्नत चरण में हैं और प्रयोक्ता परीक्षण पूरे कर लिए जाने के पश्चात वर्ष 1992-93 में इनका उत्पादन शुरू कर दिए जाने की संभावना है । आकाश और नाग प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन वर्ष 1995 में शुरू कर दिए जाने की आशा है । टैंकमार प्रक्षेपास्त्र मिलन औस कोंकर्स का उत्पादन कार्यक्रम पहले ही चल रहा है ।

(ख) उपर्युक्त प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों के उत्पादन के लिए सीमित उत्पादन श्रृंखला सुविधाएं स्थापित करने का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

(ग) एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विकासात्मक निर्माण सुविधाएं और सीमित श्रृंखला उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 246.41 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं । अपेक्षित संख्या में प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है । सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रक्षेपास्त्र की निर्माण संबंधी योजनाओं के ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

मद्रास हवाई अड्डे पर सोना जब्त किया जाना

9563. **श्री एम० डेनिस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान मद्रास हवाई अड्डे से जब्त किये गये सोने की मात्रा एवं उसका मूल्य क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सोने की तस्करी में कितने विदेशी और भारतीय व्यक्तियों को लिप्त पाया गया है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान मद्रास हवाई अड्डे पर सोना शुल्क अधिकारियों द्वारा लगभग 2.92 करोड़ रुपए के मूल्य का लगभग 158.3 कि०ग्रा० सोना पकड़ा गया है और इसी अवधि के दौरान सोने की तस्करी के मामले में शामिल पाए जाने के सिलसिले में उनके द्वारा 87 भारतियों और 12 विदेशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाहियां आरम्भ की गई हैं । ऊपर बताएनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 18 भारतियों और 4 विदेशी राष्ट्रिकों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1947 के उपबन्धो के तहत नजरबन्द भी किया गया था ।

अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

9564. **श्री के० वी० तंगकाबालू :**
श्री आर० धनुष्कोडी आदित्यन :
श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड की वर्षवार कितनी बैठकें हुईं;

(ख) क्या सरकार को इस प्राधिकरण के कार्यकरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो प्राधिकरण के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई बैठकों की संख्या नीचे दी गई है :—

1989	5 बैठकें
1990	4 बैठकें
1991	4 बैठकें

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार, प्राधिकरण में मनोनीत अपने सदस्यों के माध्यम से प्राधिकरण के कामकाज की बारीकी से निगरानी कर रही है । कामकाज को सरल बनाने के प्रयोजन से, अन्य बातों के अतिरिक्त, उपाध्यक्ष के पद को समाप्त करने और सदस्य (वित्त) के पद को पदावनत करने का निर्णय लिया गया है ।

रक्सोल, बिहार से दालों की तस्करी

9565. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भी रक्सोल, बिहार से दालों की तस्करी करने के कोई मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान प्रत्येक मामले में कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में दालें जब्त की गयीं;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या इस तस्करी में सीमा शुल्क के अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल पाए गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) गत वर्ष के दौरान तथा साथ ही चालू वर्ष में रक्सोल, बिहार से दालों की तस्करी किए जाने के मामले ध्यान में आये हैं। इस प्रकार की गई तस्करी का मामले-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) 1991 के दौरान :

1. साइकिलों सहित 11,450 रु० के मूल्य की 784 किलोग्राम मसूर दाल का अभिग्रहण।
2. 4,800 रु० मूल्य की 4 क्विंटल केसरी दाल का अभिग्रहण।
3. 2,400 रु० के मूल्य की 2 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।

(ii) 1992 के दौरान :

1. 1,200 रु० के मूल्य की एक क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
2. 4,000 रु० के मूल्य की 4 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
3. 20,15,750 रु० के मूल्य की 2095 क्विंटल मसूर दाल और 1,81,390 रु० के मूल्य की 181 क्विंटल चना दाल, उड़द दाल का अभिग्रहण।
4. 1,42,500 रु० के मूल्य की 142 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
5. 1,42,500 रु० के मूल्य की 142 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
6. 11,400 रु० के मूल्य की 11 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
7. 11,400 रु० के मूल्य की 11 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
8. 1,57,700 रु० के मूल्य की 157 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
9. 1,30,500 रु० के मूल्य की 130 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
10. 1,42,500 रु० के मूल्य की 142 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
11. 6,000 रु० के मूल्य की 3 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।
12. 3,00,000 रु० के मूल्य के एक ट्रक पर लदी 1,00,000 रु० के मूल्य की 10 क्विंटल मसूर दाल का अभिग्रहण।

(मात्राएं और मूल्य अनुमानिक और अनन्तिम हैं)

(ग) कानून के उपबन्धों के अनुसार दालों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये गए हैं और दण्ड देने की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त मामलों में सीमा शुल्क अथवा अन्य सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

निर्यात वृद्धि दर

9566. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 2 फरवरी, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भूतपूर्व सोवियत संघ के बिखराव से इस वर्ष भारत को निर्यात वृद्धि दर पर भारी दबाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) निर्यात वृद्धि दर में किस सीमा तक गिरावट आई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी हां, । पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन से वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान भारत की निर्यात वृद्धि पर व्यापक रोक लगी । अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, रुपया भुगतान क्षेत्र को भारत के निर्यात, जिसमें पूर्ववर्ती यू०एस०एस०आर० प्रमुख घटक था, अप्रैल-जनवरी, 1990-91 के दौरान 2871 मिलियन अमरीकी डालर से 42.7 प्रतिशत घटकर अप्रैल-फरवरी, 1991-92 के दौरान 1646 मिलियन अमरीकी डालर के रह गये । रुपयों के रूप में इसमें 21.7 प्रतिशत की गिरावट आई ।

(घ) जुलाई, 1991 से व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना और आयात टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाना था । विदेशी मुद्रा सृजन को प्रोत्साहित करने और कीमत व्यवस्था के जरिये उन्हें महंगा बनाकर आयातों को कम करने के लिए 1992-93 के बजट में रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया । इन्हें 31 मार्च, 1992 को घोषित की गई नई आयात-निर्यात नीति में पुनः समाहित किया गया, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ साथ भारतीय उद्योग की उत्पादकता, आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करना और उसके द्वारा इसकी निर्यात क्षमता बढ़ाना है । इसक अतिरिक्त सरकार ने कुछ अन्य प्रयास भी किए हैं जिनमें लाइसेंसिंग के जरिये नियन्त्रण कम करना, निर्यात के लिए क्रियाविधियों को सरल बनाना, बोर्ड आफ ट्रेड को क्रियाशील बनाना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना, व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ अन्योन्यक्रिया करना आदि शामिल है । इसके अलावा सरकार ने स्वतन्त्र राष्ट्रों के नवगठित राष्ट्र मंडल के साथ भी वार्ता शुरू की है और उनमें से बहुतों के साथ पहले ही द्विपक्षीय करार कर लिए हैं ।

राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण

9567. **श्री महासमुद्रम गणेश्वर रेड्डी :**
श्री रामकृष्ण कोंताला :
कुमारी पद्मश्री कुडुमुला :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** 6 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5900 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) जी हां। सचिवों की समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण के गठन संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई न की जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल का आयात

9568. **श्री वी० कृष्ण राव :**
श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री के०एच० मुनियप्पा:

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित नारियल की मात्रा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में कई कम्पनियों ने नारियल के आयात में वृद्धि की है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नारियल के आयात में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादकर्त्ताओं की बिक्री कम हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस आयात को कम करने अथवा रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए नारियल की मात्रा, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (मी० टन० में)
1986-87	41
1987-88	44
1988-89	09

(ख) और (ग) भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े कम्पनी-वार नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है कि नारियल के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

गुजरात में सोने व चांदी की जब्ती

9569. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1 जनवरी, 1990 से 31 मार्च, 1992 के बीच जब्त किये गये तस्करी के सोने, चांदी व अन्य निषिद्ध वस्तुओं की मात्रा व मूल्य क्या है;

(ख) तस्करी में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) 1 जनवरी, 1990 से 31 मार्च, 1992 तक की अवधि के दौरान गुजरात में अभिगृहीत तस्करी के सोने, चांदी और अन्य निषिद्ध मदों की मात्रा और इनके मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है। इन मामलों के संबंध में 260 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे ।

मद	मात्रा* (किलोग्राम में)	मूल्य* (करोड़ रुपयों में)
सोना . . .	999.6	34.8
चांदी . . .	82093.5	59.6
अन्य निषिद्ध मदें . .	—	62.4

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ग) सोने और चांदी सहित तस्करी के विरुद्ध सीमा शुल्क प्राधिकारी सतर्क हैं। ऐसी तस्करी के विरुद्ध आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों को उपयुक्त रूप से सतर्क किया गया है। एक्सरे-असबाब मशीनों, धातु खोजी यंत्रों, रात्रि में देखने के काम में लाई जानी वाली दूरबीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी एंजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल भी रखा जाता है।

वस्त्रों का निर्यात

[हिन्दी]

9570. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान वस्त्रों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और उक्त अवधि के दौरान सरकार ने वर्षवार कितना-कितना राजस्व और विदेशी मुद्रा अर्जित की है;

(ग) क्या वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने की कोई गुंजाईश है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, हां, । वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 की अवधि के दौरान वस्त्रों (जिनमें कयर, पटसन तथा हस्तशिल्प शामिल हैं) के निर्यात के संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा उसकी तुलना में उपलब्धि निम्नोक्त अनुसार थी :

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु०)	निर्यात (करोड़ रु०)	
1989-90 . . .	6270	7818	
1990-91 . . .	6820	9932	
1991-92	13202	14379	(अनंतिम)

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार ने वस्त्र निर्यातों को बढ़ावा देने के लिये अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं :--

(क) वर्ष 1992-93 के लिये नई निर्यात आयात नीति के अंतर्गत :

(i) सभी वस्त्र मशीन मदों को निषेध सूची से बाहर रखा गया है।

(ii) पुरानी वस्त्र मशीन मदों के आयात की अनुमति दी गई है जबकि परिधान मशीनों के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वस्त्र मशीन मदों के आयातल लाइसेंस के अध्यधीन होते हैं ।

(iii) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी एस) योजना को उदार बना दिया गया है । उस मूल योजना के अतिरिक्त जिसके अंतर्गत 25 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क की दर से आयात की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि 4 वर्षों की अवधि में आयातित मशीनों के सी आई एफ मूल्य से तिगुना निर्यात दायित्व पूरा किया जाना है एक अन्य योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत 15 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क की दर पर 5 वर्षों में मूल्य के 4 गुणा निर्यात दायित्व को पूरा करना होगा ताकि उत्पादन सुविधाओं का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा सके ।

(iv) ई पी सी जी योजना को 15 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क के साथ पूंजीगत माल के संगठनों के लिये भी बढ़ा दिया गया है ।

(v) अग्रिम लाइसेंस योजना की प्रक्रिया को और उदार बना दिया गया है ।

(vi) निर्यातोन्मुख एकक योजना तथा ई पी जैड योजना को और उदार बना दिया गया है ।

(vii) आगे गये निर्यात की परिभाषा को सुकर बना दिया गया है ।

(ख) वस्त्र निर्यात हकदारी वितरण नीति के अंतर्गत दी गई योजनाएं शुरू की गई हैं। गैर-कोटा निर्यात हकदारी को इस दृष्टि से शुरू किया गया है ताकि कोटा देशों और गैर-कोटा देशों को गैर-कोटा मदों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्यत: विकेंद्रीकृत क्षेत्र में संकेंद्रित विद्युत करघा क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विद्युत करघा निर्यात हकदारी योजना शुरू की गई है।

(ग) रुपए की आंशिक परिवर्तनशीलता।

(घ) विदेशी बाजारों में क्रेता विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन।

प्याज का निर्यात

[अनुवाद]

9571. **श्री धर्मण्णा मोंडइया सादुल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वर्ष 1991-92 में प्याज की अच्छी फसल को देखते हुए सरकार का अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु इस समय सरणीकृत निर्यात के स्थान पर प्याज के निर्यात को उदार बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष के दौरान वस्तुओं के सरणीकृत निर्यात का ब्यौरा क्या है तथा यह निर्यात किन-किन देशो को किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) प्याज का निर्यात बढ़ाने के लिए इस मद के निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। प्याज का निर्यात करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति मात्रा संबंधी किसी भी सीमा के बिना निर्यात कर सकता है। नैफेड पंजीकृत निर्यातकों को व्यक्तिगत रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र देगा। निर्यातक अपने नाम से एल० सी० पर निर्यात करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। इनमें केवल चार देश —श्रीलंका, सीशेल्स, मारीशस और मालद्वीप शामिल नहीं होंगे, जहां आयात का विनियमन उनकी सरकारों/राज्य अभिकरणों द्वारा किया जाता है। इन चार देशों के मामले में निर्यात पूर्णतया नैफेड द्वारा ही किए जायेंगे।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान श्रीलंका, मारीशस, मालदीव, सीशेल्स, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, बहरीन, दमन, जेद्दाह, मस्कट, दोहा, कुवैत और रयूनियन को 180 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 4.16 लाख मी० टन प्याज का निर्यात किया गया। यह निर्यात नैफेड द्वारा और नैफेड में सम्बद्ध लदानकर्त्ता के रूप में पंजीकृत लगभग 400 अन्य प्राइवेट निर्यातकों द्वारा किया गया था।

उच्चस्तरीय व्यापार शिष्टमंडल की अमरीका यात्रा

9572. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत की नई आर्थिक नीति के बारे में जागरुकता पैदा करने, इसे एक आकर्षक निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करेगा जैसाकि दिनांक 4 अप्रैल, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार आया है; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक मेला, कोमडेक्स स्प्रिंग 92 शो में भारत के भाग लेने के संबंध में वाणिज्य राज्य मंत्री ने 5–10 अप्रैल, 1992 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। महत्वपूर्ण भारतीय इलैक्ट्रानिक कंपनियों ने मेले में भाग लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे उदारीकरण संबंधी उपायों के बारे में बताने के लिए अनेक मंचों पर यू०एस० व्यापार समुदाय को भी संबोधित किया। उदारीकरण संबंधी इन अभ्युपायों का संयुक्त राज्य अमरीका में व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।

बड़ौदा में आयात और निर्यात मुख्य उप-नियंत्रक का कार्यालय

9573. **श्री काशीराम राणा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में मार्च, 1991 में आयात और निर्यात मुख्य उप-नियंत्रक का एक कार्यालय खोला गया है;

(ख) क्या इस कार्यालय ने तब से कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को सूरत में भी उप मुख्य आयात और निर्यात मुख्य उप-नियंत्रक का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) बड़ौदा में उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था, परन्तु कार्यालय के लिए आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण इस कार्यालय ने अभी औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू नहीं किया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। तथापि इस संगठन का एक कार्यालय बड़ौदा में स्थापित करने के निर्णय को देखते हुए सूरत में एक अन्य स्वतंत्र कार्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं पाया गया; क्योंकि सूरत जिला भी उसके क्षेत्राधिकार में रहेगा।

कर की चोरी करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना

9574. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की चोरी करने वालों के संबंध में कितने मुकदमे चलाये गये और कितनों को दोषी सिद्ध किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : आयकर के संबंध में सूचना इस प्रकार है:—

वर्ष	कर अपवंचन अभियोजन संबंधी आरंभ की गयी कार्यवाहियों की संख्या	कर अपवंचन के संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ की गयी कार्यवाहियों की संख्या
1991-92	1234	63
1990-91	844	19
1989-90	595	23

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अपवंचन के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा करायी गई राशि का पुनर्भुगतान

[हिन्दी]

9575. श्रीमति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत पैसा जमाकर्त्ताओं को ब्याज न देकर केवल मूलधन ही वापस दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें ब्याज राशि कब तक दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बचत योजना नियम, 1987 के अन्तर्गत वर्ष में केवल एक बार आहरण की अनुमति है बशर्ते कि इस तरह के आहरण राशि, पहले से किए गए आहरण, की राशि यदि कोई हो, को घटाकर चौथे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्त तक की शेष जमा राशि (ब्याज सहित) से अधिक न हो ।

अरण्डी तेल का निर्यात

9576. श्री यशवंत राव पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या इस वर्ष अरण्डी के तेल की भारी मांग है;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान देश में इस तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है:

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) गत वर्ष के दौरान निर्यात किए गए अरण्डी तेल की मात्रा कितनी थी तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान इसके निर्यात हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्):(क) अरण्डी के तेल का कुल विश्व आयात लगभग 2 लाख मी० टन है और 1000 प्रति मी० टन अमरीकी डालर की औसत कीमत से विश्व बाजार लगभग 200 मिलियन डालर है। संजातों के लिए बाजार लगभग 1.5 से 2.5 मिलियन अमरीकी डालर है ।

(ख) भारत में अरण्डी के बीजों और अरण्डी के तेल के उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(मात्रा मी० टन में)

वर्ष	अरण्डी के बीजों का उत्पादन	अरण्डी के तेल का उत्पादन
1989-90	508.000	200.000
1990-91	650.000	260.000
1991-92	550.000	225.000

वर्ष 1991-92 के दौरान उत्पादन में थोड़ी सी कमी खराब मौसम के कारण रही है।

(ग) व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि जैसे सामान्य निर्यात संवर्धन उपायों के अलावा मूल रसायन भेषज और सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद की अरण्डी तेल उद्योग के विशेषज्ञों का एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल ब्राजील, यू०एस०ए०, फ्रांस और नीदरलैंड को भेजने की योजना बना रहा है ताकि इस वस्तु का निर्यात बढ़ाया जा सके।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए अरण्डी के तेल की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :—

(मात्रा एम०टन में : मूल्य करोड़ रुपये में)

	जीसीए		आरपीए		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1990-91	78741	119.95	29388	46.16	108129	166.11
1991-92	लागू नहीं	120.80	लागू नहीं	43.80	लागू नहीं	164.60 (अनन्तिम)

(ङ) मूल रसायन भेषज और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 1992-93 के दौरान 250 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार किया है ।

क्यूबा के साथ चावल-सौदा

[अनुवाद]

9577. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा के साथ प्रस्तावित चावल-सौदा रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि और सम्बद्ध एककों द्वारा उत्पादन की बिक्री

9578. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात प्रसंस्करण खंडों और निर्यात उन्मुखी एककों के अन्तर्गत स्थापित किय गये कृषि और सम्बद्ध एककों को स्वदेशी बाजार में अपना 50 प्रतिशत उत्पादन बेचने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं ;

(ग) इससे क्या-क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) सरकार का ऐसे एककों को क्या-क्या सुविधाएं अथवा रियायतें देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले रक्षा अधिकारी

9579. **श्री तरित बरण तोपदार** :
डा० राजगोपालन श्रीधरण :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं के प्रभारी रक्षा अधिकारियों को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किन-किन अधिकारियों को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों ने निकट भविष्य में विदेशों में रोजगार प्राप्त करने की इच्छा अभिव्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रक्षा अधिकारियों को देश से बाहर रोजगार प्राप्त करने पर रोक लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क का रख-रखाव

9580. **श्रीमती हिल कुमारी भण्डारी**: क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में रंगपो से रोराथन तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31-क की पट्टी टूटी-फूटी अवस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पट्टी की मरम्मत और नवीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए अनिवार्यतः जिम्मेदार है । चूंकि सिक्किम में रंगपो से रोराथन तक का खंड राष्ट्रीय राजमार्ग-31 ए का भाग नहीं है इस लिए राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है ।

कर्नाटक में आधुनिक काफी प्रौद्योगिकी केन्द्र

9581. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में एक आधुनिक काफी प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित केन्द्र के लिए किस स्थान का चयन किया गया है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) काफी उद्योग के विभिन्न हितबद्ध पक्षों अर्थात बागान मालिकों, व्यापारियों, संसाधकों, निर्यातकों, इंस्टैंट काफी के विनिर्माताओं, आदि की दिनांक 25 मई, 1990 को बंगलौर में हुई एक बैठक में उन्नत काफी प्रौद्योगिकी के लिए एक केन्द्र खासकर कर्नाटक में स्थापित करने के

लिए विचार विमर्श किया गया । किन्तु बैठक के पश्चात कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और न ही ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । फलस्वरूप, कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

केलों का निर्यात

9582. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाड्ये :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखे तथा ताजा केलों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था और इन केलों का किन-किन देशों को निर्यात किया गया;

(ख) केलों (सूखे तथा ताजा) के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) केलों का निर्यात करते समय केला उत्पादकों को वास्तव में कितना मूल्य मिलता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल, बहरीन, कुवैत, सउदी अरब आदि को ताजे और सुखाए हुए दोनों प्रकार के केलों का निर्यात निम्नानुसार था :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
*1988-89 . .	1369 एमटी	21.71 लाख रुपए
**1989-90 . .	365 एमटी	18.99 लाख रुपए
*1990-91 . .	290 एमटी	6.34 लाख रुपए

स्रोत : *वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय ।

**निर्यातकों द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में प्रस्तुत विवरण ।

(ख) केले सहित बागवानी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए एपीडा के पास कई योजनाएं हैं, जिनका निर्यातक लाभ उठा सकते हैं ।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान केले के निर्यात की इकाई मूल्य वसूली 2.18 रुपए प्रति किग्रा० बताई गई है ।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

9583. **श्री पी० सी० थामस :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खुले बाजार में रबड़ की विभिन्न किस्मों के औसत मूल्यों और इसकी उत्पादन लागत का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अब तक प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत के अध्ययन और लागत लेखा विभाग द्वारा इसके मूल्यों के अध्ययन की जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का प्राकृतिक रबड़ के समर्थन अथवा न्यूनतम मूल्य को शीघ्र निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ की विभिन्न किस्मों का औसत मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	आर०एम०ए०-1	आर०एम०ए०-2	आर०एम०ए०-3	आर०एम०ए०-4	आर०एम०ए०-5
1989-90	2264	2216	2171	2131	2057
1990-91	2276	2225	2182	2129	2046
1991-92	2285	2235	2179	2141	2081

उत्पादन की लागत प्रत्येक इकाई पर अलग-अलग होती है जो उपज दर, अपनाए गए कृषि अन्य तरीकों इत्यादि पर निर्भर होती है फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आर० एम०ए०-4 ग्रेड के लिए निश्चित की गई बेंच-मार्क कीमत निम्नानुसार है :—

वर्ष	आर०एम०ए०-4
1989-90 . . .	17800 रुपए प्रति एमटी
1990-91 . . .	17800 रुपए प्रति एमटी
1991-92 . . .	21450 रुपए प्रति एमटी

(ख) से (घ) : आर०एम०ए०-4 के लिए 21,450 रुपए प्रति मैट्रिक टन की वर्तमान बेंच मार्क कीमत लागत लेखा शाखा की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी, 1991 को निर्धारित की गई थी। विभिन्न निवेशों की लागत में बताई गई वृद्धि के कारण हाल ही में एक नया लागत अध्ययन किया गया है। सरकार द्वारा उसकी जांच की जा रही है।

स्वापक औषधों के मामले

9584. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वापक औषधि तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) अब तक कितने मामलों में फैसला किया जा चुका है, और ऐसे कितने सुनवाई के लिए पड़े हुए हैं; और

(ग) लंबित पड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सभी औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम,

1985 के अन्तर्गत शामिल सभी स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थों के संबंध में पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1989	1990	1991	1992 (मार्च तक)
7323	3894	5299	680

(ख) वर्ष 1989 से मार्च, 1992 तक पूरे देश में स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत 15863 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए । इसी अवधि के दौरान कुल मिलाकर 13911 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, 1656 दोषसिद्ध पाए गए तथा 3436 को दोषमुक्त किया गया । वर्ष 1989 से इसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

	1989	1990	1991	1992 (मार्च तक)
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	5485	4302	5300	776
जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया	3694	4299	5546	372
दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	255	511	855	35
दोष मुक्त व्यक्तियों की संख्या	251	1160	1940	85

(ग) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान ढांचे की उपयुक्तता की तुलना में लम्बित पड़े मामलों की पुनरीक्षा करें तथा लम्बित पड़े मामलों और औषध अपराध के प्रभाव के आधार पर पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतों का सृजन मात्र स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थों के मामलों को निपटाने के लिए किया जाए ।

व्यापार समझौते

9585. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के साथ किन-किन देशों के व्यापार संबंध हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश के साथ सरकार द्वारा किए गए व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारत के विश्व के लगभग सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध हैं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, उजबेकिस्तान कजाकिस्तान, किरगिजस्तान, उक्रेन, तुर्कमनिस्तान, रूस तथा रवान्डा के साथ व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए ।

चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया के साथ किए गए व्यापार करारों में अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में व्यापार का प्रावधान है। अन्य देशों के साथ हुए व्यापार करारों में मुक्त मुद्रा में व्यापार का प्रावधान है।

हथकरघा बुनकरों को आयातित सूती धागे की सप्लाई

9586. **श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन :**
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नारायणभाई जमनाभाई राठवा :

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कताई मिलों को धागा बनाने और हथकरघा बुनकरों को सप्लाई करने के लिए निःशुल्क रूई योजना के अन्तर्गत रूई के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो रूई के आयात की अनुमति देने से पहले सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं :

(ग) यदि हां, तो देश में खुले बाजार में धागों की वर्तमान दर क्या है;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रूई का मूल्य बढ़ गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव उक्त बुनकरों को मिलने वाली रूई की दरों पर पड़ेगा;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(छ) सरकार द्वारा बुनकरों को धागों की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और इस योजना से कितने बुनकर लाभान्वित हुए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को हैंक यार्न की सप्लाई करने के लिए कताई मिलों द्वारा आयात शुल्क मुक्त कपास की 2 लाख गांठ तक का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) 24 अप्रैल, 1992 की स्थिति अनुसार घरेलू बाजार में हैंक यार्न की कीमतें निम्नोक्त अनुसार थीं :

काउंट	रु० प्रति किग्रा०
20 काउंट . . .	57.25
30 काउंट . . .	63.24
40 काउंट . . .	68.23

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ किस्मों की कपास की कीमतों में कुछ वृद्धि होने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है ।

(ङ) तथा (च) जी नहीं । फिर भी सरकार समय समय पर योजना की समीक्षा करेगी तथा जब कभी आवश्यक हुआ तो उपयुक्त संशोधन करेगी ।

(छ) आयात शुल्क मुक्त कपास की 2 लाख गांठ तक का आयात करने की योजना के अन्तर्गत अधिसूचित एजेंसियां निम्नोक्त अनुसार हैं :—

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ।

(2) राज्य हथकरघा विकास निगम/शीर्ष/क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां ।

(3) अखिल भारतीय हथकरघा फैब्रिक्स विपणन सहकारी समिति ।

(4) इनके अलावा हथकरघा एजेंसियां, जिनमें ऐसी मुख्य हथकरघा सहकारी समितियां भी शामिल हैं, जोकि हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा विशिष्ट क्लीयरेंस के अध्यधीन इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त पात्र हो सकती हैं ।

चूंकि यह योजना अभी हाल ही में शुरू हुई है इस लिए इस योजना के अन्तर्गत हैंक यार्न की सप्लाई अभी शुरू नहीं हुई है ।

विवरण

कपास के आयात के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें

(1) कताई मिलों को हैंक यार्न में परिवर्तन करने के लिए कपास के आयात की अनुमति दी जाएगी और यह यार्न 10 मार्च, 1992 को प्रचलित कीमत की तुलना में 12 प्रतिशत कम कीमत पर अधिसूचित एजेंसियों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) कताई मिल द्वारा आयात की गई कपास की प्रत्येक 12 गांठ (प्रत्येक गांठ 170 किग्रा०) के लिए यार्न की 9 गांठें (प्रत्येक गांठ 181.6 किग्रा० की) की सप्लाई करना आवश्यक होगा ।

(3) अधिसूचित हथकरघा अभिकरणों के पास यार्न की विनिर्दिष्ट मात्रा को जमा कराने और सरकार को इस बात से सन्तुष्टि हो जाने पर कि उपलब्ध कराई गई दरें विनिर्दिष्ट डिस्काउंट के अनुरूप हैं, मिलों को आयात करने की अनुमति दे दी जाएगी ।

(4) 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर हकदारी जारी की जाएगी जोकि उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने की शर्त पर होगी । हकदारी को जारी करते समय कताई मिलों की कताई और रीलिंग क्षमता, देश में न्यायसंगत वितरण और हथकरघा बुनकरों की स्थानीय मांगों को ध्यान में रखा जाएगा ।

(5) हैंक यार्न की यह सप्लाई मिलों के सामान्य हैंक यार्न दायित्व के अन्तर्गत की जाने वाली सप्लाई के अतिरिक्त होगी ।

इलैक्ट्रानिक सब-असेम्बलियों के आयात के लिए लाइसेंस

9587. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक निर्यातों के बदले में विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक सब-असेम्बलियों के आयात के लिए मुक्त हस्तांतरणीय लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में ब्यौरे वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक संख्या 8-आई०टी०सी० (पी०एन०)/92-97, दिनांक 10-4-92 में समाविष्ट है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सेना से एम०एन०एस० संवर्ग के अधिकारियों का पलायन

9588. **श्री एम० रामन्ना राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेना के एम०एन०एस० संवर्ग के अधिकारियों का अन्य निकायों में पलायन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एम०एन०एस० संवर्ग के कितने अधिकारी पलायन कर चुके हैं; और

(घ) सरकार भविष्य में ऐसे पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क), (ख) और (घ) सैना से सैन्य नर्सिंग सेवा के अफसरों का कोई पलायन नहीं हुआ है।

(ग) समयपूर्व सेवामुक्त हुए सैन्य नर्सिंग सेवा अफसरों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	विवाह के आधार पर सेवामुक्त	अन्य कारणों के आधार पर सेवा-मुक्त	कुल
1989 . . .	11	115	126
1990 . . .	17	157	174
1991 . . .	8	116	124

विवाह के आधार पर सैन्य नर्सिंग सेवा अफसरों का सेवामुक्त होना सेवा नियमों के अनुसार है।

विदेशी समझौते

9589. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशी समझौतों के अवसरों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या विदेशी भागीदारी के बारे में नियमों में ढील दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 1992-93 में सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (घ) जैसा कि दिनांक 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी विवरण-पत्र में बताया गया था :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी सीधे ही विदेशी निवेश करने की स्वत: ही अनुमति देता है (औद्योगिक नीति संबंधित विवरण-पत्र का अनुबंध III) विदेशी इक्विटी में आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को शामिल करने पर ही ऐसी क्लीयरेंस उपलब्ध होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाभांशों के भुगतान की मानीटरी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि लाभांशों के भुगतानों के कारण राशि का बहिर्गमन कुछ समयावधि में निर्यात आयों द्वारा संतुलित हो जाएगी।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 51 प्रतिशत इक्विटी तक अधिकांश विदेशी इक्विटी धारिता की अनुमति मुख्य रूप से निर्यात संबंधी क्रियाकलापों में लगी व्यापारिक कंपनियों को भी दी जाती है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक 1 करोड़ रु० के एकमुश्त भुगतान तक के विदेशी प्रौद्योगिकी करारों, घरेलू बिक्री के लिए 5 प्रतिशत रायल्टी और निर्यात के लिए 8 प्रतिशत की स्वत: ही अनुमति देता है बशर्ते कि करार की तारीख से 10 वर्षों की अवधि में अथवा उत्पादन के शुरू होने से 7 वर्षों में बिक्री का 8 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाए।

(iv) विदेशी इक्विटी सहयोग तथा प्रौद्योगिकी करारों के लिए सभी अन्य प्रस्तावों के लिए सामान्य क्रियाविधियों के अनुसार सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है।

(v) एक विशेष शक्ति प्राप्त बोर्ड अर्थात विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एक आई पी बी) कर गठन भी अंतर्राष्ट्रीय फर्मों से सीधे विदेशी निवेश करने को आमंत्रित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। ऐसी फर्मों के प्रस्तावों पर पूर्णरूप से पूर्व-निर्धारित प्रस्तावों अथवा क्रियाविधियों से हट कर विचार किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखाओं के "डीलिंग सेंटर्स" बंद करना

9590. **श्री हम्माम मोल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली और विदेश स्थित शाखाओं में "डीलिंग सेंटर्स" बन्द करने तथा डीलरों के स्थान पर "रेट सेंटर्स" तथा "रेट आफिसर्स" की नियुक्ति कर "डीलर्स" पद को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हसमीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

सरकारी उपक्रमों के शेयरों का बैंकों को स्थानान्तरण

9591. **श्री पाण्डुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष वाणिज्यिक बैंकों को चुकाने के लिए सरकार के पास कितनी ऋण राशि बकाया है;

(ख) क्या सरकार इस वर्ष परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की क्षतिपूर्ति लागत को पूरा करने के लिए सरकारी उपक्रमों की इक्विटी वाणिज्यिक बैंकों को बेचने का प्रस्ताव करती है; और

(ग) क्या सरकार का परिपक्व प्रतिभूतियों अथवा इक्विटी बेचने और प्रतिभूतियों को क्षतिपूर्ति के लिए बिक्री से प्राप्त आय उपयोग के लिए सरकारी उपक्रमों के शेयरों को बैंकों से विनिमय हेतु स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) प्रतिभूतियों का एक गौण बाजार होता है और इन्हें न केवल एक बैंक से दूसरे बैंक में बल्कि जीवन बीमा निगम, भविष्य निधियों और अन्य पार्टियों को भी अंतरित किया जा सकता है । इसके ऐसा होने के कारण, इस समय इस वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों को की जाने वाली वापसी-अदायगी की मात्रा को यथार्थतः सुनिश्चित नहीं किया जा सकता । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर, अन्य पार्टियों अर्थात वाणिज्यिक बैंकों, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भविष्य निधियों आदि की अदायगी के लिए देय परिपक्वता राशि 1057.97 करोड़ रुपए है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । सरकार वर्ष 1992-93 के बजट में पहले से की जा चुकी व्यवस्था के अनुसार परिपक्व ऋणों की अदायगी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के साथ संयोजित किए बिना करेगी ।

निर्यातोन्मुखी एककों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की छूट देना

9592. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को आयातित और स्वदेशी पूंजीगत माल पर सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क की छूट दी जाती है;

(ख) क्या आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क उन्हें पुराने संयंत्र तथा मशीनें जैसे प्रयोग की हुई कारें मानकर ह्रास मूल्य को छोड़कर लगाया जाता है; और आयकर नियमों के अनुसार

ह्रास मूल्य की अधिकतम सीमा 70 प्रतिशत तक हो सकती है उससे अधिक नहीं और इस प्रकार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को आयातित मशीनरी के सी०आई०एफ० मूल्य पर 30 प्रतिशत पर शुल्क देना पड़ता है;

(ग) क्या उत्पाद शुल्क ह्रास को बिना छोड़े ही लगाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) आयातित पूंजीगत माल के निर्धारण के लिए माल के बॉन्ड को समाप्त करने के समय पर, माल के उपयोग की अवधि पर निर्भर करते हुए उसके मूल्य में मूल्यह्रास की क्रमिक रूप से अनुमति दी जाती है, परन्तु मूल्यह्रास की अधिकतम राशि 70 प्रतिशत होगी ।

(ग) उपयोग में न लाए गए स्वदेशी माल पर उत्पाद शुल्क बॉन्ड को समाप्त करते समय मूल्यह्रास के बिना लगाया जाता है ।

(घ) माल के लिए बॉन्ड को समाप्त करने के समय पर पूंजीगत माल के निर्धारण के संबंध में लागू मौजूदा रियायतें पर्याप्त समझी गई हैं और इस संबंध में आगे और राहत देना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

अमरीका के साथ व्यापार समझौता

9593. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 तथा चालू वर्ष के दौरान अमरीका के साथ कोई व्यापार समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनका अमरीका को निर्यात और वहां से किन वस्तुओं का आयात किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कपास के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

9594. **श्री जगमीत सिंह बराड़** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कपास के मौसम (सितम्बर, 1991) के अनुसार दिसम्बर 1991 के अन्त में देश में कपास का बकाया भण्डार कितना था;

(ख) क्या सरकार ने कपास स्टॉक के संशोधित अनुमानों में अन्तर का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) पिछले छह महीनों के दौरान कितनी बार कपास के मूल्यों में वृद्धि की गई;

(ङ) क्या इस वृद्धि से सूत और कपड़ा उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(च) क्या सरकार का इन मूल्यों को घटाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) रूई सलाहकार बोर्ड (सी० ए०बी०) ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में सूचित किया कि रुई मौसम 1990-91 के दौरान रूई का अथशेष 33.04 लाख गांठें था जबकि पहले इसका अनुमान 33.79 लाख गांठों का था। परिणामस्वरूप वर्ष 1990-91 के रूई मौसम के अन्तशेष का अनुमान 22.64 लाख गांठों का लगाया गया जबकि पहले यह अनुमान 19.39 लाख गांठों का था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधित अनुमान, रूई सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समूह द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर रूई सलाहकार बोर्ड द्वारा मान लिए गये ।

(घ) रूई की कीमतें बाजार-रुख के आधार पर निर्धारित की जाती हैं जिसमें कीमतों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति के फलस्वरूप समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है ।

(ङ) जी हां ।

(च) और (छ) यह निर्णय लिया गया है कि हथकरघा क्षेत्र को दिनांक 10 मार्च, 1992 की बीजक कीमत की तुलना में 12 प्रतिशत कम कीमत पर हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए कताई मिलों द्वारा आयात शुल्क दिए बिना रूई की 2 लाख गांठों तक के आयात की अनुमति दी जाए । इस निर्णय से घरेलू रूई कीमतों पर आशानुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

इन्दिरा विकास पत्र योजना के अंतर्गत जमा राशियां

[अनुवाद]

9595. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्दिरा विकास पत्र योजना के अन्तर्गत योजना के आरम्भ से लेकर अब तक कुल कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ख) उपर्युक्त राशि में से जमाकर्ताओं को, वर्ष-वार वापस की गई धनराशि और जमाकर्ता द्वारा वापिस ली गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत निवेशित ऐसे काले धन का कोई आकलन किया है जिसे "सफेद" धन में परिवर्तित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह): (क) और (ख) इंदिरा विकास पत्र 19-11-86 से बिक्री के लिए उपलब्ध हुए थे। इस स्कीम के अन्तर्गत कुल जमा और आहरित की गई राशियां नीचे दर्शाई गई हैं :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	जमा राशियां	आहरण
1986-87 . .	834.80	—
1987-88 .	1010.80	—
1988-89 . .	1707.70	—
1989-90 . .	2684.57	0.04
1990-91 . .	2468.82	0.18
1991-92 (फरवरी, 1992 तक) . .	1375.69	665.69

(ग) जी, नहीं। इंदिरा विकास पत्र का आशय काले धन को समेटने से नहीं है। और यह कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शहरी सहकारी बैंक

9596. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 को देश में शहरी सहकारी बैंकों की राज्यवार कुल कितनी संख्या है;

(ख) इन बैंकों की लाइसेंसशुदा शाखाओं की राज्यवार कुल कितनी संख्या है;

(ग) कितने बैंकों की शाखाएं केवल जिला या महानगर क्षेत्र या संबंधित राज्य में कार्यरत हैं तथा ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं तथा इनकी शाखाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) कितने बैंकों की शाखाएं उनके मूल राज्यों के बाहर हैं तथा उनके नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) पहली अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार देश भर में 1401 शहरी सहकारी बैंक कार्यरत थे। 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 3433 थी। शहरी सहकारी बैंकों और उनकी शाखाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों का प्रचालन क्षेत्र साधारणतया उनके पंजीकरण के जिले तक सीमित होता है तथा उनके प्रचालन के क्षेत्र में ही शाखाओं की अनुमति दी जाती है। तथापि, 13 शहरी सहकारी बैंकों की उनके मूल राज्य के बाहर 21 शाखाएं हैं। ऐसे बैंकों के नाम संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण-I

शहरी सहकारी बैंकों की राज्यवार संख्या और इन बैंकों की शाखाओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	बैंकों की संख्या (1-4-92 की स्थिति)	शाखाओं की संख्या (30-6-91 की स्थिति)
1.	आन्ध्र प्रदेश	66	107
2.	असम	8	8
3.	बिहार	5	8
4.	गोवा	6	40
5.	गुजरात	293	606
6.	हरियाणा	8	11
7.	हिमाचल प्रदेश	4	4
8.	जम्मू और कश्मीर	3	8
9.	कर्नाटक	215	417
10.	केरल	59	173
11.	मध्य प्रदेश	42	65
12.	महाराष्ट्र	386	1501
13.	मणिपुर	5	11
14.	मेघालय	2	2
15.	मिजोरम	1	1
16.	नागालैण्ड	—	—
17.	उड़ीसा	14	27
18	पंजाब	6	7
19.	राजस्थान	26	53
20.	तमिलनाडु	137	190
21.	त्रिपुरा	1	1
22.	उत्तर प्रदेश	47	70
23.	पश्चिमी बंगाल	48	73
24.	दिल्ली	17	47
25.	पाण्डिचेरी	2	3
	कुल	1401	3433

विवरण-II

शहरी सहकारी बैंकों के नाम जिनकी शाखाएं/कार्यालय उसके मूल राज्य/संघीकरण के राज्य से बाहर हैं

क्रम सं०	शहरी सहकारी बैंक का नाम
1.	सारस्वत सहकारी बैंक लि०, बम्बई
2.	शामराव विठल सहकारी बैंक लि०, बम्बई
3.	बम्बई मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक लि०, बम्बई
4.	विकास सहकारी बैंक लि०, बम्बई
5.	जैन सहकारी बैंक लि०, बम्बई
6.	माधवपुरा मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक, अहमदाबाद
7.	कोआपरेटिव बैंक आफ अहमदाबाद लि०, अहमदाबाद
8.	अहमदाबाद मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक लि०, अहमदाबाद
9.	ईस्टर्न नार्थ ईस्ट फ्रन्टीयर रेलवे कोआपरेटिव बैंक लि०, कलकत्ता
10.	ईस्टर्न रेलवे इंजीनियरिंग कोआपरेटिव बैंक लि०, कलकत्ता
11.	भारतीय स्टेक बैंक कर्मचारी संघ सहकारी समिति लि०, कलकत्ता
12.	आन्ध्रा बैंक कर्मचारी सहकारी बैंक लि०, हैदराबाद
13.	नार्थ ईस्टर्न रेलवे कर्मचारी प्राथमिक सहकारी बैंक लि०, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश

9597. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में लघु बचत योजनाओं, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य जमा योजनाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 मार्च, 1992 तक कितनी धनराशि जमा की गयी;

(ख) इन जमा राशियों में से उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार जमा राशियों का तीन-चौथाई भाग केवल राज्य की विकास परियोजनाओं पर ही नियोजित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रक्षा संगठनों की सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा

[हिन्दी]

9598. **श्री गोविन्द राव निकाम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा संगठनों की सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा संबंधी योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) कार्मिकों और संबद्ध आधारभूत संरचनाओं की अपेक्षित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्फोटकों/गोलाबारूद की सार-संभाल करने वाली प्रमुख रक्षा स्थापनाओं के सुरक्षा जांच संबंधी निरीक्षण पहले ही किए जा रहे हैं।

बिहार सरकार द्वारा ओवर ड्राफ्ट

[अनुवाद]

9599. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से अपने लेखे में फरवरी और मार्च, 1992 के दौरान प्रति सप्ताह कितनी राशि ओवर ड्राफ्ट के रूप में निकाली;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे ओवर ड्राफ्ट के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिहार सरकार को ओवर ड्राफ्ट पर अंकुश लगाने के लिए यदि कोई राय दी गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) बिहार सरकार फरवरी और मार्च, 1992 के महीनों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 5 अवसरों पर ओवर ड्राफ्ट में रही, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

			क्रमिक कार्य दिवसों की संख्या	अधिकतम ओवर ड्राफ्ट (करोड़ रु०)
महीना	से	तक		
फरवरी, 1992	22-2-92	28-2-92	4	144.75
मार्च, 1992	3-3-92	9-3-92	6	237.28
	11-3-92	16-3-92	4	146.17
	20-3-92	25-3-92	5	82.38
	27-3-92	30-3-92	3	106.62

उक्त सभी अवसरों पर ओवर ड्राफ्ट को राज्य सरकार द्वारा ओवर ड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा कर दिया गया था ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार की सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिम के लिए क्रमश: 39.20 करोड़ तथा 14 करोड़ रुपए की सीमाएं स्वीकृत की गयी हैं । राज्य सरकारें अर्थोपाय अग्रिम की स्वीकृत सीमाओं से बाहर प्राप्तियों से अधिक भुगतान करने के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवर ड्राफ्ट में आ जाती हैं ।

(घ) जैसे ही कोई राज्य सरकार अर्थोपाय की अग्रिम की औसत सीमा के 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग करने लगती है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस सरकार को सचेत करता है तथा सलाह देता है कि वे उस असन्तुलन को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय करें ताकि राज्य सरकार ओवर ड्राफ्ट में न जाये ।

इस समय लागू ओवर ड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 7 क्रमिक कार्य दिवसों से अधिक समय तक भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवर ड्राफ्ट में रहने की अनुमति नहीं है । यदि ओवर ड्राफ्ट आठवें क्रमिक दिवस तक भी जारी रहता है तो बैंक को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह राज्य सरकारों की तरफ से तब तक भुगतान करना बन्द कर दे जब तक कि ओवर ड्राफ्ट पूरा नहीं कर दिया जाता । चूंकि, प्रश्न में उल्लिखित ओवर ड्राफ्टों को बिहार सरकार ने निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूरा कर दिया था, अत: भुगतान रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता था ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर बकाया आय-कर और उत्पाद-कर

9600. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध आयकर और उत्पाद-कर की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं; और इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी धनराशि कब से बकाया पड़ी हुई है;

(ग) इस बकाया धनराशि को अब तक वसूल न करने के क्या कारण है; और

(घ) इन कम्पनियों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) चूंकि "बहुराष्ट्रीय कम्पनी" पद की कोई सर्वत्र स्वीकार्य सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए इस मंत्रालय के लिए प्रश्न में मांगी गई सूचना दे पाना संभव नहीं है । लेकिन, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कम्पनी अथवा कम्पनियों के बारे में सूचना जानना चाहते हों तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है ।

यह उल्लेखनीय है कि बकाया उत्पाद-शुल्क मांगों में से अधिकांश मांगें न्यायालयों में पड़े हुए मामलों से संबद्ध हैं और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ताओं को यह सलाह दी गई है

कि वे महत्वपूर्ण न्यायालय-मामलों पर स्वयं निगरानी रखें तथा उनके शीघ्र निपटान के लिए समुचित प्रयास करें। इसी प्रकार भारी-भरकम बकाया आयकर मांगों के सभी मामलों में वसूली की कार्यवाही पर आयकर आयुक्त तथा उससे उच्च स्तर पर आवधिक आधार पर निगरानी रखी जाती है।

जनता कपड़े के लिए राज्यों को दी गई राज सहायता

[हिन्दी]

9601. **श्री हाजी हयात जोशी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को बत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जनता कपड़े के लिए जिलावार कितनी-कितनी राजसहायता दी गई;

(ख) इससे कितने जुलाहों तथा सहकारी समितियों को लाभ हुआ और क्या उनके कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए किसी केन्द्रीय अथवा राज्य एजेंसी का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत जिलावार नहीं अपितु राज्यवार केन्द्रीय सब्सिडी दी जाती है। गत तीन वर्षों में जनता कपड़े के उत्पादन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई सब्सिडी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जनता कपड़ा योजना से लगभग तीन लाख बुनकरों को लाभ पहुंचा है। कुल मिलाकर 19 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में फैले 46 हथकरघा बुनकर क्षेत्रीय/क्षेत्रीय सहकारी समितियों और निगमों द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है। प्रत्येक कार्यान्वित राज्य में प्रभारी निदेशक हथकरघा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है और मुख्य सचिव/हथकरघा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की कार्यान्वयन समितियों जिनमें नागरिक आपूर्ति विभाग, गैर सरकारी संगठनों, उपभोक्ता प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञ आदि को इस समिति का सदस्य बनाया जाता है, द्वारा कई कार्य किए जाते हैं जिनमें अपने-अपने राज्यों में किए गए उत्पादन और उसकी वितरण व्यवस्था देखना भी शामिल है।

विवरण

जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत जारी की गई सब्सिडी

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	1516.42	1767.02	1882.37
2.	कर्नाटक . . .	815.37	1053.22	931.55

1	2	3	4	5
3.	केरल	4.25	0.57	NIL
4.	तमिलनाडु	1669.14	518.32	1257.42
5.	पांडिचेरी	0.93	0.31	NIL
6.	मध्य प्रदेश	505.11	489.32	543.70
7.	उत्तर प्रदेश	2621.32	3812.05	3275.70
8.	बिहार	865.27	409.54	475.92
9.	उड़ीसा	635.60	890.92	1025.43
10.	पश्चिमी बंगाल	1401.17	1412.77	17.92
11.	गुजरात	378.77	404.12	118.12
12.	महाराष्ट्र	1251.98	952.96	1455.31
13.	त्रिपुरा	87.87	79.58	9.23
14.	राजस्थान	274.03	279.52	310.51
15.	असम	877.80	921.97	1278.82
16.	हिमाचल प्रदेश	—	—	NIL
17.	हरियाणा	—	—	NIL
18.	मणिपुर	—	—	NIL
19.	पंजाब	—	8.12	NIL
20.	जम्मू व कश्मीर	8.90	—	NIL
	कुल	12913.93	13000.31	12582.00

भारत के सालिसिटर जनरल का रिक्त पद

9602. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सालिसिटर जनरल का पद कब से रिक्त पड़ा हुआ है;

(ख) उक्त पद को भरने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पद के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (ग) भारत के महा-सालिसिटर का पद रिक्त नहीं है । श्री दीपांकर प्रसाद गुप्ता को भारत के महा-सालिसिटर के पद पर 7 अप्रैल, 1992 से नियुक्त किया गया है ।

टिस्को द्वारा सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स का निर्गम

[अनुवाद]

9603. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) का अपने शेयर धारकों को 350 करोड़ रुपये के सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पूंजी निर्गमों के नियंत्रक और कम्पनी कार्य विभाग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क), (ख) और (ग) पूंजी निर्गम नियंत्रक ने दिनांक 31-3-1992 को मैं० टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) को 443 करोड़ रुपये के मूल्य (अभिहित मूल्य) की पूंजी, जिसमें प्रत्येक के साथ उनके वर्तमान शेयर धारकों को सममूल्य पर रौकड़ के लिए इक्विटी वारन्ट सम्बद्ध थे सहित 300/-रु० प्रतिभूति प्राप्त प्रीमियम नोट (एस० पी० एन०), जिनका कुल मूल्य 330 करोड़ रुपए था, जारी करने की सहमति प्रदान की है । कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रस्ताव का विरोध नहीं किया गया था । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूचित किया है कि चूंकि प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी०बी०डी०टी०) का अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है अत: प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

फलों का निर्यात

[हिन्दी]

9604. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कौन-कौन से फलों का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फल-उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख फलों में आम, अंगूर, अनार, चीकू, शरीफा, सेब, बेर, खट्टे फल, केला आदि हैं ।

(ख) से (घ) हालांकि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं किंतु कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात

विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास निर्यातों का विकास करने के लिए अनेक योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के निर्यातक उपजकर्त्ताओं सहित निर्यातक उपजकर्त्ता आदि इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

निर्यात लक्ष्य

[अनुवाद]

9605. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना-कितना निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष के लिए कितना निर्यात लक्ष्य रखा गया है और इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90, तथा 1990-91 के लिए क्रमश: 28000 करोड़ रुपये तथा 36000 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। वर्ष 1991-92 के लिए कोई निर्यात लक्ष्य नहीं रखा गया। वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा अप्रैल-फरवरी, 1991-92 का निर्यात निष्पादन क्रमश: 27681 करोड़ रुपये, 32553 करोड़ रुपये और 38930 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 1989-90 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति में मामूली गिरावट आई। किन्तु, वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति में काफी गिरावट आयी। जो विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी खाड़ी संकट विश्वव्यापी हीरा व्यापार में कमी और भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति के कारण आयात लाइसेंसिंग प्रणाली में सख्ती आदि के कारण थी।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए अभी तक कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। किन्तु, हमारे निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, जुलाई 1991 से व्यापार नीति में कई परिवर्तन किए गए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन को मजबूत करना, आयात लाइसेंसिंग की मात्रा में पर्याप्त कमी करना, तथा आयात टैरिफ ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। वर्ष 1992-93 के बजट में रुपये को आंशिक तौर पर परिवर्तनीय बना दिया गया है ताकि विदेशी मुद्रा उपार्जन को प्रोत्साहित किया जा सके और कीमत व्यवस्था के जरिए अधिक महंगा बनाकर आयात को कम किया जा सके। दिनांक 31 मार्च, 1992 को घोषित निर्यात आयात नीति में इन्हें समाहित किया गया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता को बढ़ाना, भारतीय उद्योग का आधुनिकरण और उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और इस प्रकार इसकी निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके अलावा, सरकार ने अन्य उपाय भी किए हैं जिनमें शामिल हैं : लाइसेंसिंग के जरिए कंट्रोल कम करना, निर्यात के लिए प्रक्रिया को चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ परस्पर कार्यवाही आदि।

ग्रांड ट्रंक रोड पर द्विमार्गी यातायात

[हिन्दी]

9606. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रांड ट्रंक रोड (जी०टी० रोड) पर एकमार्गी यातायात को द्विमार्गी यातायात में बदलने का विचार है ताकि इस सड़क पर यातायात को सुगम बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। जी०टी० रोड (रा०रा० सं० 1) को दिल्ली और जालंधर के बीच दो लेन से चौड़ा करके क्रमिक रूप से चार लेन का बनाया जा रहा है। 144 कि०मी० लम्बाई में चार लेन पहले ही बनाई जा चुकी है और अन्य 112.5 कि० मी० में कार्य प्रगति पर है। करनाल (हरियाणा में) से सरहिन्द (पंजाब में) तक की 115.5 कि०मी० की शेष लम्बाई में चार लेन बनाने का कार्य 1992-93 के वार्षिक कार्यक्रम में संस्वीकृति के लिए शामिल किया गया है।

चाय बागानों को उन्नत बनाना

[अनुवाद]

9607. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन चाय बागानों का ब्यौरा क्या है जिनके चाय के पौधों का जीवनकाल या तो समाप्त हो गया है अथवा आधे से अधिक बीत गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन चाय बागानों में नए पौधों को रोपने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में चाय का उत्पादन बढ़ाने हेतु इन चाय बागानों को उन्नत बनाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) देश में विद्यमान चाय क्षेत्रों की आयु* का विवरण निम्नवत है —

आयु समूह	चाय के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत
20 वर्ष से कम	25:50
21 से 40 वर्ष	23.66
41 से 50 वर्ष	8.06
50 वर्ष से अधिक	42.78

*एक चाय झाड़ी की इष्टतम आयु 40 से 50 वर्ष के बीच रहती है।

(ख) से (घ) चाय का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड विभिन्न विकासात्मक योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं में नए रोपण, पुनर्रोपण, पुनर्नवीकरण और भराई, सिंचाई की सुविधाओं का विकास, प्रसंस्करण मशीनरी खरीदने आदि के लिए दीर्घावधि ऋण, इमदाद और सहायता अनुदान का प्रावधान है। कुछ आर्थिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के वर्तमान मानदण्ड निम्नलिखित हैं —

योजना का नाम	आर्थिक सहायता की दर (प्रति हेक्टेयर)
पुनर्रोपण इमदाद योजना	(क) मैदानी बागानों में 10,400 रुपया
	(ख) दार्जिलिंग क्षेत्र को छोड़कर अन्य पहाड़ी बागानों के लिए 12,400 रुपया
	(ग) दार्जिलिंग बागानों के लिए 15,000 रुपया
पुनर्नवीकरण और भराई] आर्थिक सहायता योजना]	(क) छंटाई और भराई के लिए 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर
	(ख) छंटाई, भराई और अन्तः लाइन रोपण के लिए 4,000 रु० प्रति हेक्टेयर।

निर्यात क्षमता का उपयोग

9608. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की रिपोर्ट "ग्लोबल इकोनामिक प्रोस्पेक्ट्स एण्ड द डिवेलपिंग कंट्रीज" के अनुसार देश की निर्यात क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश की निर्यात क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) "ग्लोबल इकोनामिक प्रोस्पेक्ट्स एण्ड द डिवेलपिंग कन्ट्रीज 1992" नामक विश्व बैंक की रिपोर्ट स्टाफ रिपोर्टों की वार्षिक सिरीज में दूसरा संस्करण है जिसमें विकास संबंधी विश्वव्यापी आर्थिक संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। उसमें विकासशील देशों पर बल देते हुए मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों ने विकासशील देशों के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण पेश किया है, लेकिन विकासशील देशों में उन्नत नीतियों से अपने आप ही और अधिक वृद्धि होने की आशा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विकासशील देशों का निर्यात निष्पादन उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में व्यापार बाधाओं को कम करने पर औद्योगिक देशों में उन्नत वृद्धि पर तथा विकासशील देशों को असक्षमता पर निर्भर करेगा जिससे हमारे परिवर्धित एकीकृत तथा प्रतियोगी विश्वव्यापी व्यापार वातावरण में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ किया जा सके। भारत के विशेष संदर्भ में रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि "भारत को यह आशा है कि वह अपने सुधारात्मक प्रयास जारी रखेगा और इस दशक के उत्तरार्ध में लगभग 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत वृद्धि दर से वृद्धि की गति बनाए रखेगा"।

(ख) विश्व बैंक की रिपोर्ट दुनियां के देशों की विश्वव्यापी स्थितियों और घरेलू आर्थिक नीतियों के संबंध में कतिपय पूर्वानुमानों पर आधारित है। विकासशील देशों से होने वाले निर्यातों की वृद्धि के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट में जो कारक दिए गए हैं वे विश्वव्यापी व्यापार वातावरण के संबंध में सरकार के स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार हैं।

(ग) जुलाई 1991 से व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए थे। जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को पर्याप्त संख्या में समाप्त करना तथा आयात टैरिफ ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। 1992-93 के बजट में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जन को प्रोत्साहित किया जा सके और कीमत व्यवस्था के अरिये और अधिक महंगा बनाकर आयातों को कम किया जा सके। इन्हें 31 मार्च, 1992 को घोषित नई निर्यात-आयात नीति में भी समाहित किया गया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादन क्षमता, आधुनिकीकरण और प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ावा देना है और इस प्रकार उसकी निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अन्य उपाय भी किए जिनमें शामिल हैं : लाइसेंसिंग के माध्यम से नियंत्रणों को कम करना, निर्यात संबंधी क्रियाविधियों का सरलीकरण, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ परस्पर कार्यवाही आदि।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी उत्पादन

9609. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कॉफी उत्पादन को और आगे बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन नाममात्र का ही रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी 7 उत्तर-पूर्वी राज्यों में कॉफी के अन्तर्गत कुल अनुमानित क्षेत्र 8,000 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं है। कॉफी के अन्तर्गत इन क्षेत्रों से कॉफी पूल के अन्तर्गत आने वाला उत्पादन अभी तक नगण्य ही रहा है। ऐसा संगठनात्मक, तकनीकी और अन्य दबावों से संबंधित अनेक कारणों के कारण हुआ है।

(ख) विश्व-स्तर पर विद्यमान बेशी कॉफी स्टाक के कारण कॉफी बोर्ड का कॉफी के अन्तर्गत और ज्यादा क्षेत्र को लाने की किसी विशेष योजना का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से कम से कम उचित रूप से न्यूनतम मानदण्डों पर लाने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में वर्तमान क्षेत्रों को संघटित करने हेतु बोर्ड द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में अनुसंधान विस्तार और अन्य तकनीकी सहायता का प्रावधान तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में कॉफी की खेती में लगी एजेंसियों एवं जनजाति के अलग-अलग उपजकर्ताओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी की बिक्री

9610. श्री महेश कनोडिया :
श्री बलराज पासी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने वर्ष 1991-92 के दौरान खुले बाजार में प्रचलित मूल्यों से कम मूल्य पर नीलामी किये बिना कुछ मात्रा में कॉफी बेची थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार बेची गई कॉफी का प्रति टन मूल्य कितना था; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) कॉफी बोर्ड निर्यात नीलामी और आन्तरिक नीलामी के जरिए कॉफी की बिक्री कर रहा है। आन्तरिक नीलामी के मामले में कॉफी की बिक्री समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम रिलीज कीमत के आधार पर आरक्षित कीमत पर की जाती है और यह बिक्री न्यूनतम रिलीज कीमत से कम पर नहीं की जाती है। कई वर्षों से स्थानीय बिक्री डीलरों और सहकारी संस्थाओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर एक सीमित आबंटन किया जा रहा है और केवल सीमित मात्रा में ही आबंटन किया जा रहा था। लेकिन जनवरी, 1992 में कॉफी बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि कॉफी बोर्ड विभागीय पूल बिक्री डिपुओं को यह अनुमति प्रदान करेगा कि वे स्थानीय बिक्री डीलरों और सहकारी समितियों को औसत आन्तरिक नीलामी कीमत प्लस वसूल किये गये मूल्य के 10 प्रतिशत के हिसाब से कॉफी की बिक्री कर सकेंगे। सहकारी समितियों के बारे में गैर परम्परागत और परम्परागत क्षेत्रों में क्रमश: 5 प्रतिशत और 2½ प्रतिशत कमीशन की अनुमति थी। तथापि, सभी राज्यों के स्थानीय बिक्री डीलरों से नीलामी कीमतों से 10 प्रतिशत अधिक कीमत लेने के कॉफी बोर्ड के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय तमिलनाडु ने स्थगन आदेश दे रखा है ।

इस समय जनवरी, 1992 से समय औसत कीमत प्लस 5 प्रतिशत रु० प्रति कि०ग्रा० के हिसाब से कॉफी बोर्ड के संवर्धन विभाग के माध्यम से भी कॉफी की बिक्री की जाती है। इससे पहले कॉफी बोर्ड के संवर्धन विभाग के बिक्री केन्द्रों पर कॉफी की बिक्री एन आर पी तथा 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभार के हिसाब से की जाती थी ।

कृषि को संस्थागत ऋण

9611. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर कितना संस्थागत ऋण दिया गया ;

(ख) क्या प्रति हेक्टेयर संस्थागत ऋण में विगत हाल ही में कृषि क्षेत्र में आदानों के मूल्य में हुई वृद्धि की तुलना में वृद्धि नहीं की गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि के लिए संस्थागत ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलधीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी सूचना प्रणाली से प्रति हेक्टेयर संवितरित बैंक ऋण के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है। जून, 1988, 1989 और 1990 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों के लिए प्रत्यक्ष वित्त के रूप में संवितरित ऋणों की कुल राशि निम्नानुसार थी :—

(रुपये करोड़ में)

जून, 1988	2,945
जून, 1989	3,187
जून, 1990	3,530

(ख) और (ग) उधार देने की उत्पादनोन्मुख प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/जिले के लिए तकनीकी समूह गठित किया जाता है जो मूल्यों में परिवर्तन, निविष्टियों के स्तर, कृषि की लागत इत्यादि पर आधारित वित्त के मानदंड को निर्धारित करता है। वित्त के मानदंड की वार्षिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है और संस्थागत ऋण तंत्र में ही एक स्वनिर्मित प्रणाली है जो मूल्यों, निविष्टि इत्यादि में वृद्धि की व्यवस्था का कार्य करती है।

(घ) कृषि के लिए बैंक ऋण बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में कृषि के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैंकों से कृषि (सम्बद्ध गतिविधियों सहित) के लिए प्रत्यक्ष वित्त के रूप में उनके कुल अग्रिमों का 18 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बैंकों को कमजोर वर्गों के लघु और सीमांतिक किसानों, काश्तकारों, बटाईदारों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों इत्यादि को अपने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 25 प्रतिशत या कुल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत देने का निदेश दिया गया था। इसके साथ-साथ किसानों, खासकर लघु और सीमांतिक किसानों के वास्ते ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाये गये हैं। ये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

1. 7,500 रु० तक के फसल ऋण पर ब्याज कम रखा जाता है जो 11.5 प्रतिशत वार्षिक है।
2. लघु और सीमांतिक किसानों द्वारा लिए गए 7,500 रु० तक के किसी निवेश ऋण के लिए ब्याज दर सिर्फ 11.5 प्रतिशत वार्षिक है।
3. लघु और सीमांतिक किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋणों के मामले में नामें डाला गया ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. फसल खराब हो जाने के मामले में देय रकमों को 3 से 5 वर्षों की अवधि में पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए और किसानों को नए ऋण दिये जाने चाहिए।

5. 10,000 रु० तक के ऋणों के लिए अन्य पार्टी की गारंटी या सम्पार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

6. कृषि क्षेत्र की वर्तमान देय राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए।

7. ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को उचित मंजूरी अधिकार दिया जाना ताकि अधिकतर ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही मंजूर किया जा सके।

केरल में प्लांटेशन मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट की स्थापना

9612. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में प्लांटेशन मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने का अनुरोध किया है और प्रस्तावित संस्थान के लिए भूमि देने का भी प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) केरल सरकार से उस राज्य में प्लांटेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। केरल सरकार ने इस कार्य के लिए सभी आवश्यक सहायता की पेशकश भी की थी। परन्तु यह इंस्टीट्यूट प्लांटेशन इंडस्ट्री द्वारा स्थापित किया जाना है, न कि सरकार द्वारा। प्लांटेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना के संबंध में सभी क्रियाकलापों के समन्वय के लिए उद्योग द्वारा अभिज्ञात निकाय इस मामले में सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखकर इंस्टीट्यूट के स्थान निर्धारण के संबंध में निर्णय लेगा।

लौह अयस्क का निर्यात

9613. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का लौह अयस्क के निर्यात के बारे में कोई नई नीति लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्च स्तरीय 'बैलाडिला" लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार जापान के साथ किये गये निर्यात के वायदे को किस तरह निभायेगी; और

(ङ) जापान को लौह अयस्क का निर्यात न किये जाने से देश को कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) निर्यात-आयात नीति 1992 -97 के अनुसार गोआ तथा रेडी मूल के लौह अयस्क और कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि० द्वारा उत्पादित लौह अयस्क सांद्रण तथा पैलेट्स को छोड़कर लौह अयस्क का निर्यात एम० एम० टी०सी० के माध्यम से किया जाता है। गोआ मूल के लौह अयस्क के जापान, ताईवान, दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप को तथा रेडी मूल के लौह अयस्क के सभी गंतव्य स्थानों को सीधे ही निर्यात की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि संविदाओं का गोआ मिनरल्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ पंजीकरण हो। कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि० को अपने उत्पादों जैसे लौह अयस्क सांद्रणों तथा पैलेट्स की सीधे निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले से किए गए वायदों को पूरा किया जाएगा।

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान जापान को लगभग 839 करोड़ रु० के लौह अयस्क का निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है।

लौह अयस्क का निर्यात

[हिन्दी]

9614. **श्री नीतीश कुमार :**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
डा० महावीपक सिंह शाक्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य में अच्छे किस्म के लौह अयस्क के निर्यात पर नियंत्रण करने का कोई विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में लौह अयस्क के भण्डार अधिकता में हैं और यदि हां, तो इसकी कुल कितनी मात्रा का पता लगाया गया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में लौह अयस्क का वार्षिक उत्पादन कितना है और कुल उत्पादन में से कितना निर्यात किया गया है;

(ङ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान निर्यात किये गये अच्छी किस्म के लौह अयस्क का औसतन प्रतिशत कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) निर्यात-आयात नीति 1992 – 97 के अनुसार गोआ तथा रेडी मूल के लौह-अयस्क और कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि० द्वारा उत्पादित लौह अयस्क सांद्रण तथा पैलेट्स को छोड़कर लौह अयस्क का निर्यात एम०एम० टी०सी० के माध्यम से किया जाता है। गोआ मूल के लौह अयस्क के जापान, ताईवान, दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप को तथा रेडी मूल के लौह अयस्क के सभी गंतव्य स्थानों को सीधे ही निर्यात की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि संविदाओं का गोआ मिनरल्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ पंजीकरण हो। कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि० को अपने उत्पादों जैसे लौह अयस्क सांद्रणों तथा पैलेट्स की सीधे निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) दिनांक 1-1-1985 की स्थिति के अनुसार लौह अयस्क (हेमिटाइट अयस्क और मैगनेटाईट अयस्क दोनों) के प्राप्त किए जा सकने वाले भंडार के 11,976.62 मिलियन मी० टन होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन तथा निर्यात और उससे प्राप्त विदेशी मुद्रा की राशि के निम्नानुसार होने का अनुमान लगाया गया है :

वर्ष	उत्पादन (एम०टी० में)	निर्यात (एम०टी० में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1989-90	55.4	35.56	927.56
1990-91	54.8	32.49	1,049.13
1991-92 . . . . (अप्रैल-दिसम्बर, 91)	39.5	21.05	1,032.22

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए उच्च किस्म के लौह अयस्क का औसत प्रतिशत निम्नानुसार रहा :

1989-90	16.27%
1990-91	15.57%
1991-92	14.51% (अनन्तिम)

भारत एलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन

[अनुवाद]

9615. **श्री एस०बी० चोरात** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये पिक्चर ट्यूबों के कुल उत्पादन और आयात की तुलना में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा कुल कितनी पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन किया गया;

(ख) बी०ई०एल० द्वारा पिक्चर ट्यूबों के वितरण संबंधी दिशानिर्देशों और देश में टी०वी० के लघु और अन्य विनिर्माताओं में पिक्चर ट्यूबों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु उठाये गये सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु औद्योगिक इकाईयों में पिक्चर ट्यूबों के समान वितरण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) बी०ई०एल० ने इलैक्ट्रानिक सामान अथवा निर्धारित स्तर के उपकरणों के उत्पादन में लघु औद्योगिक इकाईयों के प्रभावी सहयोग के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड श्वेत-श्याम पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करता है। विगत तीन वर्षों में देश में हुए कुल उत्पादन की तुलना में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने नीचे दिए अनुसार इन ट्यूबों का उत्पादन किया :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया उत्पादन	देश में हुआ कुल उत्पादन
1989	6.4	45.7
1990	5.8	38.5
1991	4.4	34.2

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने किसी पिक्चर ट्यूब का आयात नहीं किया।

(ख) और (ग) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से श्वेत-श्याम पिक्चर ट्यूबों की थोक मात्रा में सीधी सप्लाई मूल उपस्कर निर्माताओं को की जाती है। थोड़ी मात्रा में पिक्चर ट्यूबों को बदलने का कार्य भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय विपणन केन्द्रों द्वारा किया जाता है। आजकल, देश में अत्यधिक उत्पादन-क्षमता होने की वजह से इन ट्यूबों की उपलब्धता के बारे में कोई समस्या नहीं है।

(घ) और (ङ) टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के लिए अपेक्षित कैथोड, हीटर और स्टेम का निर्माण करने के वास्ते लघु क्षेत्र की यूनिटों की स्थापना की गई है। इन्हीं यूनिटों से भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की समग्र आवश्यकता पूरी की जाती है।

आपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए सैनिकों के परिवारों को पेंशन

[हिन्दी]

9616. **श्री राम ढहल चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन ब्लू स्टार में कुल कितने सैनिक मारे गए थे;

(ख) क्या इस कार्यवाही के दौरान मारे गये सैनिकों के परिवारों को पेंशन देने का कोई प्रावधान है; और

(ग) कितने मृत सैनिकों के आश्रितों को उनके द्वारा अंत में लिये गये वेतन के आधार पर पेंशन दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) आपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए सैना कार्मिकों की कुल संख्या 134 है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 130 मामलों में मृतक सेना कार्मिकों के आश्रितों को मृतक के अंतिम वेतन के बराबर पेंशन दी गई है । तीन अधिकारी अविवाहित थे अत: उनके माता-पिता को उनके अंतिम वेतन के दो तिहाई के बराबर आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन दे दी गई है । एक मामले में मृतक के परिवार को विशेष परिवार पेंशन दी गई है ।

विदेशों में भारतीयों के पास पूंजी

[अनुवाद]

9617. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार विदेशों में भारतीय नागरिकों के पास कुल कितनी पूंजी है;

(ख) उनमें से प्रथम 20 धनी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के भूतपूर्व राजाओं की विदेशों में कितनी संपत्ति है तथा उनके नाम क्या हैं और उनकी संपत्ति किन-किन देशों में है;

(घ) प्रथम 20 धनी उद्योगपतियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उचित घोषणा के माध्यम से अपनी पूंजी बाहर भेजी है; और

(ङ) उनके द्वारा विदेशों में रखी गई व्यक्तिगत तथा कंपनीगत पूंजी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) संबंधित अभिकरणों से अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

खाड़ी के देशों के साथ संधियां और समझौते

[हिन्दी]

9618. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हाल ही में खाड़ी के देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान किन-किन परियोजनाओं के संबंध में संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। राज्य मंत्री (राजस्व) ने ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया।

(ख) इस दौरे के दौरान किसी भी संधि अथवा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। इस दौरे का उद्देश्य ऊपर उल्लिखित देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों के बीच विदेशी प्रेषण योजना तथा भारत विकास बंधपत्र योजना 1991 को बढ़ावा देना था।

(ग) इस दौरे के परिणामस्वरूप इन दोनों देशों में विदेशी मुद्रा प्रेषणों को जुटाने में शानदार प्रगति हुई थी। समूचे मध्य पूर्व में खरीदे गए 362.84 मिलियन डालर के मूल्य के भारत विकास बंधपत्रों (डालर श्रृंखला) में से 273.24 मिलियन डालर की राशि संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान से जुटाई गई थी।

सोने का आयात

9619. **कुमारी उमा भारती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आभूषण निर्माण हेतु स्वर्णकारों को इसकी सप्लाई समय से की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अनिवासी भारतीयों और वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा सोने के आयात की हाल ही में स्कीम शुरू किए जाने तक निर्यात-उत्पादन के प्रयोजन के अलावा, सोने के आयात की अनुमति नहीं दी गई थी। वर्ष 1990-91 के दौरान इस प्रयोजन के लिए एस०बी०आई०, एम०एम०टी०सी० और एच०एच०ई०सी० द्वारा आयातित सोने की मात्रा नीचे दी गई है :—

(किलोग्राम)

एस०बी०आई०	एम०एम०टी०सी०	एच०एच०ई०सी०
5204	900	957

(ख) से (घ) सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण और चांदी के आभूषण और वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम के अनुसार उपर्युक्त अवधि के दौरान आयातित सोना निर्यात उत्पादन के लिए पात्र इकाइयों को आपूर्ति किया गया था।

कारखानों द्वारा लच्छी धागे का उत्पादन

[अनुवाद]

9620. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सांविधिक निवेश जारी करने का है कि मिलों को अपने विपणन योग्य धागों का 50 प्रतिशत लच्छी धागों का उत्पादन करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने यार्न के किसी भी निर्माता पर हैंक यार्न दायित्व लगाने की अधिसूचना पहले से ही जारी की है जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सिविल खपत के लिए पैक किए गए कुल यार्न का कम से कम 50 प्रतिशत हैंक यार्न के रूप में पैक किया जाए तथा उसका 80 प्रतिशत उत्पादन 40 तथा उससे कम काउंटों में किया जाए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु में मिलों के लिए नाबार्ड सहायता

9621. **श्री सी० श्रीनिवासन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने तमिलनाडु में गंभीर वित्तीय स्थिति का सामना कर रही सहकारी एवं सरकारी क्षेत्र की मिलों को धन-राशि देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलधर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि तमिलनाडु में भयंकर नकदी दबाव की स्थिति में फंसी किसी सहकारी या सरकारी क्षेत्र की मिल को धनराशियां प्रदान करने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

स्वर्ण नीति का उदारीकरण

9622. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री अर्जुन चरण सेठी :
क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सोना भेजने के लिए नई स्वर्ण नीति से अनिवासी भारतीयों, विशेष रूप से खाड़ी के देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों ने कम रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने स्वर्ण नीति को और अधिक उदार बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस योजना के अन्तर्गत आयातों में नवीनतम प्रवृत्तियां इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती कि इस स्कीम से अनिवासी भारतीयों में बहुत कम रुचि उत्पन्न हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उदारीकरण के एक उपाय के रूप में, नई स्वर्ण-नीति के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले सोने पर आयात शुल्क दिनांक 30-4-1992 से 450 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटाकर 220 रुपए प्रति 10 ग्राम कर दिया गया है ।

डी०टी०सी० के अन्तर्गत एल०टी०ए० परमिट

9623. **श्री जीवन शर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत बारह महीनों के दौरान प्रत्येक महीने दिल्ली में अपनी बसें चलाने के लिए निजी बस मालिकों को कितने राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट प्रदान किये गये और ऐसे परमिट प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ये परमिट आम जनता से आवेदन पत्र मांगे बिना प्रदान किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य व्यापार प्राधिकरण में उन व्यक्तियों में से कुछ को भी परमिट प्रदान किए हैं, जिन्होंने 3000 परमिट जारी करने की योजना के अन्तर्गत आवेदन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क), (ख) और (ग) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1991 से अप्रैल, 1992 तक पिछले 12 महीनों के दौरान 88 परमिट मंजूर किए हैं । ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

जारी किए गए परमिटों की संख्या	जारी करने के महीने
9	सितम्बर, 1991
1	अक्तूबर, 1991
6	दिसम्बर, 1991
5	जनवरी, 1992
11	फरवरी, 1992
29	मार्च, 1992
27	अप्रैल, 1992
कुल 88	

सामान्यतया, जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्रों की संवीक्षा है और यदि उपलब्ध परमिटों की संख्या की तुलना में उपयुक्त आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो चयन "ड्रा आफ लाट" द्वारा किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए 33 परमिटों के सिवाय, जो एस०टी०ए० न्यायाधिकरण द्वारा आदेश देने पर उनके मामले के पुनर्विचार पर उन्हें जारी किए गए हैं, अन्य सभी परमिट समाचार पत्रों में आम सूचना देने के उपरान्त जारी किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी बोर्ड को मिले निर्यात आदेश

9624. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉफी बोर्ड को 1990 और 1991 के दौरान कॉफी का निर्यात करने के कितने आदेश मिले और कितने-कितने मूल्य के थे;

(ख) क्या इन सभी आदेशों को पूरा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) संविदा की गई मात्रा, निर्यात की गई वास्तविक मात्रा और उससे प्राप्त मूल्य का वर्षवार संक्षिप्त ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है :—

वर्ष	ग्रीन कॉफी			इंस्टैंट कॉफी		
	संविदा की गई मात्रा मी० टन में	वास्तविक रूप में निर्यात की गई मात्रा मी० टन में	मूल्य प्राप्ति करोड़ रुपये में	संविदा की गई मात्रा मी० टन में	वास्तविक रूप में निर्यात की गई मात्रा मी० टन में	मूल्य प्राप्ति करोड़ रुपये में
1990	50000	50000	154.99	5000	5000	40.83
1991	30000 + (ऐच्छिक 10000 मी०टन)	35250	104.93	4000	676	7.50

(ख) और (ग) पूर्ववर्ती सोवियत संघ को वर्ष 1990 में ग्रीन कॉफी की 50,000 मी० टन और इंस्टैंट कॉफी की 5000 मी० टन मात्रा निर्यात के लिए संविदा की गई थी लेकिन वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान इस देश को केवल 40,000 मी० टन ग्रीन कॉफी और 5000 मी० टन इंस्टैंट कॉफी का निर्यात किया गया ।

वर्ष 1990-91 में ग्रीन कॉफी के निर्यात में 10,000 मी०टन की गिरावट का कारण वर्ष 1989-90 में फसल का बहुत खराब होना है जो केवल 1,17,000 मी० टन ही हुई जो वर्ष 1990 में बिक्री के लिए उपलब्ध थी । किन्तु, ग्रीन कॉफी की 10,000 मी० टन की यह मात्रा पूर्ववर्ती सोवियत संघ को बाद में वर्ष 1990-91 की नई फसल से वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात की गई ।

जहां तक वर्ष 1991 की संविदा का संबंध है, संविदा के आधार पर कुल 30,000 मी० टन मात्रा का निर्यात वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान कर दिया गया । लेकिन ग्रीन कॉफी की 10,000 मी० टन की ऐच्छिक मात्रा निर्यात नहीं की गई ।

जहां तक इंस्टैंट कॉफी का संबंध है क्रेताओं को संविदा की गई 4,000 मी० टन की मात्रा के आयात के लिए आयात लाइसेन्स नवम्बर, 1991 तक प्राप्त न होने की वजह से वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान केवल 676 मी० टन इंस्टैंट कॉफी का ही निर्यात किया जा सका । किन्तु इंस्टैंट कॉफी के निर्यात में गिरावट को देखते हुए भूतपूर्व सोवियत संघ को ग्रीन कॉफी की 3250 मी० टन की अतिरिक्त मात्रा निर्यात की गई । इस प्रकार वर्ष 1991-92 में कच्ची कॉफी का कुल निर्यात 33,250 मी० टन का हो गया ।

महिला बैंक

9625. **डा० श्रीमती के०एस० सौन्दरम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार किन-किन स्थानों पर महिला बैंक चल रहे हैं; और

(ख) सरकार का विचार राज्य-वार किन-किन स्थानों पर और अधिक महिला बैंक खोलने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हसबीर सिंह) : (क) दिनांक 30 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में 39 महिला बैंक, जो शहरी सहकारी बैंक हैं कार्य कर रहे थे । इन महिला बैंकों के राज्यवार/जिला-वार नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे बैंकों की स्थापना नहीं की जाती है । शहरी बैंकों के पंजीकरण/लाइसेंस से संबंधित प्रस्ताव, राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत होने के पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक, ऐसे बैंकों की स्थापना से संबंधित वर्तमान नीति को मद्देनजर रखत हुए, ऐसे प्रस्तावों पर विचार करता है ।

विवरण

राज्यवार/जिलेवार महिला बैंकों के नाम

राज्य का नाम	जिला	महिला बैंक का नाम
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	1. आन्ध्र प्रदेश वर्धमान (महिला) कोआपरेटिव अरबन बैंक लि०
	विजयवाड़ा	1. दुर्गा कोपरेटिव अरबन बैंक लि०
गुजरात	अहमदाबाद	1. अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि०
		2. महिला उत्कर्ष नागरिक सह० बैंक लि०
		3. श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि०
		4. श्री लक्ष्मी कोपरेटिव बैंक लि०
	बड़ौदा	1. महिला सहकारी बैंक लि०
		2. उमा कोपरेटिव बैंक लि०
	सूरत	1. सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि०
गोवा	गोवा	1. वीमेंस कोपरेटिव बैंक लि०
कर्नाटक	बेंगलौर	1. महिला कोपरेटिव बैंक लि०
	बीजापुर	1. बीजापुर महालक्ष्मी अरबन कोपरेटिव क्रेडिट बैंक लि०
	तुम्कुर	1. श्री शारदा महिला कोपरेटिव बैंक लि०
मध्य प्रदेश	इंदौर	1. शुभ्वालक्ष्मी महिला कोपरेटिव बैंक लि०
महाराष्ट्र	अहमदनगर	1. अम्बिका महिला सहकारी बैंक लि०
	अकोला	1. मां शारदा महिला नगरी सहकारी बैंक लि०
	अमरावती	1. अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक लि०
	औरंगाबाद	1. इंदिरा सहकारी बैंक लि०
	बंबई	1. इंदिरा सहकारी बैंक लि०
		2. शालिनी सहकारी बैंक लि०
	धूलं	1. इंदिरा महिला सहकारी बैंक लि०
		2. इंदिरा सहकारी बैंक लि०
	जलगांव	1. प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि०
	कोल्हापुर	1. इचलकारंजी महिला सहकारी बैंक लि०
		2. कोल्हापुर महिला सहकारी बैंक लि०
	लातूर	1. प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक लि०

(1)	(2)	(3)
	नागपुर	1. नागपुर महिला नगरी सहकारी बैंक लि०
	नासिक	1. नासिक जिला महिला सहकारी बैंक लि०
		2. नासिक जिला महिला विकास सहकारी बैंक लि०
	नान्देड	1. भाग्य लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लि०
	परभानी	1. अहिल्यादेवी महिला नगरी सहकारी बैंक लि०
	पुणे	1. भगिनी निवेदिता सहकारी बैंक लि०
		2. जीजामदा महिला सहकारी बैंक लि०
	सांगली	1. श्री लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लि०
	सतारा	1. अजिंक्यात्रा महिला सहकारी बैंक लि०
	शोलापुर	1. इंदिरा श्रमिक महिला नगरी सहकारी बैंक लि०
		2. शोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक मियामीत
	वर्धा	1. आशीर्वाद महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित
मणिपुर	इम्फाल	1. मणिपुर बीमेंस कोपरेटिव बैंक

राष्ट्रीय पटसन मिलों के पुनर्गठन की योजना

9626. **श्री चित्त बसु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की पांच पटसन मिलों का पुनर्गठन करने के लिये प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपायों को कब से लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लिमिटेड की मिलों सहित देश के जूट उद्योग को पुनर्गठित करने हेतु कोई अन्य विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की छः पटसन मिलों के पुनर्गठन के लिए किए जाने वाले कुछ प्रस्तावित उपाय हैं : आधुनिकीकरण, बेशी कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, निर्यात बाजार के लिए विविधीकृत मूल्य-अधित उत्पादों खासकर यार्न का उत्पादन और यदि संभव हो तो इन्हें कामगार सहकारी समितियों को सौंपना ।

(ग) सरकार ने देश में पटसन उद्योग के पुनर्गठन के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : पटसन उद्योग की आधुनिकीकरण संबंधी आश्यकताओं को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रु० की पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन 100 करोड़ रु० की विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों तथा उत्पाद विविधीकरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, उत्पाद शुल्क में छूट देकर विविधीकरण को प्रोत्साहन, रियायती आयात शुल्क और बाजार सहायता यथा आन्तरिक विपणन सहायता और बाह्य विपणन सहायता योजनाएं ।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा अनिवासी भारतीय बांडों का जारी किया जाना

9627. **श्री धर्मांमिक्षम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपने राज्य में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने हेतु अनिवासी भारतीय बांड जारी करने के लिये अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में किन परियोजनाओं को शामिल किया गया है और इन बांडों को जारी करके कुल कितनी धनराशि जुटाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) जी, हां । यह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है ।

विदेशी वस्तुओं का ढेर

9628. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** :
श्री जाबूलाल जग्राकर :
श्री सुधीर गिरि :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयात संबंधी उदारीकरण किए जाने के कारण विदेशी कंपनियों द्वारा वस्तुओं के ढेर लगाने के अवसर बढ़ गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय उद्योग पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुओं का ढेर लगने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं । ढेर लगाने का अर्थ है वस्तुओं की उनके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री । आयात नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे ढेर लगाने की संभावना बढ़ती हो ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में अक्तूबर, 1992 में संशोधन किया गया था ताकि सरकार ढेर विरोधी शुल्क लगा कर ढेर लगाए गए आयातों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके । इस अधिनियम से सरकार को यह अधिकार है कि सरकार उन मामलों में ढेर विरोधी शुल्क लगा सकती है जिससे ढेर लगाए गए आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक हानि पहुंचा रहे हों । ऐसा शुल्क लगाने से पहले सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को ढेर और नुकसान की विद्यमानता का पता लगाना होगा ।

नामित प्राधिकरण सामान्य रूप से प्रभावित घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ही जांच प्रारम्भ करेगा ।

सरकार ने उस नामित प्राधिकरण को अधिसूचित किया है जिसको आवेदन पत्र देना है तथा विस्तृत क्रियाविधि तैयार की है ताकि घरेलू उद्योग ढ़ेर लगाए गए आयातों के विरुद्ध शिकायतें करे सकें ।

बुनकरों को धागे की सप्लाई

[हिन्दी]

9629. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा तथा विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने धागे की मांग की गयी;

(ख) इस मांग की किन-किन स्रोतों से तथा कितनी-कितनी मात्रा में पूर्ति की गयी; और

(ग) धागे की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत प्रकार के उत्पादन और देश में अधिक बुनाई क्षमता को देखते हुए इन क्षेत्रों में बुनाई कार्यों का स्तर समय-समय पर बदलता रहता है जो सूत के मूल्यों, कपड़े की बिक्री और विभिन्न राज्य की आर्थिक व अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है । सूत की मांग का ढांचा भी इसी प्रकार बदलता रहता है । तथापि हथकरघा और पावरलूम विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में सूत की आवश्यकता की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि सूत की आवश्यकता की पूर्ति देशभर में फैली प्राइवेट क्षेत्र की कताई मिलों द्वारा की जाती है । वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में विकेन्द्रीकृत बुनाई क्षेत्र में उपभोग के लिए कताई मिलों द्वारा वितरित किया गया सपन यार्न क्रमश: 1008 मिलियन किलोग्राम, 1057 मिलियन किलोग्राम और 1159 मिलियन किलोग्राम था । 31 मार्च, 1991 को देश के विभिन्न भागों में 26.53 मिलियन तकुऐं थे ।

(ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को निदेश दिये गये हैं कि सूत की आपूर्ति के कार्य-कलापों में वृद्धि करें और इस कार्य के लिए वर्ष 1991-92 में 95 लाख रुपये की राशि जारी की गई है । राष्ट्रीय विकास निगम की मिलों को निर्देश दिये गये हैं कि 40 और उससे कम काऊंट के धागे का अधिक उत्पादन करें और मिल गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति के लिए बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में सूत के डिपो खोलें । प्राईवेट क्षेत्र में कताई मिलों के शीर्ष संघ के साथ निरन्तर विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि सूत मूल्यों में स्थिरता की नीति को अपनाये जाने के लिए विशेष बल दिया जा सके । सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2 लाख कपास की गांठे शुल्क मुक्त आधार पर आयात की जाएं और उनसे हैंक यार्न तैयार किया जाये जिसकी शीर्ष सहकारी समितियों, हथकरघा निगम और अन्य अधि-सूचित अभिकरणों के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को कम मूल्य पर आपूर्ति की जायेगी ।

विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र

[अनुवाद]

9630. **श्री महासमुद्रम गणेश्वर रेड्डी :**
श्री रामकृष्ण कौंताला :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के अन्तर्गत निवेशकों को भूखंड और शैड आबंटित करने के लिए कोई समिति गठित की गयी है अथवा बनाये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु बचत योजनाओं के एजेंट

[हिन्दी]

9631. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा 1988 में बैंकों की विभिन्न लघु बचत योजनाओं के लिए एजेंटों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त कर्मचारी घोषित करने वाले अधिनिर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार का उक्त अधिनिर्णय को लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलधर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद द्वारा आई०डी० 14/80 में दिए गए पंचाट की शर्तों के अनुसार अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे अभिकर्ताओं को बैंकों के नियमित संवर्गों में खपाने के लिए चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विकल्प दिया जाना चाहिए । जो कर्मचारी नियमित नियुक्ति नहीं चाहते हैं उन्हें और अधिक कमीशन और अन्य लाभ दिए जाने चाहिएं । भारतीय बैंक संघ ने यह भी बताया है कि प्रभावित सदस्य बैंकों की ओर से उसने पंचाट के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । इस समय यह मामला न्यायाधीन है ।

एशियाई विकास बैंक द्वारा सड़कों के लिए ऋण

9632. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान सड़क सुधार के लिए कितनी धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है;

(ख) दिए गए ऋण के लिए क्या-क्या शर्तें विनिर्दिष्ट की गई है; और

(ग) इसमें से उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक के साथ किसी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। तथापि चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए पिछले वर्ष मई, 1991 में 250 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) ऋण की शर्तें मोटे तौर पर एशियाई विकास बैंक की दिनांक पहली जुलाई, 1986 की "सामान्य कार्य ऋण विनियमावली" (आर्डिनरी आप्रेशन्स लोन रेग्यूलेशन्स) के अनुसार है।

(ग) ऊपर उल्लिखित ऋण के तहत उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए 30.92 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निर्धारित की गई है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेना

[अनुवाद]

9633. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटाने के लिए सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रिक्त पदों को भरने के लिए सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता

[हिन्दी]

9634. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समिति कब तक गठित कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) से (ग) विशेषज्ञ समिति का गठन 6 अप्रैल, 1992 को कर दिया गया है आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके विचारार्थ विषय आदि दिए गए हैं।

विवरण

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 6 अप्रैल, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1(19)/91-संस्था० II (ख) की प्रतिलिपि

सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में वेतन ढांचे, अर्थात वेतन, महंगाई भत्ता और स्वीकार्य अतिरिक्त लाभों सहित अन्य भत्तों का अध्ययन करने और उनकी जांच करने के साथ-साथ एक दस्तावेज तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिससे सरकार इन क्षेत्रों में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन प्रवृत्ति की जांच करके महंगाई भत्ते की मंजूरी के लिए एक समान फार्मूला तैयार कर सके।

2. विशेषज्ञ समिति का गठन निम्न प्रकार से है :—

(i)	श्री एच०एन० रे	अध्यक्ष
(ii)	श्री वी अटल	सदस्य
(iii)	श्री बी० स्वामीनाथन	सदस्य

3. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे :—

(i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सांविधिक निगमों इत्यादि के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते तथा वेतन का निर्धारण करने वाले सिद्धान्तों समेत महंगाई भत्ते तथा वेतन ढांचे का अध्ययन करना।

(ii) समान किस्म के पदों के लिए उनके सेवा कार्य में भिन्नता को उचित महत्व देते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारियों की परिलब्धियों में अन्तर का विश्लेषण करना।

(iii) अध्ययन और जांच के आधार पर एक दस्तावेज तैयार करना जिस पर सरकार निम्नलिखित पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण बना सके :—

(क) आर्थिक स्थिति तथा संसाधन की कठिनाइयों को मध्यनजर रखते हुए वेतन पुनरीक्षण की प्रवृत्ति तथा केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के अन्तर को कम करना ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सांविधिक निगमों इत्यादि के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन ढांचे, भत्तों, सुविधाओं तथा सेवांत लाभों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता, मंजूर किए जाने के वास्ते एक समान फार्मूला तैयार करना ।

(ग) पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के सिद्धान्त, नीति तथा फार्मूला बनाना ।

(घ) वेतन, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के पुनरीक्षण की आवधिकता तय करना ।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति अपनी कार्य प्रणाली स्वयं तय करेगी तथा आवश्यक समझी जाने वाली सूचना मांग सकेगी ।

5. व्यय विभाग समिति के लिए सचिवालय उपलब्ध कराएगा ।

6. यह समिति 4 महीने की अवधि के अन्दर वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ।

हस्ताक्षर
(पी०जी० लेले)
अपर सचिव, भारत सरकार

ऊन विकास बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिया जाना

[अनुवाद]

9635. **श्री यशवन्त राव पाटील** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊन विकास बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ऊन क्षेत्र के समग्र संवर्धन और विकास के लिए संसद के अधिनियम द्वारा ऊन विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है । बोर्ड का कार्य ऊन का विकास, अच्छा विपणन, ऊन की

कीमतों को स्थिर बनाए रखना, ऊनी उत्पादों का मानकीकरण, क्वालिटी में सुधार लाना और ऊन क्षेत्र आदि में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करना होगा। आशा की जाती है कि मार्च 1993 तक इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

जयपुर में आयात और निर्यात नियन्त्रक का क्षेत्रीय कार्यालय

9636. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के निर्यातकों की ओर से जयपुर में आयात और निर्यात नियंत्रक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की भारी मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह कार्यालय कब तक खोला जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात संगठन का एक क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य में जयपुर मे पहले ही चल रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फूलों और फलों का निर्यात

9637. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात किए गए फूलों और फलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इन निर्यातों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

मद	मात्रा	मूल्य
पुष्प उत्पाद	—	1003 लाख रु०
फल	24800 टन	2985 लाख रु०

(ग) अनुमानों के अनुसार, पुष्पोत्पादन तथा ताजे फलों के निर्यात क्रमशः 15 करोड़ तथा 60 करोड़ रु० के होने का अनुमान है।

न्यायालयों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लम्बित मामले

9638. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एसोसिएशन के विरुद्ध कितने वैधानिक मामले/याचिकाएं/मुकदमें लम्बित पड़े हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन वैधानिक मामलों पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलधर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी एसोसिएशन के विरुद्ध उसने केवल एक मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में व्यादेश जारी कर दिया है। अखिल भारतीय वित्त निगम कर्मचारी एसोसिएशन के कुछ सदस्य ने कथित रूप से न्यायालय के व्यादेश की अवहेलना की है, जिसके विरुद्ध भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने न्यायालय की अवमानना के लिए आवेदन दायर किया है। यह आवेदन भी लम्बित पड़ा है।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी एसोसिएशन ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विरुद्ध 5 मामले दायर किए हैं। इनमें से 2 दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित हैं तथा एक-एक उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली में लम्बित हैं।

(ख) अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी एसोसिएशन के विरुद्ध दायर मामलों पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान किया गया कुल कानूनी व्यय 14,268.25 रुपए हैं। अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के विरुद्ध दायर किए मामलों पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किया गया कानूनी व्यय 1,36,876 रुपए हैं।

भारतीय समुद्री क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ना

9639. **डा० राजगोपालन श्रीधरण** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय समुद्री क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में तट रक्षकों की क्षेत्रीय पूर्वी कमान ने सरकार को कोई सूचना दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) विदेशी मछुआरों द्वारा समुद्र में भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने की घटनाओं के बारे में संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय नियमित रूप

से तटरक्षक मुख्यालय और फिर रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजता रहता है। यद्यपि वर्ष 1992 के दौरान तटरक्षक ने भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कई विदेशी जलयानों को मछली पकड़ते हुए पकड़ा लेकिन यह बताना संभव नहीं है कि इस बात से यह मालूम पड़ता हो कि विदेशी मछुआरों की हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधि में कोई वृद्धि हुई है।

(घ) तटरक्षक संगठन के पोत और वायुयान भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां विदेशी मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं, बराबर नजर रखते हैं ताकि उन्हें मछली पकड़ने से रोका जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर पुलों का निर्माण

9640. **श्री पी०सी० थामस :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर, विशेष रूप से कोचीन से मुवत्तुपुझा और मुवत्तुपुझा से नेरियामंगलम मार्ग पर, निर्माण किये जाने वाले पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग के इस क्षेत्र को चौड़ा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वार्षिक योजना 1992-93 के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर किसी पुल के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग का चरणबद्ध रूप से सुधार करने के लिए, सर्वेक्षण और अनुसंधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के चयनित प्रखंडों को चौड़ा और विकसित करने के लिए वार्षिक योजना 1992-93 में 200 लाख रु० की राशि भी प्रदान की गई है।

ऊन को कृषि उत्पाद के रूप में घोषित करना

9641. **श्री अमन्द रत्न मौर्य** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊन विकास बोर्ड द्वारा की गई मांग के संदर्भ में ऊन को कृषि उत्पाद के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घोषणा के पश्चात् क्या सुविधाएं दी जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) ऊन कृषि उत्पाद के रूप में घोषित हो जाने के पश्चात इसे वे सभी रियायतें दी जाएंगी जो अन्य कृषि उत्पादों को दी जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशियों की गिरफ्तारी

9642. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कितने विदेशी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई राजनयिक भी तस्करी में लिप्त पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के तहत गिरफ्तार विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या
1989 . . .	398
1990	496
1991 (24-4-92 तक)	133 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) उपलब्ध रिपोर्टों से इन मामलों में किसी विदेशी राजनयिक के शामिल होने का पता नहीं चलता है ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन

[हिन्दी]

9643. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के संगठनात्मक ढांचे और कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में की गई सिफारिशों का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (घ) सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है । फिर भी, एन०टी०सी० ने सितरा (साउथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च

एसोसिएशन) से एक अध्ययन करवाया है, जिसने एन०टी०सी० की सभी मिलों में अधिक श्रमिक होने के बारे में बताया है। अध्ययन के आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत एन०टी० सी० द्वारा प्रतिपूर्ति प्रदान पर अधिक पाए गए श्रमिकों के सुव्यवस्थीकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। यह योजना अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ कामगारों पर भी लागू होती है।

जापानी सहयोग सहायता

[अनुवाद]

9644. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्री महोदय हाल ही में जापान की यात्रा पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने किस प्रकार की और कितनी जापानी सहायता तथा सहयोग मांगा; और

(ग) इस यात्रा के दौरान जो विचार-विमर्श हुआ उसके क्या परिणाम निकले।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) जापान सरकार से सहायता के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने तथा तीव्र संवितरण सहायता के रूप में इसका पर्याप्त अनुपात प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था। सरकार की नई आर्थिक नीतियों की चर्चा शीर्ष जापानी व्यापारियों से एक सेमिनार में की गई थी।

(ग) जापान में, राजनीतिक और व्यापारिक दोनों स्तरों पर भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की प्रशंसा हुई है। भारत के आर्थिक भविष्य के बारे में जापानी व्यापारिक समुदाय का वर्तमान मूल्यांकन अनुकूल है। यह मान्यता है कि वृहद आर्थिक सुधार क्रियान्वित करने वाले देशों को सांक्रांतिक समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। जापानी प्राधिकारियों का शीघ्र संवितरण सहायता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख है और इस संबंध में वे हमारे अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में भारतीय मामले को अनवरत समर्थन देने का भी आश्वासन दिया है।

कम्पनियों में प्रबंधकीय पद पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा

9645. **श्री गुरदास कामत** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में कम्पनियों में प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा में रियायत दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की सहायक कम्पनी है, में प्रबन्धकीय कार्मिकों, अर्थात प्रबन्धकीय या पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबन्धक [जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-2 की उपधारा (24) में परिभाषित किया गया है], की नियुक्ति को अधिनियम की अनुसूची-XIII के साथ पठित धारा 269 द्वारा विनियमित किया जाता है। अनुसूची XIII जो 15-6-88 को लागू हुई थी के भाग 1 के पैराग्राफ-1 के उपपैराग्राफ (ग) के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो अथवा जो 65 वर्ष की आयु पहले ही पूरी कर चुका हो वह प्रबन्धकीय कार्मिक की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था जब तक कि ऐसी नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो। इस प्रकार की प्रबन्धकीय नियुक्तियों के संबंध में कम्पनियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन की गुंजाइश को बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र में 18 सितम्बर, 1990 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०आ० 723 (अ) द्वारा आयु की 30 वर्ष की निम्न सीमा को 25 वर्ष और आयु की ऊपरी सीमा को 65 वर्ष से 70 वर्ष तक संशोधित किया था।

राज्य व्यापार निगम का कार्यनिष्पादन

9646. **श्री अम्मा जोशी :**
डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात-निर्यात नीति (अप्रैल 1992–मार्च 1997) के तहत राज्य व्यापार निगम की क्या स्थिति है;

(ख) जैसाकि दिनांक 13 अप्रैल, 1992 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में बताया गया है कि क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम की कार्यक्षमता में भारी गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) के 1990-91 में हुए 1756 करोड़ रु० के कारोबार की तुलना में 1991-92 में 1252 करोड़ रु० का कारोबार होने का अनुमान है। तथापि 1990-91 में हुए 369 करोड़ रु० के निर्यात कारोबार की तुलना में 1991-92 में 623 करोड़ रु० का निर्यात होने की संभावना है। 1991-92 में एस०टी०सी० के कारोबार में कमी पूरक रूप से सारणीकृत आयातों में तेजी से हुई गिरावट के कारण हुई।

वर्तमान निर्यात-आयात नीति में लागू किए गए उदारीकृत व्यापार नीति उपायों के संदर्भ में, जिसमें निर्यात और आयात की कुछ मदों को असारणीकृत किया गया है, एस०टी०सी० ने अपने निगमित उद्देश्यों का सरकार की स्वीकृति से पुनः प्रतिपादन किया है जिससे कि यह मुख्य रूप से असारणी-

बद्ध व्यापार पर आधारित प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाला एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घराना बना सके। असरणीयत के कारण कम हुए कारोबार के परिप्रेक्ष्य में एस०टी०सी० अपनी बेशी मानव शक्ति को व्यापार के नए क्षेत्रों में पुनः तैनात करके अपनी अतिरिक्त खर्च को कम करने का प्रयास भी कर रहा है ।

"आयरन स्क्रैप" का आयात

9647. **श्रीमती चन्द्र प्रभा उर्मलिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान "आयरन स्क्रेप" का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका आयात कितनी मात्रा में तथा किन-किन देशों से किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान विदेशी मुद्रा की बचत करने हेतु उक्त आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लि० मि० (एम०एस० टी०सी०) नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने 1991-92 के दौरान अनुषंगी इस्पात क्षेत्र में उपयोग किए जाने हेतु करीब 2.80 लाख मी० टन कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रेप का आयात किया है। स्क्रैप का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका और चैकोस्लोवाकिया सहित कुछ यूरोपीय देशों से किया गया है ।

(ग) उन आयातों पर लगभग 106 करोड़ रु० की मुक्त विदेशी मुद्रा तथा सरकार द्वारा एस०एस०टी०सी० को किए गए आबंटन से 20 करोड़ रु० की आर०पी०ए० मुद्रा का व्यय हुआ है।

(घ) स्पंज लोहा, जो स्क्रैप का आंशिक स्थानापन्न है, के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। इस समय स्पंज लौहे की संस्थापित क्षमता लगभग 1.4 मिलियन मी० टन है और आठवीं योजना के अन्त तक इस क्षमता से बढ़कर 5.6 मिलियन मी० टन हो जाने की संभावना है ।

शेयरों के मूल्य

9648. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शेयरों में निवेश करने के इच्छुक लोगों को पिछले दिन के विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के शेयर मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि अधिकांश समाचार पत्र शेयर मूल्य की निश्चित तारीख को देखे बिना बहुत पिछले समय के शेयर मूल्यों को प्रकाशित कर देते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सेक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया द्वारा इस बारे में विभिन्न निवेशक संरक्षण उपायों और सुधारों के बारे में आम जनता को जानकारी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) पूर्ववर्ती दिवस के स्टाक एक्सचेंजों में शेयर की कीमतों से सम्बद्ध सूचना कई दैनिक समाचार पत्रों से प्रकाशित की जाती है। पूर्ववर्ती दिवस के शेयरों की कीमतों अथवा अन्तिम दिवस को किए गए लेन-देनों को सामान्यतया स्टाक एक्सचेंजों और वित्तीय दैनिकों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने हाल ही में "इंवेस्टर ग्रीवेन्सेज-राइट्स एण्ड रेमीडीज" पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है।

जनता कपड़े का उत्पादन

9649. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन हेतु कितना-कितना लक्ष्य रखा गया था और कितना-कितना प्राप्त कर लिया गया है :

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान जनता कपड़े का उत्पादन करने के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) सरकार ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) देश में गत तीन वर्षों में जनता कपड़ा उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और उसकी उपलब्धि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि (मिलियन वर्ग मीटर में)
1989-90	600	503.80
1990-91	600	47.15
1991-92	450	433.14 (अनुमानित)

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के लिए 450 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और चालू वर्ष में सबसिडी के रूप में दिए जाने के लिए 137.91 करोड़ रु० की राशि बजट में आवंटित की गई है।

(घ) प्रत्येक कार्यान्वयन राज्य में कार्य कर रही राज्य स्तर की कार्यान्वयन समितियां कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए जा रहे उत्पादन कार्यों की निरंतर समीक्षा करती हैं ताकि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।

उड़ीसा में गुनपुर कस्बे के निकट पुलों का निर्माण

9650. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुनपुर के निकट बंशधरा नदी पर किए जा रहे पुल निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राज्य और आर्थिक महत्व के कार्यक्रम के अंतर्गत पुल निर्माण के लिए धनराशि आवंटित कर दी है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) पुल निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उड़ीसा में कोरापुट जिले में गुनपुर कस्बे के निकट बंशधरा नदी पर एक पुल का निर्माण कार्य अब तक लगभग 60% पूरा हो चुका है ।

(ख) और (ग) आर्थिक और अन्तर्राज्यीय महत्व की स्कीम के तहत इस पुल के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से की 108 लाख रु० की समस्त राशि जारी की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भी इस पुल पर मार्च, 1992 के अन्त तक लगभग 401 लाख रु० की राशि खर्च की है ।

(घ) इस पुल के मार्च, 1993 तक पूरा होने की संभावना है ।

वस्त्र उद्योग में विदेशी मुद्रा का अर्जन

9651. **श्री जगमीत सिंह बरार :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन देकर विदेशी मुद्रा की विशाल राशि अर्जित करने की काफी क्षमता है;

(ख) क्या देश में कुल औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत उत्पादन वस्त्र उद्योग क्षेत्र में किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले वर्षों के दौरान निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु इस उद्योग के लिए उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में वस्तुओं का कितनी अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन और निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) निर्यात बढ़ाने के लिए वस्त्र क्षेत्र में अच्छी संभावना है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) सरकार ने वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल है : रियायती शुल्क पर वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति, विदेशों में क्रेता-विक्रेता

बैठकों तथा मेलों का आयोजन, उपयुक्त कोटा नीति संबंधी उपायों के जरिए विनिर्माता निर्यातक तथा गैर-कोटा निर्यातकों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना आदि। वस्त्र निर्यात जो कि वर्ष 1990-91 में 9932 करोड़ रु० मूल्य के हुए, वर्ष 1991-92 में बढ़कर 14379 करोड़ रु० (अनंतिम) मूल्य के हुए। इस प्रकार इनमें 44.8% की वृद्धि हुई।

विदेशी चाय बाजार में भारत का नियंत्रण बनाए रखना

9652. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टी टाइम मैगजीन" में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक चीन विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश हो जाने तथा शीघ्र ही उसके द्वारा विश्व चाय बाजार में भारत को पछाड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? विदेशी चाय बाजार में भारत का नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) टी टाइम मैगजीन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस शताब्दी के अन्त तक चीन द्वारा चाय के उत्पादन और निर्यात का अनुमान क्रमशः 700 मि०कि०ग्रा० और 250 मि०कि०ग्रा० है जबकि चाय बोर्ड द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार भारत में यह क्रमशः 1000 मि० कि०ग्रा० और 275 मि० कि०ग्रा० होगा। इस प्रकार 2000 ई० तक चीन द्वारा चाय के उत्पादन और निर्यात में भारत को पीछे छोड़ने की कोई संभावना नहीं है। भारत ने न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार शेयर बनाए रखने के लिए भी चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन योजनाएं बनाई हैं। इनमें चाय बागान के अन्तर्गत नए क्षेत्रों को लाना, पुरानी चाय झाड़ियों के स्थान पर अधिक उपज देने वाली किस्मों का पुनर्रोपण करना उन्नत कृषि कार्य व्यवस्था अपनाना, आदि शामिल हैं।

एस० ई० ई० यू० वाई० के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता

1653. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में बिहार में और किशनगंज, पूर्णिया तथा अररिया के तीन जिलों में एस०ई०ई०यू० वाई० योजना के आरम्भ होने से लेकर 31 मार्च, 1992 तक इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष कितने मामलों को मंजूरी दी गई और कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(ख) 31 मार्च, 1992 तक इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के लिए बिहार के लिए और तीन जिलों के लिए कुल कितनी धनराशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इलबीर सिंह) : (क) सम्पूर्ण देश तथा बिहार राज्य में इस योजना के शुरू होने से अर्थात् 1983-84 से 1990-91 तक (अद्यतन उपलब्ध) शिक्षित

बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए मामलों की संख्या तथा स्वीकृत धनराशियां निम्नानुसार हैं :—

(लाख रुपए)

वर्ष	अखिल भारतीय		बिहार	
	स्वीकृत मामलों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत मामलों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1983-84	2,42,405	40154.05	14,230	2278.64
1984-85	2,28,800	42952.72	14,806	2674.97
1985-86	2,20,724	42909.22	26,376	5055.03
1986-87	2,16,956	46990.78	22,560	5460.78
1987-88	1,20,224	25976.44	12,025	2826.84
1988-89	1,91,956	40460.61	19,669	4804.04
1989-90	1,06,561	22801.04	9,176	2342.91
1990-91	1,00,100	22097.07	11,545	3005.63

पिछले वर्षों के लिए प्रश्न में उल्लिखित जिलों के लिए ऐसी ही सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासम्भव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना प्रणाली से वसूली को राज्यवार तथा जिलावार प्राप्त सूचना नहीं होती है। तथापि, सम्पूर्ण देश के लिए योजना के अन्तर्गत मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत जून, 1989 के अंत की स्थिति के अनुसार 26.15% तथा जुलाई, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार 20.82% है।

महाराष्ट्र में जीवन-बीमा निगम द्वारा दावे सम्बन्धी मामलों का निपटारा

9654. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने दावे निपटारे हेतु लंबित हैं तथा जिनके संदर्भ में निगम ने मुकद्दमेबाजी शुरू कर दी है;

(ख) एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्षों से कितने-कितने दावे निपटारे के लिए लंबित हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) महाराष्ट्र के विभिन्न कार्यालयों में 293 मामले लंबित हैं जिनमें से 22 मामले उपभोक्ता मंचों/आयोगों के समक्ष विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) 2484 दावे एक वर्ष से भी अधिक अवधि से तथा 1815 दावे दो वर्षों से भी अधिक अवधि से कई कारणों से अभी तक लंबित हैं, इन कारणों में प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का पूरा न करना, दावेदारों/पालिसीधारकों का अपने दिए गए पतों पर उपलब्ध न होना, जांच-पड़ताल का पूरा न होना तथा कानूनी, मुद्रा नियंत्रण तथा अन्य मामलों सम्बन्धी बातें शामिल हैं। तीन वर्षों से अधिक अवधि से लंबित पड़े मामलों के आकड़ें रिकार्ड नहीं किए जाते क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं।

(घ) दावों के शीघ्र निपटान के लिए, जीवन बीमा निगम लम्बी अवधि से लंबित मामलों को न्यायालय से बाहर ही निपटाने की संभावना का पता लगाता है। छः महीनों से अधिक अवधि से छानबीन पूरी न हो पाने के कारण लंबित पड़े मामलों तथा ऐसे व्यक्तिगत मामलों, जिनका निपटान एक वर्ष के अन्दर नहीं हो पाता, के पुनरीक्षण के लिए निगम की अपनी ही क्रियाविधि है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने मंडलीय कार्यालयों के दौरे के समय ऐसे मामलों का पुनरीक्षण करते हैं जिन्हें मंडलीय कार्यालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है जिससे दावेदारों के प्रति उचित व्यवहार को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का रोजगार

9655. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न रक्षा संस्थानों में कौन-कौन से व्यवसायों में प्रशिक्षुता सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इन पर वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) इस अवधि के दौरान इन संस्थानों से कितने प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए;

(घ) इस अवधि के दौरान कितने प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को रक्षा संस्थानों में रोजगार दिया गया; और

(ङ) ऐसे सभी प्रशिक्षार्थियों को जिन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षुता उत्तीर्ण की है रोजगार देने की सरकार की योजना क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में खर्च की गई राशि क्रमशः 95.12 लाख 107.19 लाख 115.07 लाख रुपए है।

(ग) इन तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या 1989-90 में 1487, 1990-91 में 1268 और 1991-92 में 1358 है।

(घ) सम्बन्धित उपक्रमों में नियुक्त किए गए प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या 1989-90 में 225, 1990-91 में 393 और 1991-92 में 585 है।

(ङ) सरकार इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि प्रशिक्षु अधिनियम, 461 के अन्तर्गत प्रशिक्षित सभी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दी जाए। तथापि, रिक्तियां उपलब्ध होने पर प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के मामलों में नियुक्तियां दिए जाने पर विचार किया जाता है।

विवरण

(क) आयुध निर्माणियां :

1. फिटर	2. टर्नर	3. मशीनिष्ट
4. पैटर्न मेकर	5. मोल्डर	6. शीट मैटल वर्कर
7. वैल्डर	8. वायर मैन	9. कारपेंटर
10. टूल व डाईमेकर	11. इंस्ट्रूमैंट मैकेनिक	12. मैकेनिक (मोटर वाहन)
43. टेलर	14. फुटवियर मेकर	15. आरमेचर वाइंडर
16. मैकेनिक सिलाई मशीन	17. फिनीस्ड लेदर मेकर	18. पलम्बर
19. ओप्टीकल वर्कर	20. मिलराइट मैनटेनेंस मैकेनिक	21. बायलर अटेंडेंट
22. स्विच बोर्ड अटेंडेंट	23. फरनेस आपरेटर	24. स्टील मेल्टिंग हैंड
25. इलेक्ट्रानिक मैकेनिक	26. इलेक्ट्रिशियन	27. मैकेनिक मैनटेनेंस (कैमिकल प्लांट)

(ख) सेना बेस वर्कशाप :

1. वाहन मैकेनिक	2. इंजीनियरी उपस्कर मैकेनिक	3. दूरसंचार मैकेनिक
4. इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक	5. इलैक्ट्रिशियन (वाहन)	6. फिटर
7. आर्मरर	8. मशीनिष्ट	9. मिलराइट मैकेनिक
10. ग्राइंडर प्रीसिजन	11. टर्नर	12. टूल मेकर
13. टिन व कापर स्मिथ	14. वैल्डर	15. इलेक्ट्रिशियन (पावर)
16. डीजल मैकेनिक	17. कम्प्यूटर आपरेटर	18. ड्राफ्ट्समैन

(ग) नौसेना डाकयार्ड और नौसेना के बेस मुरम्मत संगठन :

1. इलेक्ट्रिशियन	2. गैस टरबाइन फिटर	3. फिटर
4. टर्नर	5. डीजल मैकेनिक	6. क्रेन आपरेटर
7. वैल्डर	8. रीगर	9. रेफरीजेशन व एयरकंडीशनिंग मैकेनिक
10. शिपराइट व मैनटेनेंस मैकेनिक	11. इंजन फीटर	12. शिप फीटर
13. रेडार फीटर	14. मशीन कंट्रोल फीटर	15. सोनार फीटर
16. इलेक्ट्रानिक फीटर		

इक्विटी शेयर जारी करना

9656. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मिनरल एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को पूंजी बाजार में इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देने के प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में आर्थिक सुधारों का अध्ययन

9657. **श्री आर० सुरेश रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे देशों की तुलना में भारत के आर्थिक सुधारों का अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने अन्य देशों के आर्थिक सुधारों की तुलना में भारत के आर्थिक सुधारों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया है ।

परन्तु, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ने "विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रोत्साहन और प्रतिबन्ध" शीर्षक से एक अनुसंधानात्मक अध्ययन आरम्भ किया है । अध्ययन परियोजना में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड, कोरिया आदि जैसे देशों में नीतिगत वातावरण के परिप्रेक्ष्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अध्ययन पर विचार किया गया है ।

योजना आयोग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के लिए उदारीकरण (आर्थिक और वित्तीय) पर एक दूसरा अध्ययन शुरू किया गया है । यह अन्य बातों के साथ-साथ नई औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश संघ और सफल लेटिन अमेरिकी देशों में उदारीकरण प्रक्रियाओं के अनुभवों का अध्ययन करेगा और विश्वव्यापी वित्तीय बाजारों के साथ निकटतम संबंध बनाते हुए, ऐसे बढ़ते हुए व्यापार, उद्योग तथा वित्त के अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने हेतु भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगा ।

इस्पात का निर्यात

[हिन्दी]

9658. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्कों के स्थान पर इस्पात का निर्यात करके लाभ में होने वाली वृद्धि के प्रतिशत का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह मूल्यांकन किये गये लाभ से कितने प्रतिशत वृद्धि होगी; और

(ग) सरकार ने लौह-अयस्क का निर्यात कम करने तथा इस्पात का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान नरम इस्पात के निर्यात से प्रति टन निर्यात अर्जन लौह-अयस्क के प्रति टन निर्यात अर्जन से अधिक था जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से परिलक्षित होता है :

रु०/मी० टन

वर्ष	लौह आयस्क	नरम इस्पात
1990-91	330	5820
1991-92	490*	7401**

*दिसम्बर 1991 तक
**जनवरी 1992 तक

(ग) इस्पात के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है :-

(1) इस्पात बनाने के लिए कच्चे माल तथा मध्यवर्ती सामान पर आयात शुल्क में कटौती।

(2) इस्पात निर्माताओं के गुणवत्ता सुधार तथा इस्पात लागत में कमी लाने के लिए आधुनिक उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति देना।

(3) निर्धारित नीति के अनुसार अग्रिम लाइसेंसिंग के जरिए निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात।

(4) निर्यात अर्जन के 60% को बाजार दर पर विदेशी मुद्रा में बदलना।

(5) सभी प्रकार के इस्पात के निर्यात पर से पूरी तरह से नियंत्रण हटाना।

(6) लौह तथा इस्पात की लाइसेंसिंग तथा विनियमन को समाप्त करना ताकि प्रतिस्पर्धी वातावरण बन सके तथा कार्यनिष्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हो सके।

उच्च मूल्य वर्द्धित उत्पादों का निर्यात

9659. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में से उच्च मूल्य वर्द्धन से निर्मित सामान की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस सामान के निर्यात सम्वर्द्धन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1990–91 तथा अप्रैल–जनवरी 1991–92 के दौरान मूल्य वर्द्धित निर्मित सामान हमारे कुल निर्यातों का लगभग 81% बैठता है।

(ख) जुलाई 1991 से व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन किए गए थे जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को पर्याप्त मात्रा में समाप्त करना तथा आयात टैरिफ ढांचे को सुव्यवस्थित करना है। 1992–93 के बजट में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया ताकि विदेशी मुद्रा उपार्जन और मूल्यवर्द्धित मदों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। इन्हें 31 मार्च, 1992 को घोषित नई निर्यात-आयात नीति में और भी सुदृढ़ किया गया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की उत्पादन क्षमता, आधुनिकीकरण और प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ावा देना है और इस प्रकार उसकी निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अन्य उपाय भी किए जिनमें शामिल हैं : लाइसेंसिंग के माध्यम से नियंत्रणों को कम करना, निर्यात संबंधी क्रियाविधियों का सरलीकरण, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ परस्पर कार्यवाही आदि।

चमड़े का निर्यात

[अनुवाद]

9660. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 के दौरान सरकार को चमड़े तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात करने के लिए कितने आर्डर प्राप्त हुए और ये कितने मूल्य के थे;

(ख) क्या इन सभी आदेशों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) संबंधित निर्यातक कम्पनियों द्वारा अलग-अलग आदेश प्राप्त किए जाते हैं तथा अनुबंध किए जाते हैं और उन्हें सम्पन्न किया जाता है/किए जा रहे या सम्पन्न किए गये ऐसे अनुबंधों का सरकार कोई लेखा-जोखा नहीं रखती है। फिर भी चमड़ा निर्यात परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित निर्यातकों द्वारा अनुबंध-संबंधी सभी दायित्व समय पर पूरे किए गए हैं। मूल्य के रूप में चमड़ा तथा चर्म उत्पादों का निर्यात 1990–91 में निम्नानुसार था :

क्रम सं०	मद	निर्यात (करोड़ रु० में)
1.	अर्द्ध-परिष्कृत चमड़ा	3.97
2.	परिष्कृत चमड़ा	765.62
3.	चमड़े के जूते	221.15
4.	जूतों के संघटक	575.29
5.	चमड़े की पोशाकें	579.20
6.	चमड़े के सामान	408.62
	योग	2553.85

स्रोत :—चमड़ा निर्यात परिषद।

2553.85 करोड़ रु० के कुल निर्यात में से 2221.33 करोड़ रु० का निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र को हुआ जिससे 1233.44 मिलियन अमरीकन डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

चमेली के फूलों का निर्यात

9661. **डा० श्रीमती के० एस० सौन्दम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चमेली के फूलों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें चमेली के फूलों का निर्यात किया गया; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चमेली के फूलों का, राज्य-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कट फ्लावर और चमेली सहित फूल की कलियों का निर्यात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यू०के०, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ओमान, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि को निर्यात किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के निर्यात का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

*1988-89	–	92.45 लाख रु०
**1989-90	–	27.30 लाख रु०
***1990-91	–	260.29 लाख रु०

स्रोत :—*वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय

**कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में निर्यातकों द्वारा दर्ज किए गए विवरण

***निर्यात आंकड़े किस्म वार/राज्य वार नहीं रखे जाते हैं और इस प्रकार चमेली के फूलों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां

9662. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बुनकरों की प्राथमिक सहकारी समितियों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या राज्य में कच्चा माल उपलब्ध न होने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं : और

(ग) यदि हां, तो समितियों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय उड़ीसा में 774 प्राथमिक बुनकर सरकारी समितियां हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मास्टर शेयर प्लस यूनिट योजना

9663. **श्री मोहन रावले :**
श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने कुछ प्रमुख एजेंटों द्वारा हाल ही में बन्द हुई वृद्धि योजना मास्टर शेयर प्लान में शेयर बेचने के मामले में 2.5 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच अब तक पूरी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की काली सूची में रखे गए एजेंटों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस धोखाधड़ी में बैंक के कुछ कर्मचारी भी लिप्त पाए गए हैं;

(च) क्या तथ्यों का पता लगाने हेतु मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (छ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट इस मामले की जांच कर रहा है। दिल्ली स्थित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की शाखा में मास्टर प्लस यूनिट स्कीम, 1991 के लिए, 31 दिसम्बर, 1991 को इस योजना के बन्द होने के बाद 897 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न चैकों की कीमत 2.61 करोड़ रुपए थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने उन सभी आवेदकों को जिनके आवेदन पत्र अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त हुए थे, सलाह दी कि प्रथम दृष्टया उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जा सकते। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने ऐसे 45 एजेंटों की सेवाएं समाप्त कर दी जिन्होंने योजना की समाप्ति के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में पक्ष-प्रचार किया था। नई दिल्ली कार्यालय के कुछ ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त जांच प्रारम्भ कर दी गयी है जिन्हें प्रथम दृष्टया इस मामले में सम्बद्ध पाया गया। चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सतर्कता सैल ने पहले से ही इस मामले की जांच प्रारम्भ कर दी है, इसलिए इस समय इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने का प्रस्ताव नहीं है।

एम०ई०एस० कोचीन में निर्माण कार्य

9664. **प्रो० के० पी० थाम्** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०ई०एस० कोचीन में सिविल कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो कोचीन में एम०ई०एस० में सिविल कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

(ग) क्या यहां मरम्मत के लिए लाए गए हेलीकाप्टरों की दुर्घटना के संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) सैन्य इंजीनियरी सेवा, कोचीन में सिविल कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि कोचीन में एक हैंगर के निर्माण स्थल पर एक दुर्घटना हुई थी जिसकी जांच-अदालत द्वारा छानबीन की जा रही है। कोचीन में मरम्मत किए जा रहे हेलीकाप्टरों की ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है जिसे सैन्य इंजीनियरी सेवा द्वारा किए गए असंतोषजनक सिविल कार्यों के कारण हुआ माना जा सके।

अफीम का उत्पादन

9665. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अफीम का उत्पादन आमतौर पर सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकता से अधिक होता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके फालतू उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारत में अफीम का उत्पादन मुख्यतया निर्यात प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यद्यपि इसके एक भाग को अल्कालायड पदार्थ प्राप्त करने के लिए सरकारी अफीम और अल्कालायड वर्क्स में भी उपयोग में लाय जाता है। अफीम के भारतीय निर्यातों पर पिछले दशक के दौरान वैकल्पिक सस्ती कच्ची सामग्री अर्थात् पोस्त-तिनके के सांद्रण (सी०पी०एस०) के उपलब्ध होने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्वापक कच्ची सामग्री की अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रत्याशा के अनुकूल मांग नहीं बढ़ी है जिसके फलस्वरूप उत्पादन और खपत के बीच गंभीर असंतुलन पैदा हो गया और इसके परिणामतः भारत में अफीम का स्टाक बढ़ गया। तदनुसार, पिछले काफी समय से पोस्त की खेती के क्षेत्र को काफी कम किया गया था। इससे जरूरत से अधिक उत्पादन पर रोक लगाने में सहायता मिली है और अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जिसमें देश में अफ़ीम का वार्षिक उत्पादन वार्षिक आवश्यकता से अधिक नहीं होता है।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौ परिवहन सुविधा

[हिन्दी]

9666. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 के प्रस्ताव के अन्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक पर नौ परिवहन सुविधाएं अभी प्रदान की जानी हैं,

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अब तक किए गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम लोगों को ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान जल मार्ग के हल्दिया-बलिया खंड में 1.5 मीटर गहरा और 45 मीटर चौड़ा नौचालन चैनल उपलब्ध कराया गया था। नौचालन चैनल को दिन नौचालन के लिए चिन्हित (मार्क) किया गया था। कार्गो के लदान/उतराई को सुविधाजनक बनाने के लिए भागलपुर, मुंगेर और पटना में टर्मिनल सुविधाओं को बनाए रखा गया था। 4.90 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से पटना में एक सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण की एक स्कीम सितम्बर, 1991 में संस्वीकृत की गई थी। इस स्कीम को तीन वर्षों की अवधि में पूरा करने का निर्धारण किया गया है। तथापि राष्ट्रीय जलमार्ग पर नौवहन और नौचालन के लिए बैसल्स के प्रचालन की सुविधाएं पहले ही मौजूद हैं।

पश्चिमी बंगाल की निर्यात क्षमता

[अनुवाद]

9667. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार मेला प्राधिकरण ने पश्चिमी बंगाल की निर्यात क्षमता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानान्तरण

9668. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में गत ग्यारह महीनों के दौरान न्यायाधीशों की की गई नई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों के किये गये स्थानांतरणों का क्रमिक ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. 1-6-91 से अब तक भारत के उच्चतम न्यायालय में की गई न्यायाधीशों की नियुक्ति :—

1. न्यायमूर्ति श्री एस० मोहन
2. न्यायमूर्ति श्री बी० पी० जीवन रेड्डी
3. न्यायमूर्ति श्री जी०एम० राव
4. न्यायमूर्ति श्री डा० ए०एस० आनन्द
5. न्यायमूर्ति श्री आर० सी० पटनायक

2. 1-6-91 से अब तक उच्च न्यायालय में नियुक्त/स्थानांतरित न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित अवर न्यायाधीश :—

क्र० सं०	न्यायाधीश का नाम	नियुक्त किए गए/स्थानांतरित किए गए	
		से	को
	न्यायमूर्ति सर्वश्री		
1.	गोकल चन्द मित्तल	पंजाब और हरियाणा	(मु० न्या०) दिल्ली
2.	श्रीमती लीला सेठ	दिल्ली	(मु०न्या०) हिमाचल प्रदेश
3.	यू०एल० भट	केरल	(मु०न्या) गुवाहटी
4.	एम० जे० राव	आंध्र प्रदेश	(मु० न्या०) केरल
5.	बी० पी० सिंह	कर्नाटक	पटना
6.	बी० सी० वर्मा	मध्य प्रदेश	(मु०न्या०) पंजाब और हरियाणा
7.	एम० के० मुखर्जी	कलकत्ता	(मु०न्या०) इलाहाबाद
8.	एस०पी० भडुचा	मुंबई	(मु० न्या०) कर्नाटक
9.	बी० पी० सराफ	गुवाहटी	मुंबई
	बी० एम० मा जायस	कर्नाटक	(मु०न्या०)पंजाब और हरियाणा

(मु०न्या०) : मुख्य न्यायमूर्ति

बैंकों द्वारा नियमों का उल्लंघन

9669. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपेक्षित नकदी रिजर्व अनुपात और नकदी परिसम्पत्ति अनुपात पर जोर दिये बिना अत्याधिक राशि के ऋण जारी करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिन उक्त अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समय-समय पर जिस सांविधिक चलनिधि अनुपात और प्रारक्षित नकदी अनुपात को उसने निर्धारित किया है उसे कुछ बैंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि जिन बैंकों ने सांविधिक चलनिधि अनुपात या प्रारक्षित नकदी अनुपात प्राप्त नहीं किया है उन बैंकों की चूक के बारे में ब्यौरा प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

निर्यात आयात बैंक से झूठे प्राप्ति प्रमाण-पत्र का पता लगाना

9670. डा० राजगोपालन श्रीधरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक के मद्रास कार्यालय ने मार्च, 1992 के दौरान निर्यात आयात बैंक के झूठे प्राप्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित मामले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस लेन-देन में किसी अधिकारी को लिप्त पाया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं। एक्सिम बैंक, जैसा कि बताया गया है, कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते। फिर भी, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात मद्रास के कार्यालय ने ऐसे 49 मामले खोज निकाले हैं जहां एक्सिम स्क्रिप्स लाइसेंस ऐसे दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए हैं जिन्हें बाद में जाली पाया गया। ये लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस मामले की जानकारी उपयुक्त कार्रवाई के लिए पुलिस को भी दे दी गई है।

अधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापारियों को दिशानिर्देश

[हिन्दी]

9671. श्री नारायण भाई जमला भाई राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे कि अधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापारी नई उदारीकृत विदेशी मुद्रा दर प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत अपना कारोबार निपुणता से चला सकें;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) ये दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29-2-1992 को प्राधिकृत डीलरों को नए मार्ग निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद, प्राधिकृत डीलरों और निर्यातकों/आयातकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए बहुत से पूरक अनुदेश भी जारी किए गए हैं। इन मार्गनिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन के लिए प्राधिकृत किए गए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात संबंधी अदायगी संबंधी दायित्वों को पूरा करने के अतिरिक्त किसी अन्य मद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा की मांग नहीं करेंगे :—

(क) सरकारी विभागीय आवश्यकताएं जिनके लिए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदन दिया गया हो;

(ख) कच्चा तेल, डीजल, किरोसीन;

(ग) उर्वरक

(घ) एक्जिम स्क्रिप और अन्य आयात लाइसेंस, जिन्हें उनकी मूल्य सीमा तक एक्जिम स्क्रिप के बराबर मूल्य का समझा जाता है, के आधार पर किए जाने वाले आयातों के लिए विदेशी मुद्रा;

(ङ) अग्रिम लाइसेंसों, अग्रदाय लाइसेंसों के आधार पर किए गए आयातों तथा हीरों और आभूषणों के निर्यातों की पुनः पूर्ति हेतु किए जाने वाले आयातों के मूल्य के 40 प्रतिशत भाग तक की विदेशी मुद्रा; और

(च) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा अनुमोदित जीवन-रक्षक औषधियों/उपस्करों संबंधी आयात।

(ii) चालू लेखा लेनदेनों (माल निर्यातों और अदृश्य प्राप्तियां, दोनों ही) के अंतर्गत सभी प्राप्तियों को विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए प्राधिकृत बैंकों को सौंपना होगा। इन प्राप्तियों में-से 40 प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक दर पर तथा 60 प्रतिशत भाग बाजार दर पर सौंपा जाएगा। तद्नुसार, प्राधिकृत डीलर अपनी खरीद में से 40 प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक को आधिकारिक दर पर सौंपेंगे। शेष 60 प्रतिशत भाग वे अपने पास रख सकते हैं जिन्हें सभी स्वीकार्य लेनदेनों के लिए मुक्त बाजार दर पर बेचा जा सकता है।

(iii) सभी अदायगियां, जिनमें आयातों के लिए की जाने वाली अदायगियां भी शामिल हैं, [उपरिलिखित मद (i) के अंतर्गत शामिल अदायगियों को छोड़कर] बाजार दर पर की जाएंगी।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित सभी लेनदेन आधिकारिक दर पर किए जाएंगे।

(v) पूंजी लेखा संबंधी प्राप्तियां और अदायगियां मुक्त बाजार दर पर की जाएंगी।

(vi) 29 फरवरी, 1992 तक की गई अग्रवर्ती वचनबद्धताओं और स्वैप दायित्वों को संविदात्मक दरों के अनुसार पूरा किया जाएगा।

(vii) ए०सी०यू० देशों के साथ किए जाने वाले लेनदेन संबंधी विनिमय दरों को पहले की तरह से निर्धारित किया जाएगा।

(viii) द्विपक्षीय समूह वाले देशों के साथ लेनदेन पहले की तरह ही अपरिवर्तनीय रुपयों में किए जाएंगे।

(ix) चालू लेनदेनों के कारण विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वालों को अपनी प्राप्तियों के 15 प्रतिशत भाग को विदेशी मुद्रा खातों में रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे खातों की शेष राशियों को सभी चालू लेखा प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(x) भारतीय रिजर्व बैंक अपने विवेकानुसार, मुक्त बाजार दरों पर विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन कर सकता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

[अनुवाद]

9672. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन के संबंध में महंगाई भत्ते की प्रतिशतता और पेंशन के संबंध में देय महंगाई राहत की राशि विभिन्न राज्य सरकारों के समवर्ती कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को दी जाने वाली धनराशि की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकारों के कर्मचारियों के समतुल्य लाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तथा पेंशनभोगियों को महंगाई राहत मंजूर किए जाने की केन्द्रीय सरकार की खुद की अपनी स्कीम है जोकि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। यह स्कीम विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत मंजूर किए जाने के लिए अपनाई गई स्कीमों से अलग है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तुलनीय दरें रखी जाती हों।

राज्य व्यापार निगम को प्राप्त निर्यात संबंधी आदेश

9673. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम को प्राप्त निर्यात आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले छः महीनों के दौरान राज्य व्यापार निगम को कोई बड़ा निर्यात आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम को एक लाभकारी व्यापार गृह बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कुल निर्यात कारोबार नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(करोड़ रु०)
1989-90	752
1990-91	369
1991-92 (अनुमान) .. .. .. —	623

(ख) और (ग) मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली पिछली छमाही की अवधि के दौरान एस०टी०सी० का कुल निर्यात लगभग 400 करोड़ रु० है।

(घ) निर्यात, आयात और आन्तरिक व्यापार के क्षेत्रों में संचालनात्मक क्रियाकलापों के कारण एस०टी०सी० लाभ कमाने वाली कंपनी है।

पीयरलैस जनरल फायनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी

9674. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दि पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड में जनता ने कुल कितनी राशि का निवेश किया है; और

(ख) उक्त कम्पनी के प्रबन्धन बोर्ड में सरकार की ओर से कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इसहाक लिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लि० के दिनांक 31-3-91 की स्थिति के तुलन-पत्र के अनुसार कम्पनी ने सामाजिक कल्याण योजना निधि के अंतर्गत 1134.19 करोड़ रु० की देनदारी दिखाई है। तथापि, कम्पनी का तुलन-पत्र में उक्त निधि के अन्तर्गत कुल देनदारी कम्पनी की कुल जमाराशि की देनदारियों को नहीं दर्शाती है, क्योंकि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 23 मार्च, 1990 के आदेश की शर्तों के अनुरूप संविदात्मक देनदारी की संकल्पना का अनुसरण कर रही है। दिनांक 30 जनवरी, 1992 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी को दिनांक 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार अपनी कुल जमा संबंधी देनदारियों को बताने के लिये कहा है।

(ख) इस कम्पनी के प्रबन्धन बोर्ड में सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति नहीं है।

विदेशी शिपयार्डों के साथ सहयोग

9675. **श्री गुरुदास कामत :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी शिपयार्डों को भारतीय शिपयार्ड के साथ भागेदारी हेतु आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी शिपयार्डों को भारतीय शिपयार्डों के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। तथापि, मझगांव गोदी लिमिटेड, बम्बई ने भारत में पर्यटक अवगाहन क्षम (टूरिस्ट सबमर्सिबल्स) और समपोर्ट जहाजों की डिजाइनिंग, निर्माण और उपयोग के लिए भारत-रूस संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए रूस की एक फर्म के साथ सितम्बर, 1991 में आशय-नयाचार (प्रोटोकोल आफ इंटेंशन) पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। परियोजना की व्यवहार्यता को अंतिम रूप से स्वीकृति दिए जाने के बाद ही नई कम्पनी का वास्तविक पंजीकरण किया जाएगा।

कारों/जीपों का निर्यात

[हिन्दी]

9676. **कुमारी उमा भारती :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कारों और जीपों का निर्यात बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए सरकार का विचार क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि कारों और जीपों सहित निर्यात को बढ़ा दिया जाए।

(ख) कारों और जीपों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं में ये शामिल हैं :—

(1) शुल्क छूट योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्तियोजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात उत्पादन के लिए निर्विष्टियां उपलब्ध कराना;

(2) निर्यात दायित्व के बदले में रियायती आयात शुल्क पर निर्यात उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात की व्यवस्था करना;

(3) विकसित बाजारों में निर्यात की उत्पाद देयता को शामिल करने के लिए उत्पाद देयता बीमा की उच्च प्रीमियम की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करना;

(4) निर्यात से अर्जित पूरी आय को आयकर की लेवी से छूट ;

(5) हाल के बजट में 60% निर्यात आय के लिए बाजार विनिमय दरों पर परिवर्तनीयता का जो प्रावधान किया गया है उससे भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

जनता कपड़ों की कीमतों में वृद्धि

[अनुवाद]

9677. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता कपड़ों की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जनता कपड़े की कीमतों को नीचे लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जनता कपड़ा उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन अभिकरणों को अधिक लोचता देने के लिए भारत सरकार केवल मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है और राज्य सरकारों को वास्तविक विक्रय मूल्य में समय-समय पर संशोधन करने के लिए सुविधा उपलब्ध रहती है। यह विक्रय मूल्य कपड़े की बिक्री, सूत के मूल्य और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बुनकरों को दिए गए भत्तों पर निर्भर करता है। जनता कपड़े के विक्रय मूल्य में असमान्य वृद्धि, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, को रोकने के लिए मूल्यों में सीमा लगाने का प्रावधान है।

(ग) साधनों की कमी और सभी क्षेत्रों में सबसिडी को कम करने की सरकार की नीति को देखते हुए जनता कपड़े के उत्पादन मूल्य में हुई बढ़ोतरी के अनुपात में सबसिडी की दर में वृद्धि करना संभव नहीं हो सकेगा। तथापि जनता कपड़े का विक्रय मूल्य उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार ने यह निर्धारित किया है कि कार्यान्वयन अभिकरणों के ऊपरी खर्चे उत्पादन लागत के 25% से अधिक नहीं होने चाहिए।

इमारती लकड़ी का आयात तथा निर्यात

9678. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्यातित इमारती लकड़ी की मात्रा तथा एफ०ओ०बी० मूल्य तथा आयातित लकड़ी का सी० आई० एफ० मूल्य क्या हैं ;

(ख) प्रमुख आपूर्तिकर्त्ताओं तथा खरीददारों के नाम क्या हैं ; और

(ग) गुणवत्ता तथा अन्त्य उपयोग की दृष्टि से लकड़ी का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) विविध मदों (इमारती लकड़ी सहित) के वास्तविक निर्यात तथा आयात संबंधी आंकड़े मन्थली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इन्डिया वोल्यू-I (निर्यात) तथा वोल्यू-II (आयात) में प्रकाशित होते हैं। इसे वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा निकाला जाता है तथा इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार के आंकड़े इस प्रकार से नहीं रखे जाते हैं जिनमें आपूर्तिकर्त्ताओं, क्रेताओ तथा गुणवत्ता और अन्त्य प्रयोग के बारे में अलग-अलग ब्यौरे दिए गए हों ।

सोने की तस्करी

9679. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 1992 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गोल्ड स्मलिंग आन दि राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने स्वर्ण आयात नीति के लागू होने के बाद स्वर्ण तस्करी और हवाला कारोबार पर लगे नियंत्रण का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है ।

(ख) और (ग) पहली मार्च, 1992 से स्वर्ण आयात नीति को लागू किये जाने के पश्चात् इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मार्च, 1992 के दौरान 1.20 करोड़ रुपये* मूल्य के 40.1 किलोग्राम* वजन के निषिद्ध सोने के 14 अभिग्रहण तथा अप्रैल, 1992 के दौरान 1.53 करोड़ रुपये* मूल्य के 51.29 किलोग्राम* वजन के निषिद्ध सोने के 34 अभिग्रहण किये गये हैं । ये अभिग्रहण भारतीयों तथा विदेशी राष्ट्रिकों से किये गये हैं ।

(घ) और (ङ) 1.3.1992 से स्वर्ण आयात नीति को लागू किये जाने के पश्चात् सोने की तस्करी तथा हवाला कारोबार को किस सीमा तक रोकने में सफलता मिली है, इस बारे में इतनी जल्दी अभी अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है । तथापि, कुछेक शर्तों के अन्तर्गत असबाब के रूप में लाये जा रहे सोने पर सीमाशुल्क को परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्रति 10 ग्राम 450 रुपये से घटाकर प्रति 10 ग्राम पर 220 रुपये तक कम करके हाल में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ।

कम्पनियों द्वारा आवेदन धनराशि पर ब्याज न लौटाए जाने के बारे में शिकायतें

9680. **श्री राम नाईक** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान सरकार को निवेदकों द्वारा शेयरों/डिबेंचरों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख से दस सप्ताह के बाद भी आवेदन धनराशि तथा ब्याज को न लौटाये जाने के बारे में कम्पनी-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कितने मामलों में कार्रवाई की गई है;

(ग) कितने मामलों में दोषी कम्पनियों पर मुकदमे चलाये गये; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें ऐसी शिकायतें भी शामिल हैं जो आवेदन शुल्क और उस पर ब्याज की वापसी न करने से संबंधित हैं। तथापि, उल्लिखित स्वरूप की शिकायतों के संबंध में केन्द्र में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। किसी कम्पनी विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर मामलों पर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने और कम्पनी का जवाब प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गई थी ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आगे यथोचित कार्रवाई की जा सके।

(ग) और (घ) कम्पनी अधिनियम की धारा 73(2-क) के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी कार्य विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा संबंधित न्यायालयों में 3 कम्पनियों के बारे में अभियोग चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

बिहार को कानूनी अनुदान सहायता

[हिन्दी]

9681. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को राज्य में गरीब लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध करने के प्रयोजन से 1989-90 और 1990-91 के दौरान दी गयी कानूनी अनुदान सहायता 1988-89 में दी गई सहायता से कम थी, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) राज्य सरकार द्वारा, निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन

9682. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मार्च, 1992 के 'फाइनांसियल एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार विदेशी निवेश पर लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में विदेशी कम्पनियों द्वारा कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता

[अनुवाद]

9683. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री अचल कुमार पटेल :
श्रीमती चिमू कुमारी देवी :
श्री लाईमल मरराण्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक वर्ष 1992-93 के दौरान परियोजना सहायता के लिए एक बिलियन अमेरिकी डालर देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन सी परियोजनाओं पर इस सहायता राशि को व्यय किया जाएगा; और

(ग) इसमें से आंध्र प्रदेश के लिए कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वर्ष 1992 के दौरान जिन पांच परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है, उनमें से किन्हीं चार परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक ने 95 करोड़ अमेरिकी डालर तक की कुल सहायता का वचन दिया है । वर्ष 1992 की इन सभी पांच परियोजनाओं में विद्युत, ऊर्जा संरक्षण, पेट्रोलियम तथा पत्तन क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र हेतु एक संभावित कार्यक्रम ऋण शामिल हैं ।

आतिशबाजी के सामान/पटाखों का निर्यात

9684. **डा० श्रीमती के० एस० सौन्दरम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आतिशबाजी के सामान/पटाखों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अनुमान है कि वर्ष 1992-93 के दौरान आतिशबाजी के सामान/पटाखों का निर्यात 15.0 लाख रुपए का होगा ।

कोचीन पत्तन पर आग

9685 **प्रो० के०वी० थामस :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 में कोचीन पत्तन पर एस०सी०आई० जहाज से नेफथा बिखर जाने के कारण घटित आग की दुर्घटना की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) कोचीन पत्तन पर गत तीन वर्षों के दौरान हुई इस प्रकार की अग्नि दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) कोचीन पत्तन पर आग पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) कोचीन पत्तन के जल में नेफथा से उत्पन्न आग में क्षतिग्रस्त हुई समेकित मत्स्यपालन परियोजना की मत्स्य नौकाओं को कितना मुआवजा अदा किया गया; और

(च) इस आग के शिकार लोगों के निकट संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जुलाई, 1990 में एक ऐसी ही आग की दुर्घटना हुई थी। इस आग का कारण नेफथा था जो कार्गो टैंक से एम०वी० दादाभाई नोरोजी के पृथक्कृत ब्लास्ट टैंक में चला गया और वह पृथक्कृत ब्लास्ट टैंकों की जहाज द्वारा "डी-ब्लास्टिंग" के समय चैनल में बह गया। इस प्रकार से निकला हुआ नेफथा चैनल से कोचीन आयल टर्मिनल के रास्ते समुद्र में बह गया और इसका कुछ भाग कोचीन आयल टर्मिनल और रेत वाले किनारों को जोड़ने वाले बंधों के बीच के पानी के पिछले भाग में इकठ्ठा हो गया।

(घ) सभी तेल टैंकरों, विशेष रूप से नेफथा या स्पिरिट ढोने वाले जहाजों का निरीक्षण तेज कर दिया गया है। अतिरिक्त अग्नि शमन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। नौवाहन प्रदूषण विभाग को सुदृढ़ करने हेतु कार्रवाई की गई है।

(ङ) एकीकृत मत्स्य परियोजना के ट्रालरों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(च) अक्तूबर, 1991 में हुई आग की दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी को मानवीय आधार पर कोचीन पत्तन न्यास ने 25,000 रु० का मुआवजा दिया है।

गेहूं, तेल और कपास का आयात

9686. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान गेहूं, तेल और कपास का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अन्य किन-किन वस्तुओं का आयात किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करने का विनिश्चय किया है तथापि उसकी खरीद के लिए कोई आदेश नहीं दिया है। खाद्य तेल का आयात तथा उसकी मात्रा का निर्धारण एक सतत् प्रक्रिया है जो स्थानीय रूप से खाद्य तेल की उपलब्धता, उसकी कीमतों आदि जैसे संगत कारकों पर आधारित होता है। चालू वर्ष के दौरान रूई की 2 लाख गांठें आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान उच्च न्यायालय में कम्प्यूटरीकरण

9687. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार के समक्ष न्यायालयों का, विशेषकर राजस्थान और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालयों का, कार्य समय बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालयों में, विशेषकर राजस्थान उच्च न्यायालय में, अत्याधुनिक कम्प्यूटर सुविधा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी नहीं। राजस्थान और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों सहित उच्च न्यायालयों के कार्य समय स्वयं न्यायालयों द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) : राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करके, मामलों को शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए न्यायालयों में कम्प्यूटर और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपस्कर लगाने की साध्यता की जांच करें। मूलतः यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा विनिश्चय किया जाना है।

भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आवासीय बैंक द्वारा सहायता देना

[हिन्दी]

9688. **श्री नारायण भाई जमला भाई राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आवासीय बैंक की भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान वितरित राशि का राज्यवार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत मार्च, 1992 में पंजाब नैशनल बैंक आवासीय वित्त लिमिटेड द्वारा गुजरात में कितनी धनराशि वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भूमि विकास और आश्रय परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान बैंकों/आवास वित्त कम्पनियों की मार्फत संवितरित पुनर्वित्त को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) पंजाब नैशनल बैंक आवास वित्त लि० ने सूचित किया है कि उसने मार्च 1992 में भूमि विकास और आश्रय परियोजना के अन्तर्गत गुजरात में कोई राशि संवितरित नहीं की है।

विवरण

(करोड़ रु०)

कार्यकारी एजेंसी	संवितरित राशि
(1)	(2)
(क) सरकारी एजेंसी परियोजना	
1. मेरठ विकास प्राधिकरण	3.18
2. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	
(काठजू की बगिया)	4.03
(कालिंद पुरम)	1.77
3. गोरखपुर विकास प्राधिकरण	
(विकास नगर योजना)	2.42
4. आगरा विकास प्राधिकरण	
(कालिदी विहार परियोजना)	3.00
5. उ०प्र० आवास और विकास बोर्ड	
(वसुन्धरा परियोजना गाजियाबाद)	17.64
6. कर्नाटक आवास बोर्ड	2.00
7. गोवा आवास बोर्ड	
(कुर्ती पोंडा परियोजना)	1.83
8. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	
(इन्दिरा पुरम)	5.00

1	2
9. मध्य प्रदेश आवास बोर्ड (हीरापुरी, रायपुर) (सुल्तानाबाद) (दामतरी, रायपुर और लहरपुर)	1.87
योग (क)	42.74
(ख) किराया आवास परियोजना	
गुजरात राज्य पुलिस आवास निगम (वडोदरा)	0.30
(ग) व्यावसायिक विकासक	
सत्यम गृह प्रा० लि० (हैदराबाद-आन्ध्र प्रदेश)	0.70
कुल : (क)+(ख)+(ग) :	43.74

इजरायली व्यापार मिशन का दौरा

[अनुवाद]

9689. **श्री अवण कुमार पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायली व्यापार मिशन हाल में भारत के दौरे पर आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके साथ क्या विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) उक्त देश के साथ विशेषत: आगामी वर्ष में और सामान्यत: दीर्घावधि में व्यापार क्षमता का क्या मूल्यांकन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) इजराइल एक्सपोर्ट इन्स्टीट्यूट के महानिदेशक श्री डेविड लिटवाक के नेतृत्व में एक इजरायली व्यापार मिशन ने भारत का दौरा किया और फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट के अनुसार यह दल 30 और 31 मार्च, 1992 को दिल्ली में रहा । इस व्यापार मिशन ने उपर्युक्त उद्योग संघों के साथ विचार विमर्श किया । यह विचार विमर्श व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों के संबंध में था । यह विचार विमर्श अन्वेषी प्रवृत्ति का था और इस समय इन प्रारंभिक विचार विमर्शों के आधार पर इजराइल के साथ व्यापार की संभावनाओं का आकलन करना संभव नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के शेयरों की बिक्री से हानि

9690. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के अब तक कितने शेयरों की बिक्री की गई है;

(ख) क्या सरकार को उससे भारी हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों के शेयरों के आंकलन हेतु सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाया है; और

(ङ) सरकार का भविष्य में इस प्रकार की हानियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न परियोजनाओं के लिए जापानी सहायता

9691. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने दिल्ली में जापान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक स्तरीय बैठक की गई थी तथा बक्रेश्वर विद्युत परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए जपानी सहायता की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श से क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :(क) जी, हां।

(ख) हमने वर्ष 1992 के जापानी समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि ऋण पैकेज के लिए प्रस्तावों की एक लम्बी सूची तैयार की थी। जापानी सरकार के मिशन ने आगे विचार करने के लिए बक्रेश्वर परियोजना सहित इन परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं को अल्प सूचीबद्ध किया। मिशन का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और परियोजना प्राधिकारियों से विस्तृत विचार-विमर्श हुआ था। इस सरकारी मिशन के बाद मई, 1992 में ओ०ई०सी०एफ० एप्राइज्ल मिशन आएगा। इसके बाद, ऋण पैकेजों को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसकी घोषणा जापान सरकार द्वारा जून, 1992 में आयोजित होने वाली भारत-सहायता संघ की बैठक में की जाएगी।

आयात की निषेधात्मक सूची से उपभोक्ता सामान को हटाना

9692. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात की निषेधात्मक सूची से उपभोक्ता सामान को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भी उद्योगपतियों को यह सूचित किया है कि आयात की निषेधात्मक सूची में किसी वस्तु को शामिल करने का कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यह निर्णय किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) निर्यात तथा आयात (नीति 1992—97) के तहत उपभोक्ता माल पर रोक लगी है सरकार आयातों की नकारात्मक सूची की समीक्षा एवं उसमें समय-समय पर कांट-छांट इसलिए करती रहती है क्योंकि निर्यातों में गति आ रही है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है ।

तमिलनाडु से हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

9693. **डा० श्रीमती के० एस० सौंदरम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में बनाए गए हथकरघा वस्त्रों और होजरी-सामान की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इनका उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन वस्तुओं का निर्यात कर रही एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) तमिलनाडु में निर्मित होजरी के माल का अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है । हथकरघा परिधान के निर्यात बहुत अधिक नहीं हैं ।

(ख) परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति में होजरी मदों के लिए कुछ कोटाओं के आरक्षण करने का प्रावधान है तथा ऐसी मात्राओं के लिए पृथक फ्लोर कीमत निर्धारित की जाती है ।

अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् होजरी मदों का उत्पादन करने का प्रशिक्षण देने के लिए तिरुपुर (तमिलनाडु) में एक अपैरल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केंद्र स्थापित किया है । परिषद फैब्रिक आदि के परीक्षण के लिये दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ के सहयोग से एक निटवियर सेवा केंद्र भी चलाती है ।

(ग) हथकरघा परिधान तथा होजरी मदों सहित परिधानों का निर्यात संवर्धन का संचालन अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जाता है ।

प्याज का निर्यात

9694. **श्री राम नाईक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने "नाफेड" के मध्य से प्याज का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को केवल "नेफेड" तथा अन्य निर्यात एजेन्सियों के माध्यम से प्याज निर्यात करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अन्य निर्यात एजेन्सियों को "नाफेड" द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर प्याज निर्यात करने दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में इन एजेन्सियों का "नाफेड" से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा; और

(च) यदि हां, तो "नाफेड" को "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने के पूर्व क्या मानदण्ड अपनाने होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सत्यनारायण जुशीह) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी व्यापार परिसंघ लिमि० (नाफेड) द्वारा प्याज के निर्यात का सरलीकरण जारी रहेगा।

(ख) से (ङ) नई निर्यात नीति के तहत नाफेड प्याज का निर्यात केवल श्रीलंका, मारीशस, सेशेल्स और मालदीव को ही करेगा। अन्य निर्यातक एजेंसियां भी सभी अन्य देशों को निर्यात कर सकती है, किन्तु वह इस बात के अधीन होगा कि न्यूनतम निर्यात मूल्य नाफेड द्वारा निश्चित किया जाए और काउन्टर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। जिसके लिए प्रक्रिया को उदार बनाया गया है। यह पण्य पदार्थ को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए अधिकतम निर्यात करने तथा इष्टतम विदेशी मुद्रा आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

(च) प्याज का निर्यात करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके लिए अपने को नाफेड में पंजीकृत कराना होगा। यह सिर्फ एक बार ही आवश्यक होगा। जो लोग नाफेड में पहले से ही पंजीकृत हैं उन्हें अपने को पुनः पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। प्याज का निर्यात नाफेड द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन होगा। निर्यातक को प्रत्येक निर्यात प्रेषित माल के लिए नाफेड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। निर्यातक को किए जाने वाले निर्यात की मात्रा, वह दर जिस पर निर्यात किया जा रहा है, लदान का बंदरगाह, गन्तव्य स्थान और एल० सी० का विवरण के बारे में नाफेड को विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। नाफेड ऐसे निर्यातकों को काउन्टर पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में तालाबंदी

9695. **श्री गुरुदास कामत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की अनेक जूट मिलों में तालाबंदी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो मिल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) इस समय पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं :—

	मिल का नाम	बंद होने की तारीख	प्रभावित कामगारों की संख्या
1.	बज-बज जूट मिल	18-3-88	3400
2.	एंगलो इंडिया	20-5-91	5500
3.	अगरपारा	28-1-92	3400
4.	बरनागोर	28-1-92	4176
5.	श्री हनुमान	28-1-92	3675
6.	तिरुपति	28-1-92	1200
7.	ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी	28-1-92	2100
8.	काकीनाड़ा	27-3-92	4205

उपरोक्त में से दो पटसन मिलें अर्थात् बज बज और एंगलो-इंडिया पिछले काफी समय से तालाबंदी के कारण बंद हैं । अन्य 5 मिलें अर्थात् अगरपारा, बरनागोर, श्री हनुमान, तिरुपति और ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग में राज्य व्यापी हड़ताल के कारण 28-1-1992 से बंद थीं । 17-3-1992 को हस्ताक्षरित वेतन समझौते के बाद 17-3-1992 से पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में हड़ताल को वापिस ले लिया गया था लेकिन अपनी मिलों में वेतन समझौते का कार्यान्वयन करने में असमर्थता के कारण पांच मिलें पुनः नहीं खोली जा सकीं । एक अन्य मिल अर्थात् काकीनाडा 27-3-92 को बंद कर दी गई थी क्योंकि यह वेतन समझौते के अनुसार वेतन देने में असमर्थ रही ।

(ग) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इस मामले की जांच कर रही है और कुछ मामले बी० आई० एफ० आर० द्वारा देखे जा रहे हैं । राज्य सरकार ने कई बैठकें आयोजित की ताकि इस मुद्दे का हल किया जा सके ।

राज्यों को सहायता अनुदान और ऋण

9696. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि सहायता अनुदान और ऋण के रूप में दी गयी है;

(ख) 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा केन्द्रीय सरकार को अपने बकाया ऋण का मूलधन और ब्याज सहित कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) केन्द्र से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कुल कितने वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मध्य वर्षीय आकलन प्रति व्यक्ति और प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अनुसार कुल कितनी राशि दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ता राम पोतदुखे) : (क) से (घ) राज्यों की सूचना से सम्बंधित विवरण पत्र-I तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना से सम्बंधित विवरण-पत्र-II संलग्न हैं ।

विवरण-I

विवरण पत्र-I (राज्यों से संबंधित)

क्रम सं०	राज्य	(आंकड़े करोड़ रुपये में) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य-योजना के अन्तर्गत, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, पिछले वित्त आयोगों द्वारा सिफारिशित संसाधनों की क्रमिक कमी के अन्तर्गत दिए गए कुल अनुदान, ऋण तथा लघु बचत संग्रहणों के प्रति ऋण			1991-92 के दौरान मूलधन की कुल वापस अदायगी और ब्याज की अदायगी	(आंकड़े रुपयों में) संसाधनों की कुल राशि		
		ऋण	अनुदान	जोड़		प्राप्त होने वाले कुल वित्तीय संसाधन कालम (5)—(6)	प्रति व्यक्ति	प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	872.39	359.03	1231.42	563.82	667.60	100.61	24272.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.99	272.59	296.58	14.58	282.00	3285.68	33679.23
3.	असम	133.48	887.65	1021.13	100.26	920.87	413.05	117401.00
4.	बिहार	799.58	496.33	1296.91	787.35	509.56	59.02	29305.77
5.	गोवा	48.88	48.32	97.20	59.33	37.87	342.06	102296.06
6.	गुजरात	1072.52	262.28	1335.80	692.95	642.85	156.13	32794.45
7.	हरियाणा	250.31	55.35	305.66	235.73	69.93	42.86	15816.97
8.	हिमाचल प्रदेश	99.17	376.78	474.95	127.32	347.63	680.15	62441.40

9.	जम्मू व कश्मीर	110.97	868.68	979.65	364.74	614.91	796.65	27669.23
10.	कर्नाटक	500.68	151.15	651.83	427.60	224.23	50.04	11691.37
11.	केरल	365.11	197.50	562.61	324.23	238.38	82.11	61338.55
12.	मध्य प्रदेश	574.35	409.69	984.04	501.11	482.93	73.02	10890.39
13.	महाराष्ट्र	1492.18	248.95	1741.13	1122.06	619.07	78.61	20118.42
14.	मणिपुर	21.15	245.37	266.52	35.94	230.58	1262.27	10327.06
15.	मेघालय	23.81	197.84	221.65	21.05	200.60	1139.37	89437.78
16.	मिजोरम	18.16	224.70	242.86	10.24	232.62	3389.89	110345.81
17.	नागालैंड	32.38	342.42	274.80	38.52	236.28	1943.77	142517.64
18.	उड़ीसा	366.13	334.27	700.40	361.19	339.21	107.64	21785.15
19.	पंजाब	952.40	95.18	1047.58	311.08	736.50	364.77	146241.21
20.	राजस्थान	518.14	459.63	978.37	448.60	529.77	120.73	15479.53
21.	सिक्किम	9.79	98.35	108.14	9.67	98.47	2428.33	138768.32
22.	तमिलनाडु	825.96	268.47	1093.53	499.04	594.49	106.85	45709.61
23.	त्रिपुरा	34.46	279.49	313.95	41.00	272.95	994.42	260299.45
24.	उत्तर प्रदेश	209.51	1351.74	3445.25	1359.68	2085.57	150.01	708338.73
25.	पश्चिम बंगाल	838.42	348.12	1186.54	788.67	397.87	58.53	44829.41

नोट : 1991 के लिए उपयोग में लाये गये जनसंख्या के आंकड़े अनंतिम हैं ।

विवरण-II

विवरण पत्र-II (संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित

क्रम सं०	राज्य	(आंकड़े करोड़ रुपयों में) संघ राज्य क्षेत्र योजना के तहत तथा योजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए 1991-92 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान और ऋण			1991-92 के दौरान मूलधन की कुल पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी	(आंकड़े रुपयों में) संसाधनों का निवल प्रवाह		
		ऋण	अनुदान	जोड़		वित्तीय संसाधनों का निवल प्रवाह कालम (5)—(6)	प्रति व्यक्ति	प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पांडिचेरी*	53.52	69.91	150.43	28.84**	121.59	1506.61	2471341.46

*सहायता अनुदान और ऋण केवल पांडिचेरी (विधान मंडल सहित) संघ राज्य क्षेत्र को जारी किए गए। अन्य संघ राज्य क्षेत्र अनुदान व ऋण प्राप्त नहीं करते हैं।

**अंतरिम आंकड़े।

नोट : 1991 के लिए प्रयोग में लाए गए जनसंख्या आंकड़े अनंतिम हैं।

ड्राइंग कर्मचारियों की पदोन्नति

9697. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या रक्षा मंत्री 31 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4534 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नति के योग्य ड्राइंग कर्मचारियों को कार्यशाला अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) वर्तमान भर्ती नियमों में ड्राइंग कर्मचारियों की पदोन्नति अर्थात् मुख्य ड्राफ्टमैन से वर्कशाप अफसर समूह "ख" पर पदोन्नति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए नियमों में इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भर्ती नियमों के प्रारूप कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित कराए जाने होते हैं। भर्ती नियमों का प्रारूप कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने अनुमोदित कर दिया है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

रक्षा मंत्री की अमरीका यात्रा

9698. **श्री रामचन्द्र बंजारे :**
श्रीमती विभू कुमारी देवी :
श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह अप्रैल, 1992 में अमेरिका की यात्रा पर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या थे और यात्रा में क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) यात्रा का मुख्य उद्देश्य आपसी समझ बढ़ाना और दोनों देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचारों का आदान-प्रदान करना था। यह उद्देश्य अमेरिकी सरकार के विभिन्न नेताओं और पदाधिकारियों के साथ हुई बैठकों के दौरान प्राप्त किया गया था।

निजामुद्दीन पुल का धंसना

[हिन्दी]

9699. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री साईमन मरान्डी :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में निजामुद्दीन पुल का कुछ हिस्सा ढह गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस जांच का क्या परिणाम निकला;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ङ) क्या इस पुल के एक हिस्से के ध्वंस जाने से यमुना पार क्षेत्रों से आने वाले लोगों को काफी कठिनाई हो रही है;

(च) यदि हां, तो इस पुल का मरम्मत कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और उसे कब तक जनता के उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा;

(छ) 1 जनवरी, 1992 से अब तक इस पुल की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ज) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। पूर्वी किनारे पर पुल के ठीक पहले पहुंच मार्ग का केवल एक भाग ध्वंस गया था।

(ख) से (घ) दुर्घटना की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। समिति से मई, 1992 के अंत तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

(ङ) और (च) पहुंच मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग को तत्काल मरम्मत कर दी गई है और पुल को हल्के वाहन वाले यातायात के लिए 23 अप्रैल, 1992 की सायं को पहले ही खोला जा चुका है।

(छ) पुल के पूर्वी पहुंच मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत पर लगभग 5 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा, 1 जनवरी, 1992 से पुल की मरम्मत जो संस्वीकृत स्कीम के अंतर्गत चल रही है, पर 51.37 लाख रु० की राशि खर्च की गई है।

(ज) पानी की मुख्य लाइन के जोड़ में उस स्थान पर जहां पहुंच मार्ग ध्वंस गया था, रिसाव को बन्द कर दिया गया है और उस पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आगे और उपायों को तकनीकी समिति के निष्कर्ष ज्ञात हो जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

हरियाणा में विकास योजनाएं

[अनुवाद]

9700. **श्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में विश्व बैंक और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से कोई विकास योजनाएं प्रारंभ करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) हरियाणा राज्य में विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से शुरू की जाने वाली संभावित विकास योजनाओं और उनकी अनुमानित लागत की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

परियोजनाओं के लिए अन्ततः बाह्य सहायता प्राप्त हो जाएगी। वचनबद्धता की सीमा और समय, विस्तृत परियोजना की तैयारी और दाता संस्था की तरजीहों और वचनबद्धता उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विवरण

हरियाणा में विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से शुरू की जाने वाली संभावित विकास योजनाओं की सूची

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	संभावित सहायता	संभावित दानी
1.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग (हाइवे) परियोजना (बहुराज्यीय)	156.3 करोड़ रुपए*	विश्व बैंक
2.	जल संसाधन समेकन परियोजना (बहुराज्यीय)	निर्णय लिया जाना है	विश्व बैंक
3.	बाल उत्तरजीविता और मातृत्व परियोजना (बहुराज्यीय)	2145.0 लाख अमेरिकी डालर*	विश्व बैंक
4.	राष्ट्रीय एड्स (ए० आई०डी०एस०) नियंत्रण परियोजना (बहुराज्यीय)	840 लाख अमेरिकी डालर*	विश्व बैंक
5.	हरियाणा में बेकार भूमि का वनीकरण (बहुराज्यीय)	60 करोड़ रुपए	यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०)
6.	हरियाणा एकीकृत महिला, जनसंख्या और विकास परियोजना	निर्णय लिया जाना है	-तदेव-

*ये बहुराज्यीय परियोजनाएं हैं जिसका एक संघटक हरियाणा में है। ये आंकड़े संपूर्ण परियोजना से संबंधित हैं।

यूरोपीय समुदाय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

9701. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय ने भारत की कुछ प्रमुख परियोजनाओं को धन देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितना धन निवेश किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूरोपीय समुदाय द्वारा उनके विकास सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जिन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने हेतु विचार किया जा रहा है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सम्भावित निवेश राशि (ई०सी०यू मिलियन में)	संक्षिप्त ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राजस्थान में सिद्धमुख और नोहर सिंचाई परियोजना	45.00	इस परियोजना में सिंचाई नेटवर्क में किए गए निवेश का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है ताकि राजस्थान के सिद्धमुख और नोहर क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा सके।
2.	केरल लघु सिंचाई	11.80	इस परियोजना का उद्देश्य टैंक सिंचाई योजनाओं के 11,500 हेक्टे० पर दूसरी बार काश्त करने के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाना है जिसमें सम्पूर्ण केरल राज्य में फैले 459 टैंक शामिल हैं और साथ ही लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के 8,700 हेक्टे० पर दूसरी बार काश्त करने के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाना है, जिसमें त्रिचूर और मल्लापुरम जिलों में फैली 31 योजनाओं को शामिल किया गया है।
3.	उड़ीसा लघु सिंचाई	11.23	इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 20,000 हेक्टे० के सकल आयकट से 16 बड़ी योजनाओं और लगभग 15 छोटी योजनाओं को पुनः चालू करना है।
4.	महाराष्ट्र में लवणीय भूमि सुधार चरण-II	10.70	इस परियोजना का उद्देश्य 83 योजनाओं में लवणीय भूमि का सुधार करना है जिसमें महाराष्ट्र में खारलैण्ड की लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	तमिलनाडु में कृषि बाजार	अभी राशि बताई नहीं गई है।	इस परियोजना की मुख्य प्राथमिकता तमिलनाडु में कृषि सम्बन्धी उत्पादन के लिए नियमित बाजारों को सुदृढ़ करना और उनका स्तर उठाना है।
6.	केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नारियल सुधार	अभी राशि बताई नहीं गई है।	इसका उद्देश्य पौध रोपण सामग्रियों की किस्म में सुधार, फार्म स्तर पर उन्नत पौध सामग्रियों को अपनाना और 5-वर्षीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तैयार करना है।
7.	आन्ध्र प्रदेश जल आपूर्ति	अभी राशि बताई नहीं गई है।	इसका उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के उद्दानम क्षेत्र की जनसंख्या के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करना है।

राज्य वित्त निगमों और औद्योगिक विकास निगमों द्वारा म्यूचुअल फण्ड की स्थापना

9702. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य वित्त निगमों तथा औद्योगिक विकास निगमों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर पुनर्वित्तीयकर हेतु निर्भरता को कम करने और म्यूचुअल फंड स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) राज्य वित्त निगमों और औद्योगिक विकास निगमों द्वारा विदेशों से ऋण प्राप्त करने की संख्या क्या है; और

(घ) राज्य वित्त निगमों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकार ने किस सीमा तक स्वीकृति दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उनके स्वयं के ऋण प्रचालनों के लिए किसी भी राज्य वित्त निगम या राज्य औद्योगिक विकास निगम को विदेशों से प्रत्यक्ष ऋण सहायता नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

समूह बीमा योजना के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिक

[हिन्दी]

9703. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूह बीमा योजना राज्यवार कितने श्रमिकों पर लागू की गई है;

(ख) क्या बाल श्रमिकों और कृषि श्रमिकों को भी इस समूह बीमा योजना के अंतर्गत लाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हलधर सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए 15 अगस्त, 1987 से एक सामूहिक बीमा योजना शुरू की गई थी ताकि 2,000/- रुपए की बीमाकृत राशि के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों के सभी मुखियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। इस योजना को, जिसे प्रारंभ में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता था, अब 1 अप्रैल, 1990 से जीवन बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा निधि से वित्तपोषित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत समस्त वार्षिक प्रीमियम लागत को जीवन बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है।

ऐसी कोई विशिष्ट सामूहिक बीमा योजना नहीं है जिससे कि केवल बाल मजदूर और अन्य मजदूरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए विभिन्न सामूहिक बीमा योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत 50 प्रतिशत प्रीमियम लाभभोगियों द्वारा दिया जाता है और शेष 50 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा निधि से पूरा किया जाता है। इस योजना के सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को 3,000/- रुपए और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 6,000/- रुपए के भुगतान की परिकल्पना की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत जिन विभिन्न व्यवसायों को शामिल किया गया है उनमें बीड़ी बनाने वाले, बढ़ई, हथकरघा, बुनकर, रिक्शा चालक, मछुआरे, सफाई कर्मचारी, वन मजदूर आदि आते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत 1 मार्च, 1992 तक 23,91,927 व्यक्तियों को (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।

औषध कंपनियों द्वारा अत्यधिक लाभ कमाया जाना

[अनुवाद]

9704. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "फार्मास्युटिकल" कंपनियों द्वारा औषधों के निर्यात हेतु आदानों के भारी मात्रा में आयात को रोकने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही तथा नीतिगत परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने देश के विदेशी मुद्रा भण्डार से भारी धनराशि व्यय करके अत्यधिक लाभ कमाया है;

(ग) क्या सरकार अब विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग करके और अत्यधिक शुल्क वापसी की सुविधा प्राप्त करके इन विभिन्न कंपनियों को हो रहे लाभ की राशि का पता लगा पाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी औषध यूनिटों के विरुद्ध किस प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) आयात निर्यात नीति 1990—93 में औषधों और भेषजों के उत्पादन और निर्यात के लिए निविष्टि के आयात हेतु कई उपायों की व्यवस्था थी, जिनके नाम हैं, खुला सामान्य लाइसेंसिंग, पूरक लाइसेंन्सिग, प्रतिपूर्ति लाइसेंसिन्ग और अग्रिम लाइसेंसिन्ग । भेषजीय कंपनियां खुले सामान्य लाइसेंसिन्ग के तहत अनुमत आयात किसी भी मात्रा में कर सकती थी । पूरक लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत कंपनियां घरेलू उत्पादन और साथ ही निर्यात उत्पादन दोनों के लिए निविष्टियां प्राप्त कर सकती थी । अग्रिम लाइसेंसिन्ग व्यवस्था के तहत यह व्यवस्था थी कि शुल्क मुक्त निविष्टियां निर्यात उत्पादन से संम्बन्धित हों ।

निर्यात और आयात नीति, 1992—97 से खुले सामान्य लाइसेंसिंग व्यवस्था और पूरक लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं । आयातों की निषेधात्मक सूची में उल्लिखित मदों को छोड़कर अन्य मदों के आयात निःशुल्क कर दिए गए हैं । भेषजीय कंपनियां अपने घरेलू या निर्यात उत्पादन के लिए किसी भी मात्रा में आयात कर सकती हैं । अग्रिम लाइसेंसिन्ग व्यवस्था को भी दो मात्राओं में विभक्त कर दिया गया है, जिनके नाम हैं : मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना तथा मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना । मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत निर्यातक भेषजीय कंपनी बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबन्ध के परन्तु लाइसेन्स के मूल्य के अध्यधीन किसी निविष्टि विशेष का आयात कर सकती है । परन्तु मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंसिन्ग योजना के तहत निर्यातक भेषजीय कम्पनी को निर्धारित मानदंडों के अनुसार निविष्टियों को उत्पादनों के साथ सम्बन्धित करना होगा ।

(ख) आयात एवं निर्यात के कंपनी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त "क" में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

राज्यों को आर्थिक स्वतन्त्रता

9705. **श्री अमरावि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता/स्वतन्त्रता देने हेतु कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र-राज्य संबंध पर आयोग तथा अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैठकों में राज्यों को और अधिक आर्थिक शक्तियां दिये जाने के लिए सुझाव दिये हैं । यह मामला विचाराधीन है ।

पी०एस०एफ० और वी०एस०एफ० पर आयात शुल्क

9706. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फिलहाल पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर तथा विस्कोस स्टेपल फाइबर का माहवार उत्पादन कितना है;

(ख) क्या आयातित फाइबर का मूल्य स्वदेशी फाइबर के बराबर लाने हेतु विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात की अनुमति देने के लिए मांग बढ़ रही है;

(ग) देश में विस्कोस स्टेपल फाइबर के निर्माताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रंगे हुए विस्कोस फाइबर के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर का प्रति माह औसत उत्पादन 11042 टन और विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादन 13043 टन था ।

(ख) उचित मूल्यों पर मिलों को विस्कोस स्टेपल फाइबर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने इस मद के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ।

(ग) इस समय देश में विस्कोस स्टेपल फाइबर के 2 विनिर्माता हैं अर्थात मैसर्स ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि० और साउथ इण्डिया विस्कोस लि० ।

(घ) और (ङ) इस फाइबर का मूल्य बाजार शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है । विगत 6 महीनों के दौरान विस्कोस स्टेपल फाइबर (काले रंग वाले) की कीमतों में मात्र 1.00 रु० प्रति कि० ग्रा० की आंशिक वृद्धि हुई ।

डीजल का आयात

9707. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल के आयात का पुनः सरणीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा दिनांक 20-4-92 को एक सार्वजनिक सूचना सं० 9 आई० टी० सी० (पी० एन०) 92—97 जारी की गई जिसमें इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० के माध्यम से हाई स्पीड डीजल आयल के आयात का सरणीयन किया गया है।

निर्यात तथा आयात नीति में औपचारिक संशोधन सरकार द्वारा किया जाएगा और उसे अलग से जारी किया जाएगा ।

चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम में प्रवेश

9708. **श्री गुरुदास कामत :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की योग्यता में चालू शैक्षिक सत्र से परिवर्तन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) शासप्राप्त लेखाकारिता के अभ्यार्थी को शासप्राप्त लेखापाल के अन्तर्गत आबद्ध शिक्षार्थी के रूप में पंजीकृत होना अपेक्षित है। ऐसे पंजीकरण के लिए जो अर्हताएं होती हैं उन्हें अभी हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि उच्चतम माध्यमिक स्कूल परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी नए रूप से शुरू किए गए आधारशिला पाठ्यक्रम के लिए नामांकित होकर शासप्राप्त लेखाकारिता पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकें। संस्थान द्वारा आयोजित आधारशिला पाठ्यक्रम पास करने के पश्चात् ऐसे विद्यार्थी शासप्राप्त लेखाकारिता के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए आर्टिकलशिप में प्रवेश लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। आधारशिला पाठ्यक्रम के लिए 7-5-1992 से पंजीकरण शुरू हो गया है। विनियमों में संशोधन होने से पहले, केवल वह स्नातक ही प्रवेश ले सकते थे जिसने या तो भारतीय शासप्राप्त लेखापाल संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा वाणिज्य स्नातकों के मामले में विषयों के रूप में लेखाकारिता, लेखा परीक्षा, मर्कन्टाइल या वाणिज्य कानून के साथ कम से कम 50% अंक प्राप्त करने के कारण प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए छूट मिली हो और ऐसे अन्य स्नातक भी आबद्ध शिक्षार्थी के रूप में पंजीकृत करा सकते थे जिन्होंने कम से कम कुल 55% अंक प्राप्त किए हों। संशोधित विनियमों में भी ऐसे वाणिज्यक स्नातकों जिन्होंने कि स्नातक परीक्षा एकाउन्टेंसी, आडिटिंग, मर्कन्टाइल तथा कॉमर्शियल कानून के विषयों में परीक्षा के पूर्ण अंकों का 50% औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो अथवा वाणिज्यक स्नातकों के अलावा दूसरे स्नातकों जिन्होंने अन्य विषयों के साथ अंकगणित में स्नातक परीक्षा पूर्ण अंकों का कम से कम 60% औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो, अथवा वाणिज्य स्नातक के अलावा दूसरे स्नातक जिन्होंने स्नातक परीक्षा अंकगणित के अलावा किसी अन्य विषयों में, स्नातक परीक्षा के पूर्ण अंकों का कम से कम 55% औसत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण की हो, को आधारशिला परीक्षा पास करने से छूट प्रदान की गई है। इन स्नातकों को इन विनियमों में निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आर्टिकल्ड/आडिट क्लर्क के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी जाती है।

जापान से उच्चस्तरीय दल का भारत का दौरा

9709. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के उच्चस्तरीय दल ने उन परियोजनाओं का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया था, जो भारत को शीघ्रता से सहायता देने के मानदण्ड को पूरा करती है;

(ख) यदि हां, तो दल ने किन परियोजनाओं का पता लगाया और उन परियोजनाओं को कितनी सहायता दिए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश की किसी परियोजना ने सहायता प्राप्त करने हेतु अर्हता प्राप्त की है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए भारत को कब तक सहायता दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जापान के विदेश मंत्रालय के ऋण सहायता प्रभाग में कार्यरत निदेशक के नेतृत्व में जापान सरकार के एक मिशन ने वर्ष 1992-93 में समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि के अन्तर्गत एक मुश्त सहायता पर विचार-विमर्श करने के लिए अप्रैल, 1992 के दौरान भारत की यात्रा की थी ।

(ख) मिशन ने भारत सरकार द्वारा आगे और अध्ययन एवं विचार-विमर्श करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों की लम्बी सूची में से 12 परियोजनाओं को अल्प सूचीबद्ध किया जिसमें शीघ्र संवितरण सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध भी शामिल था । विचार-विमर्श के दौरान भारत सरकार ने जापान की सरकार से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सहायता में बड़ी मात्रा में वृद्धि करने और इस सहायता के एक बड़े भाग को शीघ्र संवितरित सहायता के रूप में सरणीबद्ध करने का अनुरोध किया ।

(ग) श्रीसेलम पन बिजली परियोजना और आंध्र प्रदेश में एन० एच० 5 के चिलरकलूरी-पेट-विजयवाड़ा भाग के लिए अगली खेप सहायता को मिशन द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के लिए अल्प सूचीबद्ध कर लिया गया है तथापि ये प्रस्ताव त्वरित वितरण सहायता की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(घ) जापान सरकार के निर्णय की घोषणा जून, 1992 में होने वाली भारत सहायता संघ की बैठक के दौरान की जाएगी ।

एशियाई देशों के तस्करों के लिए प्रशिक्षण स्कूल

9710. **श्री परतराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई एशियाई देशों में तस्करों के लिए चलाये जा रहे प्रशिक्षण स्कूलों के संबंध में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में पकड़े गये कुछ तस्करों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने इनमें से कुछ स्कूलों में प्रशिक्षण लिया है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विशेषाधिकार नोटिस का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० अमृतलाल कालिदास पटेल को बोलने के लिए कहता हूं।

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान गुजरात के मेहसाना जिले में करेंसी नोटों की कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। गुजरात के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की, खाद्यान्न की तथा चारे की कमी के बारे में मुख्य शिकायतें हैं। लेकिन गुजरात और विशेषतया मेहसाना जिले को करेंसी नोटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। करेंसी नोटों में कमी से व्यापार वाणिज्य तथा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। करेंसी नोटों की कमी का मुख्य कारण यह है कि भारतीय स्टेट बैंक को-ओपरेटिव बैंकों और सूचीबद्ध बैंकों को करेंसी नोट नहीं दे रहा है। आम दिनों के दौरान, वे छोटे नोटों को स्वीकार नहीं करते हैं, इससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक से कहें कि वे मेहसाना जिले को करेंसी नोट उपलब्ध करायें।

महोदय, उदाहरण के लिए, मेहसाना डिस्ट्रीक को-ओपरेटिव बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक में 125 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा कर रखी है। पिछले सप्ताह वे केवल सात करोड़ रुपये निकलवाना चाहते थे और उन्हें धन नहीं मिल सका। जिसके कारण, किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

इस संदर्भ में, मैं माननीय वित्त मंत्री से शीघ्र ही कुछ आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध करता हूं।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) अध्यक्ष महोदय उड़ीसा राज्य सरकार का मेरे निर्वाचन क्षेत्र, फूलबनी के प्रति बहुत उदासीन रवैया रहा है। करडा—बोलनगीर वाया फूलबनी रेलवे लाइन बिछाने की सिफारिश से फूलबनी को निकाल कर इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। पिछले वर्ष, 1991 में राज्य सरकार ने भारत सरकार को जो प्रस्ताव भेजा था उसमें फूलबनी जिले को निकाल दिया गया था। अतः मैं रेल मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ को इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने का अनुरोध करूंगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने करडा डिविजन में करडा—बोलनगीर वाया फूलबनी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराने के उद्देश्य से एक उद्घाटन किया था। मैं यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि फूलबनी जिला एक पिछड़ा तथा जनजातीय क्षेत्र है। वहां कोई उद्योग भी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि करडा-बोलनगीर वाया फूलबनी रेलवे लाइन की परियोजना में फूलबनी क्षेत्र को प्राथमिकता देकर शामिल कर लिया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे इस विषय में बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी): महोदय, आप जानते हैं कि सभा जल्दी ही स्थगित होने जा रही है और केवल दो दिन रह गए हैं। आप यह भी जानते है कि एन०आई०सी०बी० शिष्ट-मण्डल तथा सांसद पिछले महीने की 7 तारीख को अयोध्या गये थे और शिष्टमंडल में पिछले महीने की 27 तारीख को गृहमंत्री को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि समूची सभा की राय को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभा स्थगित होने से पहले, इस विषय पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह प्रयास किए जाएं कि इस विषय पर सभा में चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर चर्चा हुई थी और हमने गृह मंत्रालय से जानना चाहा था कि क्या इस पर सदन में चर्चा की जाएगी जो कुछ मुझे गृह मंत्री द्वारा बताया गया था समिति ने बिल्कुल उसी मुद्दे पर चर्चा की थी और रिपोर्ट दी थी —न्यायालय के समक्ष अवमानना के मामले लंबित हैं। वह हमसे जानना चाहते थे कि क्या इस पर चर्चा की जा सकती है या नहीं। हमने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है और मुझे बताया था कि 8 तारीख को उच्चतम न्यायालय या उच्चन्यायालय अवमानना मामले को सुनने जा रहा है। और यदि यही बात इसमें है हमारा विचार है कि इसे कम से कम 8 तारीख तक नहीं लिया जाना चाहिए। और निर्णय देने के बाद, दो दिन के भीतर, हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह मामला है कि .....

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अभी आपको स्पष्ट किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। इस अवमानना के मामले को जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है हर कोई समझ सकता है कि इस मामले पर सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सभा पटल पर रिपोर्ट रखने में कोई मनाही नहीं है। लम्बी चर्चा के बाद, इस सदन की सर्वसम्मति के आधार पर यह निर्णय लिया था कि एक संसदीय समिति तथा राष्ट्रीय एकीकृत परिषद की उस समिति को उस स्थान का दौरा करना चाहिए। अब उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार जो रवैया अपना रही है कि वे प्रेस में लगभग प्रत्येक सप्ताह स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त कर रहे हैं, वे समिति की रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं देते, वे उस समिति को कोई सहयोग नहीं देंगे। उन्होंने समिति को जरूरी कागजात तथा नक्शे आदि जिन्हें समिति जानना चाहती थी, देने में अपना पूरा सहयोग नहीं दिया है।

इसलिए, यह अनुरोध कर रहा हूं कि आज 8 तारीख है और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इस पर विचार कर सकती है। आपको गृहमंत्री को सभा पटल पर रिपोर्ट रखने के लिए कहना चाहिए। यदि सभा इस मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत है (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : आप जो कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : ये राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो बात सही है, वह कह रहा हूं।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : यह मिथ्या प्रचार किया जा रहा है (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी, अन्यथा सब कुछ मजाक बन जाएगा। हम कहते हैं कि सभा पटल पर रिपोर्ट रखी जाए। अन्यथा संसद का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, उस दिन वाजपेयी जी ने कहा कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं। इनका रिपोर्ट भी आ जाए और हमारी रिपोर्ट भी आ जाए और सारा फैसला हो जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, अगर कोई स्टेटमेंट आए तो एक सदस्य ने उसको रिफ्यूट कर दिया तो काफी होता है। वह आपने कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, इस सदन का उपयोग पार्टी पर आरोप लगाने के लिए नहीं होता है। यह बार-बार हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने उसको रिफ्यूट कर दिया है, यह काफी है। आप उसको बिना वजह कांप्लीकेट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, इस मुद्दे पर, कृपया मुझे एक मिनट दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसलिए, मेरा अनुरोध यह है कि रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाए। और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हो, हम 10 या 11 तारीख को इस पर चर्चा कर सकते है ; इसलिए, रिपोर्ट सभा पटल पर रखने दीजिए। यह मेरी मांग है। और मैं सभा पटल पर रिपोर्ट रखने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक हुई थी तो उसमें यह तय हुआ था कि सरकार रिपोर्ट को पेश करेगी और जहां तक हमें याद है, विरोधी दल के नेता को भी इस पर विरोध नहीं था कि इसको पेश किया जाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मैंने उसी समय कहा था कि

[अनुवाद]

"यदि इसे सभा पटल पर रखा जाता है तो दोनों रिपोर्टें रखी जानी चाहिएं। आमतौर पर यह संसदीय समिति नहीं है, और इसलिए इसे रखा नहीं जा सकता"

यह स्वीकार किया गया था कि दोनों रिपोर्टों को परिचालित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैंने कंडीशन लगाई थी लेकिन मैंने कहा कि इस रिपोर्ट के संबंध में इनको आपत्ति नहीं थी ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसकी चर्चा करने पर हमें आपत्ति थी ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, दोनों कमेटी ने मार्च में रिपोर्ट दे दी थी और उसको अभी तक प्लेस नहीं किया गया है । वह सरकार की ओर से एक स्पेंसर्ड कमेटी थी । उसकी रिपोर्ट आ गयी है । गृह मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं है । उस दिन हम लोगों ने यह कहा था कि चर्चा उस पर कैसे की जाये, या न की जाए, इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है । लेकिन जब रिपोर्ट आ गयी है और तमाम अखबारों में उसके जिस्ट भी निकल चुके हैं, हम नहीं जानते हैं कि वे जिस्ट सही हैं, गलत हैं, औथैंटिक हैं या औथैंटिक नहीं हैं । वैसी परिस्थिति में . . .

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप अगर मेरी बात को सुन लें तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी जो आप पूछ रहे हैं । उन्होंने मुझे बताया है कि उस रिपोर्ट को आवश्यकता के अनुसार वे कापियां बनवा रहे हैं और वह लाइब्रेरी में भी रख रहे हैं । सब मैम्बर्स को भी भेज रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : यहां रखने में क्या आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : उसके बाद अगर जरूरी हो तो 8 तारीख के बाद यहां भी रखी जा सकती है ।

श्री राम विलास पासवान : जब वह रिपोर्ट लाइब्रेरी में रखी जा सकती है तो यहां टेबल पर रखने में क्या आपत्ति है, इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं । सरकार को वह रिपोर्ट यहां टेबल पर रखने में क्या आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : सब मैम्बर्स को भी भेज रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आप बहस कराईये, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । आप दोनो रिपोर्ट्स को यहां डिस्कस करवाईये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये । मैंने एलाव नहीं किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाईये । हर समय आप ऐसा ही करते हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि गृह मन्त्री जी ने इसे मन्त्रालय में रखने की पेशकश की है । इसे यहां भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 8 मई के बाद, हम देखेंगे, क्या किया जाना है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता ? सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं और हमारी एक कोलीग के बारे में निवेदन करना चाहती हूं **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती साही, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : इस रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइये, श्री आचार्य। हर बार आप इसी तरह करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं किसी भी महिला के सम्बन्ध में, चाहे वह इस हाउस की हो या बाहर की हो, अगर वह गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में नहीं आती है, तो उनके सम्बन्ध में किसी बात को कहने के लिये, मैं एलाव नहीं कर रहा हूं। कृपा करके, ऐसी चीज, किसी के खिलाफ भी उठायी जा सकती है और मैं इस हाउस के फ्लोर को, इसके लिये इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। आप से विनती है कि आप इस तरह के मामले को यहां मत उठाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप समझ सकती हैं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह स्पष्ट करेंगे कि इसको सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : 8 मई के बाद, हम देखेंगे कि क्या किया जाना है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सीवपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बहुत बड़ी घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : अध्यक्ष जी, मैं भी कुछ इसी विषय में कहना चाहती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह किसी एक महिला का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इन दिनों वाराणसी छावनी के मिलिटरी एरिया में, जो एक आम रास्ता था, जिसका नाम करिअप्पा मार्ग है, उसे बन्द कर दिया गया है। यह रास्ता वैदिक काल से ..... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। महोदया, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : उन्हें सभा की एक महिला सदस्य, हमारी सहयोगी की सुरक्षा की कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन हमें उनकी सुरक्षा की चिन्ता है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अपेक्षित नहीं है ऐसा किसी के भी विरुद्ध कहा जा सकता है इस तरह से अनुमति नहीं दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह रास्ता वैदिक काल से, युगों से रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है कि आपके कहने से ही किसी महिला का अपमान हो जायेगा। आप इस नाजुक बात को समझिये, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता।

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, आपने मुझे मेरे आफिस में आकर बोला है कि आप क्या बोलने जा रही हैं लेकिन मैं उसे उठाने नहीं दे रहा हूं। आप मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, सदन के अन्तिम क्षणों में आप इतने गम्भीर क्यों हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके बारे में यदि कुछ कहा जाये तो मुझे गम्भीर होना ही चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं करियप्पा मार्ग वाराणसी के बारे में कह रहा हूं। यह रास्ता वैदिक युग से है। ब्रह्म पुराण के काशी खण्ड में पंचकोसी और अन्तर गृही के नाम से इस मार्ग का नाम बहुत ही विख्यात रहा है, काफी मशहूर है। आज भी प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, दो-तीन लाख यात्री इस मार्ग से यात्रा करते हैं और अपने धार्मिक कार्यों को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त काशी में आने वाले यात्री, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, इस मार्ग से यात्रा कर के अपना

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

धार्मिक अनुष्ठान पूरा करते हैं। श्रीमान, यहीं पर फुलेश्वरी देवी का मंदिर है। यह उत्तर प्रदेश में अपने ढंग का अकेला मंदिर है। यहां पर एक तालाब है। कहावत है, श्रुति है—इस तालाब में यदि कोई आदमी स्नान करता है, तो उसका चर्म रोग दूर हो जाता है, कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। हजारों लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं। विदेशों से, मारीशस, थाईलैंड, इंग्लैंड से भी लोग यहां आते हैं और अपने चर्म रोग को दूर करते हैं।

श्रीमान, बड़े दुख की बात है कि यह तालाब जो है, रक्षा मंत्रालय की ओर से या न जाने कैसे निर्देश देकर इस तालाब को भी पटवा दिया गया है। यहीं पर हिन्दुओं का पवित्र स्थान था जहां पर हजारों लोग, इसी मार्ग से आते जाते थे, लेकिन मुसलमानों का भी इस स्थान पर एक पवित्र स्थल है—खरबूजा शहीद नसरूद्दीन शहीद साहब की मजार यहां पर है जहां मुसलमान भाई हजारों की संख्या में आते हैं और यहां से, इसी रास्ते से गुजरते हैं और अपनी इबादत करते हैं।

श्रीमान, फुलवरिया, इमलियाधाद, बदौली, दीनदयालपुर, भर्थरा, कोटवा आदि ग्राम इसी रास्ते के किनारे पड़ते हैं। यह मिलिट्री एरिया लगभग 1900 में घोषित हुई थी। अंग्रेजों ने भी इस रास्ते को महत्व दिया था। धार्मिक क्रिया कलाप में कभी रोड़ा नहीं डाला गया था। हिन्दू-मुसलमान सभी निर्बाध गति से ब्रिटिश काल से इस रास्ते में आते-जाते थे। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और 1965 में जब भारत-पाक युद्ध हुआ तो यहीं पर श्रीमान खतरनाक असलहे रखे जाते थे। किसी को कोई एतराज नहीं था। मिलिट्री के लोगों ने, अफसरों ने कभी इस रास्ते को बन्द नहीं किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर बहुत खतरनाक से खतरनाक किस्म के असलहे रखे जाते थे और आज ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि यहां से हमारी गोपनीयता भंग हो जाएगी। इसलिए हम यहां से 4 पहिये वाले वाहनों को नहीं जाने देंगे। रिक्शा जाएगा, टैम्पो जाएगा, साइकिल वाला जाएगा लेकिन कार वालों को नहीं जाने देंगे। कार वालों को इसलिए नहीं जाने देंगे कि यहां यदि कार वाले जाएंगे, तो उनकी गोपनीयता भंग हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, जो ब्रिगेडियर यहां पर इस समय तैनात हैं जब वे यहां होते हैं, तो बराबर वे इस रास्ते को बंद कर देते हैं। श्रीमान, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि स्व० राज नारायण जी, जब स्वास्थ्य मंत्री थे, जब वे इस रास्ते से गुजरे तो उनको भी श्रीमान रोका गया, उनको वहां से गुजरने नहीं दिया गया और इतना ही नहीं आज से चौथे दिन रक्षा मंत्री महोदय ने यहां से आदेश दिया कि इस रास्ते को तुरन्त खोल दिया जाए, लेकिन उनके आदेश के बावजूद यहां का ब्रिगेडियर इस रास्ते को नहीं खोल रहा है और वहां के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है।

श्रीमान, इससे बनारस की बीसियों लाख जनता बहुत परेशान है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा रक्षा मंत्री महोदय से कि आप यहां से पुनः आदेश दें और यदि वह ब्रिगेडियर रक्षा मंत्रालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आज बहुत सारे लोगों को चांस देने का ख्याल है। अब देखिए यह कैसे संभव हो पाता है।

12.28 म०प०

कुछ बैंकों द्वारा लोक निधि के दुरुपयोग के बारे में

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, देश के शेयर बाजार में हाल में जो उथल-पुथल हुई है, उसका सदन में उल्लेख किया जा चुका है। इस बात का भी उल्लेख हो चुका है कि किस तरह से बम्बई का एक कुख्यात दलाल हमारी पूरी बैंकिंग प्रणाली को चूना लगाने में सफल हुआ है, लेकिन 5 मई को अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ, वह तो बैंकिंग के इतिहास में एक नयी चीज है। हम सभी जानते हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक, वह सबसीडियरी है आर०बी०आई० और एल०आई०सी० का, उसमें जापान की भी एक एजेंसी शामिल है। उसकी सबस्क्राइब्ड पूंजी है 200 करोड़ रुपए, लेकिन आथोराइज्ड कैपीटल एक हजार करोड़ रुपया है। 5 मई को एक अनहोनी घटना हुई, नेशनल हाउसिंग बैंक को केनरा बैंक के म्युचुअल फण्ड में 30 करोड़ रुपए जमा करने थे, मगर नेशनल हाउसिंग बैंक रुपया जमा नहीं कर सका। यह डिफाल्टर हो गया। ऐसी घटना कभी नहीं हुई है और जमा इसलिए नहीं कर सका, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक ने उसी दलाल के साथ 340 करोड़ का सौदा कर लिया और वह रुपया वहां फंसा रह गया। बैंक के पास रुपया नहीं था। 30 करोड़ रुपया जमा नहीं किया जा सका। उस पर किस तरह से कमेंट्स किए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय,

[अनुवाद]

> "नेशनल हाऊसिंग बैंक के स्रोतों के अनुसार, इससे भारतीय रिजर्व बैंक में धन की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि सेन्ट्रल बैंक के सहायक बैंक ने शायद पहली बार चूक की है।"

[हिन्दी]

सैन्ट्रल बैंक का एक सबसीडियरी बैंक 30 करोड़ रुपये जमा नहीं कर सका क्योंकि बैंक में गोलमाल है, बैंक उस दलाल के साथ जुड़ा हुआ है। यह गम्भीर घटना है। उस दिन वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि इस संबंध में जांच करेंगे लेकिन जांच तीन महीने चलेगी। तीन महीने में पता नहीं शेयर बाजार में, बैंकिंग प्रणाली में क्या होगा। तत्काल जांच होनी चाहिए। 24 घंटे, 48 घंटे के अन्दर इस जांच के परिणाम आने चाहिए और इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, लिबरलाईजेशन का मतलब यह नहीं है कि दलालों को छूट दे दी जाए। .....(व्यवधान) हो रहा है तो गलत हो रहा है। आप उसका लाभ उठाकर शायद लिबरलाईजशन का विरोध करेंगे, मैं नहीं कर रहा।

[अनुवाद]

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : ब्रोकरों के लिए यह लिबरलाईजेशन है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लिबरलाईजेशन फार ब्रोकर्स नहीं हो सकता। अमरीका में लिबरलाईजेशन है लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम में कोई इस तरह का अपराध करता है, सजा होती

है। करोड़ों रुपये का जुर्माना होता है। वित्त मंत्री ने तीन महीने का समय मांगा है। मैं कहना चाहूंगा कि जांच जल्दी होनी चाहिए। इसके परिणाम तत्काल आने चाहिए और इस तरह की जो काली भेड़ें हैं, उनको लोगों को लूटने का मौका नहीं देना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर आपको नोटिस दिया है। जो बातें यहां पर अभी अटल जी ने कही हैं, उनकी हर तरह से ताईद करने के साथ-साथ मैं आपत्ति इस बात की भी उठाना चाहता हूं कि परसों फाईनेंस बिल पर जब यहां बहस चल रही थी तब इन सारी बातों को मैंने सदन के सामने रखने का काम किया था। वित्त मंत्री के सामने यह भी प्रार्थना की थी कि उनकी तरफ से इसमें कुछ ठोस बातें यहां पर आ जाएं और जो लोगों के बारे में और बैंकों के अधिकारियों के बारे में उनके पास जानकारी है, मैंने यह बात यहां पर बार-बार दोहराई कि उनके पास जानकारी है। रोज बाहरी सूत्रों से हम लोगों के पास जानकारी आए, हमें मालूम हो जाए कि उनके पास जानकारी है और हम यहां सदन में कहें, सदन के बाहर कहें। लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही न हो तो मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना है कि हम देश के उन लोगों के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं जो अभी भी बेवकूफ बनकर अपने पैसे को इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसको आप स्टाक मार्केट बूम करके कह रहे हैं।

हिन्दुस्तान के स्टाक मार्केट बूम के बारे में इस महीने की 18 तारीख, आज 8 तारीख है, के "फोरच्यून" में हिन्दुस्तान के इस बूम के बारे में जो लिखा है उसका एक जुमला मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। वे कहते हैं, यह कहने वाली जो संस्था है उसका नाम है मौरगन स्टेनली इनवेस्टमेंट।

[अनुवाद]

"भारत भी एक दिवालिया देश है।"

[हिन्दी]

यह स्टाक मार्केट के बारे में लिखा है।

[अनुवाद]

".....वर्ष के शुरू में कहां पर स्टॉक मार्केट दो गुना हो गया है"; हम अभी वर्ष के पांचवें माह में ही हैं।

".....जबकि सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार शुरू किए हैं।"

[हिन्दी]

यानि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी न हो तो दायित्व आता है।

[अनुवाद]

मौरगन स्टेनली इनवेस्टमेंट के नीति निर्धारणकर्ता बार्टन बिग्स का कहना है :

"अत्यंत क्षीण अनुपात में बढ़ रहा है, बीस बड़ी स्टॉक 50 गुना अर्जित कर रही है। लोग स्टॉक को उनके नाम पर खरीद रहे हैं न कि उनके मूल्यों के आधार पर....."

उदाहरण के लिए, टाटा आयरन एवं स्टील जिसे निवेशकर्ताओं ने 80 गुना अधिक तक पहुंचा दिया है जब से सरकार ने स्टील के मूल्य को विनियंत्रित कर दिया है। मौरगन स्टेनली के भारतीय विश्लेषज्ञ विनोद सेठी ने आगाह किया :

"विदेशी इस्पात पर आयात शुल्क भी कम हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी कमी आई है साथ ही कम्पनी निम्न कोटि के इस्पात का निर्माण करती है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यह स्थिति है, जिस के इशारे पर लिबरलाइजेशन का काम यहां चला जिस के समर्थन में अभी भी अटल जी इन सारी हरकतों के बावजूद कुछ बातों को कहना पसन्द करते हैं।

अध्यक्ष जी, मैंने आज सुबह आपको नोटिस दिया है। मुझे ट्रैफिक के चलते दो मिनट की देरी हो गई। दस बज कर दो मिनट पर मेरा नोटिस आपके पास पहुंच गया। यह नोटिस इसलिये दिया कि मामला हम लोगों ने समझा। स्टेट बैंक आफ इंडिया का 620 करोड़ रुपये तक मामला सीमित नहीं है। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने 620 करोड़ रुपया एक दलाल को दिया और दूसरे दलाल का मैंने परसों यहां नाम भी लिया है और वह पाण्डेय है जिस को उसने 200 करोड़ रुपया दिया। मैं बहुत परेशान होकर यह बात कह रहा हूं। यह दो हजार करोड़ से तीन हजार करोड़ का मामला है और आप ऐसे लोगों से जांच करवा रहे हैं जो स्वयं इस में फंसे हुए हैं, जिनका खुद का हाथ इस में है। आपका सारा वित्त मंत्रालय सी०बी०आई० की जांच का विरोध कर रहा है, आपका रिजर्व बैंक सी०बी०आई० की जांच का विरोध कर रहा है और सारा बैंकिंग सेक्टर सी०बी०आई० की जांच का विरोध कर रहा है। यह खुद जांच करवाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आपके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है··(व्यवधान)··मेरा मतलब हाउस पर इस बात की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बड़ा आभारी हूं। आप मुझे सर्वशक्तिमान बना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस लिये कह रहा हूं कि जब यह बात यहां छेड़ी जाती है तो यह लोग जवाब नहीं देते हैं। वित्त मंत्री यहां मौजूद रहते हैं, सारी बहस के दरम्यान, मैंने ठोस जानकारी उनके पास रखी लेकिन वह एक शब्द नहीं बोले सिवाय इसके कि :

[अनुवाद]

"हम कारगर कदम उठाएंगे।"

[हिन्दी]

आज मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि वित्त मंत्रालय का कोई भी अधिकारी जांच करवाने के लिये तैयार नहीं है, आपकी सरकार किसी भी प्रकार की सी०बी०आई० की जांच के लिये तैयार नहीं है। व्यक्तिगत मंत्रियों की बात अलग है। मैं जानता हूं यहां कुछ ऐसे व्यक्तिगत मंत्री हैं जो जांच चाहते हैं लेकिन आपकी सरकार इसके लिये तैयार नहीं है। आपका रिजर्व बैंक और बैंकिंग सिस्टम इसके लिये तैयार नहीं है। नेशनल हाउसिंग बैंक ने यह वायदा किया था कि वह गरीबों के लिये मकान बनायेगा लेकिन गरीबों के मकान बनाने की जिम्मेदारी आपने शेरवानी के हाथों में दे दी जिस के सारे फैक्ट्स रिकार्ड सारी दुनियां जानती है। उसने तत्काल उस पैसे को सट्टा-बाजार में लगाना शुरू किया। आज वह पैसा डूब गया। 30 करोड़ रुपये आनर करने की बात नहीं हो पायी। बम्बई में ही नहीं बल्कि सारे देश में यह बात कही जाती है कि आपकी·····

[अनुवाद]

बैंक की रसीदें कोई उपयोग पत्र नहीं है जिन पर वे लिखे गए हैं क्योंकि वे सभी जाली हैं। मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि क्या आपको बैंक रसीदें इतनी महत्वपूर्ण पत्र हैं या नहीं जिन पर उन्हें जारी की गई है ?

[हिन्दी]

वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे जवाब चाहूंगा।

[अनुवाद]

क्या आप यह नहीं जानते ? फिर भी आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अभी भी उस बड़े सांड को खेलने के लिये वहां मौका दे रहे हैं। वह रोज खेल रहा है। मुझे बहुत अफसोस है इसलिये मैंने कहा कि इस सदन की जिम्मेदारी है। छोटे लोगों के पैसे हैं, वह निकाले जा रहे हैं और आज भी खेले जा रहे हैं। दो दिन सैशन को बचे हैं। '16 तारीख को बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों की मीटिंग बुलायी है, चेयरमैन की मीटिंग बुलायी है। आप वित्त मंत्री से कहें कि इस मामले में उनकी तरफ से बयान आज अगर हो सकता है तो आज आ जाये और अगर आज नहीं आ सकता है तो सोमवार को आ जाये। अब मैं बोफोर्स का मुद्दा उठाने की इजाजत चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कितनी बातें उठायेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : दूसरी बात यह नहीं है। जो कल मामला चला है, उस बात को आज मैं फिर आपके सामने रखना चाहता हूं।'' (व्यवधान)''

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, अभी चन्द्रजीत जी ने या किसी ने कहा कि जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि देश के लोग किससे जाने कि देश में क्या हो रहा है। जब ये नीतियां बनाई जा रही थी, तब हम लोगों ने कहा था कि इसके घातक परिणाम होंगे, तब हम ने कहा था कि विदेशी ताकतों के जरिए नीतियां चलाई जा रही हैं, तब हमने कहा था कि आप देश को परिस्थितियों के अनुसार देश को चला नहीं रहे हो। उसके दुष्परिणाम तीन महीने में आ रहे है। मैं अटल जी से कहता हूं, लिबरलाइजेशन का आप जरूर समर्थन कीजिए, लेकिन उस समय जो खतरे बताए गए थे और वे खतरे तीन महीने में इस हद तक पहुंच गए हैं कि हजारों-करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा हैं और सरकार कहती है कि उसकी तीन महीने में जांच करेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसमें कोई अर्थ-शास्त्री होने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक के घोटाले की जांच के लिए तीन महीने क्यों लगेंगे ? बैंक के एकाउन्ट्स रोज लिखे जाते हैं और रोज उन एकाउन्ट्स के बारे में जानकारी हो सकती है। यों तो ये कहते हैं कि छः महीने या साल भर में घोटाला हो रहा था और अगर यह शेयर मार्केट तीन महीने में इसका उतार-चढ़ाव हुआ है, घोटाले तीन महीने में हुए है और तीन महीने के एकाउन्ट्स को देखने के लिए तीन महीने लगेंगे। मैं कोई इनकी मंशा पर शंका नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अटल जी, अगर लिबरलाईजेशन का यह मतलब है, तो मुझे दुख है। वित्त मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी, जो लोग भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार के उतना मैं खिलाफ नहीं हूं, जितना कि आर्ज हैं, लेकिन देश को बेचने के मैं खिलाफ हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार में 50, 60 या 100 करोड़ रुपया जाता है। देश जब बिक रहा हो, मैं यह आरोप जानबूझकर पूरी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं, तो लगता है कि इस सरकार ने

इस देश को बेचने की साजिश कर रखी है और आज उस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है. इसलिए मैं कह रहा हूं ..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, उनका यह कथन है कि "सरकार षड्यन्त्र में शामिल हो रही है।" यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

श्री चन्द्र शेखर : मैं पुनः कहता हूं कि सरकार देश के हितों को दांव पर लगाने का षड्यन्त्र रच रही है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह अनुत्तरदायीपूर्ण वक्तव्य एक जिम्मेवार नेता द्वारा दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, इस वक्तव्य का प्रत्युत्तर देने के लिए मैं आपको एक मौका दूंगा यदि आप चाहें तो।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि एक जिम्मेवार नेता द्वारा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे, दस्तावेज कहां है वे पुस्तकें कहां हैं ? उन्हें सील बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, मैं हिन्दी में ही बोलता हूं। हिन्दी जिन को, 'समझ में नहीं आती है, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की कोई,' चीज उनकी समझ में नहीं आती है।

अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं अगर यह नहीं है, तो ऐसे मामलों में सरकार चुप क्यों है। अगर मेरा आरोप गलत साबित हो, तो मैं माफी मांग लूंगा और अगर मेरे शब्द से उनको दुःख पहुंचा है। हजारों करोड़ों रुपए का देश में घोटाला हो रहा है, उससे उनको जरा भी पीड़ा नहीं होती है। वित्त मंत्री जी को यहां बतलाना चाहिए कि क्या तीन महीने लगेंगे। सरकार में आप भी बहुत दिन रहे हैं। क्या सरकार को ऐसे मामलों में जानकारी करने के लिए तीन महीने का समय चाहिए ? मैं कहता हूं कि सी०बी०आई० या इकोनोमिक इंटैलिजेंस के लोग चौबीस घण्टे में सारे मामलों की रिपोर्ट दे दें। मैं आपसे कहता हूं कि इन बातों पर ये क्यों चुप हो जाते हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं है ? इन सारी बातों के पीछे कोई षड्यन्त्र नहीं है तो सरकार पूरे तथ्यों को सामने क्यों नहीं रखती और इन सब के लिए जिम्मेवार व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ती है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे पुस्तकें और रिकार्ड कहां हैं यह आवश्यक है। सभा में गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार कुछ भी जवाब नहीं दे रही है सिवा इस आश्वासन के कि एक जांच चल रही है जिसमें तीन महीने का समय लगेगा। उन किताबों और रिकार्डों का क्या हुआ ? उन लोगों के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ? क्या अब तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया है ? यह अत्यन्त गंभीर मामले हैं। यदि वे किताबें और रिकार्ड इन लोगों के पास रहते हैं तो महोदय, उस जांच का महत्व ही क्या है ? करोड़ों रुपये का मामला है। बाहरी लोग उदारीकरण की नीति के कारण इससे जुड़ गए हैं। इसलिए ये अत्यन्त गंभीर मामले हैं और हम यह आशा करते हैं कि सरकार तुरन्त अपना उत्तर देगी। हम अनिश्चित काल तक इन्तजार नहीं कर सकते हैं

श्री रूपचन्द्र पाल (हुगली) : महोदय, इस मुद्दे पर हमने एक नोटिस दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने बार बार यह रिपोर्ट दी है कि उनके बैंक खातों का दो-तीन वर्षों से मिलान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल जी, मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सख्त आपत्ति की है। वाजपेयी जी जानते हैं। अतः हमने यह मांग की थी कि बैंक खातों को स्पष्ट किया जाए और गोपनीयता के अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जाए। वे हमेशा गलत जवाब देते हैं। उन्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने हैं।

श्री रूपचन्द्र पाल : हमें यह पता चला है कि कई बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के भूतपूर्व अधिकारी इन उद्योगों तथा संगठनों के निदेशक मण्डलों में शामिल है जिसका संचालन बिग बुल द्वारा किया जा रहा है वे भारतीय स्टेट बैंक और एन०एच०बी० के लिए कार्य कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे ग्रामीण आवासीय कार्यों के लिए कुछ भी पैसा नहीं दे रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, सभा के इस पक्ष में बैठे हम सभी उतने ही चिंतित है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम जान जाएंगे "वह कैसे इसका जवाब देते हैं"।

श्री ए० चार्ल्स : जो घटना घटी है हम उस बारे में उतने ही चिंतित हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष का यही कहना होता है कि हम देश को बेच रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अपने कार्यों से यह प्रमाणित करें।

श्री ए० चार्ल्स : यह सभा केवल विपक्ष के लिए नहीं है। प्रत्येक दिन वे सभा के कार्य को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मुझे सभा का संचालन करने दें। श्री चार्ल्स आप एक अच्छे संसद्विद हैं। उन्होंने अत्यन्त संगत मुद्दा उठाया है। आप उन्हें संगत रूप से उत्तर दें। इस तरह से उन पर आरोप न लगाएं।

श्री ए० चार्ल्स : मैं समझता हूं। मैं उन सदस्यों में एक हूं जिन्होंने एस०इ०बी०आई० विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया था। यह रिकार्ड में है कि हमने सुझाव और शिफारिश की थी शेयर कि धारकों की रक्षा होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। यदि कोई गलती हुई है तो यह पता लगाना चाहिये कि वास्तव में कौन जिम्मेवार है और क्या उसमें कुछ अधिकारी शामिल हैं। 'षड्यन्त्र' शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ भी हो, हमें यह देखना होगा कि एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझ कर कोई गलती की है या लापरवाही के कारण कुछ गलती हुई है या कोई गलती की गई है तो वह गलत बात है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम भी यह चाहते है कि एक निष्पक्ष जांच हो और वास्तव में जो घटित हुआ है उन सभी बातों को उजागर किया जाए। लेकिन मुझे यह कहना है कि यह सारी गड़बड़ी तब पैदा हुई जब हमने फेयर फेक्स को इसमें शामिल किया। हमारे मित्र श्री चटर्जी ने तब इसकी आलोचना की थी। (**व्यवधान**)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : वह कुछ कह रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

श्री ए० चार्ल्स : सत्य को प्रकट करने के लिये तथा दोषियों को सजा दिलाने और सही कार्रवाई करने का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। शेयर धारकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये। हमें यह समझ में नहीं आता कि एक बैंक ने इतने करोड़ रुपये किस तरह दिये। हमें सच्चाई जाननी होगी कि वास्तविकता क्या है। अधिकारी को सजा मिलनी चाहिये और हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : सरकार को सत्य जानने में कितना समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, सरकार का एक सदस्य उत्तर देने की कोशिश कर रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : कई मुद्दे उठाए गए हैं। **(व्यवधान)** आप सुनते क्यों नहीं ? ईश्वर ने हमें सुनने के लिये दो कान दिए हैं। यही समस्या है। **(व्यवधान)** कई मुद्दे उठाए गए हैं। श्री वाजपेयी जी द्वारा यह बताने के लिये हम आभार व्यक्त करते हैं कि ईश्वर ने हमें सुनने के लिये दो कान और बोलने के लिये एक मुंह दिया है।

मैं श्री चन्द्र शेखर का बहुत सम्मान करता हूं। वास्तव में वह मुझे स्नेह देते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरे विचार में वैचारिक दृष्टिकोण संबंधी मतभेद के कारण गैर जिम्मेदारी और षड्यंत्र का आरोप मढ़ने की हद तक नहीं जाना चाहिये। हम एक बात यह मान लें। कांग्रेस पार्टी के आर्थिक दृष्टिकोण और वामपंथियों में मतभेद हैं। हमारे बीच मतभेद हैं और मैं समझता हूं कि कुछ पहलुओं से श्री चन्द्र शेखर सहमत हैं। **(व्यवधान)**

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आप अपनी टिप्पणी बाद में दे सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का उत्तर देते हुए पहले मैंने कहा है कि इन मतभिन्नताओं के बावजूद मेरा यह मानना है कि कुछ नीतियों के पहलुओं पर मतैक्य भी है और मेरे विचार बड़ी राजनैतिक दलों—जैसे जनता दल जिसका मैंने विनोदपूर्वक उल्लेख करते हुए कहा था कि उत्तरदायी पक्ष जनता दल भी नीति से सहमत हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है कि सरकार इस देश को बेच रही है। मुझे याद है श्री वाजपेयी ने जो कुछ सप्ताह पूर्व कहा था। उन्होंने कहा था कि यह देश अत्यंत विशाल है। देश के लोग अत्यंत गौरवान्वित हैं और इस देश को किसी को बेचने के विरुद्ध और भी मजबूत इरादे वाले हैं। मैं नहीं समझता कि इस देश को बेच सकता है। मैं विनम्रतापूर्वक और पूरी ईमानदारी से यह निवेदन करता हूं कि श्री चन्द्र शेखर ऐसे विचार और नीतिगत मतभेदों को हद तक न खींचें कि यह आरोप लगाना पड़े कि सरकार देश को बेच रही है।

महोदय, इस विशेष मुद्दे पर मुझे याद है इस सभा में कहा गया वित्त मंत्री का कथन। उन्होंने जो कहा है वह मैंने समझने की कोशिश की है। मुझे यह बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक चूंकि शीर्ष एवं प्रमुख बैंक है इसलिये सर्वप्रथम उसे जांच शुरू करनी चाहिये। और भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी जांच के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यह कार्य कर रहा है। हम आशा करते हैं कि तथ्य सामने आएंगे ·· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आए दिन ऐसा होता है ? (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं आपको विवरण नहीं दे सकता। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पता लगाए गए तथ्यों से कुछ और निष्कर्ष निकलता है और आगे कार्रवाई की जानी है तो उपयुक्त एजेन्सियों को इस मामले की छानबीन करने के लिये कहा जाएगा।

महोदय, स्टाक बाजार में जो कुछ भी हो रहा है उस बारे में हम सभी अवगत हैं। मेरे विचार में वास्तव में मुम्बई में तीन चार सप्ताह पहले, मैंने कहा था कि यह अत्यंत असंगत व्यवहार है। यही एक कारण है जबकि हम स्टाक बाजार को नियमित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं।

मेरे विचार में 'सेबी' को सशक्त बनाने का यह भी एक कारण है। मैं सोचता हूं कि एक विधेयक पारित किया गया है। लेकिन कहना यह होगा कि इस उदारीकरण के पीछे कोई खास ही कारण है और इसका कोई खास ही प्रभाव पड़ेगा और इससे उस अर्थ-व्यवस्था और परिवेश के प्रति हमारी गलत फहमी हो सकती है, जिसमें हम गुजर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने जो कुछ किया है वह सही है। गत जुलाई से हमारी नीतियों ने इस देश को आर्थिक विनाश के कगार से वापिस मोड़ लिया है। गैर-कांग्रेस सरकार के शासन के सोलह महीनों में देश ने हर किस्म की चूक की। हमने देश को आर्थिक विनाश से बचा लिया है और आज देश में विकास हो रहा है..... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उदारीकरण से काम नहीं चल सकता। हम आपकी आर्थिक नीतियों से तंग आ गये है (व्यवधान)

श्री पी०चिदम्बरम् : आप देश से तंग हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया, देश उससे तंग था। पूरे विश्व में आप लोगों की विचारधारा जो रंग लाई, देश उससे परेशान हो गया था ..... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह अपनी आर्थिक नीतियों पर भाषण दे रहे हैं। यहां एक विशिष्ट मुद्दा उठाया गया है और वह यह भाषण दे रहे हैं..... (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : श्री सोमनाथ चटर्जी जिस विचार धारा को लागू करना चाहते हैं, पूरी दुनिया ने इसका विरोध किया है। और इसमें ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हम इसे स्वीकार कर लें। मैं श्री चन्द्रशेखर जी का आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि चन्द्रशेखर जी की नीतियों के बहुतेरे पहलू सही हैं।..... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उठाये गये मुद्दे का यही उत्तर है ?

श्री पी० चिदम्बरम् : वास्तव में चन्द्रशेखर जी ने विश्वास प्रस्ताव पर स्पष्ट शब्दों में जो उत्तर दिया था, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे तत्व बताये थे जो कि हर किसी को स्वीकार कर लेने चाहियें, यह वरना अभी भी मुझे याद है। महोदय, मतभेद तो होते ही हैं। लेकिन इन मतभेदों को इस कदर लेकर यह कहना कि उदारीकरण के द्वारा देश को बेचा जा सकता है, इस बात का हम खण्डन करते हैं। महोदय, आप देखेंगे कि इस तरह का विरोध तो सभा के बहुत ही संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों की ओर से हो सकता है। और सभा में यही संकीर्ण विचारधारा ही हमसे मेल नहीं खाता। हम इन मतभेदों को मानते हैं। लेकिन हम उन्हें कोई षड्यंत्रकारी नहीं कह रहे हैं और इसी तरह उन्हें भी हमें षड्यंत्रकारी नहीं कहना चाहिये।

श्री चन्द्र शेखर : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है । मैं शुरू से ही यह कहता आया हूं — मैं अपने साथी श्री चिदम्बरम जी से सहमत हूं जिनके प्रति मैं काफी आदर रखता हूं—कि हम लोग विपरीत दिशा की ओर व्यासाभिमुख रहते हैं । वह यह सोचते हैं कि उन्होंने देश को आर्थिक बर्बादी से बचा लिया है । मैं यह सोचता हूं कि उन्होंने देश को एक ऐसी परिस्थिति में ला खड़ा किया है, जहां कि सप्ताह में तीन बार हमें एक बाहरी देश से धमकियां मिलती रहती हैं, जो कि अपने को यह मानता है कि इस देश का भाग्य निर्धारित करना उनके हाथ में है । भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और न ही विश्व के किसी भी राष्ट्र के इतिहास में इस तरह की घटना हुई है । अतः देश के हितों को बेचने का यह अभिप्राय नहीं है कि आप संसद भवन के फर्नीचर आदि को बेच रहे हैं । देश को धमकियां दी जा रही हैं । जार्ज बुश की ओर से नहीं, और न ही मिस्टर बेकर की ओर से, बल्कि एक अवर-सचिव की ओर से और आप उसका उत्तर देने को तैयार नहीं हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने गुरु श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी यह समझना चाहिये कि वह महान देश अब कहां है जिस पर उन्हें इस बात का गर्व है कि कोई भी इस देश को नहीं बेच सकता ।

जब देश बिकते हैं, तो फर्नीचर परिसंपत्तियां अथवा कारखाने आदि को बेचने से नहीं बिकते, बल्कि देश का आत्म-सम्मान बेचा जाता है और मेरे इस साथी की पार्टी और उनकी सरकार ने बड़ी सहजता से यह कर दिखलाया है, जो कि विगत तीन-चार महीनों में आपने अकेले नहीं किया और न ही आपके दल के अन्य किसी सदस्य ने अकेले किया है । यही तो बात है । मैं आर्थिक नीति पर जो मतभेद है, उनको समझ सकता हूं मैं आपके उदारीकरण को भी समझ सकता हूं, जो कि देश को एक ऐसी जगह ले जाकर छोड़ेगा जहां से कोई भी वापिस नहीं लौट सकता । लेकिन यह प्रश्न सरकारी बैंक द्वारा हजारों करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग करने से जुड़ा है । (**व्यवधान**) इन अधिकारियों को क्यों बचाया जाये ? मुझे नियमों की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक को इस मामले की जांच करनी चाहिये, यहां से किसी के जाने पर ही सी०बी०आई० दल आयेगा । इसका यह अभिप्राय हुआ कि तब तक हर चीज दबा दी जाएगी । मैं अपने साथी श्री चिदम्बरम से यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस मामले में शीघ्रता बरतनी चाहिये । उन्हें सभी तकनीकियों में ही नहीं उलझे रहने चाहिये । तकनीकियां न तो किसी राष्ट्र का निर्माण करती हैं और न ही किसी राष्ट्र का विनाश करती हैं । आप इस देश की इच्छा शक्ति का दमन कर रहे है । और इस सरकार की आशा को दबा रहे हैं । चारों तरफ लोगों में भ्रम व्याप्त है यदि आप संसद में इन प्रश्नों के खुलकर उत्तर नहीं देते, तब तक दोषी अधिकारियों का पर्दा-फाश नहीं हो सकता । यदि आप यह कहते हैं कि ये अधिकारी इस सरकार का अंग नहीं हैं तो मैं यह कहूंगा कि सरकार देश को नहीं बेच रही बल्कि ये अधिकारी ही देश को बेचने में लगे हैं । संसदीय लोकतंत्र की मेरी समझ के अनुसार यदि ये अधिकारी ही देश को बेचने में लगे हैं और मंत्रीगण चुप्पी साधे हैं, तो मैं अपनी बात को बिल्कुल सही मानूंगा कि सरकार ही देश को बेचने में लगी है । इसलिये मैंने यह कहा है कि मेरी बात का अभिप्राय कोई व्यक्तिगत दोष रोपण वाली बात नहीं है । मैं तो आपके प्रति अत्यन्त स्नेह और सम्मान रखता हूं । लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आप लोग अपने कर्तव्य की अवहेलना ही करेंगे ।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी की टिप्पणी के अंतिम भाग से पूर्णतया सहमत हूं (**व्यवधान**) कृपया सुनिये मैं सरकार की ओर से इस सभा को यकीन दिलाता

हूं कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा । सरकार प्रत्येक दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी भले ही वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो । (व्यवधान)

श्री तरितबरण तोपदार (बैरकपुर) : मंत्री महोदय ..... (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : इन्हें इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिये । यह एक संसद सदस्य के उत्तरदायित्व को नहीं समझते । यह केवल मेरे प्रति ही इतने कठोर नहीं है, बल्कि पूरी सभा के प्रति कठोर हैं । हम यहां कोई कुत्ते बिल्लियां नहीं है । इनको इस तरह से चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है । इन्हें बता देना चाहिये कि किस तरह का आचरण दर्शाएं । (व्यवधान) मैं श्री चन्द्रशेखर जी का बहुत आदर करता हूं । हम उनकी बात के पिछले भाग को मानते हैं । किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा । इस प्रतिवेदन पर पूरी कार्यवाई होगी । यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और आप यह देखेंगे कि सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाही करेगी (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे, यही सवाल है (व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं चिदम्बरम् जी को सुनने के बाद एक बात कहना चाहता हूं । सारा सदन कह रहा है कि आर बी आई कवर-अप करने में इंटरस्टेड है । मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के दल के लोगों से इस सदन का इतिहास याद दिलाना चाहता हूं शायद इससे कुछ ज्ञान मिले । ..... (व्यवधान) प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने में इस सदन में इनके दल के स्व० फिरोज गांधी ने मुन्द्रा स्कैन्डल के बारे में सवाल उठाया था । आप याद कीजिए उससे ज्यादा जबर्दस्त स्कैन्डल हुआ है जो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उठाया है । जो सवाल स्व० फिरोज गांधी ने उठाया था, उसमें शायद करोड़ों रुपया इनवाल्व नहीं था । फिर भी प्रथम प्रधान मंत्री ने फिरोज गांधी की बात मान ली । उस वक्त देश के सबसे इलस्ट्रीयस जज श्री छागला, जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में छागला कमीशन बिठाया गया था । आपको पता है कि छागला कमीशन के बाद हिन्दुस्तान के कांग्रेस दल के बड़े नेता कृष्णमाचारी को मंत्री पद खोना पड़ा । यहां पर चिदम्बरम जी और अन्य मंत्री बैठे हुए हैं और कांग्रेस सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि छागला कमीशन की तरह एक कमीशन बनाकर उसकी सहायता के लिए सी०बी०आई० को सौंपकर सारी चीज की न्यायिक जांच करायेंगे । तब आपको मालूम पड़ेगा कि चिदम्बरम जी कह रहे हैं उसकी सिन्सियोरिटी है वरना इसकी कोई सिन्सियोरिटी नहीं है । मैं आखिरी जुमला बोलना चाहता हूं । हम लोग कालोनी हो चुके हैं विदाउट आक्युपेशन । ईस्ट इंडिया कंपनी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक में इतना ही अन्तर है ।

[अनुवाद]

कब्जे वाली कोई बात नहीं है लेकिन इस सत्ता-दल के कृत्यों और चूकों के कारण हम उपनिवेश बनकर रह गए हैं ।

1.66 म० प०

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, जो लोग धनराशि के दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध जांच-कार्य आरम्भ किया गया है । और अब इस जांच का भाग्य क्या होगा ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कोड़ीकुन्नील सुरेश ।

श्री कोड़ी कुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत 'हिन्दुस्तान लेटक्स' नामक सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी है जिसने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये प्रोन्नति तथा अन्य सुविधाओं के बारे में साफ मना कर दिया है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों ने एक माह पूर्व हिन्दुस्तान लेटक्स कम्पनी के सामने सत्याग्रह का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था ।

इस कम्पनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या 500 के लगभग है । कम्पनी के प्रबंधन ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को बुलाकर उनकी गंभीर और ज्वलंत समस्याओं के बारे में अभी तक भी कोई बातचीत नहीं की है ।

मैं, आपके माध्यम से, सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप कर कंपनी के प्रबंधन को उचित दिशानिर्देश जारी करने चाहिएं कि उनकी समस्या को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वान्डायार ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मुझे भी एक निवेदन करने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरों को भी बोलने दीजिए .....

(व्यवधान)

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार (थंजावुर) : महोदय, तंजौर में रेलवे कालोनी में एक माध्यमिक विद्यालय विगत पैंतीस वर्षों से कार्यरत है । यह विद्यालय 309 बालकों और 189 बालिकाओं की अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है । इस विद्यालय में लगभग 15—20 अध्यापक हैं रेलवे अधिकारियों ने, बिना ही कोई कारण बताये उनको साफ-साफ कह दिया है कि 30 अप्रैल, 1992 से पहले ही विद्यालय को खाली कर दिया जाए । तंजौर रेलवे कर्मचारियों के हित में, इस विद्यालय को, बिना किसी दुर्भावना के, चलने दिया जाना चाहिए । विद्यालय के बने रहने के लिए रेल मंत्री को अविलम्ब तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री जी०एम०सी० बालयोगी (अमलापुरम) : महोदय, 27 अप्रैल, 1992 को आन्ध्र प्रदेश राज्य के जिला पराकसम, गांव चिमाकुर्त में तीन दलित महिलाओं के साथ कथित रूप से बलात्कार कर उन्हें जान से मार दिया गया और उनके शव पल्लव ग्रेनाइट कंपनी के तालाब में पाये गये । मृतक महिलाओं के नाम इस प्रकार से हैं :

(i) वी० रामालम्मा, आयु 30 वर्ष; (ii) राघुरा अंजामा, आयु 23 वर्ष ; और (iii) पाडुलाईसामा, आयु 40 वर्ष ।

आन्ध्र प्रदेश पुलिस इस अपराध में शामिल अपराधियों को अभी तक भी नहीं पकड़ सकी। और अपराध का शिकार हुए परिवारों को उचित वित्तीय सहायता भी नहीं दी गई है। आन्ध्र-प्रदेश राज्य में दलितों के साथ होने वाली यह कोई पहली घटना ही नहीं है, कानून और व्यवस्था तंत्र की असफलता के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ इस तरह की अत्याचार की घटनाएं प्रायः घट रही हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार से आग्रह है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाएं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए। और यह मामला सी०बी०आई०/सी०आई०डी० को भी सौंपा जाए और इस जुर्म के लिए एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री कोष से पांच-पांच लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाए।

[हिन्दी]

श्री डी० जे० दडेल (दमन और दीव) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात, दमन और दीव के फिशरमैन जब समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ चूंकि हमारा बोर्डर तय नहीं हुआ है इसलिए वे हमारे फिशरमैन को पकड़ कर पाकिस्तान ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। हमारे हिन्दुस्तान के लोग भी पाकिस्तान के फिशरमैन को पकड़ लेते हैं। यह क्रम आठ-दस साल से चल रहा है। मैंने नौवीं लोक सभा में भी इस मामले को उठाया था, परसों भी मैंने उठाया, मंत्रालय में कई बार कहा कि बोर्डर तय नहीं होने की वजह से यह घटना बार-बार होती है। लेकिन हमारी सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारे मछुआरों को वहां की जेल में दो-दो साल तक रहना पड़ता है बिना किसी अपराध के। इससे हमारा बिजनेस बिल्कुल सिक हो गया है। वहां पर कुछ प्रोसेस्ड उद्योग हैं वे भी सिक हो गये हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं 24 जनवरी को पाकिस्तान के तट रक्षकों ने हिन्दुस्तान के फिशरमैन को पकड़ा। हमारी बोट में तिरंगा झण्डा लगा हुआ था, उसको उतार कर उन्होंने अपनी बोट पर लगाया और एक कैसेट लगाकर हमारे फिशरमैन्स व खलासी को ऊपर डांस करवाया। इन फिशरमैन्स के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, उसके बारे में गुजरात एवं दमन-दीव के फिशरमैन्स व वहां की संस्थाओं ने यहां बातें रखी लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूं कि वहां इम्मीडिएटली बार्डर को नक्की किया जाए या ऐसी कोई व्यवस्था की जावे कि हमारे फिशरमैन्स पाकिस्तान की तरफ न चले जाएं और न पाकिस्तान के फिशरमैन्स इधर आ सकें। इस संबंध में मंत्री जी से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां से चिट्ठी आई है कि दमन और गुजरात के वलसाड़ डिस्ट्रिक में फिशरमैन्स का रजिस्ट्रेशन होता है और वर्षों से वलसाड़ डिस्ट्रिक में उमरगांव में होता था लेकिन अभी अभी आर्डर निकला है कि 1000 कि०मी० दूर वेरावल (सौराष्ट्र) में जहाज का रजिस्ट्रेशन करना है तो ये फिशरमैन्स वहां कैसे जा सकते हैं। सिर्फ एअर-कन्डीशन्ड कमरों में बैठकर और नक्शा देखकर आर्डर निकाल देते हैं। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, उसके बारे में जो वहां हालत खराब है, उसके लिए व्यवस्था करायें और जो पहला आदेश था, उसको ही यथावत् रखें और नये आर्डर को रद्द करें।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैट्रोल एवं डीज़ल का भारी संकट पैदा हो गया है। इस संकट का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में डीज़ल की प्रतिदिन औसत खपत 60 से 70 हजार किलोलीटर से अधिक है जबकि इस समय डीज़ल की औसत आपूर्ति 12 हजार किलोलीटर ही प्रतिदिन हो रही है। एक तो इस क्षेत्र में पिछले डेढ़ महीने से बिजली की आपूर्ति नाममात्र की हो रही है यहां तक कि पूर्वांचल के जिला मुख्यालयों में बिजली कई कई घण्टे नहीं आती है। गाजीपुर शहर जो मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है, में तो कभी-कभी 8-8, 10-10 घण्टे बिजली लगातार गायब रहती है। जहां एक ओर बिजली आपूर्ति की यह हालत है, वहीं पैट्रोल और विशेष रूप से डीज़ल के अभाव के चलते किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। कारण कि अभी किसानों की फसलों की मड़ाई नहीं हो पाई है। डीज़ल के अभाव में अधिकांश थ्रेशर बन्द पड़े हैं। इसी तरह अधिकांश पम्पिंग सेट भी डीजल के अभाव में बन्द हो गये हैं। इस तरह खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। डीज़ल से चलने वाले यात्री वाहनों पर भी इसका असर पड़ा है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से गाजीपुर जिले में पैट्रोल एवं डीज़ल की कमी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और उस क्षेत्र में डीज़ल की पर्याप्त आपूर्ति हो ताकि किसान अपने खेती के काम को पूरा कर सकें।

[अनुवाद]

श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र आदिलाबाद जिले में 1000 से भी अधिक गांव भीषण सूखे से प्रभावित हुए हैं। सिंचाई के लिए पानी की तो बात ही क्या, लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। कुछेक नलकूपों और कुओं की खुदाई के स्थान का चयन कर लिया गया है और उनकी सूची भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है जोकि विगत एक वर्ष से वहां लम्बित है। लेकिन नलकूपों के लिए अभी तक एक भी पैसा स्वीकृत नहीं किया गया। मवेशी और पालतू पशु भूख से मरे जा रहे हैं। हमारी जिला प्रजा परिषद और मण्डल प्रजा परिषद ने पहले से ही सर्वसम्मति से संकल्प पारित किये हैं, जिनमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है कि हमारे इलाके में सूखा राहत कार्यों के लिए व्यापक सहायता कार्यक्रम बनाये जायें। सूखे की स्थिति के कारण गत एक वर्ष से श्रमिकों के लिए कोई कार्य ही नहीं है। कुछ श्रमिक तो पड़ौसी राज्य में पलायन कर रहे हैं—आजीविका कमाने और अपने आपको भूख और काल से बचाने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं। हमारे जिले में अधिकतर लोग आदिवासी हैं, अनुसूचित जातियों के और पिछड़े वर्गों के हैं और ये लोग सरकार की उपेक्षा के कारण ही कष्ट झेल रहे हैं।

आपके माध्यम से, माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि भोजन और काम कार्यक्रमों आदि जैसे सूखा राहत कार्यक्रमों के लिये 10 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाये, जिससे कि भुखमरी का शिकार हुए लोगों को और अधिक कष्ट न झेलने पड़ें। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह हमारे उन लोगों के लिए, जोकि अधिकांश आदिवासी और अनुसूचित जातियों के तथा पिछड़े वर्गों के हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु संछिद्रण एवं अन्य कुओं की खुदाई के लिए तत्काल 5 करोड़ जारी करें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करे और सूखा राहत कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराए ।

श्री के०पी० सिंह देव (ढैंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की अत्यधिक प्रसिद्ध दलदली भूमि के विषय में एक बात कहना चाहता हूं । यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है और जिसके कारण यह राष्ट्रीय महत्व का बन गया है । यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी झील है और यह वहां पर आने वाले और वहां पर रहने वाले पक्षियों के लिए प्रजनन का अद्वितीय पारिस्थितकी स्थल है । इसके अलावा एक लाख मछुवारों के परिवार, जिनकी संख्या लगभग आधा मिलियन है, अपने जीवन-यापन के लिए इस चिल्का झील पर निर्भर हैं, महोदय, चिल्का झील में समुद्र के पानी के प्रवेश स्थल को चौड़ा करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम उठाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नावें ममरमुख के नजदीक एक स्थान तक आ सकें ।

महोदय, इस चैनल को गहरा और चौड़ा करने से न केवल इस झील की क्षमता और उत्पादन पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि उस क्षेत्र में झींगा मछली पालन के लिए कुछ परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं । इससे उन आधा मिलियन मछुवारों पर प्रभाव पड़ेगा जोकि अपनी जीविका उस झील से प्राप्त कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त उन लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जो मत्स्य पालन का व्यापार कर रहे हैं । मछुवारें पहले ही आन्दोलन कर रहे हैं और एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किए जाने से पहले इस अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध और राष्ट्रीय महत्व की इस परती भूमि को राज्य सरकार द्वारा नष्ट किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और चूंकि पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है । महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और पुनर्वास कार्यक्रम पर प्रभाव का मूल्यांकन किए जाने से पहले सरकार इस परियोजना को रोकने के लिए कदम उठाए । इन मछुवारों के पुनर्वास के प्रश्न से सामाजिक तनाव बढ़ेगा जो कि फिलहाल हो रहा है । महोदय, इस पर उड़ीसा राज्य विधान सभा में भी चर्चा हो चुकी है ।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : माननीय अध्यक्ष जी, 12 अप्रैल से अंबेडकर जी के जीवन पर एक टी० वी० सीरियल प्राइम टाइम में दिखाया जाता है, हर रविवार रात 9 बजे दो विभागों का प्रक्षेपण आज तक किया गया है और 8 विभाग कुल मिलाकर हैं । दो विभागों के दर्शन लेने के बाद हम यह सोचते हैं कि यह सीरियल आगे चलने से एक बड़ा संघर्ष देश भर में खड़ा होना संभव है । उसका लेखन बहुत गलत तरीके से किया गया है । कोई भी इतिहास के आधार पर सीरियल बनाता हो और जो व्यक्ति हमारे साथ यहां घटना का निर्माता हो, हमें मालूम है कि अंबेडकर जी कैसे थे और इस विषय में अपने भारत रत्न अंबेडकर जी के बारे में जब इस तरह की बातें की जाती हैं जिसमें काल-विपर्यय हो, स्थल-विपर्यय हो तो वह बात गलत है । बेश की दृष्टि से जब अंबेडकर जी छोटे थे, तो उन दिनों में स्कूल में पढ़ने वाले जो लड़के हैं, हाफ पैण्ट-शर्ट पहने है, इस तरह से दिखाए गए हैं । वहां जिस तरह से संवाद-लेखन है, वह भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं । बहन अपने भाई के साथ बात करते हुए बोलती है कि—"मैं यह खबर सतपाल भाई को अभी बताती हूं ।" सतपाल भाई ही उसका भाई है तो वह केवल भाई कहेगी । एक लड़का

अपने चाचा के साथ किस तरीके से बात करता है—"चाचा, मैं रामजी सतपाल हूं।" यानि, जो लेखक है, उसे लगा कि रामजी सतपाल सिर्फ नाम है। इस पर चाचा कहता है कि "तुम रामजी सतपाल हो।"

जब मुंबई में अंबेडकर जी पढ़ते थे, तब वहां जो घटना घटी वह सतारा में दिखाई गई। अंबेडकर जी के पिताजी लश्कर में शिक्षक थे। यह बात ठीक है। वे बहुत ही शांत व्यक्ति थे और उनको इस तरह से दिखाया है कि कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग यानि ऐसे-वैसे लोग नहीं, दया पवार, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि वे तो डकैत थे।

अध्यक्ष महोदय : किसने कहा है ?

श्री राम कापसे : उन्होंने कहा है डकैत लिखते हैं सीरियल में, और जिसने यह लेख "लोक-सप्ताह" में दिया है, वह कहते हैं कि वे तो जनरल जिया के माफिक दिख रहे थे। वे लश्कर में शिक्षक थे, इस तरह की नई चीज है। उनका छाया चित्र भी उपलब्ध है, फिर भी इस तरह से दिखाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या टी०वी० में ऐसा कहा गया है, दिखाया गया है।

श्री राम कापसे : जी हां, टी०वी० में सीरियल उनका चल रहा है, उसके सम्बन्ध में दया पवार जी ने उसकी समीक्षा की है।

अध्यक्ष महोदय : दया पवार जो कुछ कह रहे हैं, अगर गलत बात है तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री राम कापसे : सबसे गलत बात यही है कि वसन्त मून, जिन्होंने अम्बेडकर जी के लेखों का सम्पादन किया, उनके बारे में भी कहा गया है कि वे सलाहकार है, इस टी०वी० सीरियल के। इसके उत्तर में, उन्होंने झट से कहा कि इस टी०वी० सीरियल से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और यह सीरियल जल्द से जल्द बंद हो। सविता अम्बेडकर उनकी धर्मपत्नी थीं। उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया है कि दो दिन के भीतर अगर इसे बंद नहीं किया गया तो संघर्ष खड़ा हो जायेगा।

यही नहीं, संगीत, पाप म्यूजिक, कोंकण जब दिखाते हैं तो उत्तर भारत के लोग उसमें दिखाते हैं। इस तरह से लेखन, निर्देशन, संगीत, छायाचित्र, हर तरह से, अभिनय का तो कोई पता ही नहीं है, इसलिये अम्बेडकर जी के प्रति यह बहुत बड़ा अपमान है, अवमानना है। इसके 8 विभाग हैं जिनमें से दो विभाग तो शैशवावस्था के लिये चलाये गये हैं, शिशु काल से सम्बन्धित हैं, और शायद ऐसा होगा कि आठों विभाग दिखाने के बाद, अम्बेडकर जी का जो दर्शन हम चाहते हैं, वह वास्तविक दर्शन हमें मिलने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसको डिस्टोर्ट नहीं होने देना चाहिये। वे एक डकैत जैसे नजर आते हैं, वगैरह, इसको डिस्टोर्ट नहीं होने देना चाहिये।

श्री राम कापसे : यह दया पवार जी का वाक्य है। मैंने जो शब्द भी कहे हैं मैं उन पर कायम हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका जिक्र करना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : मुझे ऐसा लगता है कि जिस रूप में यह सीरियल दिखाया जाना चाहिये, उस रूप में नहीं दिखाया जा रहा है और इसी कारण मैं यहां बोल रहा हूं क्योंकि मुझे वह अच्छा नहीं लगा। मैं उसका विरोध करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस सीरियल के सम्बन्ध में और पुनर्विचार करें, आपको पता हो जायेगा कि यह सीरियल यदि आगे चलना है तो उससे लोगों में रोष बढ़ेगा, संघर्ष वाली बात आ सकती है। इसे कुछ दिनों के लिये आप सस्पैंड करो। मैं इस बारे में मंत्री जी का बयान चाहता हूं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, बाबा साहेब अम्बेडकर के सीरियल के बारे में जो कुछ यहां कहा गया, यह बात सही है, लेकिन हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सीरियल को सस्पैंड करने के हक में नहीं हैं। हम लोगों ने जब एक सैंटेनरी कमेटी बनायी थी, उस समय हमारी इच्छा जरूर थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक सीरियल बनाया जाये, वह उसी तरीके से बने, जैसे महात्मा गांधी जी का बनाया गया था, किसी प्रोफैशनल व्यक्ति को देकर, और बहुत अच्छे ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह सीरियल बने क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान के जनक थे, इसलिये उन पर बहुत बढ़िया फिल्म बनायी जाये। यद्यपि हम लोगों का विचार था, लेकिन वैसा नहीं हो सका। हम मान लेते हैं, उसमें कि सरकार ने कुछ चुना और चुनने के बाद, वह कुछ हमें दिखला रही है। यदि दिखलाने के बाद, मैं जानता हूं कि यदि बीच में उसे बंद कर दिया गया तो दोबारा वह दिखाया जाने वाला नहीं है। यदि बंद करके, अच्छे रूप में वह फिर से दिखाया जाये, तो मैं उसे सपोर्ट करता।

श्री राम कापसे : श्याम बेनेगल भी तैयार हैं, बनाने के लिये।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन एक बार यदि उसे रोक दिया गया तो जिस तरीके से शुरू किया गया है, वह परमानैंटली रुक जायेगा, क्योंकि नियत साफ नहीं है। फिर भी यह बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि उसमें यदि कुछ चीजें ऐसी हैं, हमने भी उसे देखा है, मैं मानता हूं जैसे उनके पिता जी को जिस रूप में दिखाया गया और मरने के समय जो दिखलाया गया, उसे बहुत ही भावुक तरीके से दिखलाया गया है, ऐसा नहीं है कि उनका चेहरा ऐसा है, जो हमें वास्तविक नहीं लगता है। अब प्रश्न है कि किस रूप में उसे बनाया जाये, दिखाया जाये.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अब अगर कोई कह दे कि राम विलास जी एक डाकू जैसे दिखाई देते हैं तो क्या किया जाये।

श्री राम विलास पासवान : और कम से कम अटल जी कह दें तो उसका क्या जवाब है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि उसमें जो बातें ठीक नहीं हैं, किसी को आपत्ति है तो सरकार उसे देखे। जो सब मानते हैं, उसे जरूर दिखाना चाहिये। हम तो यह चाहते थे, मेरी अभी भी इच्छा है, सदन की इच्छा है कि सरकार को जितना पैसा इस पर खर्च करना चाहिये था, सरकार को मालूम था कि 100 वर्ष के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष आने वाला है, 1980 से हम लोग मांग कर रहे थे इस सदन में, लेकिन 10–12 साल बाद भी, कोई बढ़िया फिल्म उन पर नहीं बन पायी, यह बड़े अफसोस की बात है। जब फिल्म बनी है, यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक-ठाक करके दिखाया जाये लेकिन फिल्म बंद नहीं होनी चाहिये। यदि बंद कर दिया जायेगा दिखाना, तो कोई दूसरा बवंडर खड़ा हो सकता है, यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय तीरंदाज श्री लिम्बाराम को बीजिंग, चीन में हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट, 1992 में 30 मीटर दूरी कि प्रतिस्पर्धा में विश्व रिकार्ड की बराबरी करने के लिए बधाई देता हूं। यह प्रशंसनीय है कि श्री लिम्बाराम ने टूर्नामेंट में 360 संभावित अंक में से 357 अंक अर्जित किए और 1987 में जापान के मत्सुसहिता तकाइसी के विश्व रिकार्ड की बराबरी की, यह बड़े गौरव की बात है कि श्री लिम्बाराम सभी व्यक्तिगत क्वालीफाइंग चक्रों में संभावित 1,440 अंकों में से 1,296 अंक अर्जित करके बढ़त बनाए हुए हैं। उनकी उपलब्धि से भारतीय तीरंदाजी विश्व में उभर कर सामने आई है। राष्ट्र को प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने के लिए हम इस नौजवान की उपलब्धियों को सराहना करते हैं। मुझे यकीन है कि मेरे साथ यह सदन भी उन्हें बधाई देगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम आपके साथ हैं। मैं खेल मंत्री को उन्हें बधाई देने के लिए कह रहा हूं।

मानव संसाधन मंत्रालय में युवाकार्य, खेल एवं महिला और बाल विकास विभाग में राज्यमंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं श्री चेतन पी० एस० चौहान की आभारी हूं। मैं समझती हूं कि सदन को श्री लिम्बाराम को बधाई देने के लिए एक संकल्प पारित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम उन्हें बधाई देंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें बधाई देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चुन चुन प्रसाद यादव (भागलपुर) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व का सवाल इस सदन में उठाना चाहता हूं। मेरे बिहार राज्य में सासाराम-बक्सर तक एक सड़क बलिया और गोरखपुर तक जाती है। अभी वह एक पथीय वाहन के रूप में प्रयोग की जा रही है। इस पर रोजाना सैंकड़ों ट्रक आते-जाते हैं और इतना ही नहीं बहुत ज्यादा बिजी रोड है। एक पथीय वाहन चलने के कारण, यानी छोटी सड़क होने के कारण इस पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और कभी-कभी तो लोगों की जान भी चली जाती है। मैं आपके माध्यम से भू-तल परिवहन मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इन 300 किलोमीटर लम्बी सड़क को राष्ट्रीय उच्च पथ में बदला जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : मुझे सूचना मिली है जबलपुर में खमरिया की आयुद्ध निर्माणी में एक भयंकर विस्फोट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले माननीय मंत्री से बात क्यों नहीं करते ? आप उस पर क्यों निर्भर हैं ? क्या आपको इस बारे में पूरा विश्वास है ? यदि ऐसी बात है तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। अन्यथा आप माननीय मंत्री से बात करें।

श्री अवण कुमार पटेल : अब तक कम से कम एक व्यक्ति के मरने की सूचना है और अन्य अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

यह पहला अवसर नहीं है कि जबलपुर में केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कारखानों में इस तरह की घटना हुई हो। पुलिस की जांच रिपोर्ट से पता चला है कि सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई है। आयुध और विस्फोट विभाग के उन अधिकारियों ने पिछले काफी समय से अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती है, जिन्हें इस विभाग के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया था। वास्तव में स्थानीय अखबारों में समुचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण की कमी की खबरें अनेक बार प्रकाशित हुई हैं।

उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से अति संवेदनशील सामग्री की चोरी के अनेक मामले भी प्रकाश में आए हैं।

अतः मैं रक्षा मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह इस प्रकार की लापरवाही और चोरी की जांच करने के लिए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने तथा मृतक कामगारों के परिवारों को मुआवजा देने और विस्फोट से घायल हुए सभी कामगारों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त करें और भविष्य में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करें।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष जी, नैशनल एअरपोर्ट अथोरिटी से सम्बन्धित एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल अफोसर्स पहली मई से नियमानुसार काम कर रहे हैं और मंत्री महोदय ने जो सदन में बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जब कि तथ्य इसके विपरीत हैं। जो भी पायलट हवाई जहाज लेकर जाते हैं, वे जर्नी की लॉग-बुक और इंजन की लॉग-बुक भरते हैं, उसमें उन्होंने यह भरा हुआ है कि इस कारण से जहाज लेट उड़ रहे हैं और उच्च अधिकारियों ने माना है कि एक मिनिट की डिले जब एक जहाज को उड़ने में होती है, तो 5 हजार रुपये का ईंधन फालतू जलता है। इस प्रकार से 4 करोड़ रुपए का लॉस केवलमात्र ईंधन के कारण सरकार को हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन अधिकारियों से बातचीत की जाए। इन अधिकारियों ने नोटिस दिया है। अपना मांगपत्र दिया है और कहा था कि पहली मई से हम 'वर्क टू रूल' करेंगे, 'नियमानुसार' काम करेंगे। इसके बावजूद सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और ईंधन का नुकसान हो रहा है तथा एयर ट्रैफिक भी डिले हो रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनको बुलाया जाए, बात की जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने इस बारे में नोटिस दिया है।

श्री पृथ्वीराज डी० चौहान (कराड़) : महोदय, आपको ध्यान होगा कि माननीय कृषि मंत्री ने इस सदन को आश्वासन दिया था कि वह महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने कि क्या इसके लिए केन्द्रीय सहायता दी जाये या नहीं, के लिए एक

केन्द्रीय दल महाराष्ट्र भेजेगा, आज इस बात को दस दिन से अधिक हो गए हैं। माननीय मन्त्री ने केवल एक अवसर पर ही नहीं बल्कि दो अवसरों पर सदन में यह आश्वासन दिया है। केन्द्रीय दल अभी तक महाराष्ट्र नहीं गया है। महाराष्ट्र सरकार केन्द्र सरकार से कुछ संदेश की प्रतीक्षा कर रही है। तथापि इस संबंध में कोई संदेश नहीं मिला है। यह मेरा विश्वास है कि अभी तक दल बनाया भी नहीं गया है। मैं यह भी समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री अपने आपको केन्द्रीय दल में शामिल नहीं करना चाहते हैं। जब तक वित्त मंत्रालय इसमें शामिल नहीं होता, तब तक पूरी कार्रवाई निरर्थक होगी। मैं यह भी समझता हूं कि जो दो दल मध्यप्रदेश और गुजरात गए थे उनमें भी वित्त मंत्रालय का कोई सदस्य नहीं था, नौवें वित्त आयोग ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि गंभीर से गंभीर आपदाओं के मामले में आगामी वर्ष के आवंटन में 25 प्रतिशत अग्रिम राशि पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के रूप में आएगी। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में एक वक्तव्य दिया जाए कि केन्द्रीय दल महाराष्ट्र क्यों नहीं गया, यह विशेष आश्वासन दो बार दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह हमें इस बारे में बताएं।.....(व्यवधान)....

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने हवाई विमान यातायात नियंत्रकों के आन्दोलन के बारे में एक नोटिस दिया था, कृपया मुझे इसका उल्लेख करने की अनुमति दें।

महोदय, पहली मई से सभी उड़ानों में विलंब हो रहा है। विमान यातायात नियंत्रक आन्दोलन कर रहे हैं। उन्होंने नियम के अनुसार कार्य करने का संकल्प लिया है। वे अपनी पदोन्नति के अवसरों और पारिश्रमिक तथा उनके कार्यों के साथ जुड़े उत्तरदायित्व के अनुरूप अनुलाभ देने के लिए राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण से अनुरोध कर रहे हैं। विमान यातायात नियंत्रकों के कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई०एल०ओ०) ने मान्यता दी है। विश्व के विशेषज्ञों ने भी इसको भारी जिम्मेदारी और तुरन्त निर्णय लेने की योग्यता की आवश्यकता को देखते हुए अद्वितीय बताया है। आई०एल०ओ० का मत है कि जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए विमान यातायात नियंत्रकों का कार्य विमान चालकों के कार्य से बहुत कुछ मिलता-जुलता है, इसलिए इसने सिफारिश की है कि उनके पारिश्रमिक और अनुलाभ व्यावसायिक विमान चालकों के पारिश्रमिक और अनुलाभों से तुलनीय होने चाहिए, साथ ही विमान यातायात नियंत्रक गिल्ड प्रबन्धन से अपनी मांगें मानने का अनुरोध कर रहा है। परन्तु प्रबन्धन इस बारे में मौन है। प्रबन्धन गिल्ड से, एसोसिएशन से बातचीत नहीं कर रहा है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नागर विमानन मंत्री को प्रबंधकों को अनुदेश देने चाहिएं ताकि प्रबंधक आन्दोलन को समाप्त करने के लिए विमान यातायात नियंत्रकों से बात कर सकें। जिसे कि विमान यातायात नियंत्रकों द्वारा शुरू किया गया है। इस आन्दोलन के कारण सभी उड़ानों में विलम्ब हो रहा है।....(व्यवधान)....

श्री रामनाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं महाराष्ट्र में व्याप्त सूखे की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र के लोग बारिश की बूंद के लिए पपीहे की भांति केन्द्रीय दल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की उदासीनता का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के लोग आज बन्द का आयोजन कर रहे हैं। मैंने इस बात का अभी 12.30 म०प० पर पक्का पता किया है। महाराष्ट्र में पूर्ण बन्द है। लोग चिंतित और उत्तेजित हैं। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि

केन्द्रीय दल को तत्काल वहां जाना चाहिए, केवल केन्द्रीय दल को ही नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री को वहां जाकर उन स्थानों को देखना चाहिए जो सूखे की चपेट में हैं। जैसा कि राज्य सरकार ने मांग की है 500 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए।

महोदय, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में, विशेष रूप से सूखे की स्थिति के कारण उपचुनाव को मुल्तवी कर दिया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है और इसके बावजूद भी सरकार वहां केन्द्रीय दल नहीं भेज रही है। अतः मैं मांग करता हूं कि वहां एक दल भेजा जाए और प्रधानमंत्री को तत्काल महाराष्ट्र का दौरा करना चाहिए।.....(व्यवधान).....

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गन्ना उत्पादकों को उनके द्वारा सप्लाई किए गए गन्ने के मूल्य की अदायगी नहीं की गई है। सरकारी चीनी मिलों के साथ-साथ कई निजी चीनी मिलें राशि का भुगतान नहीं कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादकों को फसल कटाई प्रभार, परिवहन प्रभार देने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बैंक के अधिकारी भी अपने ऋणों की वसूली के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा, राजस्व विभाग भी इन लोगों पर दबाव डाल रहा है और सिंचाई उपकर तथा राजस्व बकाया के संबंध में बकाया राशि के लिए वस्तुओं का वास्तविक कब्जा ले रहा है। इस प्रकार किसान कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। अतः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वह, यह अनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि चीनी मिलें गन्ने के मूल्य की अदायगी करें। चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने का अतिरिक्त मूल्य देना "एल" कारण पर निर्भर करता है। जब तक केन्द्र सरकार इस "एल" कारण को सूचित नहीं करेगी जो कि फैक्ट्रियों द्वारा देय अतिरिक्त मूल्य भार्गव फार्मूले में है, राज्य सरकार कार्यवाही नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आज हम अनेक सदस्यों को बोलने की अनुमति देना चाहते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। पिछले चार वर्षों- 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92 से गन्ना उत्पादकों को गन्ने के अतिरिक्त मूल्य की अदायगी नहीं की जा रही है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस पहलू पर ध्यान दें और गन्ना उत्पादकों को मूल्यों की अदायगी सुनिश्चित कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं जाएं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पंजाब के मजदूरों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि ठेकेदारी सिस्टम के शिकार हैं—चाहे वह एफ० सी० आई० लेबर यूनियन में काम करते हैं, चाहे वह पंजाब लेबर यूनियन में काम करते हों, चाहे वह फूड एण्ड एलाइड यूनियन में काम करते हों, इन मजदूरों को मजदूरी ठेकेदारों द्वारा दी जाती है। जो मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उनको ये ठेकेदार पूरी मजदूरी नहीं देते। वह अपनी

मर्जी के हिसाब से उन्हें मजदूरी देते हैं। जब मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती तो मजदूरों का पसीना नहीं सूखता है। इसलिए मजदूरों को पूरी मजदूरी देने के लिये जो ठेकेदारी सिस्टम पंजाब में लागू है, उसको फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। जिस तरह बाकी देश के प्रान्तों में ठेकेदारी सिस्टम को बन्द कर दिया गया है और मजदूरों को सीधे मजदूरी मिलती है, उसी तरह से पंजाब में ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करके मजदूरों को सीधे मजदूरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा एफ० सी० आई० के तीन डिपो जो अमृतसर, अजनाला और नवां शहर में हैं, उनको तो आपने पक्का करवा दिया है लेकिन बाकी के 125 डिपो जो पंजाब में कच्चे बने हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाये।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, में बिहार राज्य से आता हूं। हमारे राज्य में दूरदर्शन के द्वारा प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाते हैं लेकिन पूरे प्रदेश में यह समाचार प्रसारित नहीं हो पाते हैं। टी० वी० टावर कम शक्ति का है जिस की वजह से सभी जिलों में समाचार कवर नहीं हो पाते हैं। अतः इसकी क्षमता को बढ़ाया जाये। इसके अलावा आकाशवाणी से बंगला भाषा में समाचार प्रसारित करने की मांग बहुत समय से लम्बित है। बिहार के 10-12 जिलों में बंगला भाषा-भाषी लोग रहते हैं। उनकी मांग को पूरा कर बंगला भाषा में आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किये जायें।

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का अनुमोदन और सम्मति लेने के लिए लम्बित पड़े राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित विधेयकों का मामला उठाना चाहता हूं।

हम सभी जानते हैं कि इस व्यवस्था का सफल कार्यकरण परस्पर समझ और सहयोग तथा केन्द्र के इस आश्वासन पर निर्भर करता है कि उसे भेजे गए विधेयक पारित होंगे अथवा उन्हें निश्चित अवधि में सम्मति दी जाएगी। ऐसे मामलों में देरी से अविश्वास उत्पन्न होता है।

हम सभी इससे पूर्णतः सहमत होगे कि हम इस स्थिति से बचेंगे।

अनेक राज्यों ने कुछ विधेयक भेजे हैं जो केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं। मैं अन्य राज्यों के विधेयकों विवरण नहीं जानता। लेकिन महोदय, पश्चिम बंगाल के संबंध में सात महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हैं। श्रमिक संगठन (पश्चिम बंगाल) संशोधन विधेयक, 1983 केन्द्र को 22-11-1983 को मिला है। कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 रविन्द्र सांस्कृतिक प्रतिष्ठान (प्रबन्धन का अधिग्रहण) (संशोधन) विधेयक, दि आसनसोल नगर निगम विधेयक चन्दरनगर नगर निगम विधेयक तथा सिलीगुड़ी नगर निगम विधेयक सरकार से अनुमोदन के लिए लम्बित पड़े हैं।

इसलिए में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंत्री महोदय को निदेश दें कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं ताकि इन विधेयकों को पारित कर लागू किया जा सके।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज दिन में पहले श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री चन्द्र शेखर ने राष्ट्रीय आवास बैंक सहित देश की बैंकिंग प्रणाली में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दा उठाया था। सरकार ने तत्परतापूर्वक—

श्री चिदम्बरम् और वास्तव में वित्त मंत्री ने उत्तर दिया था और श्री चन्द्रशेखर तथा अटल जी दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। मुझे नहीं पता कि संसद में उनके सार्वजनिक कथन से वे सन्तुष्ट हुए या नहीं। सम्भवतः वह अटल जी और चन्द्रशेखर को संतुष्ट करने में सफल रहे हैं।

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप यह मान रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह मान रहा हूं। इसी प्रकार हमने कल भी पूरा दिन बोफोर्स का मुद्दा उठाया था।

अध्यक्ष महोदय, : क्या आप दो तीन दिन के दौरान सदस्यों को अपनी बात कहने देंगे ? मैं अन्त में आपको भी मामला उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एम० रमन्ना राय (बेसरगढ़) : महोदय, अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ के महासचिव 22-4-1992 से भूख हड़ताल पर हैं। संघ की मांगे उचित लगती हैं।

यद्यपि पासपोर्ट के आवेदन 1980 में 13 लाख से बढ़ कर 1992 में 35 लाख हो गए हैं लेकिन कर्मचारियों की संख्या 1449 पर ही स्थिर है। पदोन्नति के अवसर भी लगभग नहीं हैं। सेवा शर्तें भी सन्तोषजनक नहीं हैं।

मैं विदेश मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह हस्तक्षेप करें और मामले को शांतिपूर्वक सुलझाएं और इस संकट को दूर करें। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी का मामला उठाने के लिए बाध्य हूं वह इसीलिए प्रभावित हुए हैं कि मैंने उस उपक्रम से संबंधित मुद्दा उठाया है। मंत्रालय को यह शक है कि वह अधिकारी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी हैं।

महोदय, श्री ए० के० मोइत्रा छह वर्ष से राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक थे। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय यहां पर मौजूद हैं।

उनका मामला सरकारी क्षेत्र उपक्रम चयन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। सतर्कता के मुद्दे पर भी जांच की गई थी और सतर्कता आयोग द्वारा भी स्वीकृति दे दी गई थी। छह वर्ष बाद, जून 1980 में उनकी अवधि बढ़ाई गई। यह तीन वर्ष के लिए थी क्योंकि उनकी सेवाएं अत्यन्त श्रेष्ठ थीं। कठिनाई तब उत्पन्न हुई जब भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय द्वारा बड़े उपक्रम राष्ट्रीय पटसन मिल को एक निजी उद्योगपति को बेचने का प्रयास किया गया। हमें यह जानकारी मिली और मैंने सभा में यह मुद्दा उठाया। अन्ततः मंत्री महोदय ने कहा है, "नहीं, ऐसा प्रस्ताव नहीं है।" महोदय, लगता है छापड़ानी उद्योग के श्री बधवा बहुत ताकतवर हैं। इसका क्या हुआ। मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को निदेश दिए गए थे कि वह इस कम्पनी को जानकारी, रिकार्ड, दस्तावेज प्रस्तावित क्रेता एक निजी उद्योगपति को दे दें। यहां पर आपत्ति करने के बाद यह हुआ कि अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को निदेश दिया गया कि यह जानकारी मंत्रालय को दें ताकि मंत्रालय इसे उन्हें दे सके। अध्यक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब यह समस्या शुरू हुई।

उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, उपसचिव तथा सामान्य अधिकारी उन्हें आदेश दे रहे थे, इस कम्पनी के लिए धनराशि जारी नहीं की जा रही थी, उन्हें यहां पर साक्षात्कार नहीं करने दिया जा रहा था। वह यहां पर अधिकारियों से मिलने की आशा से आए हैं। अन्ततः क्या हुआ ? वह तंग आ गए; उन्होंने 30 अप्रैल, 1992 से प्रभावी अपना इस्तीफा 31 जनवरी, 1992 को दे दिया। इससे एक दिन पूर्व 29 अप्रैल, 1992 को उन्हें एक आरोप पत्र दिया गया। यह आरोप-पत्र गोपनीय था।

महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार कैसे कार्य कर रही है ?

29 अप्रैल, 1992 को एक गोपनीय आरोप-पत्र दिया गया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उसी दिन उसे उस बहु मंजिला भवन के सूचना पट्ट पर चपका दिया गया। वह वहां पर एक ऊपरि फ्लैट में रह रहे हैं।

एक गोपनीय आरोप पत्र नोटिस बोर्ड पर लगाया जा रहा है ताकि उस घर में प्रत्येक व्यक्ति देख सके। यह तो उन्हें उन लोगों के समक्ष अपमानित करना है जो उस बहु मंजिले भवन पर कब्जा किये हुए हैं।

मुख्य साक्षी पटसन आयुक्त हैं। आरोप पत्र में यह उल्लेख है कि वह मुख्य साक्षी हैं। आरोप क्या है ? आरोप यह है कि आपने कर्मचारियों की छटनी नहीं की है। दूसरे, आपने कर्मचारियों को कर्मचारी बीमा योजना का लाभ दिया है। सरकार के अनुसार उन्हें ऐसा करने का प्राधिकार नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य तौर पर हम इन मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते रहे हैं कि उसे तंग किया जा रहा है। क्या यही तरीका है। उस पटसन आयुक्त को अब यह अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उसने समाचार पत्रों से सम्पर्क किया है। आरोप पत्र 29 तारीख को जारी किया गया है। 30 तारीख को उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। 30 तारीख को इस पटसन आयुक्त ने कलकत्ता में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया और आरोप पत्र का खुलासा किया। इसका उद्देश्य इस अधिकारी को परेशान करना है। यह मामला सभा में उठाया गया था। सभा में इसके उठने के बाद उसके लिए परेशानी पैदा हो गयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह से व्यवहार करती है ? क्या हम कोई मामला नहीं उठा सकते हैं ? क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को इस तरह से डराया धमकाया जाना चाहिए ?

हमने मंत्री जी को सूचित किया था कि संयुक्त सचिव उस आयुक्त के विरुद्ध है। वह उसकी जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा था : "मैं बहुत सहानुभूति रखता हूं"। मगर इस तरह से सहानुभूति दिखाई जा रही है। हम यह कैसे समझ लें कि इस देश में इस तरह सरकारी क्षेत्र के उद्योग को ठीक तरह से चलाया जायेगा जबकि वह व्यक्ति है, जिसके व्यक्तिगत निष्ठा के विरुद्ध कोई व्यक्ति साक्षेप नहीं है आरोप यह है:- आपने कर्मचारियों को क्यों नहीं निकाला है ? आपने उन्हें कर्मचारी बीमा योजना का लाभ क्यों दिया जिसके कि वे हकदार भी नहीं हैं ?

क्या यह सरकार इस तरह कार्य करेगी ? मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चिन्तित नहीं हूं। मेरा प्रश्न तो कार्य करने के तरीके का है। इस तरह के मामलों में वे अपनी मर्जी से इन्कार नहीं

कर सकते हैं । एक प्रमुख उपक्रमों को किसी निजी उद्योगपति को बेचने के मामले में उन्हें फिर से विचार करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रकार के मामलों की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब मन्त्री यहां हैं तो उन्हें उत्तर देना चाहिए और गौर करना चाहिए । उसका त्यागपत्र तो स्वीकार कर लिया गया लेकिन उसको देय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

क्या आपने कभी आरोप पत्र के बारे में संवाददाता सम्मेलन होते सुना है कभी किसी गोपनीय आरोप पत्र को एक बहुमंजिला इमारत के नोटिस बोर्ड पर चिपकाये जाने की बात सुनी है ? क्या ऐसा कभी हुआ है ? उसे धमकाया गया कि वह घर खाली कर दे । उसकी टेलीफोन लाईन काटने की कशिश की जा रही है क्योंकि वह उनके आगे घुटने नहीं टेक रहा है; क्योंकि **(व्यवधान)** यह स्थानान्तरण के लिए सहमत नहीं है ..... **(व्यवधान)**

आप जानते हैं कि कई दिनों तक एक पटसन उद्योग में हड़ताल हुई थी । उस अधिकारी ने एन० जे० एम० सी० में होने वाली हड़ताल को होने से रोका था । इसी वजह से मंत्रालय के बड़े अधिकारियों को इनसे चिढ़ हो गयी क्योंकि वे यह दिखाना चाहते थे कि एम० जे० एम० सी० घाटे में चल रहा है ताकि वे इसे निजी उद्योगपति को बेच सकें । यह सब हो रहा है ।

मैं इसका बहुत कड़ा विरोध करता हूं । मेरा मन्त्री जी से आग्रह है । वह यहां उपस्थित हैं । उन्हें कम से कम यह तो कहना ही चाहिए कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । मैं आशा करता हूं कि वह हमें गुमराह नहीं कर रहे हैं । यदि वह वास्तव में सहानुभूति रखते हैं तो उन्हें तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए । उन्हें यह वचन देना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आपने कहा था कि आप इस तरह के मामलों को यहां उठाने की अनुमति नहीं देते हैं । मैं समझता हूं कि इसका हमारे कार्यकरण से भी संबंध है। हम सरकारी क्षेत्र के संघटनों से संबद्ध मामले उठाते हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप व्यक्तिगत नियुक्तियों, आदि से संबद्ध मामले न उठायें ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अब हम मामले उठाने से डरेंगे ..... **(व्यवधान)** बार बार हम मामले उठाते हैं । पुनः किसी व्यक्ति को परेशान किया जायेगा । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : सर, अगर मंत्री जी चाहें तो मैं साबित कर सकता हूं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक समाचार पत्र की रिपोर्ट है : एन० जे० एम० सी०, सी० एम० डी० चार्ज शीटिड । क्या यह भारत सरकार के काम करने का तरीका है ? वह कैसे समाचार पत्रों की शरण ले सकते हैं ?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं उस आफिसर को सैंट्रल विजीलेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पर चार्जशीट किया गया। जहां तक उसके इस्तीफे की बात है, उसने इस्तीफा दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया, जो चार्ज शीट उसे दी गई थी उसकी इन्क्वायरी हो रही है। जो भी इन्क्वायरी में आएगा हम उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे। हमें किसी के प्रति दुराग्रह नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मंटर हाऊस में उठाया उसके आधार पर उसको विकटेमाइस किया गया है, प्रैस कांफ्रेंस की जो बात की जा रही है उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करूंगा कि क्या बात हुई है।

श्री तरित बरण तोपदार : वहां के अधिकारियों ने प्रैस कांफ्रेंस की है।

[अनुवाद]

.....(**व्यवधान**)..... मैंने इसे परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाया था। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी संत्रासदाता सम्मेलन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे पास वह समाचार पत्र है। इस मामले से निपटने का यह कोई तरीका नहीं है। यदि बहुमंजिला भवन के नोटिस बोर्ड पर आरोप पत्र चिपका दिया तो जानते हैं क्या होता है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कभी इस देश में हुआ है? किसने किसको ऐसा करने का प्राधिकार दिया है? (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : यह मामला पहले भी सभा में उठाया गया था। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे अधिकारी और कर्मचारी हतोत्साहित होंगे। (**व्यवधान**)

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय स्तर पर डी०आर०डी०ए० कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? डी०आर०डी० ए० संगठन केन्द्र सरकार द्वारा गठित है जिसमें एक लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह संगठन पिछले 20 वर्षों से केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को जिला स्तर पर चला रहा है। जैसे आई०आर०डी०पी०डी०डब्ल्यू०, ए०जी०आर०एम०, ट्राइसम, ग्रामीण आवास/स्वच्छता कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना अर्थात पूर्व में भी जो केन्द्र के कार्यक्रम थे वे भी यह कर्मचारी ही संचालित करते थे। पिछले 10 वर्षों से अपनी सेवा शर्तों को लेकर ये संघर्ष कर रहे हैं तथा केन्द्र सरकार को सात सूत्रीय ज्ञापन, जो इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं, प्रोन्नति के अवसर, दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने, प्रति-नियुक्ति पर आए कर्मियों को इनके मूल विभाग में वापस भेजने, मृतक कर्मचारी के आश्रितों को पूर्ण सुविधाएं दिए जाने आदि से संबंधित है, को माननीय प्रधान मंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री को दे चुके हैं तथा दो वर्ष पूर्व अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार ने इन कर्मियों के प्रति-निधियों से बात कर इनकी मांगों को न्यायोचित माना है।

मेरा आपसे आग्रह है कि अपने माध्यम से अध्यक्ष महोदय, आप समस्या का समाधान करवाएं। क्योंकि कर्मचारी न तो केन्द्र के कर्मचारी माने जा रहे हैं और न ही राज्य सरकार

की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। इस प्रकार एक लाख से अधिक कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मेरा आग्रह है कि उनकी मांगों को शीघ्र माना जाए और इस संबंध में नीति निर्धारित की जाए।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : मैं पहले भी एक अनुरोध करने के लिए उठा था। सरकार ने अटल जी, चन्द्रशेखर जी और श्री जार्ज फर्नांडीज द्वारा उठाये गए एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर प्रत्युत्तर दिया है जोकि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में है। इसी तरह क्या सरकार इस बात का भी जवाब देगी कि वह बोफोर्स के बारे में चाहे उससे थोड़ी कम बोफोर्स ही सही क्या कर रहे हैं ? चाहे वे आधे मन से ही कुछ कहते हों (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, आज अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारी, देश भर के नेता, कार्यकर्त्ता बोट-क्लब पर धरने पर बैठे हैं, किसानों के बारे में जो सरकार ने नीति अपनायी है, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए और उसमें सुधार की मांग करने के लिए। एक महत्वपूर्ण मांग है कि ग्रामीण सुधार के मामले में, ग्रामीण विकास के मामले में जो बजट में कमी कर दी गई है उससे जो भी परियोजनाएं चली हैं वे संकट में पड़ गई हैं। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिवेदनों में हमने यह देखा है। इससे भी संकटग्रस्त मामला है कि जो अन्न की उगाही हो रही है सरकार की तरफ से, खाद्य निगम की ओर से, पंजाब में दो बार उसके लिए हड़ताल हुई, जो मिलिटैंट्स हैं इसमें उनका भी हाथ है, लेकिन किसानों की शिकायत है कि जो उनको कीमत दी जा रही है उससे ज्यादा कीमत पर बाजार में गेहूं बिक रहा है। हम कीमत बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों को कम कीमत देकर दुगुने दाम पर जो व्यापारियों के हाथों बिकता है तो इससे संकट होता है। धरना करने वाले मांग कर रहे हैं कि किसानों को जो कीमत मिले और उपभोक्ताओं से जो कीमत ली जाए उसमें 15 से 20 प्रतिशत, कोई सीमा तय की जाए, उससे ज्यादा वृद्धि न हो। क्योंकि उत्पादक भी लुट जाते हैं और उपभोक्ता भी लुट जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश के बड़े हिस्से में सूखे का संकट है और विभिन्न योजनाएं, जल उत्पादन के लिए, बाढ़, विद्युत के संकट के लिए हैं, वे संकट में पड़ी हुई हैं।

बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब का मामला है। अगर एस०वाई०एल० परियोजना पंजाब में लागू कर दी जाए तो पंजाब-हरियाणा के पानी का समाधान हो सकता है, जिसका मिलान नहीं हो पा रहा है।

बिहार में जो कोसी बराज डैम है उससे काया पलट होगी। वह संसार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जोकि भारत सरकार से होने वाला है। तीसता का प्रोजेक्ट बंगाल के उत्तरी हिस्से में है और सबसे सस्ता विद्युत हमारे यहां है उससे उर्जा में मदद मिलेगी। उनको तेज करने में भारत सरकार को पहल करनी है। राज्य सरकारों के पास यह सामर्थ्य नहीं है कि ऐसी परियोजनाओं को पूरा कर सकें। भूमि सुधार के लिए हदबंदी और चकबंदी को लागू करने का सवाल है। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : ·····(**व्यवधान**) अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री गिनती करके कहेंगे कि बोफोर्स की चर्चा दसवीं या ग्यारहवीं बार हो रही है। हम बोफोर्स में विशेष रूप से सोलंकी कांड की जानकारी चाहते थे। सोलंकी कांड के मामले में कल सदन को तीन बार उठना पड़ा, कार्यवाही रुकी। तीन-चार बार चर्चा हुई। उस चर्चा से भी हमने सरकार से कोई ऐसी अतवाद की बात नहीं की। हमने सरकार से कहा था कि आप क्या कर रहे हैं। इस सोलंकी कांड को लेकर जग में भारत की हंसाई हो रही है। यहां एक प्रकार से दुर्भावना बढ़ गई है, सदन का काम रुका हुआ है। आप सदन का काम चलाएं, यह नहीं कि हमारी चिंता कम हो गई। हम इस अपेक्षा में हैं कि सरकार खड़े होकर कुछ कहे। मैं, उस तत्परता की तारीफ कर रहा हूं जो कि अटल जी, चन्द्रशेखर जी और जार्ज फर्नांडीज जी ने दो-तीन हजार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला उठाया तो तत्परता से वित्त मंत्री आए और उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्यों नहीं उससे आधी तत्परता बोफोर्स में दिखाते। सोलंकी काण्ड को छिपाने में क्या रखा है? सरकार क्यों नहीं कहती, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, कल ही हमने जब सवाल को छेड़ना शुरू किया तो कल कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। मैं इस बात में से एक बात को लेकर छेड़ना चाहता हूं। 23 तारीख को जब सदन में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने उस वक्त जो बातें कहीं और फिर न कह पाए। उन्होंने कहा कि हम उन बातों के बारे में आपको लिखित में जानकारी भेजेंगे। जो जानकारी मेरे पास आई है, उसी जानकारी को लेकर हमारी आपत्ति है। उसको मैं सरकार के सामने और सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो पत्र मेरे पास है, उसमें प्रधानमंत्री ने लिखकर बताया है ····(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : इस पर रैगुलर बहस हो जाए।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बहस क्यों जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री ने सदन को इस पत्र से गुमराह किया है। इंडियन एक्सप्रैस के संपादक ने अपने अखबार के पहले पन्ने पर लिखा ····· (**व्यवधान**) ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़े में बोलिए।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : क्या चर्चा के लिए और कोई मुद्दा नहीं है?

श्री आर० मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, वह बहुत समय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर दे दिया है। कितनी बार वह एक ही बात दोहरायेंगे?

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं कहना चाहता हूं कि जब श्री जार्ज फर्नांडीज बोलते हैं तो तीन आदमी खड़े हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है। आपने उनको इजाजत दी। आप उनको रोक सकते हैं। ····(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि वरिष्ठ सदस्य नियमों का पालन करेंगे और केवल शून्य काल में ही मामले नहीं उठायेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : चर्चा को लम्बा मत खींचिये।

(व्यवधान)

डा० आर० मल्लू : श्री फर्नांडीज को अधिकतम समय दिया गया था। **(व्यवधान)**

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, वह वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अन्य सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : थोड़े ही समय में यह खत्म हो जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप थोड़े में बोल दें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसे खुलासा नहीं होने से क्या होता है। यह पत्र परसों आया, ढाई बजे हमने अखबारों में दिया, कई अखबारों ने सम्पूर्ण पत्र को छापा। आज सारे देश में सबसे अधिक केन्द्रों से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक ने, सम्पादक का नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री को 25 तारीख को चिट्ठी नहीं दिखाई गई, उनको 27 तारीख को जानकारी हुई है।'' **(व्यवधान)** ''आप मेरी बात समझ लीजिए। आज प्रधानमंत्री देश के अन्दर किस तरह से पेश आ रहे हैं। मैं जो सवाल को छेड़ रहा हूं उसमें तथ्य बाहर आना चाहिए। समूचे बोफोर्स की बात अपनी जगह है, लेकिन सोलंकी वाला मामला सामने आया है इसमें क्या तथ्य है, वह मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। हमने तथ्यों को बाहर निकालने के लिए जो सवाल किए थे उनका जवाब देने के लिए वे तैयार नहीं हैं, तो फिर मेरा सुझाव है कि एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने के लिए आप पहल करें। हम सरकार से यह बात कह चुके हैं आपको तथ्य नहीं निकालना है तो संयुक्त संसदीय समिति बैठाइये, हम वहां जानकारी रखेंगे और हमारी आप इसमें मदद करें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता का कई माननीय सदस्यों ने गलत फायदा उठाया है। महोदय, किसी भी नियम के अन्तर्गत चार या पांच घण्टे चर्चा होनी चाहिए। हम भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं। हमें भी अपने प्रश्न उठाने का अधिकार है।

श्री ए० चार्ल्स : हमें भी मुद्दे उठाने का विशेषाधिकार है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ सदस्य सदन का प्रतिदिन दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, कल हमें अध्यक्षपीठ द्वारा यह बताया गया था कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आपके कक्ष में की जा रही है। जब हमने यह मुद्दा सदन में उठाया तो सत्ता पक्ष द्वारा सभी ओर से यह प्रतिरोध किया गया कि इस मुद्दे को उठाया नहीं जाना चाहिए। तब हमने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री स्वयं आकर विपक्ष द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर दें। जो पत्र श्री जार्ज फर्नान्डीज को भेजा गया था..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप किसी नियम के अन्तर्गत क्यों नहीं यह बात उठाते ? आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। हर बार आप आकर शून्य काल के दौरान ऐसे मामले उठाना शुरू कर देते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, तो उन्होंने बताया था कि अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सभी दलों के नेताओं की बैठक हो रही है। हम यह जानना चाहते हैं कि उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, कल वाजपेयी जी ने भी कहा था, फिर से कहा गया है, मैं समझता हूं कि हमारी भी जवाबदारी है कि इस प्रकार के किसी गम्भीर मसले पर आपके कक्ष में बैठकर हम चर्चा करते हैं तो सदन को जानकारी होनी चाहिए। या व्यवस्था हो आप स्वयं बता दें, अन्यथा मुझे लगता है आज और कल जो हमारी चर्चा हुई उसका सार मैं आपकी अनुमति से रख दूं कि हमारी तरफ से कोई नाजायज बात नहीं कही जा रही है। इतना ही कहा जा रहा है कि दो बार बहस हुई है, इस सदन में प्रधानमंत्री स्वयं बोले हैं और उस दो बार की बहस के बाद सदन को जहां इस बात की आश्वस्ति हुई कि बोफोर्स प्रकरण के बारे में सरकार जांच कर रही है, वहीं इस बोफोर्स प्रकरण के साथ जुड़ा हुआ सोलंकी प्रकरण है। उस सम्बन्ध में अनेक सवाल खड़े हुए हैं, उनका उत्तर हमारे पास नहीं है। किसने यह चिट्ठी दी उनको, वह अनाम और अज्ञात वकील कौन था, आज तक हमें पता नहीं। बोनांट को किसने कहा कि यह प्रधानमंत्री के कहने पर दी गई है, आज तक हमें पता नहीं है। जितनी चर्चा आपके कक्ष में हुई उससे लगा कि सरकार अभी तक जानकारी नहीं पा सकी है। हमारी तरफ से निवेदन यह था कि सरकार जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती तो यह काम सदन कर ले, एक संयुक्त संसदीय समिति बनाकर उसके माध्यम से कर ले। मैंने इससे बढ़कर बताया, सुझाव दिया, और लोगों ने नहीं कहा कि इस सारे गतिरोध को दूर करने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी यह कह दें कि मैं जानकारी कर रहा हूं कि बोनांट को किसने खबर दी, मैं जानकारी कर रहा हूं कि यह अनाम-अज्ञात वकील कौन है, मैं जानकारी कर रहा हूं कि उस वकील का परिचय सोलंकी से किसने कराया।

2.00 म० प०

क्योंकि मैं यह मानता हूं कि प्रधानमंत्री और सरकार चाहती होगी कि बोफोर्स की कार्यवाही पूरी चले लेकिन कोई न कोई लोग हैं, कोई ऐसी लॉबी है जो उसको रोकना चाहती है और उसी लॉबी ने यह नोट सोलंकी के माध्यम से दिलवाया। जितनी हमें इस बात की उत्सुकता है कि उसको आईडेंटिफाई किया जाये, उसे एक्सपोज किया जाये, मैं चाहता हूं और समझता हूं कि सरकार को भी उतनी ही उत्सुकता होनी चाहिए कि उस लॉबी को एक्सपोज करने के लिए जांच जरूरी है और वह जांच सदन की समिति करे या जांच सरकार द्वारा की जाये।

अध्यक्ष जी, यही मेरे दो सुझाव हैं जिसके बारे में सरकार इस सदन को आश्वस्ति दे और वहां पर जितना विचार हुआ है, तब मुझे लगा कि सरकार इस पर विचार करना चाहती है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्योंकि आपकी अनुमति से श्री आडवाणी ने आपके कक्ष में हुई चर्चा का सार प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, और क्योंकि इस दौरान मुझे भी वहां उपस्थित

रहने का अवसर मिला था, मैं श्री आडवाणी द्वारा कही गई बातों में बस थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि जो प्रस्ताव विरक्षी नेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए वे पर्याप्त रूप से व्यवहारिक थे।

सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की मुख्य शिकायत यह है कि यह मुद्दा सदन में बार-बार उठाया जाता है जिससे बहुत सा समय तर्क-वितर्क, आरोप-प्रत्यारोप तथा बहस करने में व्यर्थ चला जाता है तथा इससे कुछ लाभ नहीं होता। हमारा भी यही विचार है अर्थात कि हमने आपके साथ आपके कक्ष में बैठक के दौरान जो कुछ कहा था, कि हम इन परिस्थितियों से सम्बन्धित तथ्यों को जानना चाहते हैं। जिन्हें मैं सोलंकी प्रकरण से जुड़ी रहस्यमयी परिस्थितियां कहना चाहूंगा। परन्तु जो कुछ इस सदन में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, उससे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आ रही है। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया था तथा मैं ऐसा अनुभव करता हूं यह देश तथा इस सदन के बाहर भी देश के लोग यह महसूस करते हैं —कि यह तर्क-वितर्क हमें किसी निर्णय तक नहीं ले जा सकता, और हम सरकार पर श्री सोलंकी से संबन्धित मुद्दों की जांच के संबंध में, गंभीर न होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं बोफोर्स मामले संबंधी पहली मुख्य जांच का उल्लेख नहीं कर रहा जो कि सी०बी०आई० द्वारा की जा रही है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। वह जैसे चल रही है, चलने दें। परन्तु अब सोलंकी प्रकरण के पश्चात हमने यह अनुभव किया कि अगर आप चाहते हैं कि यह मुद्दा सदन में बार-बार न उठाया जाये, तथा अगर सदन में उठाये गये प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता जिनका मेरे विचारानुसार प्रधानमंत्री ने श्री जार्ज फर्नांडीज और श्री जसवंत सिंह को लिखे पत्रों में आंशिक उत्तर दिया है, और अगर हमें इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं और इस प्रकरण से जुड़े लोगों को ढूंढना है, तो इस सारे मुद्दे को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। तब यह मुद्दा यहां प्रतिदिन नहीं उठाया जायेगा। आप अपनी सामान्य कार्यवाही चला पायेंगे। हम उसके लिए तैयार हैं, तथा संसदीय कार्य मंत्री को प्रतिदिन उत्तेजित हो कर सदन में यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम यह मुद्दा नौ बार उठा चुके हैं, अथवा दस बार उठा चुके हैं, इससे अधिक अनुमति नहीं दी जायेगी, इत्यादि। हम यह मुद्दा नहीं उठाना चाहते। परन्तु ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे इस मुद्दे की तह तक पहुंचा जा सके और पता लगे कि वास्तविकता क्या है, जिसके कारण एक कैबिनेट मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा तथा जिसके कारण प्रधानमंत्री के नाम को भी उछालने की कोशिश की गई, और यद्यपि एक महीने से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है, फिर भी यह पता नहीं चलाया जा सका कि वह अजनबी व्यक्ति कौन था, जिसने श्री सोलंकी को वह नोट दिया था।

इसलिए, हमने इस संयुक्त संसदीय समिति के गठन का सुझाव दिया था। आपसी सलाह तथा सहमति से इसके निदेश पद निर्धारित किए जा सकते हैं तथा इसके लिए एक समय अवधि निर्धारित की जानी चाहिए ताकि इसकी कार्यवाही अनिश्चित समय तक न चलती रहे। हम यह समझते हैं कि यह एक उचित प्रस्ताव है तथा इसे अस्वीकार कर देना ठीक नहीं है। परन्तु, महोदय यह सब क्या है? हमें कोई न कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समस्या यह है कि 3.00 बजे म० प० पर गैर सरकारी संस्थों से संबंधित कार्यकलाप आरम्भ होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर हम एक घण्टे के लिए भोजनावकाश कर रहे हैं तो यह कार्यवाही 2.00 बजे म० प० को आरम्भ होनी चाहिए। मेरी कुछ अपनी कठिनाईयां हैं। इसलिए मैं कुछ करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हम सोमवार को अपने विचार प्रकट करना जारी रख सकते हैं ? क्या आप चाहते हैं कि हम अपने विचार व्यक्त करना सोमवार को भी जारी रखें ?

अध्यक्ष महोदय : अगर वरिष्ठ सदस्य ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्हें कौन रोक सकता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस मुद्दे के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचे बिना यह सत्र स्थगित नहीं किया जा सकता।

श्री ए० चार्ल्स : मैं केवल प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुद्दे को लटकता हुआ कैसे छोड़ा जा सकता है ? मेरा कहने का तात्पर्य यही है। अब दो रास्ते खुले हैं। या तो सरकार को इस संयुक्त संसदीय समिति के गठन पर सहमत हो जाना चाहिए, अन्यथा यदि वे इसके गठन के कट्टर विरोधी हैं तो एकमात्र उपाय यही रह जाता है, जोकि हमारी ओर से एक तरह का समझौते का प्रस्ताव जैसा है, कि प्रधान-मंत्री महोदय यहां आकर अपने वक्तव्य द्वारा सदन को इन दो मुद्दों, विशेषकर श्री सोलंकी को दिए गए नोट के सम्बन्ध में, कार्यवाही का आश्वासन दें। उस नोट के सम्बन्ध में जो कुछ एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, उस के अतिरिक्त हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा उस नोट को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। उस नोट में क्या लिखा गया था उस की भी हमें कोई जानकारी नहीं। उन्हें यहां पर यह बताना चाहिए कि इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य-वाही की जा रही है तथा इसकी जांच करवाई जायेगी। दूसरा उस तथाकथित अनाम वकील का पता लगाना है कि वह कौन था जिसने श्री सोलंकी को वह नोट दिया था। उस सम्बन्ध में भी कुछ सूत्र दिए गए हैं। परन्तु किसी पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। ये सभी विभिन्न ऐजैन्सियां जांच कर रही हैं, तथा कई बातों का पता लगा रही हैं, परन्तु वे उस व्यक्ति का पता नहीं लगा सकती। हमारा विश्वास है कि संयुक्त संसदीय समिति ऐसा करने में सफल होगी। हमारे पास कुछ सूत्र हैं। हमारा विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति तथ्यों को छिपाने में दृढ़ रुचि न रखता हो, तो सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। अगर इतना पता चल जाए तो इन बातों का भी सुराग मिल सकता है कि उक्त व्यक्ति पीछे कौन था, इस काम के लिए उसे किसने नियुक्त किया था, तथ्यों को छिपाने में किन लोगों की रुचि थी। क्या यह देश के हित में नहीं है ? क्या यह सरकार के हित में नहीं है ? क्या वे हमेशा शक के घेरे में घिरे रहना चाहते हैं ? सरकार के लिए यही अच्छा होगा कि वह हमारे प्रस्ताव पर व्यवहारिक रूप से और गंभीरता से विचार करे तथा हमारे प्रस्ताव पर सहमत हो जाये ताकि जो दृश्य सदन में प्रतिदिन सामने आते हैं, उन्हें टाला जा सके। हम नहीं चाहते कि ऐसा होता रहे। इसका विकल्प यह है कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें। वे इस प्रस्ताव पर सहमत क्यों नहीं होते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं संयुक्त संसदीय समिति के गठन का समर्थन करता हूं। हमने बैठक में भी ऐसा कहा था। मैं यहां पर दो बातों पर जोर देना चाहूंगा ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बैठक में कुछ नहीं कहा था। केवल आपकी बात सुनी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह कहा है कि ऐसा बैठक में कहा गया था। महोदय, जिसने भी वह नोट दिया था, वह जांच को दबाना चाहता था अथवा उसमें रुकावट पैदा करना चाहता था तथा सारे मामले पर पर्दा डालना चाहता था। स्पष्टतः, इसी व्यक्ति ने उस अनाम वकील के द्वारा वह नोट श्री सोलंकी तक पहुंचाया। महोदय, इसका बोफोर्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। सारे मामले को ऐसे प्रस्तुत किया जाता रहा है। जैसे कि हम बोफोर्स का मुद्दा बार बार उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका बोफोर्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। महोदय, इस देश के विदेश मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। क्या यह एक साधारण मामला है ? क्या यह कोई साधारण सी दैनिक घटना है ?

अब कहानी यह गढ़ी जा रही है कि विदेश मंत्री को किसी ऐसे व्यक्ति ने आकर उन्हें दस्तावेज सौंपे जिसे वह नहीं जानते हैं। यह और कुछ नहीं वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। इस पर किसी को भी विश्वास करना मुश्किल है। अतः इन दो बातों को बताया जाना चाहिए और यह पता लगाया जाए कि श्री बोर्नेन्ट को यह सूचना देने की जहमत किसने उठाई कि प्रधान-मंत्री ने यह नोट सुपुर्द करने की स्वीकृति दी है। महोदय, देश का हित और देश की गरिमा इससे जुड़ी है। सरकार ऐसा दृष्टिकोण क्यों अपना रही है मैं नहीं जानता।

बोफोर्स मामले जिसके बारे में हम अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, के अलावा यह सोलंकी प्रकरण शुरू और हो गया है। यह एकदम से अलग अध्याय है। मंत्री जी को अपना पद छोड़ना पड़ा और त्यागपत्र सौंपना पड़ा। महोदय, कृपया माननीय प्रधानमंत्री के पत्र को पढ़ें। मेरा पक्का विश्वास है कि कई प्रतिष्ठित प्राधिकारों का इसके लिए उपयोग किया गया है। कई घंटे इसमें लगाए गए हैं। उस वकील के परिचय के सम्बन्ध में तथा श्री सोलंकी को जिस व्यक्ति ने उस वकील से मिलाया, उसके बारे में एक भी शब्द उस पत्र में नहीं कहा गया है। यह संभव नहीं है कि एक अनजान व्यक्ति डावोस में कहीं किसी ऐसा दस्तावेज दे। एक भारतीय वकील स्विट्जरलैंड जाकर विदेश मंत्री का एक दस्तावेज सौंपता है और वह आभार व्यक्त करते हुए उसे स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री को सौंपते हैं। यह बात गले के नीचे नहीं उतरती। हम उस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। अतः हम यह चाहते हैं कि तथ्य सामने आए। अतः बजाय इसके कि बाहर से हम तथ्य का पता लगाएं वह यह चाहते हैं कि हम ही उन्हें कुछ तथ्य सौंप दें। उनकी सारी एजेन्सियां, पूरी शक्ति और भारत सरकार के साथ रॉ (रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग), सी०बी०आई०, आई०बी० विदेशी एजेन्सियां आदि तथ्य पता लगाने में नाकाम रहे। यह और कुछ नहीं सच्चाई को जान बूझ कर छिपाया जा रहा है। अतः हम जे०पी०सी० गठित करने की पुरजोर मांग करते हैं। सभी दलों को इस मामले की सच्चाई का पता लगाने दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी इन्द्रजीत गुप्त जी ने, सीमनाथ जी ने, आडवाणी जी ने और जार्ज फर्नान्डीज जी ने जो जे०पी०सी० की मांग की, मैं उसका समर्थन करता हूं और इससे सरकार को भी मदद मिलेगा। जिस तरह से प्रश्न देश में उठ रहे हैं, तत्काल उन प्रश्नों पर, बजाय इसके कि वे बादल बढ़ते जायें, छाया बढ़ती जाए, तत्काल सरकार को जे०पी०सी० की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे बल्कि एक विश्वास पैदा होगा कि सरकार का इरादा किसी चीज को छिपाने का नहीं है। यदि कोई चीज वह नहीं प्राप्त कर सकी 6 हफ्ते के अन्दर, तो उसे सदन के हवाले कर दे कि आप प्राप्त कर लो

ताकि कम से कम सदस्यों को और इस सदन को संतोष तो हो जाएगा कि उसमें जितना हो सकता था, हो रहा है। बात यह है कि क्यों हम लोग बार-बार इसे यहां उठाते हैं, क्या चीज सदन के सामने लानी चाहिए, क्या नहीं लानी चाहिए। हम लोगों से जो चीज कही जा रही है कि आप इसे स्वीकार कर लो कि एक भारतीय नागरिक या लायर या वकील वहां भारत के एक मंत्री को पत्र देता है और भारत की सरकार उसका नाम नहीं पा सकी है। वह कोई विदेश का नागरिक नहीं है, जहां हमारे कानून लागू नहीं होते हैं, वहां उनकी किसी और आदमी से बात नहीं हुई, जिसके जरिये हमको मालूम पड़ा, वह यहीं का नागरिक है, जिसने हमारे मंत्री से बात की है।

वे मंत्री जिस सरकार के रहे हैं, वही सरकार कहती है कि छः हफ्ते हो गये, हम अभी तक उसका नाम नहीं पता कर सके, बड़ा ताज्जुब होता है। फिर आपको यह कैसे मालूम हो गया कि वह एक वकील है, लायर है, अब नाम नहीं मालूम होता तो यह कैसे मालूम हो गया कि एक वकील है, बड़ा ताज्जुब सुनकर होता है। इसीलिये यह प्रश्न बार-बार यहां उठता है। किसने उसे इंट्रोड्यूस किया ?

यह बात बिल्कुल सही है कि ये वही लोग हो सकते हैं, इस व्यक्ति से संबंधित, जिन्हें बहुत दिलचस्पी है कि जो तथ्य हैं, वे सामने न आएं, किसी न किसी तरह से उन तथ्यों को दबाया जाए।

मान्यवर, एक बार हम लोगों ने प्रयास किया, पहली बार, आरोप से हटकर कि एक तथ्य रूप में, वहां का पैसा जो है, बोफोर्स का, ए०ई० सर्विसेज में गया है, उसके डाक्यूमेंट्स कन्क्रीट रूप में कोर्ट की मुहर लग कर, इस देश में आए। यह पहली बार एक व्यक्ति मिला है, वे कागज मिले, यह पहली बार व्यक्ति मिला है, जो वहां सरकार के एक मिनिस्टर के सम्पर्क में आया, ऐसे व्यक्ति को तो तुरन्त पकड़कर उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, यदि हम अपनी निष्ठा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम इस मामले के अखिरी तथ्य तक जाना चाहते हैं।

जहां तक सदन का सवाल है, मान्यवर, समय का, अगर जे०पी०सी० बनेगी तो उससे इस सदन का समय भी बचेगा और सरकार के प्रति जो प्रश्न-चिन्ह उठ रहे हैं, उनका भी निवारण होगा। इसके माध्यम से दोनों चीजें होंगी। इसलिए जे०पी०सी० की मांग को तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिए सरकार को। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी यहां आते हैं, कोई आश्वासन देते हैं कि हम पता लगायेंगे उस व्यक्ति का और डाक्यूमेंट तो हम मान लेते हैं कि जो छपा है, वही सही है, अब पता नहीं उसमें नोटिंग, हैंड राइटिंग वगैरह कैसी है, मैं नहीं जानता जिसके जरिये पता लग सके, हमें उसका प्रयास करना चाहिए लेकिन किसी तरह की स्पैकुलेशन मैं नहीं करना चाहता, उसे मैं बढ़ोत्तरी नहीं देना चाहता। लेकिन जे०पी०सी० से सदन का समय भी बचेगा और सरकार को भी क्लियरैंस मिलेगी। अगर इस तरह का आश्वासन देते हैं कि हमें समय चाहिये तो ठीक है, एक मियाद रख दी जाये। ये उसके अन्दर पता लगा कर के नाम बता दें। नहीं, अगर उस समय तक नहीं होता है, तो जे०पी०सी० का आश्वासन दे दें क्योंकि हम देखते हैं कि 3 साल, 4 साल में इसी आश्वासन की सच्चाई की तह तक पहुंचे। अगर कल तक हम लोग ए०ई० सर्विसिस और जॉर्डन तक तो पहुंचे। अब जॉर्डन से आगे आप कहां तक पहुंचाते हैं, यह तो आपके हाथ में है। आगे बढ़िए। धन्यवाद

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं केवल दो पहलुओं को सामने रखना चाहता हूं ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नियमित चर्चा होती जा रही है। यह जरूरी नहीं है कृपया बैठ जाएं .....

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं दुहराऊंगा नहीं। महोदय, जब सरकार हमें आश्वस्त करने का प्रयास करती है तभी सरकार के इरादों के विरुद्ध कुछ शक्तियां कार्य करने लगती हैं। फिर भी सरकार उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करती है। यही कारण है जो हमें यह कहने के लिए प्रेरित करती है ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइये। हमेशा आप स्वयं को सभा पर थोपना चाहते हैं। आपको अध्यक्ष पीठ की अनुमति से बोलना चाहिए। सभी सदस्यों ने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिए हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं दुहराऊंगा नहीं। महोदय, आप ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि सरकार को यह पता हो की सरकार की नीति के विरुद्ध कोई शक्ति कार्य कर रही है फिर भी यह चुप्पी साधे है ? ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ये सभी बातें शून्य काल के दौरान ही क्यों उठाते हैं ? आप नियमों का सहारा क्यों नहीं लेते ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्योंकि आपने यह मामला उठाया है। महोदय उस प्रश्न का भी मैं जवाब देता हूं। यह बार-बार कहा जाता है कि इस मुद्दे को हमेशा क्यों उठाया जाता है। वास्तव में जब भी हमने यह मुद्दा उठाया है रिकार्ड यह रहा है कि हमने बोफोर्स के रहस्य पर पड़े पर्दे को उठाने की कोशिश की है। शुरू में तो यह कह दिया गया कि कुछ भी नहीं हुआ है। फिर यह मान लिया गया कि हां, हमारा यह कहना ठीक था। तब कम्पनियों के नाम लिए गए। अंत में जब हमने इस मामले को उठाया तो विदेश मंत्री को जाना पड़ा इस मुद्दे को बार-बार उठाने की यही युक्तिसंगतता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार द्वारा जांच करने के बदले यदि संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको यह पता होना चाहिए कि तीन बजे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य शुरू किए जाने हैं। जिन लोगों ने नोटिस दी है उन्हें चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। नोटिसों पर समिति में चर्चा हो चुकी है, समय निर्धारित हो चुका है और तब भी आप शून्यकाल में बोलने के लिए खड़े हैं और उन्हें मामले को शुरू करने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने उन्हें बहुत मौका दिया। यदि मौका इतना महत्वपूर्ण न होता तो इस मामले को नहीं उठाया जाता।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाए .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी, क्या कहना है ? आप सहमत हैं पर वह सहमत नहीं हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, इस सभा में माननीय नेताओं तथा सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए जिन्होंने कल और आज यह प्रश्न उठाया है, मेरा यह कहना है कि जहां तक बोफोर्स मामले का संबंध है मुझे उस संबंध में के एक बात कहनी है कि ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

यह बड़ी परेशानी होती है।

[अनुवाद]

बहुत हो गया है।

[हिन्दी]

अब जी आपमें जजमेंट हो, वही तो मुझमें मत कहलवाइए।

[अनुवाद]

मेरा यह कहना है कि हमने किसी जांच को रोका नहीं है, न तो जांच को प्रक्रिया को अवरुद्ध करने अथवा उसमें कुछ भी हेरा फेरी करने में हमारी कोई रूचि नहीं है।

कल माननीय सदस्यों द्वारा विशिष्ट प्रश्न पूछे गए और वहीं विशिष्ट प्रश्न अध्यक्ष महोदय के साथ बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया। अतः मैं उन दो विशिष्ट प्रश्नों पर चर्चा करूंगा।

जहां तक सरकार का संबंध है भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री द्वारा स्विस सरकार के विदेश मंत्री को दिए गए पत्र की प्रति प्राप्त करने में सरकार को कोई संकोच नहीं है। मेरे विचार में माननीय सदस्यों द्वारा कल और आज उठाए गए मामले उसमें निहित होंगे।

जहां तक संबद्ध व्यक्ति की पहचान का संबंध है दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य ही यह नहीं जानना चाहते, बल्कि इस पक्ष के सदस्य भी यह जानने को इच्छुक है और सरकार भी उतनी इच्छुक है। उक्त व्यक्ति का नाम और परिचय जानने के लिए जो इस मामले में लिप्त है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : नाम न मालूम हो तो हुलिया मालूम कर लीजिए। आपकी तरह लम्बा था, कुमार मंगलम् जी की तरह छोटा था, काला था, मोटा था। हुलिया से पता लग जाता है।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कब फेयर फैक्स के जांच के आदेश दिए थे, क्या उन्हें पता है कि कौन अधिकारी थे और अपराधों की

जानकारी प्राप्त करने के लिए किन लोगों का उपयोग किया गया इसका फाईल पर उल्लेख भी नहीं किया गया था। फाईल पर कोई आदेश नहीं है। यह मात्र मौखिक आदेश था। हम उन मामलों पर भी ध्यान दें। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : जैसाकि मैंने पहले ही बताया है कि हम भी उस व्यक्ति का नाम और पहचान जानने के लिए उतने ही उत्सुक हैं, तथाकथित वकील—मैं वकील सम्बोधित नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि वह वकील ही था; हमने केवल समाचार पत्रों से ही यह जानकारी प्राप्त की है कि उक्त व्यक्ति वकील था। मैं मात्र तथाकथित वकील कहूंगा। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : श्री सोलंकी का वक्तव्य यह कहता है कि वह वकील था। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जब तक हमें कोई सुराग नहीं मिल जाता, इस मामले पर आगे चर्चा जारी रखना बहुत कठिन है लेकिन फिर भी ···· (व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप श्री सोलंकी पर मुकदमा क्यों नहीं चला जाते ? आज आप उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर करो और कल आपको सच्चाई का पता चल जायेगा। आप उन पर मुकदमा चलाइये (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : जार्ज जी, क्या आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आप श्री सोलंकी पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते ? (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : इसलिए, जब भी कभी हमें कोई सूचना या जानकारी मिलेगी, हम निश्चय ही आगे कार्यवाही करेंगे। जैसाकि हमारे माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि उनके पास कुछ जानकारी है, मैं उनका स्वागत करूंगा यदि वे उस जानकारी को हमें प्रदान करें ताकि हम आगे कार्यवाही कर सकें। हमारी तरफ से जब कभी हमें कोई सूचना या जानकारी प्राप्त होगी हम आगे कार्यवाही करेंगे।

विपक्ष के माननीय नेताओं तथा मित्रों को इससे संतुष्ट होना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने के लिए कोई कारण नहीं है (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम संसदीय मामलों के मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। हम इस मामले को सोमवार को फिर उठाएंगे (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : हम सहमत नहीं हैं। हम इस बारे में एक नोटिस देंगे और सोमवार को फिर इसे उठायेंगे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

———

2.22 म०व०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग रक्षा मंत्रालय आदि के बीच हुए वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) : महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1953/92]

(2) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1954/92]

(3) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1955/92]

(4) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1956/92]

(5) मजगांव डाक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1957/92]

रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन अधिसूचनाएं, टी बोर्ड कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय मैं श्री पी० चिदम्बरम् की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओ की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय रबड़ बोर्ड वित्तीय परामर्शदाता तथा परियोजना अधिकारी भर्ती नियम, 1990, जो 16 अक्तूबर, 1990, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 846 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रबड़ बोर्ड वित्तीय परामर्शदाता तथा परियोजना अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 1991, जो 15 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 358 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1958/92]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1959/92]

(5) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1960/92]

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा लेखा परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (1) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1961/92]

(ख) (1) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नियंत्री कम्पनी), नयी दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (नियंत्री कम्पनी), नयी दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1962/92]

(ग) (1) भारतीय पटसन विनिर्मित निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारतीय पटसन विनिर्मित निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1963/92]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1961—63/92]

(3) (1) पटसन विनिर्मित विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(2) पटसन विनिर्मित विकास परिषद कलकत्ता के 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय मे रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1964/92]

(5) (1) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(2) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1965/92]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक—महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार—(1991 का संख्या 19)—(वाणिज्यक)— राष्ट्रीय वस्त्र निगम (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और गोवा) लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1966/92]

(8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1967/92]

(2) भारतीय कपास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1968/92]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचनाएं हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा जल यूक्तल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन आदि

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) : मैं श्री जगदीश टाईटलर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 615 (अ) जो 4 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 658(अ) जो 31 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) पांचवां संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 40 (अ) जो 10 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती) विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 52 (अ) जो 20 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के कर्मचारी (आवासों का आवंटन) संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि 121(अ) जो 24 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्य मंगलौर पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) पहला संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(छः) सा०का०नि० 122 (अ) जो 24 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरन पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन की स्वीकृति) पहला संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया है।

(सात) सा०का०नि० 406(अ) जो 3 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास और डाक संशोधन विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा०का०नि० 725(अ) जो 5 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार-अग्रिम) (संशोधन) विनियम, 1991 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०1969/92]

(2) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (नियमों का अनुकूलन) विनियम, 1991, जो 1 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6-आई०डब्ल्यू०ए० आई०/स्था०/4-90 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1970/92]

(3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा जल भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1971/92]

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 1972/92]

(ख) (एक) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 1973/92]

(ग) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेतन ।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 1974/92]

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 1972—74/92]

(6) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1975/92]

(7) हुगली डाक और पत्तन इंजीनियरिंग लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1976/92]

(8) (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर्स प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर्स प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1977/92]

आयकर अधिनियम-1961, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम-1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम-1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (सातवां संशोधन) नियम 1992 जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 371 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1978/92]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 376 (अ) जो 31 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 175/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 383 (अ) जो 31 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 7/92-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1979/92]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 409 (अ) जो 8 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 33/86-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 410 (अ) जो 8 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 136/90 सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 411 (अ) जो 8 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कूरियर मोड की मार्फत आयातित सम्मान (कुछ अपवादों सहित) पर मूल सीमा शुल्क की दर मूल्यानुसार 105% की दर से विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) 26 मार्च, 1992 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किये गये प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क में किये गये परिवर्तन तथा रियायतों के बारे में सा०का०नि० 354 (अ) से सा० का० नि० 363 (अ) जो 26 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा०का०नि० 382 (अ) जो 31 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 52/85-सी०शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1995 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) परियोजना आयात (दूसरा संशोधन) विनियम, 1992 जो 10 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 317 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 1980/92]

लागत और संकर्म एकाउंटेंट अधिनियम, 1959 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उपधारा (5) के अन्तर्गत लागत और संकर्म अकाउंट्स (संशोधन) विनियम, 1991 जो 12 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी डब्ल्यू आर (1)/91 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1981/92]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०अ० 153 (अ), जो 25 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची इस में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 1982/92]

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 642 की धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) कम्पनी (आवेदन पत्रों का शुल्क) संशोधन नियम, 1992, जो 25 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 126 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप (संशोधन) नियम, 1992 जो 6 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 312 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रारूप (दूसरा संशोधन) नियम, 1992 जो 26 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 353 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1983/91]

(4) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1984/92]

(6) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के उपबन्धों के क्रियान्वयन से संबंधित बीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1985/92]

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (1991 का संख्या 12)—वाणिज्यिक—हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटिड

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : डा० चिन्ता मोहन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (1991 का संख्या 12)—वाणिज्यिक—हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटिड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०1986/92]

साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 आदि के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : महोदय, मैं श्री दलबीर सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 क की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) स्कीम, 1992 जो 10 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 200 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) स्कीम, 1992 जो 10 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 201(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-1987/92]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (यात्राओं पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता तथा होटल प्रभार) (संशोधन) स्कीम, 1992 जो 10 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) (संशोधन) नियम, 1992 जो 10 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 323(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी एक अधिकारी (सेवा की शर्तों और निबंधन का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1992 जो 10 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 324 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1992 जो 10 मार्च, 1992 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 325(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-1988/92]

(3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 328(अ) जो 13 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय किसी ऐसे यात्री द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीयता या मूल का हो किसी बाहर के देश से भारत में आते हुए अपने माल के एक भाग के रूप में आभूषणों तथा वस्तुओं सहित किसी भी रूप में सोने को भारत में लाने की 1 मार्च, 1992 से अनुमति देना है की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-1989/92]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (चेयरमैन तथा सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 1992 जो 27 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 242(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-1990/92]

(5) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 407(अ) जो 6 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उन निर्यातकों को जिन्हें परियोजना निर्यात संबंधी कार्यकारी दल की ओर से एग्जिम बैंक से पोस्ट बिड अनुमोदन पत्र प्राप्त है, अथवा एग्जिम बैंक को अथवा उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत किसी प्राधिकृत व्यापारी को आस्थगित भुगतान की शर्तों पर इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात, विदेश में टर्न की परियोजनाओं/सिविल निर्माण संविदाओं को पूरा करने के संबंध में अथवा विदेश में परामर्श तकनीकी अथवा अन्य सेवाओं के निर्यात हेतु अनुमति प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-1991/92]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिंडीकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1991 जो 11 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1046/एस/0090/पी०डी० आईआरडी (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन विनियम, 1991, जो 18 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/पीसीआर/91/5122 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-1992/92]

(7) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) डाकघर (मासिक आय लेखा) (संशोधन) नियम, 1992 जो 24 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 430(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर अवधि निक्षेप (संशोधन) नियम, 1992, जो 24 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 431(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[पंचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-1993/92]

(8) सरकारी बचत प्रपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1992 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 24 अप्रैल, 1992 को अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 432(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1994/92]

(9) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपाड़ा का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1995/92]

(दो) लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक, डिमू का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1996/92]

(तीन) भोजपुर-रोहताश ग्रामीण बैंक, आरा का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1997/92]

(10) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का-निर्माण (75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले ग्यारह कोनों के दो रुपये के सिक्कों का मानक भार और उपचार) नियम, 1992, जो 13 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 281(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पंचालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-1998/92]

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-1999/92]

(3) (एक) एक्सपोर्ट इन्सपैक्शन काऊंसिल एण्ड एक्सपोर्ट इन्सपैक्शन एजेंसिस (खंड-2) के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-2000/92]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी०-2001/92]

2.23 म०प०

राज्य-सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1992 को जिसे लोक-सभा द्वारा अपनी 29 अप्रैल, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य-सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

2.23½ म०प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 10 अप्रैल, 1992 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य-सभा के महासचिव के द्वारा की गई अभिप्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं :—

1. सार्वजनिक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक, 1992,
2. कीटनाशक (संशोधन और प्रमाणीकरण) विधेयक, 1992,
3. सर्वाधिकार (संशोधन) विधेयक, 1992,
4. भारतीय रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992,
5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विधेयक, 1992 ।

2.24 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की दूसरी से दसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं ।

2.24½ म०प०

शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल-विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन और शिशु खाद्य के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन और शिशु खाद्य के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको नोटिस दिया है। मैं इस बिल को लेकर दो आपत्तियां उठाना चाहता हूं। हम इस बिल का स्वागत करने वालों में हैं लेकिन दो आपत्तियां हैं। मेरी प्रार्थना है मंत्री जी से कि वह आज इस बिल को पेश न करें। इसमें दो बातें दुरस्त करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप विधायी क्षमता की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लैजिस्लेटिव काम्पिटेंट्स की बात नहीं कह रहा हूं डिसक्रिमिनेशन की बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

यह एक अत्यधिक भेदभाव करने वाला कानून है और मैं यह सिद्ध करने के लिये कि कैसे यह भेदभाव वाला है, एक मिनट का समय लूंगा। इस बिल को आप ला रहे हैं। 1981 में जो वर्ल्ड हैल्थ असेम्बली ने एक कोड बनाया था कि दूध बच्चों को किस प्रकार का पिलाया जाये, उस कोड को कापी मेरे पास है। इसको 1985 में भारत सरकार ने कबूल भी किया था— (व्यवधान)

*दिनांक 8-5-1992 के भारत के राज-पत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : यह रैगुलर डिसकशन हो जायेगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इसके गुणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ यह बता रहा हूं कि किस प्रकार यह विधेयक दुग्ध उत्पादों के भारतीय निर्माताओं के साथ भेद-भाव करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह बात इस पर विचार करते समय भी कही जा सकती है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन यह भेदभाव बरतने वाली है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके पुरःस्थापन के समय आप इसके विधायी पहलुओं तक ही चर्चा करें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यह हमारे विनिर्माताओं के साथ पक्षपात है । ..... **(व्यवधान)**

इस विधेयक का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफदारी करना है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर बोलने का पूरा अधिकार है लेकिन कंसिडरेशन की स्टेज पर ।

[अनुवाद]

पुरःस्थापन के चरण में आपको केवल विधायनी सक्षमता पर विचार करना होगा ।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह एक पक्षपात पूर्ण कानून है ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस पक्षपात के कारण कोई मौलिक अधिकार प्रभावित होता है । .....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं बहुत सम्मानपूर्वक आपका ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम 72 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि :

"यदि विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति मांगने वाले प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो अध्यक्ष अनुमति देने के बाद ....."

महोदय, आपकी अनुमति आवश्यक है । इसी कारण हम बोलते हैं ।

"..... यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव पुरःस्थापना का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा :

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।" ····(व्यवधान)····

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : यहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्हें इसका उनके द्वारा चुने गए आधार पर विरोध करने का पूरा अधिकार है और उसी आधार पर मंत्री जी को उत्तर देना होगा। अतः उन्हें विरोध करने का पूरा हक है।·····(व्यवधान)·····

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी बात कहना चाहते हैं उसे आप इस पर विचार के दौरान कह सकते हैं। पुरस्थापन के समय आपको हमसे यह कहना होगा कि यह सदन सक्षम नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं। नियम ऐसा नहीं है।····(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि यह सदन की सक्षमता का प्रश्न है तो सभापति को इस पर पूर्ण बहस की अनुमति देनी होगी। लेकिन इस सक्षमता के मुद्दे के बिना भी वह विधेयक के बारे में अन्य आधारों पर आपत्ति कर सकते हैं। जिसका मंत्री जी को जवाब देना होगा।···(व्यवधान)··

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, मैं उत्तर दूंगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, 1968 से यहां अनेक इस प्रकार के विधेयकों का विरोध करने का हमने काम किया है ····(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एलाऊ किया है लेकिन जो प्वाइंट्स आपने रेज किये हैं, वे वैलिड प्वाइंट्स हैं।

[अनुवाद]

परन्तु किस स्तर पर यह बात उठाना चाहते हैं। अब एक तथ्यात्मक मामले के रूप में आप इसे पुरःस्थापन के समय उठा रहे हैं। इस पर विचार करते समय इसे अन्य लोग भी उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों इस वक्त इन्हें रेज कर रहा हूं? मैं इस बिल का समर्थक हूं और इस बिल को चाहता हूं लेकिन··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस बिल के समर्थक हैं लेकिन आप कंसिडरेशन के प्वाइंट्स रेज कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आप उन्हें पहले ही निस्सार कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस विधेयक को·····

अध्यक्ष महोदय : आपके और अन्य सदस्यों के बीच कुछ भेद है। अन्य सदस्यों को इस बात को उठाने का समान अवसर नहीं मिला। अब आप इस बात को इस स्थिति में उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं क्योंकि इसमें कुछ मुद्दे सम्मिलित हैं। महोदय मैं उन अन्य सदस्यों को इसे न उठाने के लिए कहूंगा जो इसे उठाना चाहते हैं। मैं किसी अन्य सदस्य को पृथक करने के लिए कोई स्थिति उत्पन्न नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं। अब क्योंकि आप इस प्रक्रिया को जानते हैं, आप अवसर का लाभ उठा कर यह सब कर रहे हैं। मुझे बताइए और यदि कोई आपका विरोध नहीं करेगा तो इसका स्वागत किया जाए और आपको बधाई दी जाए, परन्तु पुरःस्थापन के समय केवल इसकी विधायनी क्षमता पर ही चर्चा होनी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मुझे खेद है। मेरा विनम्र निवेदन है कि नियम 72(i) के अनुसार :

> "यदि विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध होता है तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा दिए जाने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा"।

यह विशेष खण्ड मौजूदा स्थिति को संचालित करता है। श्री जार्ज फर्नान्डीज के बोल चुकने के बाद यदि मैं इसी विषय पर बोलना चाहता हूं तो मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैंने आपको नोटिस नहीं दिया है। उन्होंने आपको यह नोटिस दिया है कि मैं इन आधारों पर इसका विरोध करना चाहता हूं। अतः वह इसे उठाने के पात्र हैं। तत्पश्चात् नियम में आगे कहा गया है कि :

> "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो संसद की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा :"

यदि यह आधार था तो मैंने भी यह कहा होता कि मैं भी इस पर बोलना चाहूंगा और मैं इस पर वाद-विवाद में भाग लेता। परन्तु जहां तक इस विशिष्ट मुद्दे का प्रश्न है यह बात एकदम न्यायसम्मत है कि उचित नोटिस देने के बाद वह विधेयक पर आपकी अनुमति से उल्लिखित आधारों पर आपत्ति करने के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे नोटिस दिया और यह मान लिया कि मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। अतः मैंने उनकी बात पर आपत्ति नहीं की है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक इन नियमों की शब्दावली का संबंध है अध्यक्ष महोदय ने अत्याधिक बुद्धिमानी का परिचय दिया है भले ही यह विधायनी सक्षमता के ही आधार पर ही क्यों न हो। इसके बावजूद इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष पूर्ण वाद-विवाद की अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी चर्चा पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं और हमने कई बार चर्चा की अनुमति भी दी है। परन्तु वास्तव में हुआ यह है कि वह इस प्रावधान का उपयोग कर रहे हैं और जिन सभी बातों को विचार-विमर्श के दौरान उठाया जाना चाहिए था वह अब उठाई जा रही हैं।

श्री राम नाइक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, बात यह है कि वह कह रहे हैं कि वह विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कहा, मैं कानून का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं जब तक कि इस विधेयक के भेदभाव पूर्ण पहलू को दूर नहीं किया जाता है। ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। परन्तु कृपया मेरी बात सुनो इस मुद्दे को उठाने का अधिकार है लेकिन यहां पर बैठे हुए पीठासीन अधिकारियों को अन्य मामलों पर भी विचार करना है। मान लीजिए यदि कोई मद 3 बजे सामने आती है और यह मान लीजिए कि हम बीच में उसे समय नहीं देते हैं तो यह ठीक नहीं है। यह बात इसको अलग रखने के लिए नहीं है परन्तु यह देखने के लिए है कि दूसरों को भी इस मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिले।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं दो बातों के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैं किसी हालत में पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात दो मामलों को लेकर उठा रहा हूं। आप तो यह कह रहे हो कि जो बेबी फूड है, इसका विज्ञापन नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान में जो बेबी-फूड है, उसमें अधिकांश बेबी-फूड बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती हैं, जिनके हैडक्वार्टर्स अमरीका में या स्विटजरलैण्ड में या यूरोप के अन्य देशों में हैं। विश्व के सारे प्रसारण के जो माध्यम हैं, जैसे सी०एन०एन०, बी०बी०सी०, आई०टी०वी० और अन्य प्रकार के हैं, उनको हिन्दुस्तान के लोगों ने हमारे यहां के टेलीविजन से अधिक देखना पसन्द किया है। टेलीविजन के जरिए जो विज्ञापन चलना है, ये सारी विदेशी कम्पनियां हैं, जिनके हाथ में हिन्दुस्तान का अधिकांश बाजार है और वे उनके द्वारा बेबी-फूड के विज्ञापन को चलाने का काम करेंगे। हिन्दुस्तान का जो मैन्युफैक्चर है, वह अमूल है जो कि बहुत छोटा है। अन्य छोटे कोई भी उद्यम हों, एक दो का नाम हम ले सकते हैं। उनको आप कह रहे हो कि तुम इसका विज्ञापन नहीं कर सकते हो। मैं विज्ञापन का विरोधी हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विज्ञापन हों, लेकिन आपका विधेयक हिन्दुस्तान के जो मैन्यूफैक्चर हैं, उनको दबाएगा और जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, वे विदेश में अपना प्रसारण कराकर हिन्दुस्तान के लोगों के मन पर उस का असर डालने का काम करेंगी। अब इस बेबी-फूड का सारे हिन्दुस्तान में पिछले साल जो आपका प्रोडक्शन मात्र 60 हजार टन था, उसमें 40 हजार टन उन लोगों ने खरीदा, जो कि बहुत सम्पन्न लोग हैं। सीधे अपने घरों में खरीदने का काम उन लोगों ने किया है। इसकी रिपोर्ट सरकार के पास है। हमारे यहां की जो छोटी कम्पनियां हैं या हमारे यहां अमूल जैसी छोटी को-आपरेटिव कम्पनियां हैं, ये क्या करें ? आप इनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं।

दूसरी बात, आपका डिस्क्रिमिनेशन मजदूरों के साथ है, आपका जो कोड है, जिस कोड का जिक्र मन्त्री जी ने विधेयक के आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में किया है, उसमें कहा गया है कि 1981 का वर्ल्ड हैल्थ एसेम्बली का जो कोड है, उसको भारत सरकार ने एन्डोर्स किया है। यह भारत सरकार का एन्डोर्स कोड है और इस कोड में जो भारत सरकार का प्रस्ताव है, यह यह है—

[अनुवाद]

"विनिर्माताओं और वितरकों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए मार्किटिंग करने वाले कर्मचारियों द्वारा बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रणाली में इस कोड के अन्तर्गत उत्पादों की बिक्री की मात्रा को बोनस की परिगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ....।"

"बोनस का हिसाब लगाने में इन उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष रूप से कोटा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

अब आपने इसको डिस्टोर्ट कर दिया, जो इसका उद्देश्य है उसको आपने बिल्कुल ही बदल कर, आपने इसमें क्या किया। अध्यक्ष जी, आपने इसमें कहा—

[अनुवाद]

"ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मचारियों का पारिश्रमिक निर्धारित करना चाहिए जो शिशुओं के लिए दूध के विकल्प का उत्पादन करता है, उसकी आपूर्ति करता है, उसका वितरण करता है या बेचता या शिशुओं को दूध पिलाने की बोतलों का उत्पाद, आपूर्ति वितरण या विक्रय करता है। इसमें विनिर्माण कर्मचारी भी सम्मिलित हैं या ऐसे कर्मचारियों को ऐसे विकल्पों या बोतलों अथवा बनाए गए ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री की मात्रा के आधार पर कमीशन देना चाहिए।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, अब यहां पर क्या होगा, यहां इतना ही होना है कि वह जो डिस्ट्रीब्यूशन की दूकान पर पहुंचाने वाला सेल्समैन है उसको पीस रेट पर तनख्वाह मिलती है तो उसके पीस रेट की तनख्वाह को आप खत्म करना चाहते हो। जो मैनुफेक्चरिंग के कारखाने में काम करने वाला कर्मचारी है उसका वेतन को अगर वह पीस रेट पर वहां पर हो तो उसके पीस रेट के वेतन को आप खत्म करना चाहते हो। उसको किसी भी प्रकार का जो भी इनसेंटिव है, अपना काम करने के लिए, तो उसको आप खत्म करना चाहते हो। तो जब आपने वर्ल्ड कोड बनाया, जिस कोड को आपकी सरकार ने रेटिफाई किया, जिस कोड के अन्तर्गत आपने इस कानून को लाया है इसमें बोनस का सवाल है, इसमें तनख्वाह का सवाल नहीं है और मजदूर के नाते से कारखाने में काम करने वाले के बारे में भी यहां पर डिसक्रिमिनेशन है तो यह दो डिसक्रिमिनेशन्स इसमें हैं। इसलिए इस बिल का जो आशय है, जो उद्देश्य है हम तो उस का स्वागत करते हैं मगर हम यह चाहेंगे कि ये दोनों डिसक्रिमिनेटेरी मामलों के ऊपर सरकार अधिक विचार करे और उसे दुरुस्त करके सोमवार या मंगलवार को सदन में पेश करने का काम करे।

श्रम एवं संसाधन विकास मंत्रालय, में युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : सर, मैं पहले यह बोलना चाहती हूं कि 1981 में वर्ल्ड हैल्थ कोड ने, इंटरनेशनल कोड ने एक बिल एडोप्ट किया था। उस के बाद में 1983 में हमारे हिन्दुस्तान में एक वर्किंग ग्रुप हुआ था उसकी रेकोमेंडेशन के मुताबिक 1986 में राज्यसभा में यह बिल पास हुआ था लेकिन गवर्नमैंट लेप्स हो जाने के बाद, डेसोल्युशन

हो जाने के बाद यह पास नहीं हुआ । जब श्री वी०पी० सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, 11 जनवरी, 1990 में यह बिल फिर लोक सभा में इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन लोक सभा डेसोल्यूशन होने के बाद यह नहीं हो पाया । उसके बाद में राम नाईक के लास्ट पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेम्बर बिल ले आए, उन्होंने मुझ से बहुत रिकवेस्ट किया उन्होंने इतना बोला था कि अगर 1981 में इंटरनेशनल कोड कर सकता है, वर्ल्ड असेम्बली में, तो हिन्दुस्तान ने अभी तक क्यों नहीं किया है । मैंने बोला था कि यह गवर्नमैंट की गलती हुई है जैसे अभी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने प्रश्न रेज किया है मैं इसके लिए बहुत दुःखी हुई हूं । क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चों की हैल्थ अच्छी हो, उनको अच्छा न्युट्रेशन मिले और क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनको अच्छा फूड मिले । अगर आप चाहते हैं कि उनको अच्छा फूड मिले तो आपको जरूर इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

यह अति गम्भीर स्थिति है ।

[हिन्दी]

आपको सोचना चाहिए कि इनफैंट मोरटेलिटी कैसे बढ़ती जा रही है । इसलिए यह बिल लाना जरूरी है । मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि एम्पलाइस के बारे में जार्ज फर्नान्डीज लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं लेकिन मैं इसके लिए दिल से लड़ रही हूं । (व्यवधान) प्रोडेक्शन बैन नहीं हुआ है लेकिन इस बिल में एडवरटिसमेंट बंद करने करने के लिए बोला है क्योंकि इन्फैंट मिल्क को प्रोटक्शन देने के लिए, इन्फैंट फीडिंग बोटल्स को प्रोटक्शन देने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटक्शन देने के लिये और हमारे हिन्दुस्तान के आने वाले भविष्य के लिए, मैं चाहती हूं कि सारा सदन इसके लिए हमारा समर्थन करे और आने वाले बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करे । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक विनोदपूर्ण तथा अनुनयी उत्तर था ।

प्रश्न यह है :

"स्तनपोषण के संरक्षण और संवर्धन और शिशु खाद्य के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण-बोतल और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम 3 बजे मिलें ?

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय अगर कोई मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं है तो कम से कम चाय के लिए अवकाश तो होना चाहिए ।

---

2. म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल में इडुक्की में सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : केरल में इडुक्की राज्य पूर्ण विनाश के खतरे का सामना कर रहा है और हम स्थिति में सुधार हेतु गत तीन वर्षों से आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए अनुरोध करते आ रहे हैं। भीषण सूखे ने काली मिर्च, चाय, काफी, काको, इलायची नारियल, रबड़ इत्यादि के पौधों को पूर्णतः नष्ट कर दिया है और ये सूख गए हैं तथा नष्ट हो गए हैं। तमाम खेती तथा हरियाली नष्ट हो रही है। गरीब कृषक डरे हुए हैं तथा किंकर्तव्य-विमूढ़ हो गए हैं। अगर इस स्थिति को जारी रहने दिया गया तो न सिर्फ इडुक्की बल्कि पूरे केरल राज्य में आर्थिक विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति का सामना करने हेतु युद्ध स्तर पर कदम उठाए।

(दो) जगदलपुर-निजामाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-16 को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकू राम सोढ़ी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 16 जगदलपुर-निजामाबाद सड़क को स्वीकृति मिले चार वर्ष होने जा रहे हैं पर अब तक इसमें काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का पूरा स्टाफ का पोस्टिंग नहीं हो पाया है। आवश्यक पदों की पदस्थित होने से अभी जो भी काम चल रहा है वह बहुत ही धीमी गति पर है। जहां तक जानकारी है कि सड़क पर नियमित काम करने वाले गंगदुली तक के पूरे पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। बस्तर सीमा जगदलपुर से भोपालपट्टनम तक की दूरी 220 कि०मी० है। इसमें कार्य को गति देने के लिए बीजापुर में एक सब-डिवीजन खोलने की आवश्यकता है। अभी गोदम में सब-डिवीजन खोला गया है जो जगदलपुर से 61 कि०मी० की दूरी पर है, बाकी सड़क की लम्बाई गोदम से भोपाल-पट्टनम की ओर ज्यादा है और इसलिए कार्य नियंत्रण की कमी से निर्माण कार्य में जोर नहीं पड़ रहा है। भोपालपट्टनम के पास ही इंद्रावती नदी पर बृहद पुल निर्माण होना है इसलिए भी बीजापुर में सब-डिवीजन का खोला जाना बहुत आवश्यक है।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि इस मार्ग को समय सीमा के तहत पूर्ण करने के लिए राज्य शासन को आवश्यक अमला पदस्थ करने हेतु उचित निर्देश देवें जिसमें निर्माण कार्य में तेजी आ सके।

(तीन) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए फ्लैटों का निर्माण करने हेतु धन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी क्रिडा तोपनो : (सुन्दरगढ़) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान राउरकेला में नाला रोड पर रह रहे पचास हजार से अधिक मुसलमानों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। 1964 में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनेक भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान हजारों मुस्लिम परिवारों ने राउरकेला में शरण ली थी। दंगों के बाद भी अनेक परिवार वहीं पर रहते रहे और अब नाला रोड पर रह रहे हैं। इनमें अधिकांश परिवारों के पास अपने परिवार के सदस्यों के रहने के लिए मुश्किल से एक कमरा है। पूरे नाला रोड क्षेत्र को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे पेयजल, बिजली और सफाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उड़ीसा सरकार ने उनके आवास हेतु फ्लैट बनाने का प्रस्ताव किया था। लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश परिवार मुश्किल से अपना पेट पालते हैं और आवास खर्च की किस्तें देने में असमर्थ हैं। महोदय, पूरा नाला रोड क्षेत्र राउरकेला शहर का निचला क्षेत्र है और यहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए बरसात के मौसम में यह बाढ़ के पानी से प्रभावित होता है। यहां अनेक लोग हैजे से प्रभावित होते हैं। गर्मियों में उन्हें पेय जल नहीं मिलता क्योंकि इस क्षेत्र में जल आपूर्ति की कोई सुविधा नहीं है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि इन लोगों को फ्लैट बनाने के लिए मानवीय आधार पर पर्याप्त धनराशी प्रदान करें ताकि साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित इन परिवारों को पुनः बसाया जा सके।

(चार) केरल में कोवलम से कोचुवेली तक अन्तर्देशीय जलमार्ग का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह पता चला है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के तहत पर्यटन विकास हेतु कुछ परियोजनाओं का चयन किया है। केरल में कोवलम ऐसी एक परियोजना है। केरल सरकार ने कोवलम से कोचुवेली तक अन्तर्देशीय जल मार्ग के विकास हेतु एक प्रस्ताव दिया है, यहां पर जल क्रीड़ाओं के लिए सुविधाऐं पहले से ही उपलब्ध हैं। अगर कोवलम-कोचुवेली अन्तर्देशीय जल मार्ग विकसित हो जाए तो यह विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है क्योंकि हवाई अड्डे पर उतरने वाले पर्यटक जल मार्ग से आधे घंटे से कम समय में आसानी से कोवलम पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को एक निश्चित अवधि के भीतर कार्यान्वित करदे।

(पांच) महाराष्ट्र में ठाणे जिले में मुरबाद तहसील से होकर जाने वाली "वरियाघाट" रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे (ठाणे) : महाराष्ट्र में ठाणे जिले में मुरबाद तहसील से होकर जाने वाली नई रेल लाईन का सर्वेक्षण बहुत पहले हुआ था।

यह रेल लाइन न सिर्फ इस तहसील की जीवन रेखा है बल्कि यह दक्षिण भारत के लिए भी एक वरदान सिद्ध होगी। यह बताया गया है कि इस लाइन के बिछाने से बम्बई से विशाखापटनम की दूरी 250 किलोमीटर कम हो जाएगी और बम्बई और अहमदनगर के बीच दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी जोकि मौजूदा रेल मार्ग से कम है। प्रस्तावित मार्ग से यात्रा

करने वाले यात्रियों को पुणे होकर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वे दौंड़याघाट होकर सीधे बम्बई से अहमदनगर जा सकते हैं। मुरबाद तहसील से गरीब ग्रामीण "दरियाघाट रेलवे" नामक इस रेल लाइन के पूरा होने की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में जल्द कार्यवाही करें क्योंकि महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बीच यह सबसे छोटा रेल सम्पर्क होगा।

(छः) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र तराई क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जो नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र आतंकवाद से ग्रस्त है। यहां के लिए कई वर्ष पूर्व इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्वीकृत हो चुका है, परन्तु आज तक उक्त एक्सचेंज स्थापित नहीं हो सका जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस बल को संचार सुविधाओं के अभाव में आतंकवाद से लड़ने में कठिनाइयां आती हैं।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि पीलीभीत में उक्त एक्सचेंज शीघ्र स्थापित किया जाये।

(सात) उत्तर बिहार और दक्षिण भारत के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आने वाली खासकर उत्तरी बिहार में आने वाली रेल गाड़ियों के करीब-करीब सभी डिब्बे जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। उनके संडास की खिड़कियां व दरवाजे भी बन्द नहीं होते हैं और पानी के नल प्रायः सभी टूटे होते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जो दुर्गति होती है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। खान-पान के सामान की दर वृद्धि तो कर दी गई है परन्तु खान-पान का स्तर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गाड़ी में पानी के नल टूटे रहने के कारण लोगों को पानी की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। अतः इन खराब डिब्बों को अविलम्ब हटाकर उपयोगी डिब्बे देने चाहिएं ताकि रेल यात्रियों को इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। आरक्षण में कम्प्यूटर सेवा मुजफ्फरपुर आरक्षण कार्यालय को भी मिलनी चाहिए थी, किन्तु नहीं मिली। नई रेल नीति के अन्तर्गत पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण के खास-खास औद्योगिक एवं व्यावसायिक नगरों को जोड़ने का काम रेलवे ने जहां किया है वहां उत्तर बिहार को नहीं जोड़ा जा सका है। अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि उत्तर बिहार को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए एक सीधी गाड़ी मुजफ्फरपुर से दी जाए।

(आठ) बक्सर हवाई अड्डे की सीमा का सीमांकन करने और उसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के बक्सर जिले के बक्सर में अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ हवाई अड्डा है। समय-समय पर मंत्रीगण उस हवाई अड्डे का उपयोग करते हैं। हवाई अड्डा करीब 50 एकड़ जमीन में है। पुराने सर्वे एवं नये सर्वे में वह

आराजी हवाई अड्डे के नाम से दर्ज है। लेकिन इधर कुछ दिनों से हवाई अड्डे की जमीन को कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बक्सर हवाई अड्डे का डिमारकेशन कराया जाए एवं डिमारकेशन के बाद चहारदीवारी बनवाई जाए एवं बक्सर हवाई अड्डे को आधुनिक ढंग से बनाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 3.30 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.50 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.3 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.35 म० प० पर पुनः: समवेत हुई।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : सभा अब गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक*

(धारा 10 में संशोधित)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दीज ए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अन्ना जोशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

3.35½ म० प०

चिकित्सक तथा अभियन्ता (विदेश प्रवास का विनियमन) विधेयक*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सकों और अभियन्ताओं के विदेश प्रवास का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 8-5-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिकित्सकों और अभियन्ताओं के विदेश प्रवास का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

3.36 म० प०

विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (आर्थिक रूप से पिछड़े माता-पिताओं के बच्चों के लिए) विधेयक*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़े माता-पिताओं के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाए प्रदान करने के किए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आर्थिक रूप से पिछड़े माता-पिताओं के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

3.36½ म० प०

कालेज शिक्षा विधेयक*

डा० पी० बल्लल पेरुमाल (चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में कालेजों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के प्रत्येक जिले में प्रर्याप्त संख्या में कालेजों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० पी० बल्लल पेरुमाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 8-5-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.37 म० प०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का (सरकारी सेवाओं में) आरक्षण विधेयक

डा० पी० बल्लल पेरुमाल (चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी सेवाओं में उच्च श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी सेवाओं में उच्च श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० पी० बल्लल पेरुमाल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

3.38 म० प०

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 115 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री श्रीवल्लभ पाणीग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.38½ म०प०

सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक*

श्री हम्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

*दिनांक 8-5-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.39 म० प०

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक*

(धारा 6 क में संशोधन)

श्री काशी राम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशी राम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.39½ म० प०

विशिष्ट जनों के लिए सरकारी आवास विधेयक*

श्री काशी राम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार के अधीन उच्च पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए स्थायी आवास का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार के अधीन उच्च पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए स्थायी आवास का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशी राम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 8-5-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.40 म० प०

असंगठित श्रमिक कल्याण विधेयक*

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि असंगठित श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असंगठित श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री द्वारका नाथ दास : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.40½ म० प०

पूर्व चाय बागान श्रमिक कल्याण विधेयक*

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्व चाय बागान श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्व चाय बागान श्रमिकों के संरक्षण और कल्याण तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री द्वारका नाथ दास : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

3.41 म०प०

कृषि श्रमिक (पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान वेतन) विधेयक*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल (नान्देड़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कृषि श्रमिकों, पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान वेतन तथा भत्तों और तत्संबंधी या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि कृषि श्रमिकों, पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान वेतन तथा भत्तों और तत्संबंधी या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

---

*दिनांक 8-5-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

3.42 म०प०

गुवाहाटी उच्च-न्यायालय (इम्फाल में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

श्री थाइमा सिंह गुमनाम (आंतरिक मणिपुर) : अब चूंकि इम्फाल में गुवाहटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना हो चुकी है और यह कार्य कर रही है अतः विधेयक का प्रयोजन सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इम्फाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इम्फाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री थाइमा सिंह गुमनाम : मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

सभापति महोदय : सभा अब 10 अप्रैल, 1992 को श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति जी, यह चर्चा मैं आरम्भ कर रहा हूं। मैं केवल सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस मणिपुरी भाषा की मान्यता के प्रश्न को लेकर कई मणिपुरी वासी पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उपवास चल रहा है और एक की स्थिति तो गंभीर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन में वैसे तो दो बार शुक्रवार को चर्चा हो चुकी है, एक आम सहमति भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का रिस्पोंस सही होगा और ऐसा रिस्पोंस होगा कि जिससे सदन की राय उन तक जाए और हम चाहते हैं कि वे उपवास छोड़ दें। एक की स्थिति बहुत गंभीर है और इसके कारण ही मैं चिन्ता प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, कुछ नेपाली लोग भी आत्मदाह करने की योजना बना रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : माननीय आडवाणी जी ने जिस बात को यहां सदन में उठाया है, मेरा निवेदन है कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब यहां सदन में मौजूद हैं। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : आडवाणी जी ने बोल दिया है, खुराना जी, अब और क्या रहना है।

समापति जी, जैसा पिछले दिनों मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आदरणीय बिन कुमारी जी ने इस बिल को सदन के समक्ष लाकर हम सब का दिल जीत लिया है और देश के उन सब प्रान्तों में रहने वाले लोगों का दिल भी जीत लिया है जो भाषा के सवाल को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। उन्होंने जो मौका हम लोगों को दिया है ..... (व्यवधान) ..... उनका नाम तो है ही नहीं। आपके सामने मैं यह बात बताना चाहता हूं कि हमें आज एक अवसर मिला है सदन में कि सिर्फ मणिपुरी और नेपाली तक ही सीमित करके हम इसे न रखें बल्कि हमें कुछ ज्यादा गम्भीरतापूर्वक इस मसले पर सोचने की आवश्यकता है। उसका कारण है कि नेपाली भाषा, मणिपुरी भाषा या कोंकणी भाषा, इस प्रकार की जितनी भाषाएं देश में हैं, उनको संविधान में मान्यता देने का प्रस्ताव हमारे सामने है। इसमें कोई दो राये नहीं हो सकती क्योंकि आज देश की एकता, पूरे भारत की एकता अगर हमें बरकरार रखनी है तो हमें अपनी भाषा नीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा।

हर सब जानते है कि इस देश में जितनी प्रधान भाषाएं है, उन्हें संविधान के आठवें अनुच्छेद में मान्यता प्राप्त है। हम सब यह भी जानते है कि हिन्दी इस देश की राष्ट्र भाषा है और इसके बारे में भी कोई दो राये नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन देश में, 40-45 साल की आजादी के बाद भी जगह-जगह, दूरदराज के इलाकों में, पिछड़े हुए इलाकों में जितनी भाषाएं बोली जाती है, लोग बोलते है, उन भाषाओं के प्रति स्थानीय लोगों में जो प्यार है, मोहब्बत है, वे सभी अपनी-अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाना चाहते है, लेकिन सरकार की उनकी भाषाओं के प्रति जो उदासीनता है उसे लेकर लोगों में आश्चर्य और क्षोभ की भावना है।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जितनी माईनर लेंग्वेजेज हैं, हर प्रान्त में जाने से आपको कुछ भाषाएं ऐसी मिल जाएंगी जिन भाषाओं की अपनी कोई लिपि नहीं है लेकिन लोग उन भाषाओं में बोलते है, बात करते है। ऐसी कुछ भाषाएं, जैसे हमारे यहां अण्डमान निकोबार में निकोबारी भाषा है, उसकी कोई लिपि नहीं है लेकिन रोमन हर्फों के माध्यम से लिखने का प्रयास, वहां से इस सदन में 1952 में चुनकर आने वाले सांसद लेट जॉन बिलप रिचर्डसन ने किया। उन्होंने लिखित रूप में वहां की निकोबारी भाषा को स्थिर कर दिया, लिपिबद्ध किया। वैसी ही भाषाएं देश के अन्य हिस्सों में आपको मिल जायेंगी, जिन भाषाओं का हम लोगों का पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी सब भाषाओं को, देश की एकता की दृष्टि से, देश की इंटीग्रिटी की दृष्टि से, देश को मजबूत करने के लिये, छानबीन करके प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। हमें उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये और कैसे उन सभी भाषाओं को अपने संविधान में मान्यता दिलायें, इस बारे में हम सब को गंभीर विचार करना चाहिये।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसी कई भाषाओं की जानकारी होगी। मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देश में एक लैंग्वेज कमीशन का गठन कीजिये और लेंग्वेज कमीशन का गठन करके, देश भर में जितनी इस प्रकार की भाषाएं हैं, उन्हें एक सूची में लाईये। उस सूची को बनाने के बाद, हमें देखना चाहिये कि कौन-कौन सी भाषाएं ऐसी हैं, जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, उनकी सूची अलग से बनायी जानी चाहिये और जिन भाषाओं को लोग बोलते हैं, जिनकी सूची भी है, लिपि भी है, उनको एक अलग सूची में लाईये। इस तरह से अलग-अलग सभी भाषाओं को सूचीबद्ध करने के बाद, पूरे देश में जिन भाषाओं में लोग बात करते हैं, जैसे कोई आदिवासी है, ट्राइबल है, दूसरी जगह के लोग हैं, जो भाषाएं ठीक तरह से हमारे सामने कभी उत्थापित नहीं हुई, आज सारी बातों को लेकर एक पालिसी ठीक तरीके से बनाने की आवश्यकता है।

सभापति जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में देश के हर प्रान्त के, हर प्रकार की बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे यहां त्रिभाषा फार्मूला चल रहा है। एक तो हिन्दी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी अपनी मातृभाषा, ये तीनों भाषाएं कम्पलसरी हैं। अपनी मदर टंग भी कम्पलसरी है। अगर कोई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना चाहता है, तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए हमारे उस क्षेत्र में कभी भी भाषा को लेकर कोई झगड़ा पैदा नहीं हुआ है। जिस समय देश के एक भाग में हिन्दी को नहीं पढ़ने-पढ़ाने का आन्दोलन चल रहा था उस समय भी हमारे प्रदेश में रहने वाले उस प्रदेश के लोग हिन्दी को पढ़ रहे थे, अंग्रेजी पढ़ रहे थे, अपनी मातृभाषा भी पढ़ रहे थे। इस प्रकार हमारे क्षेत्र में भाषा को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। जो हमारी भाषा नीति है, उसको बरकरार रखा है।

सभापति महोदय, हमारे देश में इतने दिनों से देश के विभिन्न प्रान्तों में भाषा को लेकर कई प्रकार की बातें चलती हैं। इसलिए उस सब को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हमको भाषा नीति की दुबारा छानबीन करने की आवश्यकता है। आपके गृह मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट आफीशियल लैंग्वेज का है, लेकिन देश में जो इतनी अन्य भाषाएं हैं, उनके लिए आपने कोई सोच-विचार नहीं किया है। उनके लिए आपने क्या किया है? अपनी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए, उसको एडवरटाइज करने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया है। किसी किस्म का डिस्कशन करने का आपने कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि इस पर नये सिरे से विचार किया जाए। राष्ट्रीय एकता के लिए भी यह बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, अगर आप यह समझें कि हिन्दी को बढ़ावा देकर आपने अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाया है, तो इससे ही सिर्फ काम चलने वाला नहीं है। हिन्दी को बढ़ावा देना आवश्यक है, वह हमारी राष्ट्र भाषा है, इसमें कोई दो राये नहीं हैं और मैं यह कदापि नहीं कह रहा हूं कि हिन्दी को बढ़ावा नहीं दिया जाए। हिन्दी को बढ़ावा अवश्य दिया जाए, लेकिन जो और सम्बन्धित भाषाएं हैं, जिनका उल्लेख हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में किया गया है, उन 18 भाषाओं के विकास और प्रचार-प्रसार पर भी आपको ध्यान देना है। यह ठीक है, कि अपने-अपने प्रदेश की भाषा के उत्थान के लिए प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त राज्य में जो छोटी-छोटी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में होती हैं, जो वहां सर्वाधिक बोली जाती हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। राष्ट्र भाषा को केन्द्र सरकार देखती है और प्रदेश

की भाषा को राज्य सरकार देखती है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा की तरक्की के लिए कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम हर बात पर, हर पहलू पर अच्छी तरह से छानबीन करलें और मैं गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर एक नीति बनाईए।

सभापति महोदय, मेरी गृह मंत्री जी से मांग है कि आज जो यहां पर यह चर्चा हो रही है, इसको सुनने के बाद, कुछ ठोस कदम उठाएं, जिससे इस भाषा नीति को ठीक से बनाया जाए और इनको बढ़ावा देने के लिए आप क्या-क्या कदम सठा सकते हैं, यह भी देखिए। इन सब कामों के लिए आपके पास रकम का भी बन्दोबस्त होना चाहिए क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जो मणीपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषाएं हैं, उनके उत्थान के लिए भी काम होना चाहिए। अभी मैंने त्रिपुरा में देखा है, उन्होंने अपनी एक अलग भाषा बनाई है। उसको कुछ नाम दिया है। एक लिपि बनाई है। उस भाषा के ऊपर आदिवासी की भाषा है इन सबके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सही मांग है, सरकार की तरफ से आप इस पर कब एक बिल प्रस्तुत कर सकते हैं, आपको इसका ऐलान करना चाहिए।

अभी-अभी आडवाणी जी ने बताया कि मणिपुरी छात्र आन्दोलन के रास्ते पर हैं। हम सब उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब सदन इस पर चर्चा कर रहा है और सरकार इस बात को जानती है, उन्हें आन्दोलन नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो ध्यान आकर्षित करना था वह कर दिया है।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, श्रीमती दिल कुमारी भंडारी ने जो संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन) पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारी पार्टी के नेता आडवाणी जी ने इस बिल का पूर्ण समर्थन किया है और हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी नेपाली और मणिपुरी को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने का वादा हमने किया था।

भाषा का उद्देश्य अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना होता है। नेपाली तथा मणिपुरी इस देश के बहुत से लोगों की भावना की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। आठवें शैडयूल में पहले 15 भाषाएं सम्मिलित हैं। उनके साथ ही इन दोनों भाषाओं को जोड़ देना चाहिए, इनको मान्यता प्रदान की जानी चाहिए वैसे तो लोकतांत्रिक सरकार में जनभावना को सरकार को अपने आप समझना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में ऐसी परिस्थिति बनती रही कि किसी भी बात को मनवाने के लिए लोगों को हिंसक आन्दोलन करना पड़ा है। जो लोग प्रस्ताव द्वारा कहते रहे, बातचीत से कहते रहे, उन बातों को सरकार अनदेखा करती रही। जब वही बात हिंसक आन्दोलन कद्वारा रखी गई तो सरकार ने उसको माना है।

आज मणिपुर के लोग, सिक्किम के लोग अपनी-अपनी भाषा को आठवीं सूची में शामिल करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। जैसा कि आडवाणी जी ने कहा, कुछ लोग अनशन पर बैठे हैं और उनमें से एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर है। नेपाली छात्रों ने आत्मदाह की धमकी दी हुई है।

मैं समझता हूं कि यदि सरकार जनभावना के प्रति जागरूक होती तो आज गृह राज्य मंत्री आते ही यह कहते कि इस प्रस्ताव पर सदन के हर वर्ग की ओर से जो समर्थन मिल रहा है उसको देखते हुए हम इसको स्वीकार करते हैं तो आन्दोलन एकदम खत्म हो जाता है । मुझे समझ नहीं आता कि इसमें सरकार का क्या बिगड़ रहा है ।

आपने ही भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था और फिर उसमें कुछ लोगों ने आन्दोलन किया तब आपने माना । पंजाब के लोग पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन करने की मांग करते रहे । आप विरोध करते रहे और आक्रोश की ज्वाला बढ़ती गई । हिंसक आन्दोलन हुआ, फिर पंजाबी भाषा पर आधारित छोटा सा पंजाब उनको दे दिया । पंजाब का विभाजन कर दिया । आज मणिपुर में आन्दोलन है । वहां पर लोग आपका विरोध कर रहे हैं और हिन्दुस्तान की बाकी सभी भाषाओं का । उनका कहना है कि जब तक मणिपुरी को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित नहीं करते तब तक हम किसी दूसरी भाषा को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ।

4.00 म०प०

नेपाल के छात्र आन्दोलन की धमकी देते हैं । यहां पर लोग अनशन पर बैठे हैं । इसके बाद जब एक संसद समस्या की ओर से यह बिल आ गया है और सारे सदन ने उसका समर्थन किया है तो मंत्री महोदय को इस पर अधिक देर नहीं करनी चाहिए ।

इतना ही नहीं मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल व मेरे अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश की विधान सभाओं ने यह प्रस्ताव पास करके आपको भेजे हैं कि नेपाली और मणिपुरी भाषा को आप संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कीजिए । अभी गांधी नगर में भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन हुआ ···· (व्यवधान) ।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : आप यह कहें कि अन्त्योदय नगर में जो सम्मेलन हुआ—

प्रो० प्रेम धूमल : जो बात आपकी समझ से बाहर हो, उस पर न बोलें तो अच्छा होगा उसमें हमने कहा है कि केवल मणिपुरी और नेपाली को ही नहीं बल्कि कोंकणी को भी उसमें शामिल किया जाये । गोआ जब एक नया राज्य बना था तो वहां के लोगों की तब से यह मांग है कि कोंकणी को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये । अब कोई और बहाना लेकर भारत सरकार ने इसमें देरी की तो जैसे कि कहा जाता है कि न्याय देने में देरी करना न्याय न देना है ऐसी बात इसमें भी हो जायेगी । अगर इसको देर तक लटकाये रखेंगे तो जन-आक्रोश बढ़ेगा । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेपाली और मणिपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का जो बिल आया है, इसको इसी प्रकार स्वीकार कर एक इतिहास सरकार को बनाना चाहिए । यह एक अच्छा बिल है और सभी का इसमें समर्थन मिल रहा है, आप इसे सरकारी बिल के रूप में स्वीकार कर इसको संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लें ।

बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे । अतः एक बार फिर यह बोलते हुए कि इसमें पहले आन्दोलन हिंसक रूप ले, आप कृपया लोकतन्त्र की भावना को समझते हुए और लोगों की भावनाओं को सही सम्मान देते हुए इस बात का निर्णय कर दीजिये । जैसा कि आपकी पार्टी के सदस्य श्री मनोरंजन भक्त जी ने कहा कि यह बिल स्वीकार हो जायेगा तो लोगों में यह विश्वास पैदा होगा कि लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाली यह सरकार है, जो जन भावनाओं को समझती है आप उनकी और हम सब की भावना को समझते हुए तुरन्त इसे स्वीकार कीजिये । इससे इसके अच्छे परिणाम हम सब के सामने आयेंगे । हमें पूरी आशा है कि आप इसको स्वीकार कर लेंगे ।

इसी के साथ मैं बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उस संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग के आठ से दस लाख लोगों के हित में है और जिससे भारत के भविष्य, इसकी एकता और अखंडता पर दुरगामी प्रभाव पड़ेगा ।

इस सभा के सभी पक्षों के कई मित्र पहले ही विधेयक पर बोल चुके हैं । मैंने उन सबको बहुत ध्यान से सुना है और यहां मैं यह भी कहूंगा कि मुझे कुछ लोगों की बात सुनकर तो गहरी चिंता हुई है ।

यहां कुछ लोगों को मेरे द्वारा चिंता शब्द के इस्तेमाल से आश्चर्य होगा । महोदय, वास्तव में मैंने इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया है, मुझे चिंता हो जाती है क्यों कि मैं देखता हूं कि कुछ भाषण जैसा कि मैं अकसर कहता हूं आज के भारत की कुछ ऐसी दुखद तस्वीर खींचते हैं जहां उपेक्षा भाव गहराया हुआ हो । मैं समझता हूं कि नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया । बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ मित्रों का इस संबंध में दृष्टिकोण उपेक्षा का सा लगता है ।

पिछले कुछ वर्षों में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । आश्चर्य और खेद है कि इन पर ध्यान नहीं दिया गया है । कुछ मित्रों ने हाल में हुए इन परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया है जिन पर इस विधि निर्माण करने तथा विधेयक लाने संबंधी फैसला करते समय गौर किया जाना चाहिए क्योंकि इस विधेयक पर फैसला करना इतनी साधारण बात नहीं है जैसा कि आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव के संबंध में लगती है ।

सभापति महोदय, इस विधेयक को सर्वप्रथम गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट तथा इसके नेता श्री सुभाष घीसिंघ द्वारा गोरखा लैण्ड के लिए 1986 में चलाये गये आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप 23 अगस्त, 1988 को ऐतिहासिक 'गोरखा हिल काऊन्सिल, समझौता हुआ । यह आन्दोलन भारत की सीमाओं के अन्दर अलग गोरखालैंड की स्थापना के लिए नहीं चलाया जा रहा था । महोदय, यह लड़ाई दार्जीलिंग पर्वतीय क्षेत्रों के गोरखा लोगों द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के साथ गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा यह लड़ाई सारे भारत में बसे हुए "गोरखा लोगों" के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय राजनैतिक मंच स्थापित करने के लिए लड़ी जा रही थी ।

श्री थीसिंग और उनके समर्थक अपने आपको 'नेपाली' कहलवाने के लिए तैयार नहीं थे, तथा 1950 की भारत-नेपाल संधि के अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत उनके ऊपर "अनुपूरक नेपाली" का ठप्पा लगा दिया गया। इस अनुच्छेद में जो दिया गया है, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"भारत तथा नेपाल की सरकारें द्विपक्षीय आधार पर एक दूसरे राष्ट्र के नागरिकों को निवास, सम्पत्ति के स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य तथा ऐसे अन्य मामलों में अपनी धरती समान विशेष अधिकार देने पर सहमति प्रकट करती है।"

इसलिए, उन्होंने इस बात का दावा किया कि वे भारतीय हैं, नेपाली नहीं तथा यह मांग की कि उन्हें औपचारिक तौर पर भारतीयों के रूप में मान्यता दी जाये। दूसरे शब्दों में ..... (व्यवधान)। सभापति महोदय, मैं इनसे सहमत नहीं। जब श्री उपाध्याय ने "हम नेपाली ....." कह कर सम्बोधित किया था, तो मैंने आपत्ति नहीं की थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उनका अपना दृष्टिकोण है। उन्हें अपने विचार अभिव्यक्त करने दीजिए। उन्हें परेशान न करें।

श्री इन्द्रजीत : इसलिए उन्होंने यह दावा किया कि वे नेपाली नहीं भारतीय हैं तथा उन्हें औपचारिक तौर पर भारतीय के रूप में मान्यता दी जाये। दूसरे शब्दों में उन्होंने भारत में बसे हुए भारतीय गोरखा लोगों तथा भारत में रह रहे नेपाली नागरिकों के बीच अन्तर को भारत नेपाल सन्धि के अनुच्छेद 7 के अनुरूप स्पष्ट किया। जिन्हें कि इसमें 'अनुपूरक नेपाली' कहा गया है वास्तव में वे एक बात स्पष्ट करना चाहते थे। वे एक सच्चे भारतीय हैं और नेपाली से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

संक्षिप्त में मैं यह कहूंगा कि श्री थीसिंग और जी० एन० एल० एफ० ने कड़ा संघर्ष करके अपनी पहचान स्थापित करने के लिए लड़ाई जीती। भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारत में "बसे हुए गोरखा लोग" भारतीय नागरिक हैं। इसके साथ भारत सरकार ने 23 अगस्त, 1988 को एक राजपत्र जारी करके "बसे हुए गोरखा लोगों" को भारतीय घोषित किया। मैं राजपत्र को उद्धृत करता हूं :

"जैसा कि केन्द्रीय सरकार को जानकारी में आया है कि भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात् लोगों के एक वर्ग के सम्बन्ध में, जिन्हें कि गोरखा कहा जाता है तथा जो कि इस संविधान के लागू होने के समय भारत में बस चुके थे। उनकी नागरिकता के सम्बन्ध में कुछ गलत धारणायें हैं।

तथा क्योंकि इन गलत धारणाओं को स्पष्ट करना आवश्यक समझा गया है, इसलिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है :

(1) भारत के संविधान के लागू होने की तिथि, अर्थात् 26-1-1950 को, प्रत्येक ऐसा गोरखा, जिसका निवास भारतीय क्षेत्र में था अर्थात् उन क्षेत्रों में जो कि 26-1-1950

को भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 (2) के अनुसार भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित थे अथवा उनका अंग बने;

(क) जिनका जन्म भारत में हुआ हो;

(ख) जिनके माता अथवा पिता का जन्म भारत में हुआ हो;

(ग) जो कि इस तिथि से पहले कम से कम पांच वर्ष से भारत में रह रहे हों;

(2) पैरा (1) में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ली हो.....".

महोदय, इस राजपत्र के अधिक विस्तार में जा कर मैं आपको परेशान नही करूंगा। परन्तु यह हमारी चर्चा के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात यह है कि जी०एन०एल०एफ० और इसके नेता इसी के साथ संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद्', जो कि उनके द्वारा की गई अलग राज्य की मांग से कुछ कम एक स्वायत्तता प्राप्त निकाय है, को "दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद्" कहा जाये। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 'पर्वतीय परिषद्' के साथ गोरखा शब्द जोड़ने पर आपत्ति की। आखिरकार तत्कालीन गृह मंत्री श्री बूटा सिंह और मैंने इस मुश्किल और संवदेनशील मुद्दे में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु को जी०एन०एल०एफ० की मांग को स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया कि प्रस्तावित परिषद् का नाम दार्जिलिंग पर्वतीय गोरखा परिषद् रखा जाये।

आज दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्रों और इसके निकटवर्ती अलीपुर द्वार के क्षेत्रों में रहने वाले जी० एन०एल०एफ० और इसके समर्थकों को अपनी भारतीय नागरिकता और पहचान पर गर्व है। स्वयं उनकी भारतीय लोगों के रूप में पहचान और दूसरों की 'अनुपूरक नेपालियों' के रूप में पहचान का अन्तर स्पष्ट होने से वे प्रसन्न हैं। नेपाल से वे कोई दूर का रिश्ता भी नहीं रखना चाहते तथा अपनी मातृ भूमि भारत के प्रति अपनी वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए वे उत्सुक हैं।

वास्तव में कुछ ही समय पहले दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद् और इसकी कार्यकारी परिषद् ने अपनी भारतीय पहचान और नेपाल से अलग होने की वास्तविकता को सुदृढ़ करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। दोनों ने 'गोरखा भाषा' को राजभाषा घोषित किया। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि श्री घीसिंग और उनकी परिषद् द्वारा यह कदम तब उठाया गया जब इस क्षेत्र के कुछ नेता बड़े जोर-शोर से मांग कर रहे थे कि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करके भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में सम्मिलित किया जाये।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है, इसलिए हमें इसकी अवधि बढ़ानी पड़ेगी। क्या हम यह अवधि दो घण्टे के लिए बढ़ा दें ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : समय अवधि दो घण्टे के लिए बढ़ाई जाती है। श्री इन्द्रजीत, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री इन्द्रजीत : वर्तमान संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने से पहले कुछ मूल बातें हमारे समक्ष स्पष्ट होनी चाहिएं। नेपाली भाषा आज नेपाल की अधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भाषा है यद्यपि वहां पर रायज, लिम्बूज तथा गुरुंगज जैसे अनेक समुदायों द्वारा अन्य भाषायें भी बोली जाती हैं। मुझे बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन देने से पहले नेपाल की औपचारिक रूप में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। पहले काठमांडू में सरकारी तौर पर 'खस' भाषा का प्रयोग किया जाता था। बाद में इसका नाम बदल कर पर्वतीय कर दिया गया अर्थात् पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा (**व्यवधान**)। श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी बाद में उत्तर दे सकती हैं। कृपया, मेरी बात धैर्य से सुनिए तत्पश्चात् इसे तब तक गोरखा भाषा कहा जाता रहा, जब तक कि नेपाली भाषा को नेवारी लिपि में अधिकारिक तौर पर वहां की राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं कर दिया गया।

नेपाली भाषा आज केवल नेपाल की राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है बल्कि विदेशों में रहने वाले सभी नेपाली लोगों की भी यही भाषा है जिनमें कि वे लाखों लोग भी शामिल हैं जो कि 1950 की भारत-नेपाल संधि के अनुच्छेद 7 के अनुसार भारत में काम कर रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, जो०एन०एल०एफ० तथा दार्जिलिंग समझौते के सम्बंध में जहां तक मेरी समझ में आता है, गोरखा भाषा भारत में "बैठे हुए गोरखा लोगों" की भाषा है जिन्हें कि समझौते के अनुसार भारतीय नागरिक स्वीकार कर लिया गया है, तथा जिन्हें भारत सरकार के दिनांक अगस्त, 1988 के राजपत्र के अनुसार भारतीय नागरिक घोषित कर दिया गया है। (**व्यवधान**) मैं आपसे सहमत नहीं।

सभापति महोदय : कोई बाधा न डालिए।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, वे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप जवाब दे कर सदन का उचित मार्गदर्शन कर सकती हैं।

श्री इन्द्रजीत : अन्तर बड़ा स्पष्ट और साफ है जिस पर कि भारत के राष्ट्रीय हितों तथा इसकी एकता और अखण्डता के हित में बल दिया जाना चाहिए। शेक्सपीयर ने एक बार कहा था, "नाम में क्या रखा है।" फिर इसके साथ उन्होंने कहा, "गुलाब को अगर किसी और नाम से भी पुकारा जाए तो भी वह उतनी ही मीठी सुगंध देगा।"

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : आप इसका गोरखा भाषा मे अनुवाद कीजिए।

श्री इन्द्रजीत : ओह! जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, यह ठीक नहीं। एक भाषा को किसी अन्य नाम से पुकारने से उसकी वही महक नहीं रह जाती है बल्कि यह एक नागफनी की तरह कांटेदार मुद्दा बन जाता है। महोदय, उदाहरणार्थ, यह बात नोट की जानी चाहिए कि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति गोरखा भाषा से प्रेम करता है जिसे गलती से कुछ लोग नेपाली भाषा कहते हैं। वे इस लिपि को प्यार और सम्मान देते हैं। परन्तु वे इसे नेपाली भाषा मानने को तैयार नहीं क्योंकि नेपाली नाम किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है। (**व्यवधान**) महोदय, सदस्यों को अपनी विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। मेरा अपना दृष्टिकोण है। वास्तव में जी०एन०एल०एफ० इसका

कट्टर विरोधी है ..... (व्यवधान) श्री चित बसु, आप कांग्रेस पार्टी में कब सम्मिलित हुए ? अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं ? अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। फिर हम उस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय : सदस्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मुझे दार्जिलिंग क्षेत्र तथा गोरखा लोगों के प्रतिनिधित्व का सुअवसर मिला है। उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना मेरा अधिकार और कर्तव्य है। यह कुछ लोगों के लिए स्वीकार्य हो सकता है तथा कुछ सदस्यों को स्वीकार्य नहीं हो सकता है, परन्तु अपने विचार स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का मुझे अधिकार है, तथा मैं इतना ही चाहता हूं।

वास्तव में जी०एन०एल०एफ० ने पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा नेपाली को राज्य की भाषाओं में सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करने का कड़ा विरोध किया है। इसने नेपाली को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित करने का भी विरोध किया है। वे यह चाहते हैं कि राज्य अधिनियम में संशोधन करके नेपाली भाषा के स्थान पर गोरखा भाषा शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। वास्तव में मेरा भी यही दृष्टिकोण था जब मैंने सफलतापूर्वक वर्ष 1989 तथा वर्ष 1991 में लोक सभा का चुनाव लड़ा —पहली बार जी०एन०एल०एफ० के उम्मीदवार के रूप में तथा दूसरी बार जी०एन०एल०एफ० के पूरे समर्थन के साथ कांग्रेस (इ) के उम्मीदवार के रूप में। बात यह है ..... (व्यवधान)।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के भाषण के दौरान व्यवधान डालना ठीक नहीं।

श्री इन्द्रजीत : श्री उपाध्याय जी, नेपाली भाषा के बारे में आपके विचार कार्यवाही वृत्तांत में शामिल हैं। अब मैं कोई कड़वाहट पैदा नहीं करना चाहता तथा इसे मैं चर्चा से अछूता रखना चाहता हूं।

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा, विशेषतौर पर कांग्रेस (इ) के अपने सहयोगी सदस्यों को कि लोकसभा तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए पिछला चुनाव कांग्रेस (आई०) ने स्वर्गीय राजीव गांधी के ओजस्वी नेतृत्व में जी०एन०एल०एफ० के साथ मिल कर लड़ा था। दोनों दलों ने एक दूसरे के सदस्यों का समर्थन किया ..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने विचार अन्त में प्रकट कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत : जी०एन०एल०एफ० ने लोक सभा की उम्मीदवारी के लिए केवल मुझे ही विशेष समर्थन नहीं दिया, बल्कि पश्चिमी बंगाल विधान-सभा के मैदानी निर्वाचन क्षेत्रों सिलिगुड़ी, फांसीदेवा, इस्लामपुर और चोपड़ा में भी कांग्रेस (आई०) को समर्थन दिया है ..... (व्यवधान)। महोदय, माननीय सदस्य को, प्रस्तुतकर्त्ता को मेरे सभी तर्कों का खण्डन करने का पूरा अवसर मिलेगा। लेकिन क्या माननीय-सदस्य मेरी बात को ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे। मेरी बात की समाप्ति पर वह मेरे सभी तर्कों का विरोध कर सकती हैं। यह तो उन पर निर्भर करता है परन्तु उन्हें मेरी बात को ध्यान से सुनने की कृपा करनी चाहिए।

कांग्रेस (आई०) ने भी अपनी ओर से पश्चिमी बंगाल विधान सभा चुनावों में पर्वतीय निर्वाचन क्षेत्रों, दार्जिलिंग, कुरसियांग और कालिम्पोंग में जी०एन०एल०एफ० के उम्मीदवारों को पूरा

समर्थन दिया है। यह तीनों विधान सभा सीटें जी०एन०एल०एफ० ने ही जीती है जिसमें से एक के मामले में तो उन्होंने ज्योति बसु सरकार के एक मंत्री को भी पराजित किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने चुनावी-घोषणा पत्र में जी०एन०एल०एफ ने नेपाली भाषा को पश्चिमी बंगाल की राजभाषा घोषित किये जाने का जोरदार विरोध किया है और मांग की है कि इसे नेपाली भाषा की जगह गोरखा भाषा कहा जाना चाहिए।

भारतीय पहचान का अपना महत्व हमारे तर्क की मूल बात है। यह बात इस दृष्टिकोण से भी भारत की एकता और अखण्डता के लिए अनिवार्य है कि हमारा देश नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी काफी लम्बी सीमा नेपाल की सीमा से जुड़ी है जिस पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है। इसके बाद 1950 की भारत-नेपाल सन्धि अपने आप में एक मिसाल है। अन्य किसी भी देश के साथ हमारी इस तरह की सन्धि नहीं है हमने जो अनन्य सुविधायें नेपाल को दे रखी हैं, वह किसी अन्य देश को नहीं दी गई हैं। सिक्किम के कुछ विख्यात नेता "भारतीय-नेपाली" की बात करते रहे हैं और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिन्हें कि मैं बुरी बातें ही कहूंगा। यदि इसी तरह की ही अनन्य सुविधायें बंगलादेशियों और पाकिस्तानियों को भी दी जाती हैं तो जाहिर आज हमें दो और भी बुरी बातों का सामना करना होगा जोकि "भारतीय-बंगला देशी" और "भारतीय-पाकिस्तानी" की बात है। कृपया, यह बात याद रखी जाए कि आज इन "अनन्य नेपालियों" की अपेक्षाकृत बहुत अधिक बांग्लादेशी लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं।

इस बात से एक अहम प्रश्न उठता है : क्या भारत की संसद के लिये यह सही और उचित होगा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित राष्ट्रीय भाषाओं में नेपाली भाषा को भी शामिल कर लिया जाये, जो कि भारत में रह रहे "अनन्य नेपाली" लोगों की भाषा है —ऐसे लोगों की भाषा है जो कि आज तो इस देश में हैं और कल देश से जा भी सकते हैं। हम संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को केवल तभी शामिल कर सकते हैं जबकि इन नेपालियों को भारतीय नागरिकों का करार दे दिया जाये, जैसा कि जी०एन०एल०एफ० तथा भारत सरकार के बीच हुए 23 अगस्त, 1988 के दार्जिलिंग-समझौते के अन्तर्गत भारत में "बसे हुए गोरखा" लोगों के मामले में किया गया है।

इसलिये मैं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता तथा इस विधेयक के सभी समर्थकों से यह पूछना चाहूंगा — कि ऐसी राजपत्रित अधिसूचना कहां है जो कि भारत में "अनन्य नेपालियों" की भारतीय नागरिकता के आशय की पुष्टि करती हो ? आप कृपया इस अधिसूचना को प्रस्तुत कीजिए और मैं इस विधेयक से अपना विरोध तत्काल ही वापिस ले लूंगा। वास्तव में, मैं सभा को एक और बात बताना चाहता हूं कि यदि आप ऐसी अधिसूचना प्रस्तुत करते हैं तो जी०एन०एल०एफ० और इसके सबसे बड़े नेता श्री घीसिंग भी इस विधेयक को सहर्ष समर्थन देंगे।

मैं जानता हूं कि भारत सरकार के पास आज तक कोई ऐसी राजपत्रित अधिसूचना नहीं है। इसलिए इस पर अपने सभी साथियों को मैं एक जोरदार दलील दूंगा कि इस बात पर धैर्य से विचार करें। कृपया इस विधेयक का समर्थन न करें। यह सही है कि विगत लोकसभा चुनावों में कुछ राजनैतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में कुछेक वायदे किए हुए हैं। लेकिन मेरे विचार से उनका रुख अतार्किक, अभाग्यशाली और यहां तक कि जनवादी रहा है। मैं उनसे आग्रह

करता हूं कि दो गलत काम मिलकर किसी एक सही काम को कभी नहीं दबा सकते हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा लाखों लोगों की ओर से जो विचार यहां रखे हैं, इन्हें इन विचारों के दृष्टिगत इस मामले पर ताजा विचार करना चाहिए।

जब तक कि भारत सरकार के राजपत्र में एक अधिसूचना के द्वारा "अनन्य नेपालियों" को औपचारिक रूप से और सरकारी रूप से, भारतीयों की संज्ञा नहीं दी जाती, तब तक नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। किसी भाषा को राज्य की भाषा घोषित कर देने का अर्थ यह नहीं होता कि इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, उसे राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया जाना चाहिए। विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले "अनन्य-नेपालियों" को भारतीय नागरिक घोषित कराया जाए।

सभापति महोदय, मैंने इस माननीय सदन का काफी समय ले लिया है। लेकिन थोड़े और समय के लिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूं, क्योंकि नेपाली भाषा के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष की ओर से मैं केवल अकेला सदस्य ही हूं। जो लोग अनन्य नेपाली हैं और नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, उनका एक मात्र प्रयास यह है कि इन लोगों को इस योग्य बनाये रखा जाए कि वे नेपाली हैं और इस रूप में वे लोग दोहरी नागरिकता अपना सकें।

क्या ऐसे समय में यह हमारे राष्ट्रीय हित होगा—जबकि नेपाल में वामपंथी तथा अन्य शक्तियां काठमण्डू पर इस बात के लिए दबाव डाल रही हैं कि तीसता नदी तक दार्जिलिंग की पहाड़ियों को अपना ही भू-भाग मानें ? मेरे विचार से हम इस गंभीर बात को इतनी सहजता से अथवा हल्के-फुल्के ढंग से नहीं ले सकते। (**व्यवधान**)

इसलिए मैं अपने दल-बल सहित यह आग्रह करता हूं कि यदि भारत के गोरखाओं की भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो यह भाषा "गोरखा भाषा" कहलाएगी और "नेपाला भाषा" नहीं कहलायेगी। मेरा सुझाव नेपाली भाषा की विदेशी पहचान की जगह गोरखा भाषा की भारतीय पहचान को रेखांकित करना है और इस पर बल देना है। मुझे यह कहना होगा कि मैं जो सुझाव दे रहा हूं यह कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी हमने उत्तर में तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा में काफी तीव्र और अर्थपूर्ण अंतर किया है। हमने अपनी सीमाओं में इन भाषाओं को भारतीय नाम दिए हैं और इन्हें भारतीय पहचान दी है।

लद्दाखी भाषा की ही बात को लीजिये, जोकि आजकल लद्दाख के लोगों की भाषा है। यह भाषा सीमापार तिब्बत की भाषा के समान है। लिपि भी एक समान ही है। लेकिन हमने लद्दाख के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को काफी समय से लद्दाखी ही कहा है और उनकी लिपि को लद्दाखी लिपि ही कहा है। यह लद्दाख की भाषा का परिचय देती है और इसलिये भारतीय भाषा का परिचय देती है। इस तरह से सिक्किम तथा दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के भुटिया लोग तिब्बतियों जैसी भाषा बोलते हैं और लिखते हैं। लेकिन सिक्किम के भारत में विलयन से पूर्व वहां के महाराजा ने इस भाषा को और लिपि को सिक्किम भाषा और सिक्किम लिपि कहा, ताकि उनकी भाषा में और तिब्बत की भाषा में अन्तर रह सके। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्रों में इस

भाषा को भुटिया कहा गया है ताकि इसकी भारतीय पहचान बनी रही। इस प्रकार, जब आप भुटिया भाषा बोलते हैं, तो आप इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह भाषा भारत के भुटिया लोगों की भाषा है, जोकि तिब्बतियों की भाषा से अलग है।

सभापति महोदय, केवल यही बात ही काफी नहीं है। प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय भाषाओं की अलग पहचान के प्रति बहुत ही स्पष्ट होता है और प्रत्येक देश को इस बारे में स्पष्ट रहना भी चाहिए। दो अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। लक्ष्यद्वीप में रहने वाले भारत के लोग मालदीव में रहने वाले लोगों जैसी दिवेही भाषा बोलते हैं और लिखते हैं। लेकिन हमने लक्ष्यद्वीप की भाषा की भारतीय पहचान पर बल देने का बुद्धिमतापूर्वक निर्णय लिया और वहां की भाषा और लिपि को एक अलग 'महाल' नाम का भारतीय नाम दिया। इसके बाद बांग्लादेशी लोग अपनी भाषा को "बंगला भाषा" कहते हैं न कि बंगाली जैसे कि हम भारत में कहते हैं। ऐसा एक मुख्य कारण से किया गया था। बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा और बंगाली जोकि पश्चिम बंगाल के आसपास की भाषा है, में व्यापक अन्तर करने की दृष्टि से किया गया था और इसीलिये बंगाली एक भारतीय भाषा है।

इस संदर्भ में दो अन्य बातें भी कहनी आवश्यक हैं। पहली बात तो यह है कि आज हमें इस बात का गर्व है कि उर्दू भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यह एक सुन्दर और मधुर भाषा है जिसे स्नातकीय स्तर तक के अध्ययन के लिये मैंने एक भारतीय भाषा के रूप में चुना। उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा भी है। इससे हमारे इन दोनों देशों के लोग गज़ल, मुशायरा आदि का आनन्द ले सकते हैं। लेकिन मैं यह पूछता हूं कि यदि इस भाषा को पाकिस्तानी भाषा कहा जाता तो तब क्या हमने इसे अपनी आठवीं अनुसूचा में शामिल किया होता? इसलिये नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में एक भारतीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल किये जाने के पीछे जी०एन०एल०एफ० के जोरदार विरोध की बात तर्क-सम्मत् है। यदि नेपाल ने अपनी राष्ट्रीय भाषा का नाम "गोरखा भाषा" रखा होता, जोकि, उर्दू की तरह अथवा इसी मामले में अंग्रेजी की तरह किसी भी राष्ट्र से न जुड़ी होती, तो उसमें कोई भी समस्या न होती। (व्यवधान)

महोदय, इस विधेयक के विरोध में बोलने वाला मैं केवल अकेला ही सदस्य हूं। इसलिये मुझे अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : मैंने आपको काफी समय दिया है।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं जानता हूं। कुछ क्षण और दीजिये, महोदय।

दूसरी बात यह है कि, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश राज ने नेपालियों के पराक्रम और उनके युद्ध-कौशल का बहुत ही सम्मान किया था। परिणामस्वरूप उन्होंने ब्रिटिश राज के लिए उन्हें बहुसंख्या में अपनी सेना में भर्ती कर लिया—और स्वतन्त्रता के बाद भी उन्हें सेना में भर्ती किया जाता रहा। महत्व की बात है कि किसी प्रकार उन्होंने इन लोगों को गोरखा कहना शुरू कर दिया और इन की टुकड़ियों को गौरखा रेजीमेंट और गोरखा ट्रूपस आदि कहना शुरू कर दिया। उन्होंने इन गोरखा ट्रूपों द्वारा बोली और लिखी जाने वाली नेपाली भाषा को गोरखाली कहना शुरू कर दिया। इस बारे में गत 10 अप्रैल को कर्नल राम सिंह जी, जब पीठासीन हुए थे, ने भी बताया है। ऐसा किस लिये? इस उत्तर को ढूंढने के लिए हमें दूर नहीं जाना होगा। ऐसा इसलिये है क्योंकि वे अपने गोरखा ट्रूपों और नेपाल के ट्रूपों में स्पष्ट भेद रखना चाहते थे।

सभापति महोदय, अब मैं एक दिलचस्प तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने की मांग कोई नई मांग नहीं है। विगत कई वर्षों से यह मांग बार-बार उठायी जाती रही है। लेकिन दिल्ली ने इस मांग को कभी भी स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले तो यह मांग इन्दिरा गांधी जी के शासन के समय उठायी गई थी। लेकिन उन्होंने इस से मना कर दिया। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब भी यह मांग उठायी गई थी लेकिन वे इस समस्या को स्पष्ट रूप से जानते थे। इसलिये उन्होंने 29 सितम्बर, 1977 को दार्जिलिंग में एक अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति के शिष्टमंडल को स्पष्ट शब्दों में यह कहा था "नेपाली एक विदेशी भाषा है।" इसके बाद इन्होंने यह कहा था कि इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 1980 में जब इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आयीं, तो उनसे इस बात की पुनः सिफारिश की गयी। लेकिन उन्होंने कूटनीतिपूर्वक ऐसा करने से इंकार कर दिया। इस की क्या वजह है? मुद्दा उतना साधारण नहीं है जितना इस के प्रस्तुतकर्त्ता और समर्थकों ने समझा है। वास्तव में इसके गंभीर प्रभाव होंगे।

इस सभा में दार्जिलिंग का प्रतिनिधि होने के नाते गोरखाओं की भाषा और लिपि के प्रति मेरे मन में अत्यधिक सम्मान और स्नेह है और वे भारतीय ही हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गोरखा भाषा आठवीं सूची में शामिल किये जाने योग्य है। लेकिन राष्ट्रीय भाषाओं में आठवीं सूची के अंतर्गत नेपाली भाषा को शामिल किए जाने का मैं पूरा विरोध करता हूं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को अपने पूर्व में बनाए गए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है और नेपाली के स्थान पर गोरखा भाषा शामिल करने की आवश्यकता है। साहित्य अकादमी को भी नेपाली भाषा को 1975 में "भारत की एक प्रमुख भाषा" के रूप में मान्यता देने को अपने पूर्व निर्णय को 1986 और 1988 के बीच हुए परिवर्तनों को मद्दे नजर रखते हुए जिसके फलस्वरूप गोरखा हिल कौंसिल का समझौता हुआ, परिवर्तित करना होगा। इस समझौता के तहत गोरखाओं ने अपने को भारतीय होने का अहसास कराया और नेपाल से जुड़े होने की धारणा को समाप्त किया।

मैंने जो कुछ बातें सामने रखने का प्रयास किया है उसे दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण लेकिन कम अनुभव किये जाने वाली बातों के दृष्टिगत देखा जाना चाहिये। चुपचाप और प्रचार के माध्यम से विगत जनगणना के दौरान यह प्रयास किया गया कि वे स्वयं बजाय भारतीय के नेपाली घोषित कर दें। उन्हें विभिन्न जानकार माध्यमों और दबावों से गोरखा भाषा के बदले नेपाली भाषा को अपनी भाषा घोषित करने को कहा गया। वास्तव में हमें विगत आम चुनाव के दौरान पता चला कि अन्योन्य में लाभ उठाने वाले नेपालियों (रैसीप्रोकल नेपाली) ने मत सूचियों में अपना नाम दर्ज करवा लिया और मतदान किया। यह मुद्दा श्री घीसिंग द्वारा बाद में मेरे सामने ही एक पत्र द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के समक्ष 18 जुलाई, 1991 को उठाया गया था।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह सोचने विचारने की बात है। हमें कुछ भी जल्दबाजी करने से बचना होगा ताकि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिल के समझौते की भावनाओं के विरुद्ध और 23 अगस्त, 1988 के भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित बातों के विरुद्ध नहीं जाने चाहिये, जिसके तहत भारतीय नागरिक "यहां रह रहे

गोरखा" हैं न कि अन्योन्य में लाभ उठाने वाले नेपाली अर्थात् "रैसीप्रोकल नेपाली" कुछ भी ऐसा न किया जाए जिससे बृहद् नेपाल बनाने की गोपनीय रणनीति को अपने देश के अन्दर और सीमा पार से बल मिले।

महोदय, बृहद् नेपाल की बात किसी की कल्पना की उपज नहीं है। खतरा, चाहे थोड़ा ही हो, पर है जरूर। ध्यान रहे कि ऐसी भी शक्तियां हैं जो भारत में सिक्किम के विलय को स्वीकार नहीं करती हैं। ऐसी भी ताकतें क्रियाशील हैं जो भारत को शक्तिशाली बनने से रोकती हैं और राष्ट्रों के बीच सद्भावना न बढ़ने देने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कोई कार्य हो जाए ऐसा आरोप लोकसभा पर लगाने का अवसर इतिहास को न दें और भारत की अखंडता के साथ इसकी रणनीति और संवेदनशील उत्तरी सीमाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका किसी को न दें। हम इस चेतावनी को नजरअंदाज करके अपने सर्वनाश को आमन्त्रित करेंगे। (व्यवधान) मेरे विचार में बहस का जवाब सम्मानपूर्वक बहस से ही दिया जाना चाहिए चीख चिल्ला कर नहीं।

महोदय, 'जी०एन०एल०एफ०' के अध्यक्ष श्री सुभाष घीसिंग द्वारा भेजे गए एक अविलम्बनीय महत्व के टेलीग्राम जिसकी एक प्रति मुझे दार्जिलिंग का सांसद होने के नाते भेजी गयी है वह सभा को बताते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। (व्यवधान)

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, वह इतने लम्बे समय तक अपना भाषण कैसे दे सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उस टेलीग्राम को यहां उद्धृत न करें। कृपया जल्द से जल्द अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : महोदय, इन सदस्यों को अपनी बात अध्यक्ष को कहनी चाहिए मुझे नहीं। उन्हें इस तरह मुझे नहीं टोकना चाहिये। मैं टेलीग्राम को उद्धृत नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस टेलीग्राम का सारांश बताऊंगा। उनका यह कहना है कि यदि भारत सरकार विभिन्न भारतीय भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के मुद्दे पर इतनी इच्छुक और दृढ़ निश्चय है तो 'जी०एन०एल०एफ०' पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है सिवाए नेपाली भाषा के मामले में, क्योंकि उक्त भाषा अन्योन्य में लाभ उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है जो सीधे तौर पर भारत-नेपाल समझौता, 1950 के तहत शामिल है। उनका कहना है कि इसे आठवीं सूची में शामिल किया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती शिव कुमारी मंडारी : महोदय, उन्होंने "नो मैन्स लैंड" की मांग की है। क्या आप यह मानने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें। आपने लम्बे समय तक भाषण दिया है। अब श्री याइमा सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : अंतिम विश्लेषण के रूप में मैं सभी माननीय सदस्यों और विशेषरूप से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह उन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करे जिनका मैंने जिक्र किया है।

सभापति महोदय : समय की सारी सीमाओं को आप पार कर चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत : केवल तीन वाक्य और।

सभापति महोदय : नहीं, कृपया नहीं।

श्री इन्द्रजीत : तीन वाक्य और।

मेरा यह कहना है कि मैं और जी०एन०एल०एफ० नेपाली भाषा, जो कि एक विदेशी भाषा है, को कभी भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल करने में भागीदार नहीं हो सकते।

सभापति महोदय : मैं आपको अपनी बात समाप्त करने का पांच बार मौका दे चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत : मैं आधे मिनट से भी कम समय लूंगा। मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

सभापति महोदय : नहीं।

श्री इन्द्रजीत : आधे मिनट के लिए आपका ध्यान चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात बहुत अधिक सुन ली है।

श्री इन्द्रजीत : मैं सभी पक्षों के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों को बांटने का कोई प्रयास नहीं है। प्रयास सिर्फ इतना ही है कि जो भारतीय हैं और भारतीय नहीं हैं, अर्थात् नेपाली हैं उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। **(व्यवधान)***

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

श्री थाइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं माननीय सदस्या श्रीमती दिल कुमारी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी ने पहले ही नेपाली और मणिपुरी इन दो भाषाओं को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के महत्व पर विशेष रूप से अपने विचार प्रकट किए हैं और श्री इन्द्रजीत द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों को स्पष्ट करने, प्रत्युत्तर देने का कार्य मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं।

अत: मैं मणिपुरी भाषा के संबंध में अधिक बोलूंगा जिसके बारे में मुझे अधिक जानकारी है और इस महान सभा का मैं उस संबंध में और अधिक जानकारी दे सकता हूं।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नेपाली भाषा के संबंध में, यदि कुछ कहने का मौका दिया जाए तो मैं समझता हूं कि माननीय श्री इन्द्रजीत को इस मामले की अधिक जानकारी है। भारत नेपाल समझौते के बारे में कुछ असंगत बातों का उल्लेख करके वे सभा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विधेयक संदर्भ में वे असंगत हैं।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मणिपुर में असम राइफल्स के कई गोरखा जवान हैं। जब हम उनसे पूछते हैं "आपकी भाषा क्या है" वे सीधे यह कहते हैं "हमारी भाषा नेपाली है।" यह एकदम स्पष्ट है। वे गोरखा हो सकते हैं पर उनकी भाषा नेपाली है। यह स्पष्ट है। मणिपुर में हजारों गोरखा हैं। उनका कहना है कि उनकी भाषा नेपाली है।

मैं नहीं जानता कि श्री इन्द्र जीत कैसे उन संधियों का अर्थ लगाते हैं। मैं यह कार्य इस विधेयक के प्रभारी माननीय सदस्य पर छोड़ता हूं कि वह इन सभी बातों का प्रत्युत्तर दें।

अब मैं मणिपुरी की बात कर रहा हूं। मणिपुरी के संबंध में मेरा यह कहना है कि इस भाषा को संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अथवा पारित करते समय इसे क्यों नहीं शामिल किया गया। 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय संघ में मणिपुर को शामिल किया गया। इसलिये उसे अपना प्रतिनिधि भेजने और कहने का मौका नहीं मिल सका कि मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि मणिपुर भारतीय संघ में शामिल नहीं था। उन दिनों ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत यह एक पड़ोसी राज्य था। ब्रिटिश राज के समय भी मणिपुरी भाषा ब्रिटिश लोगों ने भाषा के रूप में मान्यता दी थी।

अब मैं युक्तिसंगतता के पहलु की बात करता हूं, क्योंकि सभा के समक्ष तथ्यों को रखना आवश्यक है। मणिपुर में दस लाख लोग मणिपुरी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। करीब पांच लाख लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और वे मणिपुरी भाषा का उपयोग आम बोल-चाल की भाषा के रूप में करते हैं। इसलिये मणिपुर राज्य में मणिपुरी भाषा आम बोल-चाल की भाषा है। दूसरे मणिपुरी भाषा शुरू से ही राजभाषा रही है। यह तब भी राजभाषा थी जब ब्रिटिश राज के तहत यह पड़ोसी राज्य था। मणिपुरी राजभाषा और अदालती भाषा थी। आज भी मणिपुरी भाषा मणिपुर में अदालती भाषा है। यह उन न्यायालयों में प्रयुक्त होती है, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। यह सरकारी कामकाज की भाषा है। अब मणिपुर विधान सभा द्वारा यह निर्धारित किया जा रहा है कि इसे राज्य की राजभाषा होने का दर्जा दिया जाए। अतः सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए यह राज भाषा है, इसका अदालतों में प्रयोग किया जाता है, जो कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। यह भाषा प्राथमिक कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई तथा परीक्षाओं का माध्यम है।

बी०ए० ऑनर्ज, एम०ए०, एम०फिल तथा पी०एच०डी० की उपाधि के लिए भी मणिपुरी भाषा में शोध-प्रबन्ध लिखे गये हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत इन सभी विषयों के लिए प्रावधान बने हुए हैं। इस भाषा को कलकत्ता, गुहावटी, डिब्रुगढ़, दिल्ली विश्वविद्यालय और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों ने जिसका उल्लेख करना यहां मेरे लिए सम्भव नहीं है, मान्यता दी है। अतः डिग्री पाठ्यक्रम तक यह एक प्रमुख भारतीय भाषा है।

महोदय, साहित्य एकादमी ने वर्ष 1971 से, इसे एक प्रमुख भारतीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिये गये हैं। अब तक इस भाषा के 15 साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जा चुका है। इस भाषा की अपनी लिपि है। हमारे पास मणिपुरी लिपि है। फिलहाल हम बंगाली लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास मणिपुरी लिपि है। आठवीं कक्षा तक इसे पढ़ाया जा रहा है। अब यह भाषा दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में रखी जाएगी। अब मणिपुरी लिपि में काफी सुधार हुआ है। कुछ समय तक इसे प्रोत्साहन नहीं दिया गया था, लेकिन अब लोगों ने इस लिपि के सुधार को गम्भीरता से लिया है। वरिष्ठ भाषाविद डा० सुनीती कुमार चटर्जी ने जो कि अब नहीं हैं, एक सन्दर्भ में कहा था कि मणिपुरी भाषा, भारत के तिब्बती-बर्मन भाषा परिवार की बहु-विकसित भाषा है। और हम इसी बात का दावा करते हैं।

वर्तमान में, आठवीं अनुसूची में अधिकतर द्रविड़, भारत-आर्य तथा बर्मन भाषाएं हैं। और तिब्बती-बर्मन भाषा को इसमें नहीं लिया गया। अब इस दृष्टि से भी मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना उचित होगा।

जहां तक भाषा की उत्कृष्टता की बात है, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस माननीय सभा के सभी सदस्य, इस भाषा की उत्कृष्टता से अवगत हैं और इस सभा में लगभग सभी सदस्य, सभी पार्टियों के नेता भी इस बात के लिए सहमत हैं कि नेपाली और मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये, ताकि इन दो भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। मुझे इस विषय पर विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी अपेक्षा, मैं माननीय सदस्यों को इस विषय पर बात करने के लिए अधिक समय देना चाहूंगा। मैं, मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के समर्थन में कुछ औचित्यपूर्ण बात कहना चाहता हूं।

अब मैं, मणिपुर राज्य की वर्तमान समस्याओं के विषय में कहना चाहूंगा। हम लोग, वर्ष 1949-50 से, मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग करते रहे हैं, क्योंकि जब भारतीय संघ में इसका विलय हुआ था तब जनता ने यह महसूस किया था कि संघ के साथ विलयन होने के पश्चात्, इस भाषा को और सम्मान तथा आदर दिया जायेगा। अतः यह मणिपुर जनता की एक उत्कट अभिलाषा थी और वे इसकी मांग करते रहे हैं। जब मणिपुर की जनता का संयम टूट गया, तब उन्होंने अपने आप को संगठित किया और माननीय प्रधान मंत्री तथा राष्ट्र के नेताओं से मिलने के लिए, अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये। इन प्रतिनिधियों ने नेहरु जी, इन्दिरा जी, राजीव जी, श्री वी० पी० सिंह तथा श्री चन्द्र शेखर से भेंट की। सभी नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त की। लेकिन वे इस सभा के समक्ष, कोई भी विधेयक प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे कि इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर सकें। इसमें समय लगा और यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा।

लेकिन जनता अब मांग कर रही है और आन्दोलन करने पर उतारू है। इससे पहले, जनता ने, जिसमें महिलाएं और सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं, भूख हड़ताल शुरू कर दी। हजारों की संख्या में लोगों ने भूख हड़ताल की थी और अब मणिपुरी विद्यार्थियों ने इस काम को अपने ऊपर लिया है। उन्होंने रास्ते रोके, विद्युत सप्लाई काट दी और बिजली गुल कर दी। यहां तक कि उन्होंने यह भी ठान लिया था कि वे स्कूलों में हिन्दी को पढ़ाने

नहीं देंगे। उन्होंने मणिपुर में हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन भी नहीं होने दिया। हिन्दी भाषा की अथवा अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के कैसेटों को चलने नहीं दिया। उन्होंने इन कैसेटों को नष्ट कर दिया। सम्पूर्ण जनसंख्या, विद्यार्थी समुदाय का समर्थन कर रही है। अब उन्होंने क्या किया? इस समर्थन का लाभ उठा कर वे तोड़ फोड़ करने लगे हैं, क्षति पहुंचाने लगे हैं और बसों को भी जलाने लगे हैं। केन्द्रीय स्कूल की बस जला दी गई। स्कूल बसें और राज्य परिवहन की बसें भी जला दी गई। इसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ गई हैं। मणिपुर में वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी कई दुखद बातें हैं। वे इन कष्टों को भोगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इससे पहले, यहां दिल्ली में, कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की थी और उनके समर्थन में समूचा विपक्ष सभा के बाहर निकल आया था। अब, तीन व्यक्तियों ने अनिश्चित-कालीन आमरण भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कल मैं अस्पताल गया था। वहां पर पुलिस कर्मचारियों से मेरी भेंट हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन तीन व्यक्तियों की स्थिति बहुत गम्भीर है। मुझे उन तीनों व्यक्तियों की बहुत चिन्ता है। यदि उनको कुछ हो गया तो मणिपुर में आग भड़केगी। ऐसा बहुत कुछ होने की आशंका है। जिसमें जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा और इससे कानून तथा व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आतंकवादी और पी०एल०ए० प्री-पाक जैसी गुप्त संस्थाएं, इसका लाभ उठायेंगी। कर्मचारी और युवा हमसे यह कहते हैं कि "आपने भी स्थिति को देख लिया है। भारतीय संघ में विलय होने का क्या लाभ मिला? इसलिए, चलो हम अलग हो जाएं"। उन्होंने ऐसी स्थिति का लाभ उठाया है और वे काफी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए, हमें उस तरह की स्थिति के उत्पन्न होने की आशंका है।

आन्दोलन जारी है और हम लोग केवल माननीय मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें उनकी ओर से सकारात्मक उत्तर की आशा है, जिससे कि यह आन्दोलन खत्म किया जा सके और हमारा काम शान्ति से हो सके।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन, मैं एक सुझाव दूंगा। तीन चार दिन पहले, माननीय गृह मंत्री से एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था, जिसमें मैं भी शामिल था और माननीय गृह मन्त्री जी ने आठवीं अनुसूची में, नेपाली और मणिपुरी भाषा को शामिल करने की बात पर अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कोंकणी भाषा को भी सम्मिलित करने की बात का उल्लेख किया है। उन्होंने सर्वसम्मति के लिए, सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक का आयोजन करने का सुझाव दिया है। मैंने भी कह दिया है कि देश के सभी राजनैतिक दलों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि सैद्धांतिक रूप से उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। फिर भी, सर्वसम्मति के लिए, वह विभिन्न दलों के सभी नेताओं की एक बैठक का आयोजन करना चाहते हैं।

केवल कुछ दिन पहले की बात है। मैं, श्री सन्तोष मोहन देव तथा कुछ और लोग प्रधान मंत्री जी से मिले थे और हमने उनसे मणिपुरी और नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं। वह इसके लिए सहमत हैं।

आज समाचारपत्रों में हमने देखा है कि राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल तथा भा०ज०पा० के नेता प्रधान मंत्री जी से मिले हैं। प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया

है कि अगले वर्षाकालीन-सत्र में वह इस सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे । अतः इस आश्वासन के लिए, हम प्रधान मंत्री जी के बहुत आभारी हैं । मैं, माननीय सदन के सभी सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने नेपाली और मणिपुरी, इन दो भाषाओं के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है ।

अन्ततः, माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, मैं मणिपुरी में दो शब्द कहूंगा ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से जो दिल कुमारी भंडारी जी ने विधेयक पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए उसका समर्थन करता हूं ।

सभापति जी, विशाल तर्क में न जाकर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र इन्द्रजीत जी ने बड़ी मेहनम करके, अपनी बुद्धि, मेहनत और समझ को लेकर ऐसे सवाल उठाये हैं जो अनावश्यक हैं इसलिए कि जिस को गोरखाली कहते हैं, उसी को नेपाली कहते हैं । जैसे भाषाओं का विकास होता आया है जब आदमी चौपाया से दोपाया बना, जब उसने औजार बनाना और औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो जानवर की बोली से धीरे-धीरे आदमी की बोली विकसित होने लगी, फिर अक्षर बना, शब्द बना, ऋचाएं बनी, सूत्र बने और सुरा बनी और अब इतनी बने कि पढ़ने और सुनने वाले ही तबाह रहते हैं । ऐसी स्थिति में बहुत सी भाषायें ही लुप्त हो गई ।

संसार की एक प्राचीनतम भाषा जो मोहन जोदड़ों में अभी तक लिखी है, उसको अभी तक पढ़ना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि उसके पढ़ने वाले गायब हो गए जिससे भाषा ही गायब हो गई। हमारा सौभाग्य है कि संस्कृत जैसी प्राचीनतम भाषा अभी हमारे बीच में है और वह अपने पीछे 5-7 हजार बरस के इतिहास को जोड़ेगी । बहुत सी भाषाएं विकसित हुई हैं, कुछ भाषायें मिटी हैं । स्वतंत्रता संग्राम के कुछ पहले से लेकर अभी तक हिन्दी का विकास ही हुआ है और हिन्दी जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा समझी जा सकती है। जो इसे नहीं बोलते हैं, वे भी इसे समझ सकते हैं । इसलिए इस संसद ने उसको एक जोड़ने वाली जंजीर की भाषा के रूप में यानि कि नैशनल लिंक के रूप में रखा । इसके सिवाय दूसरी कोई भाषा इसका स्थान लेने के लायक नहीं है । मेरी समझ में इसके विकास में हमारी रफ्तार धीमी रही है, कमजोर रही है । उस रफ्तार को और तेज करने की आवश्यकता है मगर एक दूसरी समझ आती है कि एक मात्र हिन्दी को रोको, सभी भाषाओं को मिटा दो । दूसरी एक समझ है, मैं समझ करने वालों की बात पर शक नहीं करता लेकिन ऐसी बात हुई कि माला में एक भी फूल मत रहने दो, सिर्फ धागा ही रहने दो तो इससे देश का विकास नहीं होगा । हिन्दी हमारी सबसे प्रिय भाषा है मगर भारत उससे भी ज्यादा प्रिय है और बड़ा है । बंटवारे के बाद भी भारत बहुत सी प्रचीन भाषाओं का भंडार है और सब को मिलाकर हिन्दी विभिन्न फूलों की माला लेकर, विभिन्न भाषाओं की माला लेकर उसको राष्ट्रीय जोड़ने वाली माला का काम करें तो हिन्दी का और समस्त देश का ज्यादा विकास हो सकेगा ।

सभापति जी, मातृभाषा का अपना महत्व होता है । जिस भाषा को माता के दूध के साथ बच्चे सीखते हैं बिना प्रयास के और इसीलिए पहली भाषा मातृभाषा है जिस को माध्यम बनाना सारी संसद ने स्वीकार किया है । जिन देशों ने 100 फीसदी साक्षरता प्राप्त की है, मातृभाषा को ही इस्तेमाल करके किया है ।

5.00 म०प०

हमारे लिए भी अगर हम चाहते हों, एक निश्चित अवधि के भीतर करें, तो मातृभाषा के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। नेपाली या मणिपुरी जो भाषायें हैं, हमारे इन्द्रजीत ने नेपाल को विदेश का कहा, मेरे जैसा आदमी सुगौली की संधि में जब अंग्रेजों ने नेपाल को हराया और उसको बांट दिया, तो उसके पहले मेरे खानदान के लोग भी नेपाल में पड़ते थे। अभी इन्होंने दार्जिलिंग जाकर उसको अपनाने का प्रयास किया है। बहुत दूर का देश है और ऐसा लम्बा भाषण दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पांडित्य की आवश्यकता नहीं थी। नेपाल एक स्वतन्त्र देश है। स्वतन्त्र देश की पूरी इज्जत हमें करनी है, मगर वह हमारा सहोदर देश है। ऐतिहासिक, भूगोल, प्रकृति, संस्कृति और भाषा ने हमें सहोदर बनाया है। इसलिए नेपाली भाषा के नाम से घबराते क्यों हैं। वह जोड़ने वाली भाषा पुल का यानि सेतु का काम करेगी। उसको तोड़ने की खाई के रूप में क्यों देखें। फिर भी मैं अंधविश्वासी नहीं होना चाहता हूं। अगर दार्जिलिंग के सब लोग, सिक्किम के लोग इसको दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो मैं नाम पर नहीं लड़ूंगा, लेकिन इतने बड़े पांडित्य की आवश्यकता नहीं है, विभाजन की।

सभापति जी, इसी विभाजन की मैथिली भाषा है, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। उसके अलावा मैथिली ही भारत की पहली भाषा है, जिसको साहित्य एकादमी ने स्वीकार किया है। मैथिली वह भाषा है, जो इस सदी के प्रारम्भ में जब बिहार पैदा भी नहीं हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर के लिए इसको स्वीकार किया था। अभी सात विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। बिहार के बाहर भी और इस स्नातकोत्तर के बाद भी पीएचडी और डाक्टरी में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, वे इसी में पढ़ रहे हैं। नेपाल का जो तराई का इलाका है, सरहदी जो इलाका है, वह भी मैथिली भाषा का इलाका है और वह भाषा नेपाल के साथ मदद करती है। प्राचीन जनकपुर सब जानते हैं। सुगौली संधि के बाद अंग्रेजों ने जो किया, नेपाल में दोट द्वार काटकर इधर किया। आज वह मेरे क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन लोगों के मानस में हमारी सांस्कृतिक धरोहर का दोट द्वार का हिस्सा है, जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। नेपाल के साथ हमारे पार-पात्र के संबंध नहीं हैं। इसलिए जब हम विदेशों की तुलना करें, तो नेपाल के साथ सहोदर देश का दृष्टिकोण लोगों को ख्याल में रखना चाहिए। यही मुनासिब है।

सभापति जी, इससे संबंधित संविधान संशोधन के लिए एक विधेयक इस सदन में 1971 ई० में बहस के लिए आया हुआ था। इस पर दो पखवारे तक बहस भी होती रही और अंत में सरकारी पक्ष की ओर से, राजबहादुर जी उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री थे, उनके आग्रह पर उसको स्थगित किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सरकार इस पर विचार करेगी। फिर वह मामला लम्बित हो गया। इधर एक तकलीफ की बात यह है कि भारत सरकार ने कुछ भाषा विरोधी काम किया। वह मिथिला विरोध का मामला नहीं है। भाषा नीति के विरोध का मामला है। 1921, 1931, 1951, 1961—इन सभी जनगणनाओं की गिनती में इस भाषा के बोलने वालों का प्रकाशन मिथिला का हुआ है। 1941 की जनगणना विश्व युद्ध के कारण इसकी गिनती नहीं हुई। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने संविधान के साथ आगे जाकर जुर्म किया है, जिनको मैथिली में लिखा नहीं गया है। जिन्होंने लिखाया मैथिली और लिखा

गया हिन्दी, वह अलग बात है। जिनको लिखा गया है, उनका भी प्रकाशन नहीं किया गया। गुप्त आदेश देकर उसको रोका गया और मुझे दो साल पहले यह ठीक-ठीक पता लगा है कि उसको रोक दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह संविधान के साथ मखौल है, एक जुर्म है। एक नया अधिकार देने की बात है, लेकिन जो अधिकार पहले से था, उसको छीनने का काम हुआ है। जनगणना के प्रकाशन में किसको अधिकार है, छीनने का? अब तक जो कहा गया है, उसको मैं मानूं, तो क्या आप उसको नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि मंत्री जी, जब बोलें, तो कम से कम इस त्रुटि का समाधान कर देंगे। इसी की देखा-देखी हमारे बिहार सरकार ने भी गल्ती की है। मैथिली में जो राज्य-सेवा आयोग में परीक्षा ली जाती है, उसको भी बन्द करने का निर्णय वहां की सरकार ने किया है। बिहार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार राज्य सम्मेलन में, मैं कमेटी की बात नहीं करता हूं। सम्मेलन में एक मत से पारित किया है कि यह गलत निर्णय हुआ है, सरकार को इसको वापिस लेना चाहिए।

सभापति महोदय, ये मैथिली भाषाएं, मैंने कहा कि 12वीं सदी से इसका समृद्ध साहित्य पढ़ा हुआ है, लोक काव्यों में लोड़िक के, शैलेष के, जिनको हमारे यहां लोग शैलेष कहते हैं, शैलेष माने पहाड़ों का नेता, यह लोक काव्य बहुत ही प्रचलित हैं और दूर-दूर से लोग आते हैं और सैंकड़ों, हजारों वर्षों से लोग गाते चले आ रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि साथ-साथ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, स्नातकोतर के बाद तक भी, उस पर बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है मैं समझता हूं कि इससे हमारे विकास में बाधा पड़ेगी।

मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार जनगणना में प्रकाशन नहीं करने के अपने निर्णय को बदले, और बिहार सरकार भी अपने इस निर्णय को बदले, इसमें समस्त सदन और सभी जनतंत्र प्रेमियों से मैं आशा करता हूं कि वे इसमें सहयोग करेंगे, स्थिति को सुधारने में। जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के शामिल करने का सवाल है हम लोग प्रधानमंत्री से भी मिले थे, जो हमारे मित्र ने जिक्र किया है, मणिपुर के बारे में मैं आग्रह करता हूं कि आज हमारे गृह मंत्री इस तरह का आश्वासन दें कि जो हमारे युवक अनशन पर हैं वे अनशन तोड़ सकें और भाषा के मामले में किसी भाषा वाले को हिन्दी के नाम पर आप हिन्दी विरोधी बनने का सहारा न दें। हिन्दी एक माला के रूप में, नेशनल लिंक लेंगवेज के रूप में हम रखें, किसी मातृभाषा को यह नहीं लगे कि यह हमारे गले पर सवार है। जहां तक मैथिली का सवाल है—मैथिली, नेपाली, उड़िया, बंगला, आसामी, यह एक खजाने की भाषाएं हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम जायछी, नेपाली में कहते हैं जांछू बंगला में कहते हैं जाछी, वे सब एक खजाने की भाषाएं हैं।

सभापति जी, इसमें मैं समझ रहा हूं ये जो प्रमुख भाषाएं हैं, प्रधानमंत्री ने हम लोगों से भी कहा, हम चाहेंगे कि जल्दी ही इस पर विचार करके निर्णय लें, ताकि जो आगे सत्र होगा उसमें इस पर कुछ किया जा सके। मैं समझता हूं कि इस आश्वासन को लेकर हमारे मणिपुर के जो युवक अनशन पर हैं वे अनशन का त्याग करें और हम लोग इस सदन में एक मत से जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में भाषाओं का मामला है और मैं तो इससे भी आगे जाता हूं मेरा संविधान संशोधन विधेयक अभी है ही इसी सदन में विचारार्थ, बैलेट में पिछली बार चौथे नं० पर आया था इस बार पिछड़ गया जिसमें मैंने और भाषाओं को लिखा है। 85 करोड़ के देश के लिए अगर 20-25 भाषाएं हो जाती हैं तो यह बड़ी बात नहीं होती है और बुरी बात भी नहीं होती है इसलिए भाषाएं

संस्कृतियों की धरोहर है, जनजीवन को ढोने वाली चीज है और उसको लेकर हमारा देश और भी समृद्ध, अनेकता में एकता का प्रतीक और भी मजबूती के साथ बनेगा। किसी मातृभाषा को मिटा करके, दबा करके नहीं बन सकता है। उससे हमारी एकता कमजोर होगी, कुंठित होगी, और जो विश्व का खतरा हम देख रहे हैं उस एकता पर और भी खतरा बढ़ सकता है जब विदेश से भी तोड़ने वाली शक्तियां हमारे लिए मौजूद हैं और अंत में मैं फिर इस बात को कहना चाह रहा हूं, इन्द्रगुप्त जी से कि अगर दार्जिलिंग से इनके मतदाता यही समझें कि हम नाम बदल लेंगे, अगर सिक्किम वाले भी यही समझें कि हम नाम बदल लेंगे तो नाम बदलने में एतराज नहीं होगा। मगर नेपाली को इतना विदेशी-विदेशी कह करके कम से कम विदेशी वातावरण हमारे दिमाग में नहीं लाएं। वह नेपाली कहें, गोरखाली कहें भाषा तो एक ही है, भाषा दूसरी नहीं है इसलिए कोई विदेशी शब्द का इस्तेमाल इसमें न किया जाए और मंत्री जी आश्वासन दें और फिर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैथिली सहित जो आवश्यक भाषा हो उनको शामिल करने के लिए आग्रह करके अपना कथन समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): सभापति महोदय, पहले में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया है। संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली और मणिपुरी, इन दो भाषाओं को सम्मिलत करने की मांग करते हुए विधेयक पारित करने पर, मैं श्रीमती दिल कुमारी जी को भी धन्यवाद देता हूं।

महोदय, वस्तुतः इस विधेयक का कोई विरोध नहीं हुआ। हमें केवल एकमात्र विरोध का स्वर, हमारे विद्वान दोस्त माननीय श्री इन्द्रजीत का सुनाई पड़ा। वास्तव में, उन्होंने अपने भाषण को तैयार करने और एक अलग उद्देश्य के लिए अपनी दलील पेश करने के लिए बहुत परिश्रम किया।

लेकिन महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि इन भाषाओं, नेपाली अथवा गोरखाली अथवा गोरखा-भाषा, को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग का कोई विरोध नहीं हुआ। जितनी जल्दी हो सके, इन भाषाओं को संविधान में शामिल करना चाहिए। बल्कि ऐसा तो पहले ही हो जाना चाहिए था।

महोदय आप जानते हैं कि डा० सुनीत चटर्जी हमारे देश के महान भाषाविद थे। वह कुछ समय तक केन्द्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

राजभाषा आयोग संबंधी अपनी रिपोर्ट में डा० सुनीत कुमार चटर्जी ने अन्य भारतीय भाषाओं को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। उन्होंने जो कुछ कहा, अब मैं उसे उद्धृत करता हूं "उन भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों की इच्छाओं और उनकी आवश्यकता को देखते हुए अन्य भारतीय भाषाओं, जैसे सिन्धी और नेपाली, को इस आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए"। इन दो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन, वर्ष 1967 में सिंधी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल की जा सकी थी और नेपाली भाषा इस अनुसूची में सम्मिलित नहीं की जा सकी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। नेपाली भाषा को साहित्य एकादमी सहित विभिन्न संगठनों ने 1974 में मान्यता प्रदान कर दी

थी। जब साहित्य एकादमी ने नेपाली भाषा को एक मुख्य साहित्यिक भाषा के रूप में अपनी मान्यता प्रदान कर दी थी और जब सिक्किम का भारत में विलयन हुआ था, तब इस भाषा को भी यह सांवैधानिक दर्जा दिया जा सकता था यानि इसे भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जा सकता था।

1911 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा को एक विशिष्ट विषय के रूप में पढ़ाना प्रारम्भ किया था। 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इसे लागू किया था। बाद में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने इस भाषा को पढ़ाना प्रारम्भ किया। इस विश्वविद्यालय में नेपाली भाषा में स्नातकोत्तर और डाक्टरेट-उपाधि के लिए अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। अन्य स्थानों पर अनेक अन्य बोर्ड हैं, जिन्होंने शिक्षा में इस सुविधा का प्रदान किया हुआ है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही उदाहरण ले लीजिए। इतना ही नहीं, इसके बाद नेपाली भाषा की महत्ता अथवा सार्थकता इस तथ्य से पूर्णतयः स्थापित हो जाती है कि यह भाषा आकाशवाणी के गंगटोक और कुरसेओंग केन्द्रों की मुख्य भाषा है। आकाशवाणी के गुवाहाटी केन्द्र द्वारा एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है और आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र द्वारा भी नेपाली में एक अठरंग-सेवा-समाचार प्रसारित किया जाता है। कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र हर रोज 15 मिनट का एक नेपाली कार्यक्रम प्रसारित करता है और कई बार दूरदर्शन केन्द्र नयी दिल्ली से कुछेक नेपाली फीचर फिल्में प्रसारित की जाती हैं। ब्रिटिश प्रसारण केन्द्र, बीजिंग, मास्को और बंगला-देश रेडियो द्वारा नेपाली में समाचार प्रसारित किए जाते हैं। अतः, इस भाषा की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। यह एक प्राचीन भाषा है, हमने अपनी प्रथम जनगणना 1871 में करवाई थी। इसमें दार्जिलिंग की सर्वाधिक जनसंख्या नेपाली बोलने वाली दर्शाई गई थी। साहित्य एकादमी, पश्चिम-बंगाल और उत्तर-पूर्वी विश्वविद्यालय ने भी नेपाली साहित्य एकादमी स्थापित कर ली है।

हमारे देश में 10 मिलियन से अधिक लोग ऐसे हैं जो नेपाली भाषा प्रथम अथवा द्वितीय भाषा के रुप में बोलते हैं; इसका साहित्य समृद्ध है और विशेषतौर पर, जैसाकि आपको पता ही है, भाषा एक अति-संवेदनशील विषय है, और बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। यह भाषा हमारे सीमान्त क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है और इसकी भी अपनी ही कला और महत्व है। सिक्किम, पश्चिम-बंगाल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश सभी हिन्दी भाषी राज्यों और विधान सभाओं ने सर्वसम्मति से इस भाषा को सांवैधानिक दर्जा देने के लिए संकल्प पारित कर दिया है। मैं सुनीति चटर्जी के प्रतिवेदन से भी उद्धृत करता हूं। इस परिपेक्ष्य में, अब यह अपरिहार्य हो गया है कि नेपाली भाषा को एक स्थान दिया जाए, इसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

इस बारे में, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब यह संविधान अस्तित्व में आया था, तब हमने प्रथम चौदह भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया था और बाद में इस परिवार में सिंधी भाषा पन्द्रहवीं सदस्य थी; सिंधी भाषा इस समूह में 1967 में समाविष्ट हुई थी। इन भाषाओं के चयन करने का क्या मानदण्ड है ?

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक अनूठा देश है; यह एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला, बड़े क्षेत्र वाला देश है और इसमें बहुत से संप्रदाय, जातियां, धर्म और भाषाएं अस्तित्व में हैं;

इस प्रकार से, इसे केवल एक देश ही नहीं, बल्कि एक देश से भी बढ़ कर कहा जा सकता है; यह एक उप-महाद्वीप है; यह देश एक उप-महाद्वीप से भी बढ़कर है; मैं तो इसे एक लघु-विश्व कहता हूं; भारत एक लघु-विश्व है जिसमें सभी प्रकार की संस्कृतियां और भाषाएं विद्यमान हैं। हम सभी का यह प्रथम कर्तव्य है कि ऐसी विविधता के बीच इस देश को एक रखें; एकता बनाए रखें, एकता सुनिश्चित करना एक विकट समस्या है। हमने स्वयं से भी यही पूछा है।

भाषा एक इतना संवेदनशील मुद्दा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद हमारे नेताओं को इसके बारे में सोचना पड़ा था और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। यद्यपि, अब इस तर्क पर विवाद है। यह तर्क कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अथवा राज्यों का निर्माण करना चाहिए था, इससे कुछ मामलों में भाषाई कठिनाइयां उत्पन्न होती। अतः, कई बार इस तर्क पर विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन, किसी प्रकार से हमने भाषा के मुद्दे को उचित महत्व दिया है; और मैं अपने क्षेत्र के एक प्रसिद्ध उड़िया कवि को उद्धृत करने की अपनी इच्छा को रोक नहीं सकता। प्रसिद्ध स्वाबाब कवि गंगाधर मेहर ने लिखा है—'मातृ भूमि मातृ भाषा रे या हृदय ममता जन्मायनी; ताकू यादी ज्ञानी पनारा गनिबा; अज्ञाना रहिबे कनही'। यद्यपि यह उड़िया भाषा में है, फिर भी यह बहुत सुबोध और सुस्पष्ट है। वह व्यक्ति, जो अपनी मातृभाषा और मातृभूमि से प्यार नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, वह अपने आपको शिक्षित और विद्वान होने का दावा नहीं कर सकता। मातृभूमि और मातृभाषा हमें अति प्रिय हैं और ये हमारे हृदय के बिल्कुल समीप हैं। अतः, हम सभी अपनी मातृ-भाषा से प्यार करते हैं और भारत जैसे विशाल देश में, जिसमें बहुत सी भाषाएं हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि सभी भाषाओं के प्रति सहिष्णुता की भावना का विकास करें। सहिष्णुता ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा करें, ताकि हम अन्य भाषाओं का भी सम्मान कर सकें।

हम अन्य भाषाओं का आदर करते हैं। यह सभी भाषाओं के सह-अस्तित्व का प्रश्न है। उन्हें देश में, संविधान में, केन्द्रीय साहित्य अकादमी और हर स्थान पर उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। अतः, मैं कहूंगा कि नाम के लिए, हम जल्दबाजी में कुछ न करें।

श्री इन्द्रजीत जी भी अपनी दलील देना चाहते हैं। नेपाली, एक प्राचीन नाम भी है और सम्भवतः यह गोरखाली भी है, लेकिन इस आन्दोलन के पश्चात् इसने जोर पकड़ लिया है।

श्री इन्द्र जीत : मौलिक रूप से यह 'खस' भाषा थी।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : वर्तमान-नामावली अलग हो सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है।

मन्त्री महोदय को इस समस्या का समाधान करना चाहिए और इसे लम्बे समय तक जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा न ही हम कुछ ऐसा कर सकते जिससे समुदाय का दूसरा वर्ग दूर हो जाये। हमारे पास नेपाली भाषा बोलने वाले 10 मिलियन लोग हैं। किसी भी समस्या का सदैव एक समाधान होता है। भाषा नेपाली, गोरखाली अथवा गोरखा-भाषा अथवा कोई भी हो सकती है। भाषा के लिए कोई विरोध नहीं है। दार्जिलिंग से निर्वाचित माननीय सदस्यगण श्री इन्द्रजीत ने भी इसका समर्थन किया है। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

पुनः, मणिपुरी भाषा के बारे में कोई समस्या नहीं है। यह मणिपुर की मुख्य भाषा अथवा राजभाषा है। हम कह सकते हैं कि यह मणिपुर की प्रथम भाषा है।

इसी प्रकार कोंकणी भाषा के बारे में भी है हालांकि, विधेयक में इसका कोई संदर्भ नहीं है, कोंकणी गोवा की प्रमुख भाषा है। वह भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए विचार-विमर्श करने के पात्र हैं।

भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए क्या मानदंड हैं? यद्यपि, मुख्य भाषायें काफी बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। उस आधार पर सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर विचार किया गया है लेकिन अब न तो भारत में एक सिंधी प्रांत है और न ही यह किसी राज्य की राजभाषा ही है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग उस भाषा को बोलते हैं।

इसी प्रकार से अन्य भाषायें भी हैं, जोकि इसी के अनुरूप आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विचार-विमर्श किये जाने की बात है।

मैं एक और बात का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसा कि मैंने कहा है, भाषा के बारे में हमें कठोर नहीं होना चाहिये। भारत-सरकार की नीति के बारे में कुछ मानदण्ड होने चाहिएं तथा विचारार्थ कुछ आधार होने चाहियें। अन्यथा, मुझे जानकर दुःख होता है कि मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए एक आंदोलन अब फिर शुरू किया जा रहा है। इसका समर्थन कौन कर रहा है? लेकिन इसके साथ ही, मुझे डर है कि जनसंख्या का एक वर्ग एक अन्य नाम के लिए तैयार है; मणिपुरी भाषा के लिए नहीं, बल्कि वे कुछ और ही सुझाव दे रहे हैं।

अतः इस प्रश्न पर कुछ चर्चा हो सकती है और इसका समाधान किया जा सकता है तथा इस भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये।

पुनः, मैथिली जैसी भाषायें हैं। हमारे माननीय मित्र श्री भोगेन्द्र झा ने भी इसका जिक्र किया है। हमारे मित्र श्री मनोरंजन भक्त ने भी निकोबारी भाषा के बारे में जिक्र किया था। अब इन बातों पर नए सिरे से दृष्टिपात करने का समय है। ये भाषाएं सीधे आठवीं अनुसूची में प्रविष्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले इन भाषाओं को केन्द्रीय साहित्य अकादमी और संबद्ध राज्य साहित्य अकादमी को मान्यता प्रदान करनी है। यह कार्य आहिस्ता-आहिस्ता चरणबद्ध तरीके से चलना है। हमारे पास उड़ीसा में "सम्बलपुरी भाषा" कही जाने वाली एक भाषा है। इसे "सम्बलपुरी भाषा" अथवा "खोसाली भाषा" कहा जा सकता है। हर कोई सम्बलपुरी साड़ी, सम्बलपुरी संगीत इत्यादि के बारे में बात करता है। इस भाषा का साहित्य संमृद्ध है। लगभग दस मिलियन लोग नेपाली भाषा बोलते हैं और हम इसे आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर चर्चा कर रहे हैं। सम्बलपुरी भाषा भी बहुत बड़े क्षेत्र, पांच से छह: जिलों में फैली हुई है। लगभग एक करोड़ लोग यह भाषा बोलते हैं। यह भाषा मानक उड़िया भाषा से भिन्न है।

आज हम निरक्षरता उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के बारे में बातें कर रहे हैं। बच्चे को प्राथमिक-स्तर पर उसी की मातृभाषा, जोकि स्वाभाविक है कि उस स्थान की मानक भाषा नहीं है, में पढ़ाया जाना है अथवा शिक्षा दी जानी है। आदिवासी-क्षेत्रों में बहुत-से बच्चे स्कूलों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं और वे मानक भाषा को एक विदेशी-भाषा के रूप में लेते हैं। आदिवासी-बाहुल्य-क्षेत्रों में, हमें उन्हीं की मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए।

उड़ीसा के पांच पश्चिमी जिलों की एक करोड़ से अधिक जनता द्वारा सम्बलपुरी भाषा बोली जाती है। इस भाषा का अपना एक अच्छा एवम् समृद्ध साहित्य है। इस भाषा को भी एक अलग भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। सम्बन्धित अधिकारियों को इस भाषा को मान्यता देनी चाहिए। इस भाषा को मान्यता देने के लिए शुरूआत साहित्य अकादमी से की जानी चाहिए।

मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता क्योंकि कई सदस्य इस विषय पर अपने विचार देना चाहते हैं।

महोदय, भाषा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इससे राष्ट्रीय अखण्डता को बुपृक्त किया जा सकता है। यह एक एटम की तरह है। यदि इसका अच्छी तरह से हल न निकाला गया तो इससे काफी नुकसान हो सकता है। भाषा एक बहुत ही भावनात्मक तथा संवेदनशील मुद्दा है। अतः समय है कि इन बातों पर नए सिरे से ध्यान दिया जावे।

भाषा विज्ञान के अनुसार प्रत्येक सौ किलोमीटर की दूरी पर भाषा बदल जाती है। यद्यपि पूरी तरह से वही भाषा बोली जाती है लेकिन उसमें कुछ अन्तर आ जाता है। आप इसे बोली या इसी तरह कुछ कह सकते हैं। लेकिन समूचे राज्य में एक सी भाषा नहीं बोली जाती है। जब यह बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है, इसका एक साहित्य होता है, इसमें कुछ विशिष्टता होती है तब इसे एक अलग भाषा कहा जा सकता है। इसलिए, सम्बन्धित अधिकारियों को इन बातों पर उदारता से विचार करना चाहिए और इस प्रक्रिया में हमारा साहित्य, हमारी भाषा और हमारी राष्ट्रीय अखण्डता मजबूत होगी न कि कमजोर होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके इसकी नामावली के बारे में मतभेदों को दूर किया जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा था, यह नेपाली या गोरखाली हो सकती हैं या यह दोनों या कुछ भी हो सकती है जो सब को स्वीकार्य हो। यदि हम कुछ अलग से स्वीकार करते हैं जो हजारों या लाखों लोगों द्वारा पसन्द न किया जाये तो इससे समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी।

5.30 म०प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

इस तरीके से समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। पूरे दृष्टिकोण को बदलना होगा। इसके लिए समझौते का मार्ग भारत जैसे विशाल देश में इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कभी-कभी इस स्थिति में हमें समझौते का रास्ता अपनाना पड़ता है (व्यवधान) जैसे मैंने कहा था, लोग बहुत उत्तेजित हैं। युवा उत्तेजित हैं। आज मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में चर्चा के फलस्वरूप यह सदन एकमत है। इस बारे में निराश होने का कोई कारण नहीं है। मैं उन सब लोगों, जो इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, को इस भूख हड़ताल को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

इस शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.31 म० प०

बीजिंग में श्री लिम्बा राम द्वारा धनुर्विद्या में स्वर्ण पदक जीतने के बारे में

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, अभी अभी यह समाचार मिला है कि श्री लिम्बा राम ने बीजिंग में तीरन्दाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी यहां उपस्थित हैं। हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। समूचा संसद एक होकर श्री लिम्बा राम को बधाई दे रहा है, एक जन-जातीय के लिए यह सफलता भारत के लिए गौरव की बात है देश के लिए यह बहुत अच्छी खबर है हम सबको उन्हें बधाई देनी चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : हम सब को उन्हें बधाई देनी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या यह खबर सत्य है ? मुझे कहना होगा कि यह बात देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि श्री लिम्बा राम, जो जनजातीय है, ने इतने थोड़े समय में ऐसी दक्षता और ऐसा महत्वपूर्ण दर्जा हासिल किया है। देश के लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे विश्वास है समूचा सदन इस बात से सहमत होगा कि श्री लिम्बाराम को तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री को बधाई दी जाए जिन के पथप्रदर्शन से, देश ने यह सम्मान प्राप्त किया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मेरे विचार से मंत्री महोदया बीजिंग जाकर उन्हें बधाई दे सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैंने पहले से ही बधाई भेज दी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : महोदय 5.30 बजे का समय आधे घंटे की चर्चा के लिए निर्धारित था।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय एक बात यह है कि मुझे बताया गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के लिए 2½ घंटे का समय दिया गया है। यह सदन पर निर्भर करता है। क्या हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे और फिर गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक जारी रखेंगे ?

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : चर्चा के लिए दो घंटे का समय बढ़ाया गया था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि चर्चा 3.30 म०प० पर शुरू हुई थी और उन्होंने समय बढ़ा दिया है। मैं कितने भी घंटे बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या सदन बैठ पायेगा।

सभापति महोदय : आधे घंटे का समय निर्धारित था । आमतौर पर आधे घंटे की चर्चा का समय नहीं बदला जाना चाहिए सदन सर्वोपरि है श्री अजित पांजा क्या आप चाहेंगे कि पहले आधे घंटे की चर्चा हो ।

श्री अजित कुमार पांजा : मेरे विचार से, मुद्दा बहुत छोटा है । यह आकाशवाणी का एक केन्द्र खोलने में हुए विलंब के बारे में है । यदि माननीय सदस्या यहां उपस्थित हैं तो मैं उन्हें यह सूचित करना चाहूंगा कि हमने इसे खोलने का इन्तजाम कर लिया है और इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । मेरे विचार से माननीय सदस्य इस विषय में सदन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए सही हैं । हमने इसे 15 तारीख को खोलने का प्रबंध किया है ।

सभापति महोदय : मैं सुझाव देता हूं कि माननीय सदस्य पहले कुछ कहेंगे । श्री उदय सिंह राव गायकवाड ।

श्री उदय सिंह राव गायकवाड (कोल्हापुर) : हम पांच मिन्ट में भाषण समाप्त कर देंगे ।

आधे घंटे की चर्चा

आकाशवाणी केन्द्र, कोल्हापुर

श्री उदय सिंह राव गायकवाड (कोल्हापुर) : महोदय पिछले एक वर्ष के दौरान हुए विभिन्न दो सत्रों में मैंने आकाशवाणी केन्द्र, कोल्हापुर के कार्य न करने के बारे में प्रश्न उठाया था । दोनों बार जो उत्तर दिया था वह एक सा था अर्थात् स्टाफ न मिलने के कारण आकाशवाणी केन्द्र, कोल्हापुर कार्य नहीं कर रहा है । मैं उस उत्तर को उद्धृत कर सकता हूं जो 16-12-91 को दिया था । प्रश्न वही था और उत्तर यह दिया गया था । यद्यपि कोल्हापुर, नया रेडियो स्टेशन तकनीकी रूप से तैयार है लेकिन स्टेशन शुरू करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है यह स्टेशन उस वक्त काम करना शुरू कर देगा जब इसको पर्याप्त संचालन व रख-रखाव के लिए वास्तव में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध हो जायेगा उन्होंने यह भी कहा है कि 84.42 लाख रुपये भवन पर खर्च किये जा चुके हैं जिसमें नागरिक सुविधाओं तथा बिजली का कार्य शामिल है और 176 लाख रुपये प्लाट और मशीनरी पर खर्च किये जा चुके है । अतः दोनों उत्तर एक से है ।

अब मैं इस पर और प्रकाश डालना चाहूगां । यह नोट करने वाली बात है कि सरकार ने भवन मशीनरी आदि पर 2.5 करोड़ रुपये खर्च करने स्वीकार किए थे ।

जून 1991 से पहले, मैंने आकाशवाणी केन्द्र, कोल्हापुर का दौरा किया था और मैंने देखा कि अधिकारी एक से दो बजे के बीच ट्रायल कर रहे थे और घोषणा कर रहे थे हम आकाशवाणी कोल्हापुर से बोल रहे हैं और अभी भी ऐसा ही हो रहा है । यह पिछले एक वर्ष से हो रहा है लेकिन अभी तक व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं हुआ है ।

भूमि पिछले पांच वर्षों से स्थानीय निकायों अर्थात गोकुल कोओपेरेटिव डेरी की सहायता से तथा बगले भी महाराष्ट्र सरकार की सहायता से दिये गये थे तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की भी सहायता ली गई ।

अब जब निर्माण तथा स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है, इस केन्द्र को स्टाफ उपलब्ध न होने की बात कह कर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

मैं इस महान सदन के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि कोल्हापुर रेडियो स्टेशन कलाकारों, तकनीशयनों तथा फिल्म डायरेक्टरों के लिए पथप्रदर्शक का कार्य करता है । मंगेश्कर परिवार, अर्थात लता मंगेश्कर, आशा भोंसले, मीना मंगेश्कर तथा हृदयनाथ मंगेश्कर, कोल्हापुर का है । उन्होंने अपना कैरियर तथा पढ़ाई कोल्हापुर से ही शुरू की । पदमभूिषण प्राप्त वी० शान्ताराम भी कोल्हापुर के हैं । श्री बाल जी पांझाकर मशहूर फिल्म डायरेक्टर, भी कोल्हापुर से हैं । श्री बाबूराव पेंटर, जिन्होंने प्रथम मूवी कैमरा कोल्हापुर पर बनाया था, भी कोल्हापुर के हैं । मशहूर पार्श्व गायक श्री सुरेश वाडेकर भी, कोल्हापुर के हैं । श्री अनन्त माल, जिन्होंने पचास से अधिक फिल्मों में काम किया है, तथा प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है, कोल्हापुर के हैं । मैं सैकड़ों ऐसे व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं, जिन्होंने कला तथा तकनीशियन के रूप में कार्य किया है, जो कोल्हापुर के हैं । कुछ व्यक्ति जो आल इण्डिया रेडियो में कार्य कर रहे हैं तथा टी० वी० में कार्य कर रहे हैं, कोल्हापुर के हैं ।

आकाशवाणी केन्द्र के भवन निर्माण और मशीनें लगाने का कोई फायदा नहीं है । इससे जनता का धन व्यर्थ जाएगा । भवन के निर्माण तथा मशीनरी पर लाखों रुपये खर्च किये जा चुके हैं तथापि आल इण्डिया रेडियो कोल्हापुर को चालू करने के लिए स्टाफ की कोई कमी नहीं है । यदि विज्ञापन दिया जाये तो मैं स्वयं ही कोल्हापुर से तथा पश्चिमी महाराष्ट्र से सैकड़ों उच्च शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करवा सकता हूं ।

सदन उन्हीं ईमानदार मंत्री से, उम्मीद करता है जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर नजदीकी नजर रखे हुए हैं, और इस से उन्हें प्रशासनिक रूप से संतर्क भी हैं, जो इस तथ्य से साफ है कि हेराफेरी के कुछ मामलों में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि वह शीघ्र पूरी हो जाए, यह उम्मीद करता है कि वह आकाशवाणी के मौजूदा केन्द्रों को बेकार पड़े रहने की अनुमति नहीं देंगे । उनके मंत्रालय के कार्यकरण पर सी० बी० आई० की पूछताछ में पर्याप्त प्रगति हुई है । मैं पश्चिमी महाराष्ट्र के लोगों की ओर से इस सदन से और सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि इस विषय पर उचित ध्यान दिया जाए और आकाशवाणी कोल्हापुर का कार्यकरण बिना समय गंवाए सुनिश्चित किया जाए ।

मुझे बताया गया है कि हमारे माननीय मंत्री श्री भालजी पंडेरकर को दादा साहिब फालके पुरस्कार से सम्मानित करने कोल्हापुर जा रहे हैं । यदि यह सही है और वह कोल्हापुर जा रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह आकाशवाणी केन्द्र से घोषणा करके सद्भावना का प्रदर्शन करें और यथाशीघ्र इसका शुभारंभ करें और संभवतः अपनी यात्रा के दिन ही यह कार्य करें ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, इसमें मैंने भी अपना नाम दिया हुआ है। मैं इसमें बहुत कुछ कहना चाहता हूं इसलिए मैंने अपना नाम दिया है। पिछले लोक सभा के सत्र में सबसे आखिरी दिन मेरा भी ऐसा ही प्रश्न था जिस पर माननीय मंत्री महोदय के अनुरोध पर मैंने उस समय उसको नहीं उठाया तथा उस समय उसे न उठाने के लिए अन्य कारण भी रहे, लेकिन आज जब मैंने देखा कि उसी से मिलता-जुलता प्रश्न है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बरेली के लोग भी पिछले छः महीने से,.....व्यवधान*.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं यह कोल्हापुर के बारे में है।

[अनुवाद]

मुझे खेद है कि यह शून्यकाल नहीं है। यह कोल्हापुर में आकाशवाणी केन्द्र खोलने के संबंध में है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं कोल्हापुर की ही बात करूंगा।

सभापति महोदय : आप तो बरेली की बात कर रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं है। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, बरेली का तो मैंने संदर्भ जोड़ा है। ऐसे कोल्हापुर की तरह के कितने रेडियो स्टेशन हैं, जहां सब कुछ बनकर पूर्ण हो चुका है, लेकिन चालू नहीं हुए हैं।.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, देखिए, भाई साहब, यह नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

यह कोल्हापुर में आकाशवाणी केन्द्र खोलने से संबंधित प्रश्न है। यह प्रश्न काल नहीं है कि आप मंत्री से इसी तरह के सभी मामलों के बारे में पूछें। वह इसके लिए तैयारी करके नहीं आए हैं। यह केवल कोल्हापुर के बारे में है।

[हिन्दी]

अगर आपका कोई सवाल कोल्हापुर ए० आई० आर० के० बारे में है, जो उदय सिंह गायकवाड़ जी ने पूछा है तो आप जरूर पूछ सकते हैं अन्यथा नहीं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं श्री गायकवाड़ जी की बात का समर्थन करते हुए यह जानना चाहूंगा कि वे कोल्हापुर जाना चाहते हैं, तो जब तक वे कोल्हापुर जाएंगे, तब तक इस बात की घोषणा कर दें कि कोल्हापुर आकाशवाणी केन्द्र चालू हो जाए।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : महोदय, मैं आधे घंटे की इस चर्चा के लिए माननीय सदस्य का आभारी हूं। व्यक्तिगत रूप से फाइल की जांच करने पर मैंने देखा कि हमें इस केन्द्र का उद्घाटन बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैंने इसकी जांच की और पाया कि इसमें कठिनाई यह थी कि सभी पदों पर लोगों की भर्ती के लिए खुला विज्ञापन देना, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कुछ पदों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा और कुछ पदों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरा जाना है और किन्हीं पदों पर निश्चित पद्धति के अनुसार भर्ती की जानी है। मैंने देखा कि केन्द्र निदेशक से लेकर सुरक्षा गार्ड और अन्य तक के कुल 108 पदों को भरने का प्रस्ताव है। मैंने यह भी देखा कि इस परियोजना पर कुल 3,21,25,000 रुपये व्यय करने होंगे। यह आकाशवाणी में एक अद्यतन परियोजनाओं में से एक परियोजना बनने जा रही है। तकनीकी रूप से यह दिसम्बर, 1991 से तैयार था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि एक घण्टे की घोषणाएं की जा रही हैं क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आकाशवाणी केंद्र ठीक-ठाक हो गया है और हरेक चीज ठीक से कार्य कर रही है, कुछ समय के परीक्षणों की आवश्यकता थी। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि मैं इस महीने की 15 तारीख को व्यक्तिगत रूप से श्री भाल जी पण्डेरकर को सम्मानित करने कोल्हापुर जा रहा हूं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जहां तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है यह सर्वोच्च सम्मान इस रचनात्मक कला के लिए दिया जा सकता है। अतः उस दिन माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने कोल्हापुर आकाशवाणी केन्द्र का उद्घाटन करने के प्रबन्ध पहले ही कर लिए हैं। कोल्हापुर की महान विरासत से सभी परिचित हैं। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हमने इस केन्द्र का उद्घाटन करने के लिए प्रबंध कर लिए हैं। हम इस केन्द्र को बहुत कम कर्मचारियों के साथ शुरू कर रहे हैं क्योंकि पूरे कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा सकी है। महोदय, हम बहुत थोड़े से कर्मचारियों को लेकर ही इस केन्द्र को चलाने में समर्थ होंगे और मैं इसका पक्षधर भी हूं और ऐसा ही विचार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का भी है। वह भी इस केन्द्र को बहुत थोड़े से कर्मचारियों के साथ आरम्भ करने के पक्ष में हैं जिसकी हम व्यवस्था कर पाएं हैं तथा हम 15 तारीख को इसका उद्घाटन कर रहे हैं, साथ ही उस दिन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाएगा जो कोल्हापुर की महान हस्ती श्री भाल जी पण्डेरकर को दिया जाएगा जिन्होंने कोल्हापुर में कार्य किया। कोल्हापुर की महान विरासत और वहां पर जन्मे महान व्यक्तियों को और उनके इस रचनात्मक कला के प्रति किए गए कार्यों को मान्यता देते हुए हम इस महीने की 15 तारीख को उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और मैं नहीं समझता हूं कि आकाशवाणी कोल्हापुर केन्द्र के उद्घाटन में और कोई विलंब होगा।

लेकिन, महोदय, मैं सभी संबद्ध सदस्यों से यही अनुरोध करूंगा कि क्योंकि केवल अल्प-अवधि सूचना ही दी गई है और सभी पद हमारे हाथों में भी नहीं हैं, हम बहुत कम स्टाफ से शुरुआत करेंगे। मेरे मंत्रालय ने पहले ही कदम उठाने आरम्भ कर दिए है, ताकि अन्य पद के लिए उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन दिया जा सके और भर्ती की जा सके। अतः, महोदय, मैं नहीं समझता कि इस पर आगे कोई चर्चा की आवश्यकता है। इस महीने की 15 तारीख को हम इस केन्द्र का उद्घाटन करने में सफल होंगे। मई के महीने में मध्य प्रदेश में शाहडोल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है और मई महीने की पहली ही तारीख को हम आन्ध्र प्रदेश में कुरनूल रेडियो स्टेशन समेत छह रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने में सफल हुए हैं।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : मंत्री महोदय को केवल प्रश्न तक ही सीमित रहना चाहिए, उससे अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि मंत्री महोदय अन्य बातों के बारे सभा को जानकारी देना चाहते हैं।.....

श्री अजीत कुमार पांजा : मैं यह बताना चाहता हूं कि देरी जानबूझ कर नहीं की गई है, हम यह कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मई की पहली तारीख— केवल सात दिन पूर्व—हम छह रेडियो स्टेशन— आंध्र प्रदेश में कुरनूल, कर्नाटक में होसपेट, मध्य प्रदेश में रायगढ़, महाराष्ट्र में अकोला, पंजाब में पटियाला और राजस्थान में सवाई माधोपुर में एक-एक रेडियो स्टेशन स्थापित कर पाए हैं। 15 तारीख को शाहडोल मध्य प्रदेश में भी एक नये रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया जायेगा और कल मैं इस आंध्र प्रदेश रेडियो-स्टेशन, जोकि कोल्हापुर की तरह ही काफी लम्बे समय से उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है; का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए कुरनूल जा रहा हूं।

महोदय, कोल्हापुर रेडियो-स्टेशन के उद्घाटन से, यह देश का 135वां रेडियो स्टेशन बन जायेगा। प्रसारण-सुविधाओं के संबंध में पूर्ण-विकसित स्टेशनों की संख्या 127 रिले केन्द्र, उप-केन्द्र एवं पूर्णतयः बी०बी०/वाणिज्यक केन्द्र क्रमशः 2, 2 और 3 हैं। इनकी कुल संख्या 134 है। कोल्हापुर रेडियो स्टेशन के उद्घाटन से यह संख्या 135 हो जाएगी। सातवीं योजना की परियोजनाओं के पूर्ण होने पर देश में कुल रेडियो स्टेशनों की संख्या 205 हो जाएगी। मैं अपने माननीय मित्र के प्रश्न, कि क्या कोई रेडियो-स्टेशन खोला जा रहा है, का थोड़े से भाग का भी उत्तर देना चाहता हूं। इसे तुरन्त तैयार किया जा रहा है, हम इसका जितना जल्दी सम्भव होगा, लोगों के लाभार्थ उद्घाटन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : श्रीमान् गायकवाड़, क्या आप कोई स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं?

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। मैं मंत्री महोदय का इस माह की 15 तारीख को कोल्हापुर रेडियो स्टेशन के उद्घाटन करने की उनकी कृपालुता के लिए आभारी हूं। (व्यवधान)

श्री अजीत कुमार पांजा : यदि माननीय सदस्य 15 तारीख को कोल्हापुर रेडियो स्टेशन के उद्घाटन समारोह में आने के इच्छुक हों, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप श्री गायकवाड़ को ही आमंत्रित कर रहे हैं अथवा क्या आप अन्य लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय द्वारा विमान-टिकट प्रदान की जायेगी। (व्यवधान)

5.50 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)—जारी

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा करेंगे। श्री हरि किशोर सिंह अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति जी, मैं आपका बहुत आभार मानता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया। मैं अपने मित्र इन्द्रजीत जी को सुन रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे गम्भीर सदस्य इस विषय में एक बहुत ही दूसरा दृष्टिकोण रखते हैं। देश की एकता के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है, उसको देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। हमारे देश की जो सांस्कृतिक एकता है और जो कि हिमालय से लेकर हिन्द महासागर तक फैली है, उस सांस्कृतिक एकता के आधार पर ही हम अपने देश की एकता को मजबूत करते आये हैं। सारी विविधताओं से भरा हमारा देश है। यहां अनेक भाषायें हैं, अनेक बोलियां हैं और विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। हमने उन्हीं विविधताओं को लेकर अपने देश की एकता को जो हमें विरासत में प्राप्त हुई है, उसको मजबूत करने का प्रयास किया है।

कहा गया है कि भाषा के हिसाब से प्रांतों का गठन करने के कारण हमारे देश की एकता में कुछ कमी आई है अगर भाषा के हिसाब से प्रांतों का गठन नहीं होता तो जो शक्तियां देश का विभाजन कराना चाहती हैं, इतना तहस-नहस करके आगे बढ़ी होती कि उनको काबू करना मुश्किल हो जाता।

नेपाली और मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के प्रश्न पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी स्वस्थ दृष्टिकोण रखा है। इन्द्रजीत जी ने तकनीकी दृष्टि से कई बातें कहीं। वह एक विद्वान आदमी हैं। उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि नेपाली भाषा की जो लिपि है वह नागरी लिपि है और जो हिन्दी की भी लिपि है वह इस देश की बहुत सी भाषाओं की लिपि है। नेपाली को विदेशी भाषा के रूप में सोचने का काम हम नहीं कर सकते हैं। भोगेन्द्र झा जी का और मेरा निर्वाचन क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है। वहां काफी नेपाली लोग रहते हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो गोरखाली नहीं हैं। जो भारतीय

मूल के लोग हैं वह नेपाली बोलते हैं। आज नेपाल की संसद में यह मांग की जा रही है कि वहां हिन्दी को स्वीकृति मिले। पता नहीं क्यों ऐसे जजबाती मामलों को भड़काने का काम किया जाता है? देश के अच्छे-खासे हिस्से में जो दूसरी कई भाषायें बोली जाती हैं, उसको मान्यता देने में क्या एतराज है? वह क्यों आन्दोलन करने को मजबूर होते हैं क्या इस पर आपने कभी सोचा? जब भाषाओं के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था और आज भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। पट्टम श्री रामलू जैसे व्यक्ति को आत्मदाह करने की जरूरत क्यों पड़ी क्या यह आपने सोचा? महाराष्ट्र का जब गठन हुआ था तो भी उसके लिए आन्दोलन हुआ और उसमें कम से कम 17 आदमियों की जानें गई थी। बम्बई में फायरिंग हुई थी। क्या उसके लिए जरूरी था कि फायरिंग किया जाये? यह हमारी संसदीय प्रणाली के लिए चुनौती है। देश की एकता के प्रश्न पर बहुत विवाद होता है। देश की एकता का मापदंड क्या है? क्या हम संकुचित दृष्टिकोण से देश की एकता को देखेंगे। क्या संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत विचार-विमर्श के आधार पर हम इन जजबाती बातों का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं? क्यों आन्दोलन चलाना जरूरी पड़ जाता है? क्यों किसी को भूख हड़ताल करने की जरूरत पड़ती है। मणिपुर में जो स्थिति हो गई है, मैं उसके राजनीतिक कारणों में नहीं जाना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग उसके लिए जो कुछ कर रहे हैं, उनके किये का पश्चाताप सारे देश को करना पड़ेगा। जिस तरह से अपनी सरकार को बनाने के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति वह करे रहे हैं, वहां की जो मान्यता प्राप्त भाषा है, उसको आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। नेपाली को आप गोरखाली कहें, मैं भाषा के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, इन्द्रजीत जी को जितनी जानकारी है, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नेपाली भाषा की एक स्पष्ट पहचान बन गई है। नेपाली लोग भारत में रहते हैं, उनको भारत की नागरिकता दी गई है और लाखों लोग भारत के नेपाल में रहते हैं। मेरे अपने इलाके में लोग नेपाल में रहते है और नेपाल की नागरिकता प्राप्त होगी उनको, तभी वहां हिन्दी की स्वीकृति होगी। नेपाल में भी लोग हिन्दी में बोलते हैं। इस तरह से संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। सभापति जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुनियां में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं और यह देश हमारे पड़ोस में है और थोड़ी सी दूरी पर ही है। काफी वर्षों से भारत का मित्र रहा है। सोवियत संघ में विघटन हुआ है और विघटन के बाद जो प्रक्रिया वहां रही है, दुनियां में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको भी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। उसको दृष्टि में रखते हुए, हमारी जो अपनी विविधताएं हैं जो विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के आधार पर ही, देश की एकता का निर्माण हुआ है। इसको मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो भाषा के संबंध में जजबात है, उनको स्वीकृति देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि नेपाली और मणिपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, मैं इसका जनता दल की ओर से भी पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर): महोदय, संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक शायद एक निर्विवाद और साथ-ही-साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय श्रीमती बिल कुमारी

भण्डारी जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक एक ऐसे मुद्दे से संबंधित है। जिसने देश के सभी प्रमुख दलों का ध्यान आकर्षित कर लिया है।

1972 में जब संसद के 74 सदस्यों ने इस बारे में केंद्र सरकार को एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया था, तब नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग ने एक जन-आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। 11 और 12 जून, 1990 को गंगटोक में हुई नेपाली पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन में इस मांग को एक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला था। देश के विभिन्न भागों से संबद्ध शिष्ट मण्डल और मुख्य राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर कर रहे सांसद जैसे कांग्रेस-आई, सी०पी०आई, सी०पी०एम०, जनता दल, भा०ज०पा०, फारवर्ड-ब्लाक कुछ क्षेत्रीय सतारूढ़ दलों के प्रतिनिधि भी नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मत रूप से सहमत हुए और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने कार्य किया। नेपाली को संस्कृत भाषा की पुत्री कहा जा सकता है और इसका हिन्दी, बंगाली, गुजराती और मराठी भाषाओं से निकटवर्ती संबंध है। यह आधुनिक भारत-आर्यों की भाषा दस मिलियन से भी ज्यादा भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह सिक्किम और पश्चिम-बंगाल की भी राज भाषा है। इलाहाबाद और कलकत्ता विश्वविद्यालयों ने इस भाषा को क्रमशः 1911 और 1918 में स्कूलों और महाविद्यालयों में अध्ययन के एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की थी।

06.00 अ०प०

नेपाली और मणिपुरी दोनों ही भाषाओं को साहित्य अकादमी ने भी मान्यता दी हुई है। मणिपुरी भाषा मणिपुर राज्य की राज भाषा है। मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए समनुरूप मांग भी रही है। अतः, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस न्यायसंगत मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं इस माननीय सभा को नेपाली भाषा के दो वाक्य सुनाना चाहता हूं, जिनके लिए मैं स्वयं अनुवादक का कार्य करूंगा।

मेरो काठी रिश्तेदार हेरु नेपाल देश की हुनु हुंछो, अरु मो केता-केती देखूं, नेपाली बोलेरा आयेको छू। तेसाईलाए, भोलाई धेराई खुशी हुन-थयो, की, नेपाली भाषा पानी, हमारो संविधान को आठवां सैड्यूल मा मिलायो जाये।

अन्य शब्दों में, मेरे कुछेक रिश्तेदार नेपाल में हैं और मैं बचपन से घर में नेपाली बोल रहा हूं। नेपाली भाषा को यदि हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो इससे बड़ी और खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी।

अन्ततः, इस भाषा को नेपाली अथवा गोरखाली कौन-सी भाषा कहा जाए, विवाद सम्भवतः बातचीत करके सुलझाया जा सकता है और संबंधित वर्गों की आम राय प्राप्त करके एक सौहार्दपूर्ण निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इसके पश्चात् मैं प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती को बोलने के लिए बुलाता हूं।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : धन्यवाद महोदय, मैं संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, सभा की बैठक कितनी देर और चलेगी ?

सभापति महोदय : अढ़ाई घण्टे की समय अवधि 6.22 म०प० बजे समाप्त हो जायेगी । सभा 6.22 म०प० बजे तक चलेगी । उसके पूर्व मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना है और फिर श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी को अपना उत्तर देना है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे, तो मैं आपकी बात समझ नहीं सकता । श्री मनोरंजन भक्त जी आप क्या कह रहे हैं ?

श्री मनोरंजन भक्त : मैं कह रहा हूं कि उनके पश्चात्, यदि आप मंत्री महोदय को हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, तो वह बिल्कुल सही होगा क्योंकि इस समय कुछ उत्तेजना चल रही है । उनके उत्तर से, यह सम्भव है कि लोग संतुष्ट हो जाएं । तत्पश्चात् आप सभा स्थगित कर सकते हैं और अगली बार अन्य सदस्य बोल सकते हैं; वह इसका इसके बाद उत्तर दे सकती हैं ।

सभापति महोदय : यही मैंने कहा है । किसी भी स्थिति में यह 6.22 म०प० तक होने जा रहा है ।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए । आपने कहा है कि यह 6.22 म०प० तक चलेगा । इससे बात नहीं बनेगी ।

सभापति महोदय : पहले ही समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जा चुका है और यह दो घंटे का समय भी समाप्त होने जा रहा है ।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मुझे अपना प्रत्युत्तर भी देना है । मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करने में समय लगेगा । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं सभा स्थगित करने के लिए तैयार हूं क्योंकि कोरम नहीं है । अब मैं सभा स्थगित करने के लिए तैयार हूं ।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करने दें **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : व्यवस्था के एक मुद्दे पर, यह एक असाधारण स्थिति है । महोदय, आप ही ने कोरम की सूचना ली है । मैं नहीं समझता कि इसे उठाया क्या था । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजने दीजिये । अब, कोरम है । प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती ।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : महोदय, मैं श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी द्वारा नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु मान्यता प्रदान करने की मांग के प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

महोदय, आज वैशाख माह की 25 तारीख है और यह तारीख श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर का जन्म दिन है। अपनी प्रसिद्ध कविता "भारत तीर्थ" में उन्होंने लिखा है :

"हे मोर चित पुरमा तीर्थे जागोरे धीरे
आई भारतेर महामानवेर सागर तीरे"

मेरे हृदय जागो, भारतीय के समुद्र की महानता के एक तरफ धीरे-धीरे जाग।
उन्होने आगे कहा है :

"हेथाय आर्य हेथाय अनार्य
हेथाय द्राविड़ चिन शाक, हुन, दाल
पठान, मोगल, इक देह हालो लिन"

यह उनके लिए एक प्रेरणा है, जो हमारे देश एकस्वता और हमारे देश की महानता को पहचानते हैं और इसके साथ ही यह उनके लिए एक सबक है, जो हमारे देश को विभाजित करना चाहते हैं तथा मांग करते हैं एवं जो०एन०एल०एफ० की मांग का समर्थन करते हैं तथा जो यह चाहते हैं कि भारत में जो एकता है, वह समाप्त हो जानी चाहिए।

महोदय, हमारे इस महान देश में बहुत से नेपाली रहते हैं और उनकी अपनी भाषा है। उनकी मांग है कि पूरे भारत में वे अपनी मातृभाषा में अपनी बात कह सके यह प्राकृतिक मांग है क्योंकि हम इसी भाषा में बात करते हैं, इसी भाषा में सोचते हैं और इसी भाषा में मां लोरी गाकर अपने बच्चे को सुलाती है। हमें इस मुद्दे पर इसी भावना से सोचना होगा। यदि हम इस मुद्दे पर इस प्रकार नहीं सोचते हैं और नेपाली तथा मणिपुरी बोलने वाले व्यक्तियों की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं तब वे इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषा एक मान्य भाषा है। यहां तक कि स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रों को नेपाली भाषा में शिक्षा दी जाती है। हम जानते हैं कि नेपाली और मणिपुरी भाषा में यह सभी बातें हैं जो एक भाषा में राष्ट्रीय भाषा बनने तथा आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए होनी चाहिएं। हमें इसे मान्यता देनी चाहिए। हमने इस सम्माननीय सभा में अनेक बार इस पर चर्चा की है लेकिन अब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। साहित्य एकादमी ने भी इन को मान्यता देने की सिफारिश की है। सिक्किम, हिमाचल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने भी आठवीं अनुसूची में इनको शामिल करने की मांग की है। लेकिन अब तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मामले में विलम्ब करने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को सुलझाएं। हम अनेक तर्क दे सकते हैं कि आज अनेक भाषाओं को शामिल करने की मांग की जाती है। मैं चाहता हूं कि मैथिली और कोंकणी को शामिल किया जाये ऐसी अन्य अनेक भाषाएं भी हैं। लेकिन चूंकि कुछ और कार्य नहीं किया गया है इसलिए हम इस प्रक्रिया में विलम्ब नहीं कर सकते हैं। अब इस बारे में मांग की गई है।

श्री इन्द्रजीत को छोड़कर सबने एक ही बात कही है श्री इन्द्रजीत, श्री सुभाष घीसिंग की तरह नेपाली भाषा को विदेशी भाषा मानते हैं। यदि इसे इस प्रकार माना जाएगा तब हमें बंगाली को भी विदेशी भाषा मानना चाहिए क्योंकि यह बंगाल देश की सरकारी भाषा है। ऐसी बात नहीं है और यह तर्क उचित भी नहीं है। मेरा श्री इन्द्रजीत से अनुरोध है कि वह अपने विचारों पर पुनर्विचार करें। मैं गृह मंत्री से दुबारा अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें। विद्यार्थी आंदोलन व भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम यह भी सुन चुके हैं कि कुछ व्यक्ति मरणासन स्थिति में हैं। ऐसी

स्थिति हमेशा नहीं रह सकती । भारत को इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता । इसे एक करने के लिए हमें जनता की भावनाओं के साथ न्याय करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : समय नहीं है । यह बात सभा की जानकारी में है कि अनेक लोग भूख हड़ताल पर हैं । अतः मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए । स्थिति यह है कि सभा 6.22 म०प० पर स्थगित होनी है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस मामले में अपनी बात कहें ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, क्या मुझे बोलने की अनुमति है ? मैं जानता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे पर दोनों पक्षों के अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं । मैं यह भी जानता हूं कि इस विधेयक के लिए नियत समय समाप्त हो रहा है । यदि आप इस विधेयक पर चर्चा का समय दो घंटे बढ़ा दें इसका यह अर्थ नहीं है कि आज हम देर तक बैठेंगे बल्कि जब भी अगली बार यह विषय लिया जाये हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं । इस बीच मंत्री महोदय अपनी बात कह सकते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री का यह प्रस्ताव है कि अभी अनेक सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं इसलिए इस विधेयक के लिए समय और बढ़ाया जाये ।

प्रारंभ में तीन घंटे, तीस मिनट का समय दिया गया था, फिर उसे दो घंटे बढ़ाया गया । कुल मिलाकर साढ़े पांच घंटे का समय दिया गया । क्या मैं यह सुझाव दूं कि इस चर्चा का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए अथवा आप इसे दो घंटे बढ़ाना चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : दो घंटे ?

सभापति महोदय : क्या मैं यह बात मान लूं कि सभा इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय बढ़ाने के लिए सहमत है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : अब इस चरण पर मंत्री महोदय हस्तक्षेप कर सकते हैं । उनके बाद चर्चा जारी रहेगी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : ति महोदय, इस चरण पर मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि अभी अनेक सदस्यों ने अपने विचार रखने हैं । मैं सभा में उल्लिखित सभी समस्याओं का उत्तर बाद में दूंगा क्योंकि इस विधेयक पर अभी दो घंटे और चर्चा होनी है ।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी द्वारा प्रस्तुत विधेयक में एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और हम सभी सहमत थे कि हमें इस पर तत्काल चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं आठवीं अनुसूची में 15 भाषाएं शामिल हैं। पहले चौदह भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था और बाद में 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। उस समय यह कहा गया था कि यदि आठवीं अनुसूची में आप इसी प्रकार भाषाएं शामिल करते रहेंगे तब यह अंतहीन प्रक्रिया हो जाएगी और इससे काफी जटिलताएं और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तथापि, यह मामला बार-बार उठाया गया। नेपाली के पक्ष में उचित कारण बताए गए हैं। श्री इन्द्रजीत ने गोरखा भाषा के बारे में कहा है।

इसी समय मणिपुर से अनेक मित्र मेरे पास आए। उन्होंने यह तर्क दिया कि मणिपुरी तिब्बती —बर्मी समूह की भाषा है और यदि हम इसे राष्ट्रीय भाषा बनाने पर विचार करते हैं तब यह भारत के लिए अच्छी बात हो सकती है। यह तर्क बहुत सशक्त है। मैंने 'नहीं' नहीं कहा। लेकिन एक बात है कि आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए अभी तक कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। क्या हम उन राज्यों के अनुसार चलें जो यह भाषा बोलते हैं? अर्थात् एक राज्य भाषा हो। उदाहरण के लिए सिक्किम की राज्य भाषा नेपाली है। गोवा के एक वक्ता ने कहा कि वहां कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसे राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। मणिपुर में उन्होंने मणिपुरी को राज्य भाषा माना हुआ है। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों के लगभग दस अभ्यवेदन सरकार के समक्ष आए हैं जिनमें राजस्थानी, कोंकणी, डोगरी, भोजपुरी, मैथिली, बोडो, नेपाली, गोरखाली तथा धातकी शामिल है। आज श्री मनोरंजन भक्त ने मुझ से निकोबारी के बारे में भी बात की है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैंने सम्भलपुरी का भी उल्लेख किया था।

श्री एम०एम० जैकेब : मेरा विनम्र निवेदन है कि हम भाषा के विकास के लिए भाषा की ओर ध्यान दे रहे हैं। जब मैं पूरा ब्यौरा दूंगा तभी कुछ कह सकता हूं। साहित्य अकादमी ने बाइस भाषाओं को स्वीकार किया है। श्रीमती भंडारी ने उन सभी भाषाओं, विशेष रूप से नेपाली की विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनके लिए साहित्य अकादमी ने भी कहा कि यह भाषा उच्चतर शिक्षा के योग्य है और इसे राज्य ने स्वीकार किया है। उन्होंने अनेक मानदंड भी बताए हैं। ऐसी ही बात मणिपुरी के साथ भी है। तीन राज्य सरकारों ने एक संकल्प पारित किया है। मैंने भी उसे नोट किया है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि मैंने उनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ हैं आप हमें अर्थात् सभा को इस पर गंभीरता से विचार करने की अनुमति दें क्योंकि अनेक दृष्टिकोण सामने रखे गए हैं। शायद हम दो या तीन भाषाओं तक सीमित हो सकें। इसके लिए अनेक विकल्प हैं जैसे कि आप आठवीं अनुसूची को ही समाप्त कर दें। इससे देश में सभी भाषाओं की ओर उचित ध्यान दिया जाएगा।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : हम समझते हैं कि लोकतन्त्र में जनता की इच्छाओं का आदर किया जाता है तथा अधिक विधान सभाओं का अर्थ है कि पूरे राज्य की ओर अधिक जनता की भावनाओं को वहां प्रतिनिधित्व प्राप्त है। महोदय, चार राज्य हैं न कि एक राज्य। सभी का यही मत है कि नेपाली भाषा को शामिल किया जाए। अतः मैं आशा करती हूं कि.....

सभापति महोदय : श्रीमती भंडारी, मन्त्री महोदय भी यही कह रहे हैं।

श्री एम०एम० जैकेब : यदि आप अन्तिम विश्लेषण के बारे में सोचते हैं तब उसके अनेक विकल्प हैं। केवल एक ही विकल्प नहीं है। अनेक लोग यह बात करेंगे कि और भाषाएं शामिल न की जाएं। कुछ सदस्य कहेंगे कि अमुक-अमुक भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए और उसके बाद किसी भाषा को शामिल न किया जाए। कुछ व्यक्ति यह कहेंगे कि 'यह एक समस्या है, आठवीं अनुसूची को ही समाप्त कर दो और प्रत्येक भाषा का विकास होने दो।' इस देश में 1600 भाषाएं तथा बोलियां हैं। आप इसे नहीं भूल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने इस बात पर गंभीरता से विचार किया है और मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण मांगें हैं। सरकार को भी इस बात की जानकारी है। मंत्रालय भी इस पर विचार कर रहा है। हम इस बारे में इस समय यही कदम उठा सकते हैं कि हम इसके तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाएं। मैं इस बात से सिद्धान्त रूप से सहमत हूं कि हमें इस पर सक्रियता से कार्यवाही करनी है। मणिपुर, नेपाली, गोरखाली .....

अनेक माननीय सदस्य : गोरखाली नहीं।

श्री एम०एम० जैकेब : जब हम इस पर चर्चा करेंगे तब आप इस बारे में फैसला कर सकते हैं। इस समय मैं विरोधी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकता हूं। हम सभी इकट्ठे होकर इस पर विचार करें और निर्णय करें कि इस समस्या का हम कैसे समाधान कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं मणिपुर के युवकों से भी जो भाषा की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं अनुरोध करता हूं कि वे अपना आंदोलन वापिस ले लें और इस देश के राज नेताओं को गंभीरता से यह विचार करने का मौका दें कि इस भाषा के मुद्दे पर हम किस प्रकार अंतिम निर्णय लें।

सभापति महोदय : सभा 11 मई, 1992 के 11.00 म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है। सप्ताह अंत आपके लिए मंगलमय हो।

6.21 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 मई, 1992/21 वैशाख 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रभासमुनी—95/लोक सभा/93—1-7-93—250 प्रतियां।